



Government of India
Ministry of Women & Child Development

ANNUAL REPORT 2023-24





सत्यमेव जयते

ANNUAL REPORT

2023-24



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
Government of India

CONTENTS

Chapter	Title	Page No.
Chapter 1.	Introduction	3-4
Chapter 2.	Women Empowerment and Protection	7-31
Chapter 3.	Child Development	35-50
Chapter 4.	Child Protection and Welfare	53-64
Chapter 5.	Gender Budgeting	67-76
Chapter 6.	Statistics and Research	79-84
Chapter 7.	National Institute of Public Cooperation and Child Development	87-97
Chapter 8.	National Commission for Women	101-116
Chapter 9.	National Commission for Protection of Child Rights	119-133
Chapter 10.	Central Adoption Resource Authority	137-156
Chapter 11.	G20	159-164
Chapter 12.	Other Programmes and Activities	167-174
Annexures	Annexure I to XXX	177-222



Introduction



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Introduction

1.1 Women and children together constitute about 67.7% of the country's population, as per 2011 Census. Empowerment and protection of women and children and ensuring their wholesome development is crucial for sustainable and equitable development of the country. The Ministry of Women and Child Development is the apex body of Government of India for formulation and administration of regulations and laws related to welfare and development of women and children in the country. It came into existence as a separate Ministry with effect from 30th January 2006, earlier, it was the Department of Women and Child Development set up in the year 1985 under the Ministry of Human Resource Development. The Ministry was constituted with the prime intention to address gaps in State action for women and children and for promoting inter-ministerial and inter-sectoral convergence to create gender equitable and child centered legislation, policies and programmes.

I. Vision

1.2 Empowered women living with dignity and contributing as equal partners in development in an environment free from violence and discrimination, and well-nurtured children with full opportunities for growth and development in a safe and protective environment.

II. Mission – Empowerment of Women

1.3 Promoting social and economic empowerment of women through cross-cutting policies and programmes, mainstreaming gender, creating awareness about their rights, and facilitating institutional and legislative support for enabling them to realize their human rights and develop to their full potential.

III. Mission–Safe and Secure Childhood

1.4 Ensuring development, care, and protection of children through cross-cutting policies and programmes, spreading awareness about their rights and facilitating access to learning, nutrition, institutional and legislative support for enabling them to grow and develop their full potential.

IV. Constitutional and Legal Provisions

1.5. The Constitution provisions provide for equality of women, on one side and for assuring the rights of children, promoting their well-being, and ensuring a better future for them on the other. These provisions are listed at **Annexure-I**. For furthering the interests of the women and the children of the country, the Government has also enacted a number of laws which are listed at **Annexure-II**.

V. Subjects Allocated to the Ministry of Women and Child Development

1.6 To achieve its mandate, the Ministry

has evolved policies, plans of action, legislations, programmes and schemes for advancement of women and children and has been implementing them in collaboration with State Governments/UTs, Government and Non-Government Organisations. The subjects allocated to the Ministry are listed at **Annexure-III**.

1.7 Sustainable Development Goals (SDGs) have taken the center stage in defining the developmental priorities and SDG 5 is dedicated to achieving gender equality and women empowerment is widely recognised as the precondition for achieving the several targets of the SDGs like poverty eradication, inequality, good health, decent work, and economic growth. Wellbeing of women and children is essential for realization of demographic dividend of the country. The Schemes and initiatives of the Ministry of Women and Child Development are aligned with the Targets of SDGs and are directly linked to the social safety net for development and welfare of women and children in the country.

VI. Organizational Structure of the Ministry

1.8 After the formation of 17th Lok Sabha, the Ministry of Women and Child Development is headed by Cabinet Minister, Smt. Smriti Zubin Irani and Minister of State, Dr. Munjpara Mahendrabhai. Shri Anil Malik took the charge of Secretary of the Ministry on 01.03.2024. The organizational structure of the Ministry consists of Secretary, WCD, two Additional Secretaries, one Additional Secretary and Financial Adviser, three Joint Secretaries, one Statistical Adviser. The Organizational chart of the Ministry is at **Annexure-IV**.

VII. Organizations under the aegis of the Ministry

1.9 The Ministry has Autonomous Organisations viz. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) Central Social Welfare Board (CSWB) working under its aegis, besides three Statutory Bodies - National Commission for Women (NCW), National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and Central Adoption Resource Authority (CARA). NIPCCD is a society registered under the Societies Registration Act, 1860. CSWB is a charitable company registered under Section 25 of the Indian Companies Act, 1956. These organisations are funded by the Government of India, and they assist the Ministry in its functions including implementation of programmes/schemes.

1.10 The National Commission for Women (NCW) is a national apex statutory body set up in 1992 for protecting and safeguarding the rights of women. National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) was set up on 5th March 2007 as envisaged in the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005. CARA is the Central Authority that functions as a nodal body for promoting and regulating adoption of Indian children at the National level, as per the provisions under Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

VIII. Achievements of the Ministry during 2023-24

1.11 During the year 2023-24, Ministry has undertaken various policy initiatives and plan interventions for the development, welfare and protection of women and children. These interventions and Ministry's major achievements during the year are discussed in the succeeding chapters.



Women Empowerment and Protection



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Women Empowerment and Protection

I. INTRODUCTION

2.1 The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution. The Constitution not only grants equality to women, but also empowers the State to adopt measures of equity and empowerment in favour of women to neutralize the cumulative socio-economic and political discrimination faced by them. Women have fundamental rights to not be discriminated on the grounds of sex and gender and get equal protection under the law. It also imposes a fundamental duty on every citizen to renounce the practices derogatory to the dignity of women.

2.2 Empowerment of women is a process that leads women to claim their rights to have access to equal opportunities in economic, cultural, social and political spheres of life and realise their full potential. This progress has to be accompanied by their freedom in decisionmaking both within and outside their home with the ability to influence the direction of social change. The Ministry has taken a number of initiatives to empower women and to ensure their safety, these are detailed below.

II. LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR WOMEN

2.3 On the legal front, Ministry has been active in ensuring the protection of law to the

most vulnerable women. Work is being carried out to ensure optimum implementation of laws for women.

A. Sexual Harassment at Workplace

2.4 The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 was enacted to ensure safe working spaces for women and to build an enabling environment that respects women's right of equality of status and opportunity. The Act covers all women, irrespective of their age or employment status and protects them against sexual harassment at all workplaces whether organised or unorganised. Students, apprentices, laborers, domestic workers and even women visiting an office or a workplace are included in the Act.

2.5 In order to ensure effective implementation of the Act, Ministry has developed an online complaint management system titled Sexual Harassment electronic-Box (SHe-Box) [<http://www.shebox.nic.in/>], which provides an online platform to every woman, irrespective of her work status, whether working in organised or unorganised, private or public sector for registration of complaints related to sexual harassment at workplace. Those who have already filed a written complaint with the concerned Internal Committee (IC) or Local Committee (LC) constituted under the Sexual Harassment of

Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 are also eligible to file their complaint through this portal. This portal is an effort to provide speedier remedy to women facing sexual harassment at workplace. Once a complaint is submitted to the portal, it is directly sent to the LC/IC of the concerned employer.

2.6 The Ministry has also published a Handbook and Training Module on the Act to help people understand the Act in a practical manner. The training module can be customised as per the service rules of the organisations.

B. Child Marriage

2.7 The Ministry has been taking proactive measures to eliminate the social evil of child marriage. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 has been enacted to punish those who promote, perform and abet child marriages. The States/ UTs from time to time are being requested to oversee the effective implementation of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006. Prevention of child marriage and protection of girl child are prominent parts of the National Plan of Action for Children, 2016.

2.8 Some of the sincere efforts of Ministry towards prevention of child marriage include communications with the State Governments requesting them to take special initiative to delay marriage by coordinated efforts on special festivals such as Akshya Tritiya/Akha Teej— the traditional day for such marriages. To educate people about the issue of child marriage, awareness has been created through advertisements in the press and electronic media. Platforms such as the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP), International

Women's Day and the National Girl Child Day are used to create awareness and bring focus on issues related to women such as child marriage to the centre-stage.

2.9 As per announcement in the Budget 2020-21, a Task Force was constituted to examine the correlation of age of motherhood with (i) health, medical well-being and nutritional status of mother and neonate/ infant/child, during pregnancy, birth and thereafter; (ii) key parameters like Infant Mortality Rate (IMR), Maternal Mortality Rate (MMR), Total Fertility Rate (TFR), Sex Ratio at Birth (SRB), Child Sex Ratio (CSR), etc. and (iii) any other relevant points pertaining to health and nutrition in this context.

2.10 After taking into account the recommendations of the Task Force and other aspects, the Ministry of Women and Child Development has introduced 'The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021' in the Parliament on 21.12.2021 for raising the minimum age of marriage of women to 21 years to make it at par with that of men. The amendment also proposes to amend the relevant provisions of various acts viz the Indian Christian Marriage Act, 1872; the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936; the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937; the Special Marriage Act, 1954; the Hindu Marriage Act, 1955; and the Foreign Marriage Act, 1969 to universalize the minimum age of marriage in India. The aforesaid Bill has been referred to the Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports (EWCY&S).

C. Domestic Violence

2.11 The Ministry is working to ensure protection of rights of women both within

and outside the domestic sphere of home. With regard to violence occurring within the private space of home, the key legislation is the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA), 2005. The objective of the law is to prevent violence and provide immediate and emergency relief in case of such situations irrespective of the status of woman's relationship with the respondent. The Act recognises women's right to live free from violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto.

2.12 Further, Ministry has requested all State Governments/ UTs to appoint sufficient number of Protection Officers having independent charge, allocate separate budget for smooth functioning of Protection Officers, providing support to survivors, training and capacity building of Police, Judiciary, Medical Officers, service providers and to create mass awareness around the Act. In addition, the State Governments have also been requested to provide Form IV under PWDV Rules in local languages that provide information on the rights of aggrieved persons in a simplified manner.

D. Dowry prohibition

2.13 Recognising the need to address the social evil of dowry, the Dowry Prohibition Act was enacted in 1961. By encouraging effective implementation of this Act, Ministry is working hard to bring an end to the practice of dowry. The Act defines dowry and penalises the giving, taking or abetting the giving and taking of dowry. It also lays down a built-in implementation mechanism in the form of Dowry Prohibition Officers to ensure effective enforcement of the law. Multi-

sectoral advocacy has been carried out to positively influence the mindsets of people and discourage them from giving and taking dowry.

E. Indecent Representation of Women

2.14 The Indecent Representation of Women Act, 1986 was enacted with the specific objective of prohibiting the indecent representation of women through advertisements, publications, writings, paintings, figures or in any other manner. As per the Act, "indecent representation of women" means the depiction in any manner of the figure of a woman; her form or body or any part thereof in such way as to have the effect of being indecent, or derogatory to, or denigrating women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals. It also prohibits selling, distribution, circulation of any books, pamphlets, and such other material containing indecent representation of women.

F. Prevention of Commission of Sati

2.15 **The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987** was enacted on 3rd January 1988. The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 provides for the prevention of the commission of Sati and its glorification. Under this Act, attempt to commit Sati, abetment of commission of Sati and glorification of Sati is a punishable offence.

G. Immoral Traffic Prevention

2.16 **The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956** is the legislation dealing with the issue of prostitution in India. The Act defines prostitution as commercial sexual exploitation and penalizes those who facilitate and abet commercial sexual exploitation, including

clients and those who live off the earnings of prostitutes. It also provides for welfare measures towards rehabilitation of victims in the form of protective homes to be set up and managed by State Governments.

H. Trafficking of Persons

2.17 Trafficking of persons or human trafficking is one of the most serious crimes worldwide and often associated with organized crime syndicates, which thrive on exploitation of victims for economic gains. It violates the basic human right of the victims in myriad ways, including through violation of their personal autonomy and bodily integrity. Human trafficking can be linked to socio-economic reasons like poverty, illiteracy, lack of knowledge and inadequate livelihood options on the side of victims in general and discrimination and objectification of women in particular. It gets fueled by sheer avarice and blatant disregard and disrespect for human rights, dignity and needs on the side of perpetrators, and requires adequately supportive cultural, social and legal ecosystems for being prevented and countered.

2.18 The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018 drafted by Ministry of Women & Child Development was discussed and passed by the Lok Sabha during the Monsoon Session of Parliament of 2018. The Bill was then placed before Rajya Sabha for consideration but could not be considered as both the Houses of Parliament were prorogued. Upon dissolution of the 16th Lok Sabha, the Bill got lapsed.

2.19 In light of the discussions in the Lok Sabha during the passing of the Bill in July 2018, the Bill has been re-visited to make

it more effective, comprehensive and self-contained and better organized and duly responsive to the needs of the matter. While bringing in greater victim-centricity, there is a sharpened focus on issues and outcomes. The new draft legislation has been developed to address human trafficking as a human as well as an economic and organized crime. The present proposal for a new law on human trafficking is with an intention and aim to comprehensively capture all aspects, manifestations and dimensions, as far as possible, of this grievous human and economic crime, into one self-contained legal space. Action is on to get the legislation introduced afresh in the Parliament for passing following due procedure.

III. SCHEMES FOR WOMEN

2.20 The Ministry has formulated 'Mission Shakti', an Integrated Women Empowerment Programme, as Umbrella Scheme for the Safety, Security and Empowerment of Women for implementation during the 15th Finance Commission period from 2021-22 to 2025-26. It aims at strengthening interventions for safety, security and empowerment of women in a mission mode through institutional and convergence mechanism. Mission Shakti seeks to realise the Government's vision for 'women-led development' by addressing issues affecting women across the life-cycle continuum, while making them equal partners in nation-building through convergence across Ministries/Departments and different levels of governance, greater participation and support of Panchayati Raj Institutions and other local self governance bodies and Jan Sahabhagita, while also strengthening digital infrastructure for last mile tracking of service delivery.

2.21 The components of Mission Shakti have been designed in such a way that it takes care of the women's need on a continuous basis throughout her life. Mission Shakti has two sub-schemes 'Sambal' and 'Samarthya'. While the "Sambal" subscheme is for safety and security of women, the "Samarthya" sub-scheme is for empowerment of women. The component-wise details are as under:

(A) Sambal – for safety and security of women

- i) **One Stop Centres (OSCs)**, provide integrated services like legal counselling and help, psycho-social counselling and support, providing information about help and facilities available for women etc., under one roof.
- ii) **Women Helpline (181-WHL)**, an emergency/non-emergency response system on a toll-free telephonic short code 181 that is being integrated with ERSS (112) and other existing helplines/institutions
- iii) **Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)**, is the main initiative for behavioural and mindset change. It has been expanded to cover all districts of the nation.
- iv) **Nari Adalat**, a new sub-component for providing women with an alternate grievance redressal mechanism for resolving cases of petty nature such as harassment, subversion, curtailment of rights or entitlements etc.

(B) Samarthya – for empowerment of women

- i) **Shakti Sadans**, are integrated relief and rehabilitation homes for women

victims of trafficking and destitute women.

- ii) **Sakhi Niwas**, provide safe and secure place for stay for working women in the cities and the areas having job potential.
- iii) **Palna- Creche** - provide safe and secure place for children of working women so as to act as a catalyst for enhancing female labour force participation.
- iv) **Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)**, compensates for loss of wages due to pregnancy and childbirth and promotes health seeking behaviour. Earlier scheme used to cover only one child, now benefit will be given for second child also if the child is a girl child.

2.22 The SANKALP (Supportive Action for Nurturing and Knowledge-Based Advancement, Last-Mile Delivery and Potential Realization of Women): HEW (Hub for Empowerment of Women), under the Samarthya sub-scheme of Mission Shakti, functions as a single window inter-sectoral convergence mechanism provided for all women to avail the benefits of Central and State Government schemes and policies and will function as the Project Management Unit (PMU) for implementation of all schemes of Mission Shakti. The goal of SANKALP:HEW is to enable women to reach their full potential through assisting, directing, and connecting them to a variety of resources for empowerment and development.

2.23 All women beneficiaries of the SANKALP: HEW are provided awareness on key topics related to safety and security, financial inclusion, legal awareness on women-centric

laws and legislations, entrepreneurship, quality health care and education as well as digital literacy.

2.24 The SANKALP: Hub for Empowerment of Women operates in 3 tiers in coordination with one another: **National, State and District level**, comprising a team of specialists which include Mission Coordinator, gender specialist, research and training specialist, financial inclusion specialist, IT specialists, besides administrative staff. There is provision to recruit upto 8 staff members each, at the State and District SANKALP centres.

2.25 The SANKALP centres also engage in widespread outreach and awareness through organising awareness activities, camps, and campaigns, in convergence with Beti Bachao Beti Padhao (BBBP). The SANKALP centres have been provided with facility of vehicle as well as additional financial allocation for conducting awareness campaigns on women-centric issues to ensure wider outreach of women-centric activities.

2.26 The staff at SANKALP: HEW are provided with capacity building training at regular intervals to ensure that they are capacitated to discharge their duties effectively.

(A) Sambal – for safety and security of women:

i) One Stop Centre

2.27 The One Stop Centre (OSC) Scheme is being implemented across the country since 1st April 2015 to facilitate access to an integrated range of services including police, medical, legal, psychological support and temporary shelter, for women affected by violence. The scheme is funded through Nirbhaya Fund.

2.28 816 OSCs have been approved in 762 districts across the country. 769 OSCs are operational in 36 States and UTs. These centres have assisted over 8.82 lakh women since inception till March, 2024. OSCs are also being integrated with women helpline 181 and other existing services to provide best possible access and support to women.

ii) Women Helpline (WHL)

2.29 The scheme of Women Helpline (WHL) is being implemented since 1st April 2015 and is intended to provide 24 hours emergency and non-emergency response to women affected by violence through referral services (linking with appropriate authorities such as police, One Stop Centres, hospitals, etc.) and by providing information about women welfare schemes/programmes across the country through a single uniform number, 181. Women Helplines have been operationalized in 35 States/UTs. They have received 1,47,59,652 calls since inception till March, 2024. The scheme is funded through Nirbhaya Fund. The Ministry is committed for integration of WHLs with other helplines such as Emergency Response Support System (ERSS-112) etc. The Ministry launched a Standard Operating Procedure booklet on 06 September 2023 outlining the modalities of Women Helpline enabling the field functionaries to discharge their duties impactfully.

iii) Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)

2.30 BBBP is a mindset change program helping in generating awareness for valuing the girl child through multi-sectoral interventions focused on zero-budget advertising and encouraging greater spend on activities that have on-ground impact. The scheme, which was earlier operational in 405

districts, has now been expanded to cover all the districts of the country through multi-sectoral interventions.

2.31 BBBP scheme has been approved as a component under Sambal sub scheme of Mission Shakti for continuation in the 15th Finance commission period. Now, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Minority Affairs have also been added as partners with a view to promoting skilling among girls through awareness programme.

2.32 Keeping in mind the differential Sex Ratio at Birth (SRB) status of districts as in 2020-21 (as per Health Management Information System (HMIS) data of Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), three brackets for release of funds under BBBP component have been prescribed. The districts with SRB less than or equal to 918 are being provided assistance of Rs. 40 Lakh per year, districts having SRB from 919 to 952 are being provided assistance of Rs. 30 lakh per year and districts having SRB more than 952 are being provided assistance of Rs. 20 lakh per year.

2.33 The scheme is 100% funded by the Central Government and the funds are routed through States to Districts for multi-sectoral interventions. In this regard, an operational manual has been developed for ease of implementation of the scheme at the District level. The operational manual of BBBP is available on the website of the Ministry (<https://wcd.nic.in/sites/default/files/Beti%20BachaoBeti%20Padao-English.pdf>). A detailed and well-rounded suggested activity calendar for the districts has been developed to ensure year round engagement

of girls, their families and communities.

- a) **Objectives** - The objectives of the Scheme are to prevent gender-biased sex selective elimination; to ensure survival, protection, education and development of the girl child.
- b) **Target Groups** – Beti Bachao Beti Padhao focus on the following groups:

Primary	• Young and newly married couples and expecting parents • Adolescents (girls and boys) and youth • Households and communities
Secondary	• Schools and AWCs, • Medical doctors/ practitioners, private hospitals, nursing homes, diagnostic centres etc. • Officials, PRIs/ULBs, frontline workers, • Women Collectives and SHGs, civil society organizations, media, industry, religious leaders etc.

- c) **Scheme Components- Multi-Sectoral intervention in all districts of the country:** The component aims for zero-budget advertising and encouraging greater spend on activities that have on ground impact, e.g., promoting sports among girls, self-defence camps, construction of girls toilets, making available sanitary napkin vending machines and sanitary pads especially in educational institutions, awareness about PC-PNDT Act etc. Funds are routed through State Government for implementation of Multi Sectoral Intervention at district level.

d) **Coverage of Scheme** - In the 15th Finance Commission Period, BBBP has been expanded to cover all the districts of the country through Multi Sectoral Interventions. Earlier, BBBP scheme was launched in phased manner. The phases of expansion of BBBP Scheme are as under:

2014-15	2015-16	2018-19	2018-19 to 2021-22
B B B P launched on 22 nd January, 2015 in 100 districts covering all States/UTs in Phase-I	Expanded to 61 districts from 11 States in Phase- II	All India expansion Multi sec-toral inter-vention 244 Media, Ad-vocacy and Outreach- 640	640 dis-tricts (as per Cen-sus 2011)

e) **Monitoring Mechanism** - BBBP being a component of Mission Shakti, is being monitored at all levels of implementation i.e. at National, State and District levels.

f) **Fund Status**

Details of Funds under BBBP Scheme since inception

(₹ Crore)

Sl. No.	Financial Year	Revised Estimates (R.E)	Total Expenditure by Ministry
1	2014-15	50	34.84
2	2015-16	75	59.37
3	2016-17	43	28.66
4	2017-18	200	169.10
5	2018-19	280	244.73
6	2019-20	200	85.78
7	2020-21	100	60.57
8	2021-22	100	58.80

Sl. No.	Financial Year	Revised Estimates (R.E)	Total Expenditure by Ministry
9	2022-23	108	91.98
10	2023-24	90.5	88.63*

* As on 31.03.2024

g) **Achievements** - Scheme has stirred up collective consciousness towards changing the mindset of the public to acknowledge the rights of the girl child. The scheme has resulted in increased awareness and sensitization of the masses. It has raised concerns around the issue of declining CSR in India. As a result of collective consciousness of the people supporting the campaign BBBP has found its place in public discourse. The improvement on various indicators has been as follows:

- Sex Ratio at Birth at National level increased from 918 (2014-15) to 933 (2022- 23). (Source: HMIS data, MoHFW (April-March, 2014-15 & 2022-23).
- Gross Enrolment Ratio (GER): Enrollment of Girls in secondary education increased from 75.51% in 2014-15 to 79.4% in 2021-22. (Source: U-DISE plus, M/o Education).

h) **Programmes organized-** The Ministry of Women and Child Development collaborated with the Central Reserve Police Force for organizing a cross-country bike expedition, "Yashaswini", a group of 150 CRPF women bikers to celebrate women power or Nari Shakti of the country. Three teams each comprising 25 Royal Enfield (350 cc) motorbikes and 50 bikers began the journey: Northern team from Srinagar on 03 October

2023, Eastern team from Shillong on 05 October, Southern team from Kanyakumari on 05 October. The teams converged at the Statue of Unity, Ekta Nagar, for the finale event on 31st October 2023 after covering a total distance of more than 10,000 km.

i) **Celebration of National Girl Child Day (NGCD)-**

- i. **24th January 2023-** As part of celebration of NGCD, the Ministry decided to make this event a janbhagidari, States/UTs and districts were requested to organize activities relating to valuing the girl child from 18th to 24th January, 2023. The hashtag for promoting the campaign on social media platforms was **#akamcelebratinggirlchildmwcd**.
- ii. States/UTs have undertaken various activities/programs in the 5-Day celebrations of NGCD. Activities such as special Gram Sabha/Mahila Sabha on CSR, Oath taking ceremony/ signature ceremony, door to door programme, Programme with schools (Govt/Private)- on value of girl child, Posters/Slogan-writing/ Drawing/Wall Painting competition among school, community sensitization programme, talk show on Health & Nutrition related issues of girls, plantation drive were organized. Local champion in the field of education, sports were honoured/ felicitated.
- iii. **24th January 2024** -The Ministry of Women and Child Development, Government of India, celebrated National Girl Child Day on 24th January

2024 at the National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD). The event commenced with painting competition on the theme "Mere Viksit Bharat Ka Sapna /मेरे विकसित भारत का सपना," involving children from Child Care Institutions (CCIs) in Delhi. The celebration also included a tree plantation campaign. To enhance the vibrancy of the event, children from CCIs showcased their talents in a cultural program. Notably, children from Shishu Mandir, Bangalore, presented a remarkable unicycle performance, recognized both nationally and internationally, curated in collaboration with Boeing India.

- iv. Besides the National event, the National Girl Child Day was also celebrated across the country with a 5 days special campaign involving activities denoting the importance of girl child. The campaign incorporates novel ideas such as affixing "Beti Bachao Beti Padhao" stickers with messages on every visited house/ public building/ Panchayat office during door-to-door programs. Community sensitization programs such as workshops on menstrual hygiene were held with the distribution of hygiene kits. Plantation drives were mandatory activity in the name of girl child. Acknowledging and celebrating local champions at the district in the fields of education, sports, social welfare, and community mobilization were also made part of this campaign.



*Painting Competition at NIPCCD, New Delhi –
National Girl Child Day, 2024*



Nagapattinam 2, Tamil Nadu



UP, Workshop

2.34 The Districts, throughout the year laid emphasis on awareness and launched focused campaigns for changing mindsets. The districts have introduced interventions

mainly towards engaging communities, improvement in sex ratio at birth, birth registration, encouraging celebration of girl child, challenging son centric rituals and reversing the social norms, re-enrollment drives for getting girls back to schools and other initiatives for valuing of girl child. The good initiatives of the districts have been documented by the Ministry on various occasions. The documents published by Ministry are available on Ministry's Website: www.wcd.nic.in.

(iv) Nari Adalat

2.35 Nari Adalat is a new component of the "Sambal" sub-scheme under Mission Shakti. This pioneering initiative aims to provide women with an alternative dispute resolution mechanism, fostering gender justice and addressing issues of harassment, subversion, and curtailment of rights or entitlements.

2.36 Under the scheme, Nari Adalat caters to all women and girls who require assistance or have grievances within the local community.

2.37 Its main functions include raising awareness about the legal rights and entitlements of women and resolving cases falling within its jurisdiction. The services provided by Nari Adalat include alternate dispute resolution and grievance redressal, counseling, evidence-based decision-making, pressure group tactics, negotiation, mediation, and reconciliation with mutual consent for accessible and affordable justice. Nari Adalat will not only address individual cases but also raise awareness about social schemes under the Ministry of Women and Child Development (MWCD) while collecting valuable feedback to enhance the effectiveness of these initiatives.

2.38 The anticipated outcomes of Nari Adalat include increased awareness about rights and government schemes, reduction in domestic violence cases, the empowerment of women as pressure groups, countering the patriarchal system, increased reporting of Gender-Based Violence (GBV), qualitative results such as enhanced self-confidence and self-esteem, reduced burden on the police and formal judiciary system, and improved access to resources such as maintenance and property rights for women.

2.39 Nari Adalat is being implemented at the Gram Panchayat level as part of a pilot project in selected States and Union Territories, namely, Assam and Jammu & Kashmir. 50 units each of Nari Adalat to be set up for Assam and J&K.

2.40 As per the cost norms and proposal received from the selected State/UT, total funds released for F.Y. 2023-24 is Rs. 42.40 lakh; J&K: Rs. 21.60 Lakh and Assam: Rs. 20.80 Lakh.

(B) Samarthya – for empowerment of women

i) Shakti Sadan

2.41 Under the overarching Mission Shakti, Swadhar Greh for Women in difficult circumstances and Ujjawala for Prevention of Trafficking have been merged and known as Shakti Sadan which is an Integrated Relief and Rehabilitation Home for women in distress situations including trafficked women. The Scheme is a demand driven centrally sponsored scheme, under which funds are released directly to the States/UTs for implementation of the scheme. It aims at creating a safe and enabling environment for

the women in distress situations, to enable them to overcome the difficult circumstances. Under the Scheme, financial assistance is provided for running of Shakti Sadan in rented premises.

2.42 Salient features of Shakti Sadan Scheme:

- i. The resident of Shakti Sadan are provided with shelter, food, clothing, counselling, primary health facilities and other daily requirements. The residents also to be provided vocational training, facility for opening of bank accounts, social security benefits etc. in convergence with the relevant departments.
- ii. The cost for running the homes namely administrative cost@ Rs. 15,000/- per month, management cost@ Rs. 12,84,000/- per annum, rent as per city category A,B & C is provided. There is a provision for repatriation, reintegration reward@ Rs. 2,50,000/- per annum. Besides@ Rs. 500/- per month per beneficiary in Jan Dhan Account is given which can not be withdrawn by the account holders during their stay in the Home.
- iii. The facilities of these Homes can also be availed by the children accompanying women. Unmarried girls up to any age and boys up to 12 years of age can stay in Shakti Sadans with their mothers. (Boys of more than 12 years of age need to be shifted to the Children Homes run under JJAct/ Mission Vatsalya).
- iv. The Shakti Sadan to be linked with nearby Police stations so as to ensure

safety, security and well being of women. Annual Police verification should be done for the staff of these Homes.

- v. Homes could be set up for mentally challenged/Divyang women also in convergence with schemes of Department of Social and Justice and Department of Empowerment of Person with Disability.
- vi. This is a Centrally Sponsored Scheme with funding ratio of 60:40 between the Central and the State Governments and UTs with legislature except North East & Special Category States where funding ratio is 90:10. For UTs without legislature, 100% funding to be provided by the central government.

2.43 As on 31st March, 2024, 445 Shakti Sadan are functional across States/UTs in the country. State/UT wise details of functional Shakti Sadans are at **Annexure-V**. During the Financial Year 2023-24, Rs.118.98 crore released to the States/UTs for the implementation of Shakti Sadan.

ii) Sakhi Niwas (Working Women Hostel) Scheme

2.44 The Sakhi Niwas Scheme (Working Women Hostel) under the overarching Mission Shakti, is a demand driven centrally sponsored scheme, under which funds are released directly to the States/UTs for implementation of the scheme. The scheme aims to promote availability of safe and conveniently located accommodation for working women in urban, semi-urban and even rural areas where employment opportunity for women exist.

2.45 Under the Scheme, financial assistance is provided for running of Sakhi Niwas in

rented premises for working women who may be single, widow, divorced, separated, married but whose husband or immediate family does not reside in the same area and for those women who are under training for job. Provision of Day Care Centre for children of the residents of the Sakhi Niwas is an important aspect of the scheme. Working Women are entitled to hostel facilities provided their gross income does not exceed ₹ 50,000/- per month in metropolitan cities, or ₹ 35,000/- per month in other places.

2.46 The Scheme is implemented with a funding ratio of 60:40 between the Centre and the State Governments and UTs with legislature except North East & Special Category States where ratio is 90:10. For UTs without Legislature, 100% funding is provided by the central government.

2.47 As on 31st March, 2024, 463 Sakhi Niwas are functional across States/UTs in the country. State/UTs wise details of functional Sakhi Niwas are at **Annexure-VI**. During the Financial Year 2023-24, Rs. 4.52 crore was released to the States/UTs.

iii) Palna

2.48 The Government's sustained initiative on education and employment of women has resulted in increased opportunities for their employment, and more and more women are now in gainful employment, working within or outside their homes. The growing industrialization and urban development have led to increased migration into the cities. The past few decades have shown a rapid increase in nuclear families. Thus, the children of such working women, who were earlier getting support from families while they were at work, are now in need of day

care services which provide quality care and protection for the children. Lack of proper day-care services is, often, a deterrent for women to go out and work. Hence, there is an urgent need for improved quality and reach of day care services/crèches for working women amongst all socio-economic groups both in the organized and unorganized sectors.

2.49 Considering the difficulties faced by the working mothers in giving due child care and protection to their children, it has been decided to provide the day-care crèche facilities through the component of Palna. Crèche services formalise the child care facilities hitherto considered as part of domestic work. Formalization of care work supports “decent work campaign” to achieve the Sustainable Development Goal 8 – Decent work and economic growth. Government of India has decided to establish 17000 Anganwadi cum Crèches by 15th Finance Commission that is, up to FY 2025- 26.

2.50 Anganwadi Centres are the world's largest childcare institutions dedicated to providing essential care and support to children ensuring delivery of care facilities till the last mile. In a first of its kind approach, Ministry has extended the services of childcare through Anganwadi cum Crèche. This will ensure whole day childcare support ensuring their well-being in a safe and secure environment. Anganwadi cum Crèche initiative aims to increase the women work force participation in the economy. The objective of Palna component is to provide quality crèche facility in safe and secure environment for children (from ages 6 months – 6 years), nutritional support, health and cognitive development of children, growth monitoring, immunization, education etc. Crèche facilities

under Palna are to be provided to all mothers irrespective of their employment status.

2.51 Palna is a Centrally Sponsored Scheme ensuring the participation of State/UT government to ensure better day-to-day monitoring and proper implementation of scheme, and is implemented with a funding ratio of 60:40 between Centre and State Governments and UTs with legislature except North East & Special Category States where ratio is 90:10. For UTs without legislature, 100% funding is provided by the central government.

2.52 The objectives of Palna are:

- i. Providing a safe & secure environment for nutritional, health and cognitive development of the children.
- ii. Enabling more mothers to take up gainful employment.
- iii. Monitoring compliance of the stipulations laid down in Section 11A of the Maternity Benefit Act regarding setting up of crèche facilities by the establishments.

2.53 **Implementing Agencies:** Implementation shall be carried out through the respective State/UT Governments. The State Government will run the crèches as per the operational guidelines issued by the Ministry. All the administrative, Vocational activities, training, media advocacy etc. expenses will be charged in HUB.

2.54 **Target Groups and Beneficiaries:** Crèche facility to be provided to all mothers, irrespective of their employment status. The scheme focuses on children of 6 months to 6 years.

2.55 Service Delivery Framework: The Anganwadi cum crèche scheme shall be implemented with the intra-ministerial convergence especially with ICDS and POSHAN. It complies with legislations under Labour Laws as well as Maternity Benefits Act.

2.56 Major initiatives/ activities under Palna during the year 2023-24 are as under:

- i. The Government has made provisions for 2 additional staff per AWCC (one Crèche Worker and one Crèche Helper), in addition to the already existing Anganwadi Worker and Anganwadi Helper. This will also provide employment opportunities to women.
- ii. After detailed consultations with States, the Ministry has revised the guidelines for Palna wherein new features have been introduced and additional budgetary support has been provided. The revised Budgetary Norms/Provisions for Anganwadi-cum-Crèches under Palna have been issued on 10.08.2023.
- iii. During the current financial year, PAB considered the proposals received from various States/UTs for setting-up of AWCCs and approved the proposals for setting-up of 3134 AWCCs. As on date, a total of 5631 AWCCs have been approved.

2.57 National Programme on Anganwadi-cum-Creches held on 21.12.2023 at Vigyan Bhawan, New Delhi:

- i. The Standard Operating Procedure (SOP) for AWCCs was released by this Ministry during a National Level Programme held at Vigyan Bhawan,

New Delhi on 21.12.2023 under the Chairpersonship of Hon'ble Minister, WCD.

- ii. The Ministry of Women & Child Development and Ministry of Labour & Employment jointly hosted the event titled - "सक्षम नारी सशक्त भारत - Women in the Workforce for Viksit Bharat" on 30th January, 2024 at Bharat Mandapam in New Delhi. The event was chaired by the Union Minister for Women & Child Development and Minority Affairs, Smt. Smriti Zubin Irani, and the Union Minister for Labour & Employment and Environment, Forest & Climate Change, Shri Bhupender Yadav in the presence of Dr. Munjpara Mahendrabhai, Minister of State, Ministry of Women & Child Development and AYUSH.
- iii. The event was graced with the presence of senior officials from the Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Road Transport & Highways, Ministry of Education and representatives from the network of Industry organizations Confederation of Indian Industry (CII), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), ASSOCHAM, PHDCII, SCOPE, and UN organisations -UNICEF, UN Women and ILO. The event drew an extensive virtual audience, with over 2.5 lakh participants from both the industry and various States/Union Territories tuning in via webcast.
- iv. The event witnessed the Ministry of Labour & Employment releasing an advisory to employers, promoting gender equality and women's workforce participation to strengthen

women empowerment. Additionally, the Ministry of Housing and Urban Affairs, along with the Ministry of Road Transport and Highways, issued advisories for women workforce participation and safety in the building, construction, and highways sectors. The event also served as a platform for the launch of employer rating survey within the Employees' Provident Fund Organisation. These advisories will indeed act as a guiding force for employers to create a supportive environment that facilitates women's participation in the economy.

- v. Responding to long standing demands, the National Minimum Standards and Protocol for Crèches (Operation and Management) was released by the Ministry of Women and Child Development. It aims to provide guidance to individual/ service agencies/ corporations/ companies/ universities/ hospitals/ care service providers/ government organizations /non-governmental organizations etc., mandated under various acts and rules of the Government of India to set up Crèches. These Standards and Protocol focus strongly on standardizing and institutionalizing the Care economy, contributing significantly to the vision of 'Women-led Development'.

iv) **Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)**

2.58 Government of India has approved Pan-India implementation of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) effective from 01.01.2017. In the XVth Financial cycle, PMMVY has been made a component of the

Samarthya sub-scheme of Mission Shakti. The objectives of PMMVY are:

- i. Providing partial compensation for the wage loss in terms of cash incentives so that the woman can take adequate rest before and after delivery of the first living child.
- ii. The cash incentive provided would lead to improved health seeking behaviour amongst the Pregnant Women and Lactating Mothers (PW&LM).
- iii. To promote positive behavioural change towards girl child by providing additional cash incentive for the second child, if that is a girl child.

2.59 Under the scheme, maternity benefit of not less than rupees five thousand, in two instalments will be provided to women belonging to socially and economically disadvantaged sections of society. The benefit is available to a woman for the first two living children provided the second child is a girl. In case of the first child the amount of 5000 in two instalments and for the second child, the benefit of 6000 will be provided subject to second child is a girl child in one instalment after the birth. However, for availing benefits for second child, registration during the pregnancy shall be mandatory. This would contribute to improve the Sex Ratio at Birth and to prevent female feticide.

2.60 Benefits can be availed only on the basis of the Aadhaar Number of Beneficiary so as to avoid any duplication or malpractices. Cash incentives, in DBT mode, are provided in two instalments for first child and in one instalment for second girl child as per the schedule provided in table below:

Conditionalities and Instalments		
Instalment	Conditions	Amount (in ₹)
First Instalment	On registration of pregnancy and at least one Ante-natal check-up within 6 months from LMP date at the Anganwadi Centre (AWC)/approved Health facilities may be identified by the respective administering State /UT	3,000/-
Second Instalment	i. Child Birth is registered ii. Child has received all due vaccines till the age of fourteen weeks as admissible under the Universal Immunization Programme of Ministry of Health and Family Welfare.	2,000/-
Instalment	Second child (if it's a girl child)	Amount (in ₹)
Single Instalment	On registration of pregnancy and at least one Ante-natal check-up within 6 months from LMP date at the Anganwadi Centre (AWC)/approved Health facilities may be identified by the respective administering State/UT	6,000/-
	The girl child birth shall be registered under this scheme. The girl child has received all due vaccines till the age of fourteen weeks as admissible under the Universal Immunization Programme of Ministry of Health and Family Welfare.	

2.61 The criteria for determining socially and economically disadvantaged sections of society will be the following:

- Women belonging to scheduled castes and scheduled tribes;
- Women who are partially (40%) or fully disabled (Divyang Jan)
- Women holder of BPL ration Card
- Women Beneficiaries under Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY) under Ayushman Bharat.
- Women holding E-shram card
- Women farmers who are beneficiaries under Kisan Samman Nidhi
- Women holding MGNREGA Job Card
- Women whose net family income is less than Rs. 8 Lakh per annum

- Pregnant and Lactating AWWs/AWHs/ASHAs
- Women beneficiaries holding the ration card under National Food Security Act 2013

Further, any other category as may be prescribed by the Central Government will also be eligible.

2.62 All pregnant women and lactating mothers in regular employment with the central Government or State Government or public Sector Undertaking or those who are in receipt of similar benefits under any law for the time being in force shall not be entitled to benefits under PMMVY. The age of the eligible beneficiary under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) should be 18 years 7 months and up to 55 years of age.

2.63 An eligible beneficiary can apply, at any point of time but not later than 270 days of pregnancy. LMP registered in the MCP card will be the date of pregnancy to be considered in this respect. In case of miscarriage/still birth, the beneficiary would be treated as fresh beneficiary in event of any future pregnancy.

2.64 The online registration would be done by the Anganwadi Worker/ASHA for the beneficiaries. In order to incentivise their efforts for online registration of PMMVY beneficiaries and with a view to ensuring uniform rates of honorarium across the country amongst the ASHA/Anganwadi Workers, the following rates of honorarium to AWW/ASHA has been decided upon:-

Instalment No.	Class of workers entitled for honorarium	Honorarium within 30 days of Application due	Honorarium beyond 30 days of application due
First Child			
First	ASHA/AWW	Rs.150/-	Rs. 50/-
Second	ASHA/AWW	Rs.100/-	Rs. 50/-
Total		Rs. 250/-	Rs.100/-
Second Child (Girl)			
	ASHA/AWW	Rs.250/-	Rs.100/-

In the case of self-registration by the beneficiaries, Rs. 150/- would be given to ASHA/AWW for field level verification within a period of 30 days from the date of self-registration. Beyond 30 days, incentive of Rs. 50/- would be given to the ASHA/AWW for field level verification.

2.65 Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) has been designed as a Centrally Sponsored Scheme under which the grant-in-aid is being released to States/UTs on cost sharing ratio basis. The ratio between the

Centre and the States & UTs with Legislature is 60:40, for North-Eastern States & Himalayan States it is 90:10 and for Union Territories without Legislature, it is 100%. To ensure dedicated and timely availability of funds to the beneficiaries, without parking of funds at the State/UT level, the Scheme provides that States/UTs shall maintain a State/UT level Single Nodal Agency (SNA) Account for the Scheme. The Government of India and State/UT transfer their corresponding share of fund to this account for further transfer to the beneficiary's account. During 2023-24, the budget allocation is Rs. 2067. 87 Crore. Details of the funds released to the States/UTs are given in **Annexure-VII**.

2.66 The Common Application Software (PMMVY-CAS), Implementation Guidelines and its User Manual were launched by the Ministry on 01.09.2017, to ensure transparent implementation and monitoring of the Scheme. In line with the Prime Minister's vision to promote 'Digital India,' 'Make in India,' and 'AtmaNirbhar Bharat,' a new PMMVY Portal (PMMVY soft MIS) was launched in **March 2023**. The application process has been digitized with the introduction of a mobile app and a dedicated portal (PMMVYsoft MIS) making the

process of application paperless. The URL is <https://pmmvy.wcd.gov.in>.

2.67 Online forms are simple and easy to understand, ensuring a consistent and straightforward process. The portal enables first-time self-registration for citizens, facilitated by field functionaries like Anganwadi Workers and ASHA workers who can submit online applications for beneficiaries in their jurisdiction. The portal enables first-time self-registration for citizens, facilitated by field functionaries like Anganwadi Workers and ASHA workers who can submit online applications for beneficiaries in their jurisdiction. Mandatory provisions such as Aadhaar verification and Aadhaar-based payments are ensured for a smooth process. Beneficiary verification is conducted through the Aadhaar Enabled Payment System, and funds are directly transferred to their DBT-enabled accounts. Payments are credited transparently to Aadhaar-linked bank or post office accounts, integrating with PFMS for efficiency. The inclusion of a mandatory mobile number allows for real-time updates on application status and fund disbursement. Pregnant beneficiaries can seamlessly migrate and continue receiving benefits at their new location through the portal. The system offers a user-friendly tracking system via mobile app and webs, and multiple support channels, including a complaint form, Helpline-14408, and SMS communication, are available.

2.68 The Ministry has been conducting regular video conferences and monitoring visits to States/UTs to review the status of implementation of the scheme. Various regional level workshops/trainings/orientation programmes were organized by the Ministry for stake holders/functionaries

of PMMVY in 2023-24. Further, need based capacity building exercises were organized for Supervisors, Sanctioning Officers and State Nodal Officers. The trainings were imparted mostly through video conference as well as State visits. Details of capacity building exercises done between 01.09.2023 -31.03.2024 are placed at **Annexure - VIII**.

2.69 Since the inception of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana till 31.03.2024 more than 3.89 Cr. beneficiaries have been enrolled out of which more than 3.38 Cr. beneficiaries have been given the benefit with a total disbursement of more than Rs. 15,122.31/- Cr. Scheme is being implemented across the country through PMMVY soft MIS software and changes as per PMMVY 2.0 are incorporated in it.

(C) Home for Widows

2.70 The home for widows has been established in Vrindavan which is fully funded home by Government of India, Ministry of Women and Child Development. It has capacity to accommodate 1000 widows which provides safe and secure place of stay, health services, nutritious food, legal and counselling services. The design of the Home is also old age friendly. The Home equipped with amenities for meeting requirements of senior citizens and persons with special challenges. This Home is the largest shelter home for widows in the country and was inaugurated on 31.08.2018.

(D) Mission Shakti Dashboard

2.71 Mission Shakti dashboard is a comprehensive web-based reporting system developed to enable real time monitoring in accordance with Mission Shakti guidelines.

It aims to streamline and strengthen the monitoring of services provided to beneficiaries through OSCs, and activities conducted under Beti Bachao Beti Padhao. The web enabled monitoring system is a user-friendly portal providing Management Information System (MIS) while giving due regard to data confidentiality. It enables monitoring of the programmes including inter alia establishment of service delivery structures, accurate information about the network of institutions available under Mission Shakti, services being provided, functionaries, and beneficiaries. In addition, the portal showcases updated data on vulnerable categories of women who have been subjected to violence, as well as information on services rendered and of awareness campaigns conducted for thought and behaviour change.

IV. INITIATIVES FOR WOMEN

A. Support to Women in Non-resident Indian (NRI) Marriages

2.72 Many a time, women are deserted, face violence and have issues in their marriages to NRI men. These cases are difficult to resolve due to application of cross-border laws. The Government of India had constituted an Expert Committee headed by Justice Arvind Kumar Goel, ex-Chairperson, NRI Commission of Punjab to look into the issues and difficulties faced by Indian nationals married to overseas nationals of Indian origin and suggest amendments in existing laws/policies/regulation. The Committee submitted a report titled 'Identification of Legal and Regulatory Challenges faced by Indian Nationals married to Overseas Indian Nationals – Suggestions for Amelioration of their Grievances' under which a number of recommendations were

made to enable access to justice for women facing NRI matrimonial disputes. Accordingly, an Integrated Nodal Agency with membership of senior officers from relevant Ministries has been set up to deal with issues related to NRI marriages. The Ministry along with the Ministry of Economic Affairs, Ministry of Home Affairs and Ministry of Law and Justice is committed to provide all possible assistance to these women.

2.73 Further, to help and support in resolving issues of matters relating to NRI marital disputes and the problems/violence faced by Indian women in foreign countries, it was decided to set up facilities like One Stop Centres and dedicated helplines in Indian Diplomatic Missions (IDMs) abroad in line with the schemes of One Stop Centres and Women Help Lines of MWCD. For this purpose, Ministry of External Affairs (MEA) identified 10 IDMs in 9 countries namely UAE, Bahrain, Australia, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Singapore and Canada where OSC like facilities are needed based on the number of women living there. The proposal appraised by Empowered Committee (EC) under Nirbhaya Fund on 28.04.2021. Later on MEA proposed dropping the facility in Australia.

B. Combating Cyber-Crime

2.74 Looking at the rising cases of cyber space being used to perpetrate violence on women, Ministry has taken up the issue of cyber-crime in a holistic manner. The Ministry has deliberated with Ministry of Home Affairs to launch the Cyber Crime Portal <https://www.cybercrime.gov.in/> with the help of Nirbhaya Fund. The portal receives complaints from citizens on objectionable online content related to child pornography, child sexual abuse material, sexually explicit

material such as rape and gang rape. It enables complainants to report cases without disclosing their identity. The complaints registered through this portal are handled by police authorities of respective States/UTs. The complainant can also track the report on the portal. Hyperlink of this portal has been made on the Ministry's website ([https:// wcd. nic.in/](https://wcd.nic.in/)).

C. National Database on Sexual offenders

2.75 The National Database on Sexual Offenders (NDSO), a central database of sexual offenders in the country has been created by the Ministry of Home Affairs. This is an online database of sexual offenders in the country, which is being maintained by NCRB.

D. Service Provision to Women during COVID-19 Pandemic

2.76 Women and children tend to be disproportionately impacted during disasters and pandemics. It is, therefore, important that all service delivery institutions are made operational especially for women affected with violence or needing help and care in order to provide necessary services such as medical support, psycho-social counselling, police facilitation, legal counselling/ aid, temporary shelter etc.

2.77 In this regard, an advisory was issued by the Ministry on 25th March 2020 to Chief Secretaries/Administrators of all States/UTs and District Collectors/District Magistrates of all districts regarding One Stop Centres and Women Helplines to remain operational during the Covid-19 lockdown period. In the same advisory, Protection Officers and other statutory officers appointed under

various legislations were directed to continue providing protection and support to women affected by violence during the lockdown. As a result, during the lock down period, all the Protection Officers notified under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, One Stop Centres and Women Helplines, remained available to help out women facing violence or distress in the country. A similar advisory was issued on 29.04.2021 during the second wave of Covid-19 pandemic.

2.78 An advisory was also issued on 01.05.2021 to all the States/UTs to help pregnant women facing hardship in accessing proper health facilities, especially those who are getting infected by Covid-19. Further, Ministry also issued an advisory dated 10.05.2021 for psycho-social counselling of women affected by violence approaching the Women Helpline-181 through NIMHANS.

2.79 Sensitization of functionaries of One Stop Centres and Women Helplines has been undertaken through webinars and video conferences.

v. Nirbhaya Fund

2.80 The Government of India had set up a dedicated fund called Nirbhaya Fund for implementation of initiatives aimed at enhancing the safety and security for women in the country. It is a non-lapsable corpus fund, which lies with the Ministry of Finance. An amount of Rs. 7212.85 Cr. was provided under the Nirbhaya Fund parked with the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance up to 2023-24. Details of year-wise fund allocation provided by D/o Economic Affairs under the Nirbhaya Fund are as under:

FY	Allocation (₹ crore)
2013-14	1000.00
2014-15	1000.00
2015-16	-
2016-17	707.62
2017-18	550.00
2018-19	550.00
2019-20	550.00
2020-21	1355.23
2021-22	500.00
2022-23	500.00
2023-24*	500.00
Total	7212.85

An amount of ₹ 500.00 Cr. allocated to MWCD for the FY 2023-24.

2.81 As per the guidelines issued by Ministry of Finance dated 25.03.2015, Ministry of Women and Child Development is the nodal Ministry to appraise schemes under Nirbhaya Fund and also to review and monitor the progress of sanctioned schemes in conjunction with the line Ministries/ Departments. The financial approval and expenditure is then taken up directly by the concerned Ministries. An Empowered Committee of Officers has been constituted under the Chairpersonship of Secretary, WCD for appraising and approving various proposals to be funded from the Nirbhaya Fund and its reviewing and monitoring.

2.82 The composition of the Empowered Committee of Officers is as follows:

- Secretary, MWCD - Chairperson
- Secretaries of MHA, MoRTH, MeITY – Members
- Chairman, Railway Board – Member
- Joint Secretary, DEA – Member
- Secretary of Project Sponsoring Department – Member

- Secretary of concerned State Government Department – Member
- Secretary, State Dept. of WCD – Member
- JS (Nirbhaya), MWCD – Convener

2.83 A Framework of Nirbhaya Fund has also been put in place replacing the existing guidelines in January, 2017 to aid this process.

2.84 Formulation of proposals under Nirbhaya Fund and the stages of approval are as below:

- Central Government Ministries/ Departments** may formulate project proposals concerning women's safety.
- State Government** may formulate project proposals concerning women's safety with regard to their specific sector (for example - road transport, police, power etc.) and submit the same to the concerned central Government Ministry/Department with a copy to the Chairperson, Empowered Committee.
- UT Administrations** may formulate project proposals and submit the same to the Ministry of Home Affairs with a copy to the Chairperson, Empowered Committee.
- After appraisal by the Empowered Committee, the concerned Ministries take up the allocation of funds with the Ministry of Finance.

2.85 The Ministry itself implements the schemes of One Stop Centre and Women Helpline under Nirbhaya Fund. Other Ministries and States/UTs also implements schemes under this fund.

vi. International Women's Day 2023

2.86 International Women's Day is celebrated every year on 8th March. The Ministry of Women & Child Development celebrates this day and the week in the run up to the day with great enthusiasm. On this occasion, to acknowledge the achievements of women and recognize their contributions to the society and to the nation 'Nari Shakti Puraskars' are conferred by the Ministry every year to individuals in recognition of their service towards the cause of women empowerment, especially vulnerable and marginalized women.

2.87 Ministry of Women and Child Development organized a Quiz Competition named "Nari Shakti Quiz" on the occasion of International Women's Day 2023 on 'MyGov' platform to raise awareness amongst citizen about the social, economic, political and cultural achievements of women and to promote IWD.

vii. International Cooperation

2.88 Hon'ble Minister of Women and Child Development, Smt. Smriti Zubin Irani, along with other officials of the Ministry attended the World Economic Forum (WEF), 2023 Annual Meeting in Davos from 16th-20th January, 2023.

2.89 Hon'ble Minister of Women and Child Development (HMWCD), Smt. Smriti Zubin Irani addressed (through a pre-recorded video message) an event organized by Permanent Mission of India to the United Nations and other International Organizations in Geneva, on the occasion of the celebration of International Women's Day 2023, in the presence of the members of the international, Swiss and Indian communities.

2.90 Hon'ble Minister of Women and Child Development (HMWCD), Smt. Smriti Zubin Irani delivered a national statement (through a pre-recorded video) in the sixty-seventh Session of the Commission on the status of Women (CSW67) held on March 6th - 17th, 2023 at the United Nations Headquarters in New York.

2.91 The Ministry participated in the 10th round of India-US Consular Dialogue in Washington, D.C. on 27.04.2023.

2.92 The Ministry of Women and Child Development participated in the 7th meeting of the Working Group of Women's Economic Empowerment (WGWE) of IORA held in Tehran, Iran on 22nd - 23rd May 2023.

2.93 A meeting was held between Hon'ble Minister of Women and Child Development and Ms. Helen Clark, Board Chair of Partnership for Maternal Newborn and Child Health (PMNCH) and the former Prime Minister of New Zealand on 19.06.2023 at Shastri Bhawan, New Delhi.

2.94 Shri Andrew Brown, Associate Deputy Minister of Employment and Social Development Canada called on Hon'ble Minister for Women and Child Development, Smt. Smriti Zubin Irani on 19.07.2023 in New Delhi to learn about the Ministry's work in promoting the social and economic empowerment of women and children, including early child development, welfare and support services, and training for employment and income generation.

2.95 A Japanese delegation led by Ms. Masako MORI, Special Advisor to the Prime Minister of Japan called on Hon'ble Minister for Women and Child Development,

Smt. Smriti Zubin Irani on 20.07.2023 in New Delhi.

2.96 A Finnish delegation led by Shri Jukka Salovaara, Permanent State Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Finland met Hon'ble Minister of Women and Child Development, Smt. Smriti Zubin Irani on 2nd November 2023 to discuss various issues pertaining to cooperation between two countries.

2.97 Ministry of Women and Child Development participated in Seventh Asian and Pacific Population Conference held from 15 to 17 November, 2023 in Bangkok, Thailand and presented progresses made by India towards the implementation of the Asia and the Pacific Ministerial Declaration on Population and Development which was adopted in 2013.

2.98 Meetings were also held at various levels of officers of MWCD with the officials of Embassy of Japan in India, Embassy of the U.S.A., USAID, and the Embassy of Denmark on 7th November 2023, 13th November 2023 and 24th November 2023, respectively on various issues.

2.99 A representative of the Ministry of Women and Child Development participated in the 20th round of negotiations for a Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) between EFTA States and India held from 21-22 November, 2023 at Geneva, Switzerland.

2.100 Hon'ble Minister, WCD participated in BRICS Women's Affairs Ministerial meeting held virtually on 12.12.2023 under the Chairship of South Africa.

2.101 A delegation of the Ministry led by Hon'ble Minister of WCD participated in the World Economic Forum (WEF), 2024 Annual Meeting in Davos, Switzerland from 15th - 19th

January, 2024.

2.102 A delegation of the Ministry participated in the 62nd Session of the Commission on Social Development held from 5th to 14th February 2024 in New York, USA

2.103 A delegation from the Ministry also participated in the Asia-Pacific Regional Consultation at the 68th Session of the Commission on Status of Women (CSW68) held from 6th - 7th February, 2024 in Bangkok, Thailand

2.104 Hon'ble Minister of Women and Child Development had courtesy meetings during the month of February 2024 with delegations from UK, Armenia, Netherlands and Norway, on their requests.

viii. Observance of Swachhata Pakhwada (1st – 15th March)

2.105 Ministry of Women & Child Development observed Swachhata Pakhwada during the fortnight 1st - 15th March, 2023 and 1st - 15th March, 2024 by carrying out various activities pertaining to cleanliness in the offices/Divisions/attached offices/ autonomous bodies of the Ministry and the field formations of MWCD in various States/ UTs.

ix. Launch of 'Guide on Gender Inclusive Communication'

2.106 Minister of Women and Child Development (MWCD) launched a 'Guide on Gender-Inclusive Communication' in Vigyan Bhawan, New Delhi on 28th November 2023. The Chief Guest at the launch event was Smt. Smriti Zubin Irani, Minister of Women and Child Development. The event was graced by Dr. Mahendrabhai Munjpara, Minister of State for Women and Child Development.

2.107 The guide was prepared by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) in collaboration with UN WOMEN and Bill & Melinda Gates Foundation. It provides recommendations and examples on use of Gender-Inclusive language that avoids bias towards a particular sex or social gender and is less likely to convey or amplify gender stereotypes.

2.108 The objective of the guide is to assist in gender-inclusive writing, review, and translation of documents and communications by government officials, civil servants, media professionals, educators, and other stakeholders. It aims to: heighten awareness, empower individuals to navigate daily communications with a commitment to gender neutrality and inclusivity, and fundamentally reshape the narrative towards a society where language becomes an agent for positive change.

x. Release of Standard Operating Procedure (SoP) for Women Help Line

2.109 The Ministry of Women and Child Development released a Standard Operating Procedure (SoP) booklet on 6th September 2023 which outlines the modalities of Women Helpline that will enable the field functionaries to discharge their duties more effectively.

xi. National Event on Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

2.110 Ministry of Women and Child Development organized a National Programme titled '*Salutation to Motherhood-Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana*' on 27th October 2023 in Mumbai, Maharashtra.

The inaugural session was chaired under the Chairpersonship of Chief Minister, Government of Maharashtra, Shri Eknath Sambhaji Shinde and Union Minister of Women and Child Development and Minority Affairs, Smt. Smriti Zubin Irani in the presence of Union Minister of State, Ministry of Women and Child Development and AYUSH, Dr. Munjapara Mahendrabhai.

2.111 During the event, a new PMMVY portal was launched, along with a detailed User Manual for various parties involved, for facilitation of smoother operations. Additionally, direct cash transfers were disbursed to 8,14,612 recipients, amounting to Rs 321.57 crore.

2.112 The primary objective of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) launched on 1st January 2017 and revised and incorporated as a component of Mission Shakti from 1st April 2022, as PMMVY 2.0 is to provide cash incentive for partial compensation of the wage loss during pregnancy so that women can take adequate rest before and after delivery of the child; and to improve health seeking behaviour amongst the Pregnant Women & Lactating Mothers (PW&LM).

xii. Release of Standard Operating Procedure (SOP) for Anganwadi-cum-creche

2.113 Ministry of Women and Child Development released the Standard Operating Procedure (SOP) of the Anganwadi-Cum-Crèche at Vigyan Bhawan, New Delhi on 21st December 2023. The Union Minister of Women and Child Development and Minority Affairs, Smt. Smriti Zubin Irani and Minister of State for Ministry of Women and Child Development and AYUSH, Government of India Dr. Munjapara Mahendrabhai chaired the event.

2.114 The Anganwadi-Cum- Crèche initiative under the Palna Scheme underwent revisions and was included as part of the Samarthya sub-component of Mission Shakti, starting from April 2022. The central aim of Anganwadi-cum- Crèches is to meet the demand for quality childcare facilities and enable women to actively participate in the workforce.

xiii. Organization of Regional Training Programs for the functionaries of OSC and WHL

2.115 Three regional training programs in Guwahati, Indore, Bangalore and one National Orientation Workshop in New Delhi have been organized for OSC centre administrators, case workers and psycho-social counsellors. Trainers from United Nations Population Fund (UNFPA), NIPCCD, DLSA Delhi and Women Police Personnel participated to deliver sessions on case management, counselling, gender sensitization, and women's laws and legislations. 300 participants across all States and UTs attended these sessions.

2.116 A National Technical Capacity Building Workshop for Women Helpline functionaries was held in New Delhi with 60 participants from all States and Union Territories. Sessions were delivered by trainers from NIPCCD on counselling and gender sensitization, and included a technical session by CDAC.

xiv. Organization of national workshop on convergence between Beti Bachao Beti Padhao and Hub for Empowerment of Women

2.117 A national workshop on convergence between Beti Bachao Beti Padhao and

Hub for Empowerment of Women was organised in New Delhi on 11th January 2024. Representatives from Ministry of Finance and Ministry of Health and Welfare delivered sessions on relevant issues related to women while focusing on the importance of convergence for resource streamlining and greater impact.

xv. Organization of Regional Capacity Building Workshops for Hub for Empowerment of Women

2.118 Capacity building workshops for HEW resources and master trainers have been conducted for 25 states/UTs in NIPCCD regional centres in Bangalore, Indore, Guwahati and New Delhi.



National Technical Capacity Building Workshop on WHL at NIPCCD, Guwahati



Capacity Building Training Program of OSC at NIPCCD, Guwahati



Child Development



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Child Development

3.1 Children are the future of our country. Well-being of children is essential for country's development as they constitute the future human resource of the country. A major part of India's population, around 158 million, comprises children in the age of 0-6 years (2011 Census). The Ministry of Women and Child Development administers various schemes for the development, protection, and welfare of children. The details of the schemes and programmes undertaken for children are discussed in the succeeding paragraphs.

3.2 Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0: The Government of India approved "Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0" (also referred to as Mission Poshan 2.0) which is a strategic shift in mission mode to develop practices that nurture health, wellness, and immunity from malnutrition. The objectives of Mission Poshan 2.0 are as under:

- i. To contribute to human capital development of the country;
- ii. Address challenges of malnutrition;
- iii. Promote nutrition awareness and good eating habits for sustainable health and wellbeing; and
- iv. Address nutrition related deficiencies through key strategies.

3.3 To address the various gaps and shortcomings in the on-going nutrition programme and to improve implementation as well as to accelerate improvement in nutrition and child development outcomes, the existing scheme components have been re-organized under Poshan 2.0. The primary verticals of Scheme are as under:

- i. Nutrition Support for Poshan through Supplementary Nutrition Programme (SNP) for children of the age group of 6 months to 6 years, Pregnant women and lactating mothers (PW&LM); and Adolescent Girls in the age group of 14 to 18 years in Aspirational Districts and North Eastern Region (NER);
- ii. Early Childhood Care and Education [3-6 years] and early stimulation for (0-3) years;
- iii. Anganwadi Infrastructure including modern, upgraded Saksham Anganwadis; and
- iv. Poshan Abhiyaan

I. ANGANWADI SERVICES

3.4 The Anganwadi Services is one of the flagship programmes of Government of India and represents one of the world's largest and unique programmes for early childhood care and development. It is the foremost

symbol of country's commitment to its children and nursing mothers, as a response to the challenge of providing pre-school non-formal education on one hand and breaking the vicious cycle of malnutrition, morbidity, reduced learning capacity and mortality on the other. The beneficiaries under this scheme are children in the age of 6 months to 6 years, Pregnant Women and Lactating Mothers and Adolescent Girls in the age group of 14 to 18 years in Aspirational Districts of States and North Eastern Region.

A. Package of Service:

3.5 The package of following six services is provided under the Mission Poshan 2.0 scheme:

- i. Supplementary Nutrition (SNP),
- ii. Pre-school Non-formal Education,
- iii. Nutrition & Health Education,
- iv. Immunization,
- v. Health Check-up,
- vi. Referral Services

Three of the six services, viz., Immunization, Health Check-up and Referral Services are related to health and are provided through NHM & Public Health Infrastructure.

B. Cost Sharing Ratio between Centre and States/UTs

3.6 For the Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 Scheme, Government of India releases grants-in-aid to the States/UTs presently on the following cost sharing ratio between Centre and States/UTs:

	Anganwadi Services (General)	Salary	SNP
States/UTs with Legislature	60:40	NA*	50:50
NE/ Himalayan States/UT of J&K	90:10	90:10	90:10
UT Without Legislature	100:0	NA	100:0

*The 'Salary Component' for States (Excepting NER and Himalayan States) has been discontinued from the Financial Year 2023-24.

C. Coverage and expansion of the Anganwadi Services Scheme

3.7 The Scheme of Anganwadi Services was launched in 1975 with 33 Projects and 4891 Anganwadi Centres (AWCs) and was gradually expanded to 5652 Projects and 6 lakhs sanctioned AWCs in the country, by the end of IX Plan. The coverage of Anganwadi Services Scheme, till IX Plan, was not universal as it covered only about 42% of the 14 lakh habitations. Presently, Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 operates through a network of 7075 fully operational Projects and 13.95 lakhs operational AWCs. The number of registered beneficiaries of Supplementary Nutrition Programme is 9.81 crores inclusive of children 6 months – 6 years, pregnant women and lactating mothers and Adolescent Girls as on 31.03.2024.

D. Revision of Cost norms for Supplementary nutrition

3.8 Supplementary Nutrition, one of the six components under Anganwadi Services, is provided to the beneficiaries of Anganwadi Services through the network of Anganwadi

Centres located across the country to bridge the gap between the Recommended Dietary Allowance (RDA) and the Average Daily Intake (ADI). The Government has approved the revision of the cost norms for supplementary nutrition in October 2017 under the Anganwadi Services as per the details given below:

(in Rupees per day per beneficiary)

S. No.	Categories	Pre-revised rates	Revised rates
1.	Children (6-72 months)	6.00	8.00
2.	Pregnant Women & Lactating Mothers	7.00	9.50
3.	Severely Malnourished Children (6-72 months)	9.00	12.00

E. Coverage under ICDS (now subsumed as Saksham Anganwadi and Poshan 2.0) - trend since March 2017

3.9 There has been significant progress in the implementation of Anganwadi Services under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 in terms of increase in number Anganwadi Centres (AWCs). The year-wise trend in coverage of beneficiaries is indicated below:

Year ending	No. of operational		Number of Registered Beneficiaries (In lakh) for Supplementary nutrition program
	Projects	AWCs	
31.03.2017	7074	13,54,792	983.42
31.03.2018	7075	13,63,021	892.77
31.03.2019	7075	13,72,872	875.61
31.03.2020	7075	13,81,376	855.05
31.03.2021	7075	13,87,432	831.83
31.03.2022	7075	13,91,004	949.94
31.03.2023*	7075	13,97,143	977.50
31.03.2024*	7075	13,95,032	981.20

*Data as per Poshan Tracker

State-wise number of sanctioned/operational projects and AWCs and number of beneficiaries under both supplementary nutrition and pre-school education components is given at **Annexure-IX & Annexure-X.**

F. Supplementary Nutrition

3.10 Supplementary Nutrition provided to the Anganwadi Services beneficiaries at Anganwadi Centres varies from place to place depending upon the locally available foods and food preference/habits of the local population. Therefore, the selection of recipes for Supplementary Nutrition rests with the States/UTs. Under SNP, food items like Khichdi/Pongal/Rajma Rice (Rice based) and Egg/Chapathi/Green gram whole, seasonal fruits, jaggery, panjiri and high protein biscuits are supplied to beneficiaries. The details of funds released under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 scheme for supplementary nutrition, SAG, Poshan, insurance, training, drinking water and toilet facilities, construction etc. is given at **Annexure-XI.**

3.11 **Budgetary Allocation:** The details of Budget Allocation and Expenditure for the year 2017-18 to 2023-24 in respect of Saksham

Anganwadi and Poshan 2.0 are as under:

(Rupees in Crores)

S. No.	Year	Budget Estimates	Revised Estimates	Expenditure	Percentagew.r.t. RE
1.	2017-18	15,245.19	15,245.19	15,155.34	99.41%
2.	2018-19	16,334.88	17,879.17	16,811.71	94.03%
3.	2019-20	19,834.37	17,704.50	16,891.99	95.41%
4.	2020-21	20,532.38	17,252.31	15,784.39	91.49%
5.	2021-22	20,105.00	19,999.55	18,208.85	90.56%
6.	2022-23	20,263.07	20,263.07	18,812.36	92.84%
7.	2023-24	20,554.31	22,023.08	21,809.63	99.03%

Budget allocation and expenditure for the FY-2023-24 includes Anganwadi Services, Poshan and SAG.

G. Activities

3.12 Construction of AWC buildings are being provided in convergence with Ministry of Rural Development, Panchayati Raj and Women & Child Development under revised guidelines dated 17th February 2016. In view of the shortage of AWC buildings, the scope of the joint guidelines was revised under MGNREGA in convergence with ICDS Scheme by the Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayati Raj and Ministry of WCD on 17th February 2016 for construction of 4 lakh AWC buildings across the country.

3.13 In order to resolve the issue and speed up the pace of construction of AWCs, the cost sharing ratio has been restored to its original norm prevailing prior to November 2017 i.e., Gol contribution of Rs. 2 lakh per AWC on the extant cost sharing ratio (60:40 for States/ UT with Legislature; 90:10 for NE & Himalayan States; and 100:0 for UTs without Legislature). The Gol contribution would also be released

upfront, instead of on reimbursement basis. As per the revised Scheme- "Saksham Anganwadi & Poshan 2.0", Government intends to construct 50,000 AWCs buildings @ 10,000 AWCs per year in convergence with MGNREGS under Mission Poshan 2.0 during financial year 2022 to 2026. The cost of construction of AWCs under convergence with MGNREGS has also been revised to Rs. 12.00 lakh per AWC out of which Rs. 8.00 lakh would be provided under MGNREGS, Rs. 2.00 lakh under 15th FC funds (any other untied funds) and Rs. 2.00 lakh by MWCD per AWC to be shared between Centre and States/UTs in the prescribed cost sharing ratio.

3.14 Further, this Ministry has revised cost of construction of toilets under Swachhta Action Plan (SAP) to a cost of Rs. 36,000/- per AWC from the existing Rs. 12,000/- per AWC. The cost of provision of drinking water facilities at AWCs has also been revised to Rs 17000/- from the existing Rs. 10000/-

3.15 This Ministry has issued direction to all States/UTs to examine the status of AWCs vis-a-vis the infrastructure available in the primary schools and take all necessary steps to relocate the AWCs accordingly. It should be ensured that the schools, in which AWCs are to be co-located, should be present in the same habitation where the AWC was previously present.

3.16 Under Saksham Anganwadi, across the country 2 lakh AWCs @ 40,000 AWCs per year would be strengthened and upgraded for improved nutrition and ECCE delivery. The important features of a Saksham Anganwadi Centre will comprise LED screen, water purifier/installation of RO machine, smart learning aids, audio-visual aids, child-friendly learning equipments and art work, Rainwater Harvesting Structure and Poshan Vatika.

H. Insurance cover under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP):

3.17. In view of the special circumstances prevailing in the country due to COVID-19 pandemic, Anganwadi Workers/ Helpers have been covered under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) Insurance Scheme for Health Care Workers fighting COVID-19 subject to the following conditions:

- (a) They should have been deputed by the States/ Central hospitals/ autonomous hospitals of Central/ States/ UTs, AIIMS & INIs/ hospitals of Central Ministries for COVID-19 related responsibilities.
- (b) They should have been working as frontline health workers, who may have to be in direct contact and care of COVID-19 patients and who may be at risk of being impacted by this.

- (c) The loss of life is due to COVID-19 or death due to accident on account of COVID-19 related duty.

I. Honorarium of AWWs/AWHs

3.18 The AWWs and AWHs are paid fixed honorarium per month as decided by the Government from time to time. The Government has enhanced honorarium to AWWs from Rs. 3,000/- to Rs. 4,500/- per month, at mini-AWCs from Rs. 2,250/- to Rs. 3,500/- per month, to AWHs from Rs. 1,500/- to Rs. 2,250/- per month, effective from 1st October 2018.

In addition to the honorarium to AWWs/AWHs, Anganwadi Workers are also eligible for an incentive of Rs. 500/- per month for feeding of beneficiary data, home visits and weighing and measuring on the Portal and Anganwadi Helpers (AWHs) would also be eligible for performance linked incentive of Rs. 250/- per month for facilitating proper cleanliness and functioning of Anganwadi Centres.

Further, respective States/UTs are also giving monetary incentives to these workers out of their own resources for any additional duties assigned to them.

J. Construction of AWCs under Multi Sectoral Development Programme

3.19 States/UTs shall continue to tap funds for construction of AWC buildings from various schemes such as MPLADs, MLALADS, BRGF (Backward Regions Grant Fund), RIDF (Rural Infrastructure Development Fund), Finance Commission Grants to Panchayati Raj Institutions, National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), Multi-Sectoral Development Programme (MSDP) of Ministry of Minority Affairs, etc. States, at their level, in their own discretion, shall involve individuals, Companies, Business Houses and Institutions

of repute, CSR funds for construction of AWCs purely on pro bono basis without any obligation. Similarly, the DMs shall encourage/mobilize resources for this purely on pro bono basis and without any obligation.

K. Status of Infrastructure in AWCs (as per data collected during APIP meetings)

Status of Infrastructure	Numbers in Lakh
AWCs with Drinking Water Supply	10.52
AWCs with Toilet Facilities	9.29
Growth Monitoring Devices	13.85
Smartphones with States/UTs	12.50

L. Upgradation of Mini AWCs to Main AWCs

3.20 Earlier, there was a provision of setting up Mini Anganwadi Centre for which population norms were as follows.

Project	Population	No. of AWC
Rural/Urban Projects	400-800	1
	800-1600	2
	1600-2400	3
	Thereafter in multiples of 800	1
Tribal/Riverine/ Desert/Hilly and other difficult areas/	300-800	1
Projects for PM-JANMAN	Approx. 100	1

The Government has taken a decision to upgrade all Mini AWCs to full-fledged Anganwadi Centres with one worker and one helper to help in carrying out the various

responsibilities under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 including responsibilities related to Early Childhood Care & Education. Out of 1,16,852 sanctioned Mini-AWCs for 23 States/UTs, sanction for upgradation of 62,718 Mini-AWCs in 15 States/UTs has been issued as on 31.03.2024.

M. Upgradation of AWCs to Saksham Anganwadi

3.21 Under Saksham Anganwadi, across the country 2 lakh AWCs @ 40,000 AWCs per year would be strengthened and upgraded for improved nutrition and ECCE delivery. The important features of a Saksham Anganwadi Centre will comprise LED screen, water purifier/installation of RO machine, smart learning aids, audio-visual aids, child-friendly learning equipments and art work, Rainwater Harvesting Structure, and Poshan Vatika. Selected AWCs would be strengthened and upgraded for improved nutrition delivery for stimulating the creative, social, emotional, cognitive and intellectual development of children under 6 years of age. As on 31.03.2024, a total of 92108 AWCs (41192 for FY 2022-23 and 50916 for FY 2023-24) have been sanctioned for upgradation to Saksham AWCs.

N. PM JANMAN

3.22 Hon'ble PM has launched PM- JANMAN (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan) on 15th November 2023 through Ministry of Tribal Affairs. The Mission is aimed at targeted development of 75 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) residing in 18 States and a UT. This Mission focuses on 11 critical interventions related to 9 key Ministries including Ministry of Women and Child Development. As per Cabinet approval, a total of 2500 Anganwadi Centres are proposed

to be sanctioned and constructed at Rs. 12 lakh per AWC in the three Financial Years i.e FY 2023-24, 2024-25 and 2025-26. This Ministry has sanctioned 916 AWCs for construction in PVTG habitations and allocated funds to the tune of Rs. 126.00 crore for 1050 AWCs.

II. SCHEME FOR ADOLESCENT GIRLS:

3.23 The Scheme for Adolescent Girls (SAG) has been revised and subsumed under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 w.e.f. 01.04.2022. The targeted beneficiaries under this scheme are girls in the age group of 14–18 years in the Aspirational Districts and all North Eastern States. This scheme consists of two components, viz., nutrition and non-nutrition. Under nutrition component, supplementary nutrition containing 600 calories, 18–20 gm of protein and micronutrients is provided in the form of Take Home Ration (THR) for maximum of 300 days in a year. The non-nutrition component is based on convergence with different ministries wherein IFA supplementation, health checkup and referral services, nutrition & health education, skill training etc. is provided.

- i. **Cost for Nutrition:** The financial norm for nutrition component is Rs. 9.50/- per beneficiary for 300 days in a year. This includes the cost of micronutrient fortification.
- ii. **Funding pattern:** Government of India and States/UTs with legislature share the cost of supplementary nutrition in the ratio of 50:50. For North Eastern States, Himachal Pradesh, Uttarakhand Jammu & Kashmir, the share of Centre and State is in the ratio of 90:10 and Union Territories (without Legislature) is funded 100 % from Central funds.

State-wise beneficiaries reported on Poshan Tracker under the Scheme for Adolescent Girls upto 31.03.2024 is placed at **Annexure XII**. State-wise allocation of foodgrains under SAG during 2023-24 till 31.03.2024 is placed at **Annexure XIII**.

III. POSHAN Abhiyaan

3.24 **POSHAN Abhiyaan**– PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment (earlier known as National Nutrition Mission) was launched by Hon'ble Prime Minister to attain the goal of 'Suposhit Bharat' in a mission mode. Mission Poshan 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0) was announced in the Budget 2021-2022 as an integrated nutrition support programme, to strengthen nutritional content, delivery, outreach and outcomes with focus on developing and promoting practices that nurture health, wellness and immunity. The Anganwadi Services, Scheme for Adolescent Girls and Poshan Abhiyaan have been reorganized under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 (Mission Poshan 2.0) for maximizing nutritional outcomes. Poshan 2.0 focuses on Maternal Nutrition, Infant and Young Child Feeding Norms, Treatment of MAM/SAM and Wellness through AYUSH practices to reduce wasting and under-weight prevalence besides stunting and anemia.

3.25 The programme makes interventions with the use of technology, behavioral change through convergence, converting the agenda of improving nutrition into a Jan Andolan, ensuring wide public participation and lays down specific targets to be achieved across different monitoring parameters. The Abhiyaan has been rolled-out in all States and UTs. Major components of POSHAN Abhiyaan and achievements are as under:

A. Jan Andolans

3.26 Jan Andolan is one of the key components under POSHAN Abhiyaan since its launch by Hon'ble Prime Minister on 8th March 2018. Poshan Maah and Poshan Pakhwada are conducted annually in September and designated weeks of March-April respectively that helps reaching out to the masses through nation's biggest nutrition-centric Jan Andolans. Over the years, various themes have been included in Jan Andolans that cover overall nutrition, hygiene, water and sanitation, anemia prevention, importance of breast-feeding, growth monitoring, role of Poshan Panchayats, AYUSH for Well-being, 'Back to Basics – Yoga for Health', importance of Poshan Vatikas for cultivation of local vegetables, medicinal plants/herbs and fruits at the community level, Poshan ke Paanch Sutra etc. With the celebration of 6th Poshan Maah in September 2023 and recently celebrated Poshan Pakhwada 2024, total 12 Jan Andolans have been celebrated so far, in which more than 100 crore sensitization activities have been collectively reported.

1. Poshan Maah (September 2023)

3.27 The Ministry of Women and Child Development celebrated 6th Rashtriya Poshan Maah in September 2023. This year, the objective was to tackle malnutrition comprehensively through a life-cycle approach, the cornerstone of Mission Poshan 2.0. Anchored in this approach, the focal point of Poshan Maah 2023 was to cultivate widespread awareness concerning critical human life stages: pregnancy, infancy, childhood, and adolescence. The aim was to foster nutritional understanding across India through a theme centered on "Suposhit Bharat, Sakshar Bharat, Sashakt Bharat" (Nutrition-

rich India, Educated India, Empowered India). This month-long and nationwide event witnessed concentrated efforts to enhance ground-level nutritional awareness through campaigns focusing on key themes around 'Exclusive Breastfeeding and Complementary Feeding', Improving Nutrition through Mission Life, Meri Mati Mera Desh, and Swasth Balak Spardha. Rashtriya Poshan Maah witnessed more than 35 crore intensive Jan Andolan based activities across the country.



2. Poshan Pakhwada 2024

3.28 6th Poshan Pakhwada was successfully celebrated across India from 9th – 23rd March 2024. Three main themes were taken up in this Pakhwada viz.

- Poshan Bhi Padhai Bhi (PBPB),
- Tribal, Traditional, Regional & Local dietary practices; and
- Health of Pregnant Women and IYCF practices.

3.29 17 crore sensitization activities have been reported by 35 States/ UTs (Lakshadweep has not reported any activity on the Jan Andolan Dashboard). Of which around 6 crore activities have been collectively reported under 3 main themes as stated above. States such as Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh have been the top contributors in terms of participation and based on the activities reported. Overall, 22 Ministries/ Departments (including WCD) have conducted sensitization activities and reporting on the '**Jan Andolan Dashboard.**' While majority of activities have been reported by WCD, other top reporting Ministries were MoRD, MoH&FW, MoE, MoPR, MoJS etc.

3.30 Focusing around the broader theme of "*Suposhit Bharat, Sakshar Bharat, Sashakt Bharat,*" following theme-based activities were carried out:

- Exclusive Breastfeeding and Complementary Feeding- more than 4 crore
- Swasth Balak Spardha (SBS)/ Growth measurement of children- more than 2 crore
- Poshan Bhi Padhai Bhi (PBPB)- around 4 crore

- Improving Nutrition through Mission LiFE- more than 10 crore
 - Water Conservation through Rainwater Harvesting (RWH) at AWCs- More than 2 crore activities
 - Adopting Sustainable Food Systems by promoting Millet & Poshan Vatikas- more than 4 crore activities
 - Adopting Healthy Lifestyles through AYUSH practices like Yoga, Local food etc.- around 4 crore activities
- Meri Mati Mera Desh (MMMD)- around 2 crore activities
- Tribal focused sensitization- more than 1 crore activities
- Test, Treat, Talk Anemia- around 4 crore activities.



3.31 During Poshan Pakhwada 2024, Memorandum of Understanding was signed between Ministry of Women and Child Development, Government of India and

Sesame Workshop India (SWI) for conducting engagement activities in 150 Anganwadis in urban slums of Delhi and Mumbai through Sesame's characters Elmo, Chamki and Raya. The Sesame Muppets were used to disseminate messages on good nutrition, traditional food, diet diversity, WASH practices to children.



B. Launch of Special Initiatives

3.32 **'Protocol for Management of Malnutrition in Children'** was launched at Vigyan Bhawan on 10th Oct. 2023 by Hon'ble Minister Smt. Smriti Zubin Irani. For the first time, a standardized national 'Protocol for Management of Malnourished Children' has been drafted by MoWCD with inputs from MH&FW, providing detailed steps for identification and management of malnourished children at the Anganwadi level, including decision-making for referral, nutritional management, and follow-up care.

3.33 **Launch of 'Anganwadi Protocol for Divyang Children'** on 28th Nov. 2023. The Protocol developed by MoWCD with inputs from, DEPwD and MoHFW adopts a social model of disability, as against a purely medical model. It has been simplified for ease of communication, to be more effective on the ground in helping government systems coordinate to provide better quality care and public services to every last family and child.



The protocol embodies a Social Model for Divyangjan inclusive care under the POSHAN Abhiyaan, with a step-by-step approach comprising of-

Step 1: Screening for early disability signs

Step 2: Inclusion in community events and empowering families

Step 3: Referral support via ASHA/ANM & Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK) teams.

3.34 **Collaboration with Ministry of Ayush:** Ministry of Women and Child Development and Ministry of Ayush entered into an MoU on 26th Feb 2024 at Vigyan Bhawan, Delhi to implement a project to control anemia among adolescent girls through evidence based Ayurvedic interventions involving Drakshavaleha and Punarnava Mandoor, in the five Aspirational districts under 'Mission Utkarsh'. This project is being jointly funded by both the Union Ministries and is to be executed in the five districts through Central Ayurveda Research Institute, Guwahati; All India Institute for Ayurveda, New Delhi; CARI, Bhubaneswar; Regional Ayurveda Research Institute, Nagpur and National Institute Ayurveda, Jaipur.

3.35 **Conclave on Amritkaal Ki Anganwadi:** A day-long conclave by the Ministry of Women

and Child Development was organized in collaboration with NDTV on 5.12.2023. **Fireside chat: “Reimagining the Anganwadi”** with Hon’ble Minister for Women & Child Development on the path breaking initiative by the ministry to transform the Anganwadis into early learning centers was followed by panel discussion on the ministry’s initiatives of “Poshan Bhi Padhai Bhi”, Anganwadi Protocol for Divyang Children, integrating DIY and traditional toys in learning, transformed Anganwadis.

3.36 Poshan Utsav: Celebrating Nutrition: The Ministry of Women and Child Development organized the Poshan Utsav on 29th February 2024. The event aimed to promote good nutrition behaviour and highlighted India’s ongoing efforts to combat malnutrition and promote a healthy future for all women and children. The event featured the release of ‘Poshan Utsav Book’ curated by the Deendayal Research Institute (DRI). This book seeks to revive ancient nutrition traditions, facilitating knowledge exchange and inter-generational learning. The book will also serve as a comprehensive repository for appreciation of the rich culinary heritage and nutritional diversity of the country.

3.37 A Cartoon Coalition was also launched at the event which is born out of collaboration between renowned cartoon entities including Diamond Comics and Amar Chitra Katha. The coalition can harness the power of popular cartoon characters and impactful storytelling to convey essential messages on nutrition in an entertaining and relatable manner for positive behaviour change.

3.38 A Poshan comic book was also released at the event which has been distributed to

all Anganwadi Centres of the country for popularizing healthy diets among children. The event was graced by the Hon’ble Union Minister for Women and Child Development, Minister Smriti Zubin Irani and Mr. Bill Gates, Co-Chair of the Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), besides senior officers from various Ministries of Government of India.



C. Aadhaar Verified Beneficiaries

Beneficiaries are being Aadhaar verified to ensure last mile tracking and delivery of services. As of 31st March 2024, 96.73% of beneficiaries registered on the Poshan Tracker have been successfully Aadhaar verified.

D. Migration facility for Beneficiary

Migration facility for pregnant women and lactating mothers from one AWC to another within and outside a State has been facilitated under the Poshan Tracker. Total 1,61,214 beneficiaries including Pregnant Women, Lactating Mother and Children up to 6 years of age availed this facility of centre migration between Jan 2023 and March 2024.

E. Beneficiary Redressal Mechanism

Poshan Tracker has a web based and an application-based facility to raise a concern. Beneficiaries can utilize the facility and share their concerns directly with AWW.

Further, a Poshan Helpline (14408) has been operationalised, through which a beneficiary can raise a query/grievance about the services offered under Mission Poshan 2.0.

F. Poshan Vatika

Another key plank of the Abhiyaan, to enable the right kind of nourishment, is the Poshan Vatikas or Nutri-gardens that are being set up across the country to provide easy and affordable access to fruits, vegetables, medicinal plants and herbs. Thus, PoshanVatikas can play an important role in enhancing dietary diversity by providing micronutrients through constant supply of fruits and vegetables to children. To encourage diet-diversity and consumption of wholesome local produce, Poshan Vatikas have been developed at around 6.42 lakhs AWCs. Further, to promote regional diet diversity, 6 region-wise diet charts were developed, viz., North, North-East, West, South, East and Central. The area-wise diet charts are uploaded on Ministry's website in English and Hindi.

G. Promotion of Millet under Poshan Abhiyaan

In line with the United Nations General Assembly's resolution declaring 2023 as the International Year of Millet, the Ministry has started raising extensive awareness about the health benefits of millets. In last few Jan Andolans, more than 5 crore activities were carried out (more than 4 crore in recently celebrated Poshan Maah 2023) for awareness and popularization of millet for health.

3.39 Further, greater emphasis is being given on the use of millet for preparation of Hot Cooked Meal and Take Home Rations (THR- not raw ration) at Anganwadi centres

for beneficiaries including children to tackle anemia and other micro-nutrient deficiencies in women and children. Under the Poshan 2.0 Scheme guidelines, millet have to be mandatorily provided under Supplementary Nutrition once in a week.



Promotion of Millet during Jan Andolan, PoshanMaah 2023

H. Category wise total beneficiaries registered on Poshan tracker under Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 as on 31.3.2024:

S.No	Category of Beneficiaries	No. of Beneficiaries
1	Children 0-6M	39,35,858
2	Children 6M-3Y	4,03,03,177
3	Children 3Y-6Y	4,49,33,336
4	Pregnant Women	60,09,337
5	Lactating Mothers	47,46,197
6	Adolescent Girls	21,27,610
	Total	10,20,55,515

J. Training and Capacity building of Field Functionaries under Poshan Tracker and ECCE

3.40 In order to break the intergenerational cycle of malnutrition, it is imperative that regular growth monitoring is carried out so that early detection and timely remedial action can be initiated. Further, in order to constantly monitor the outcome related to nutrition of women and children, Government has launched the Poshan Tracker management application which provides a 360-degree view of the activities of the Anganwadi Centre (AWC), service deliveries of Anganwadi Workers (AWWs) and complete beneficiary management for pregnant women, lactating mothers and children. Simultaneously, the mobile application also digitizes and automates physical registers used by AWWs that helps improving their quality of work.

3.41 For realizing the vision of *Kuposhan Mukh Bharat* and successful implementation of the Poshan Tracker under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, training programmes were developed to ensure proficiency of the AWWs on Poshan tracker and efficiency of growth monitoring. The training teams comprised officials of Food and Nutrition Board (FNB), NIPCCD and NeGD and carried out in collaboration with States/UTs, with the involvement of District Nutrition Committee, Block coordinators of Poshan Abhiyaan and NeGD.

3.42 In this backdrop, Orientation Training was organized for the training teams, to enable them to effectively impart training to the field functionaries. During the orientation training, teams were briefed on Early Childhood Developmental Milestones

and Growth Monitoring and the Poshan Tracker App, Dashboard and its application. Hands-on training was also imparted to all the participants for accurately taking measurements using the Growth Monitoring Devices.

3.43 In the first phase, the training was conducted in 4 districts each from 10 States (PM Utkarsh districts were selected), viz., Assam, Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka, Bihar, Madhya Pradesh and Telangana. The topics covered during the training programme are as under:

i. Growth Monitoring

- a. Types of Measurements: Growth Monitoring using Weight-for-Age, Weight-for-Height and Height-for Age
- b. Hands-on training on correct technique of recording measurements using GMDs distributed under Poshan, i.e., Infantometer, stadiometer, and weighing scales for infants and adults.

ii. Poshan Tracker

- End-to-end overview about the Poshan Tracker Application & Dashboard.

L. Poshan Tracker

3.44 In order to monitor the implementation of Mission Poshan 2.0, Government has leveraged technology in the form of an ICT application, viz., Poshan Tracker, which provides near real time progress under the Mission. The application provides a

360-degree view of the activities of the Anganwadi Centre (AWC), service deliveries of Anganwadi Workers (AWWs) and complete beneficiary management for pregnant women, lactating mothers and children. Technology under Poshan Tracker is being leveraged for dynamic identification of stunting, wasting, under-weight prevalence among children. It has facilitated near real time data collection for Anganwadi Services such as, daily attendance, ECCE, Provision of Hot Cooked Meal (HCM)/Take Home Ration (THR-not raw ration), Growth Measurement etc. The App also offers counseling videos on key behaviors and services which help disseminate messages on birth preparedness, delivery, post-natal care, breastfeeding and complementary feeding. States/UTs can see their progress on various indicators on the Poshan Tracker dashboard on monthly basis and can make course correction wherever required.

3.45 Moreover, during the G-20 Ministerial Conference on Women Empowerment, Poshan Tracker was also showcased and discussed. All the members were greatly impressed by the same. Moreover, it was part of the chair's statement. The members recognized the importance of deployment of technology for monitoring nutrition and health services and early childhood care service delivery for pregnant women, lactating mothers, adolescent girls and children and took note of the Poshan Tracker application, a unique digital platform which seeks to digitize data near-real time monitoring and enabling policies for targeted intervention.

J. VIKSIT BHARAT SANKALP YATRA:

3.46 In a groundbreaking initiative aimed at saturating the benefits of Central Government

schemes across the nation, on the occasion of Janjatiya Gaurav Divas, Prime Minister launched the "Viksiti Bharat SankalpYatra (VBSY) Campaign" on November 15, 2023 from Khunti, Jharkhand.

3.47 Ministry of Women and Child Development has actively involved in the campaign throughout the country. MoWCD participated under the "Meri Kahani Meri Zubani (MKMZ)" initiative under which the beneficiaries from each Gram Panchayat were encouraged to narrate their experiences and the impact that selected schemes of WCD had on their lives. Under MKMZ, 4.67 lakh beneficiaries of the Scheme under MWCD (2,21,568 from POSHAN Abhiyaan and 2,45,120 from PMMVY) have narrated their experiences about the benefits of these schemes.

3.48 "On-spot registrations" of eligible beneficiaries was also undertaken during the Yatra for saturation of scheme under MoWCD. Through an internal mechanism of tracking WCD's support to VBSY (apart from the VBSY dashboard), 2.29 lakh on-spot registrations have been reported under various schemes of WCD. Additionally, States were also informed to undertake Swasth Balak Spardha (SBS) during these Yatras where healthy children are felicitated. 2.58 lakh Healthy Children have been felicitated during VBS.

3.49 Early Childhood Care and Education

As per Scheme guidelines of Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, Early Childhood Care and Education will cover provision for pre-school learning material for cognitive, emotional, social and intellectual development of the child; development of muscular coordination and basic motor skills; aesthetic appreciation, independence

and creativity; good healthy habits; Training and Skilling needs to make all pre-schoolers school ready and for seamless integration of children in the age group of 5-6 years in Grade-I. States shall make concerted efforts to enrol children aged 3-6 years at AWCs for the benefit of the ECCE programme. Further, Ministry has launched 'Poshan Bhi, Padhai Bhi' (PBPB) initiatives on 10th May, 2023 for creation of State Level Master Trainers (Child Development Project Officers/CDPOs, District Programme Offices/DPOs and Supervisors) who in turn would train & enhance the up skilling of Anganwadi Workers (AWs) in building their capacity to provide quality Early Childhood Care and Education with nutrition to the targeted beneficiaries. PBPB aligns with the recommendations of the National Education Policy (NEP) 2020 and the ECCE Task force established by the Ministry of WCD. Addressing the audience on its launch, Hon'ble Minister discussed the testing of Early Childhood Care and Education (ECCE) material and audio-visual resources, involving 1.5 million parents in over 10,000 communities via 1 lakh activities. She emphasized the importance of inclusive teaching and learning materials for differently abled children and utilizing locally available materials for creating environmental friendly indigenous toys.

3.50 Training under PBPB is being implemented through a two-tier model, whereby the National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) will train State Level Master Trainers (SLMTs) (Supervisors, Child Development Project Officers (CDPOs) & District Programme Officers (DPOs) who will in turn train the Anganwadi Workers. Training has to be organized in two phases during 2023-2026 in the entire country.

3.51 Guidelines for organization of fixed monthly ECCE days and provisions for PSE kits and guidelines on 'Do It Yourself (DIY)' Kits for Toys – National Action Plan for Toys (NAPT) have been drafted and shared with the all States/UTs. As part of the important component of Early Childhood Care and Education, MWCD has placed great deal of importance on development and use of indigenous toys for learning at AWCs. All 36 States/UT's have been paired to facilitate exchange of indigenous toys/folklores as part of the vision for Ek Bharat Sreshth Bharat. Detailed guidelines have been drafted and shared with all States on creation of Do-It-Yourself (DIY) toy kits as part of Teaching Learning Material creation workshops. Further, NIPCCD has collated and digitized a great deal of toy focused content, including a coffee table book on North eastern and Tribal toys through the Guwahati centre. Also Best Practices/Innovation in Poshan were collated and shared with all States/UTs during the National Conference on 30-31st August 2021. Examples include "Suposhan Panchayat" and Model Organic Terrace Gardens in AWCs in Bihar; Integrated Management of Acute Malnutrition in Madhya Pradesh; Nutri-Gardens at AWCs and in backyards of households in Gujarat; Mobile Nutri-Gardens in Urban areas and distribution of mahua laddoos to PWLM in tribal areas in Telangana, mobile NRCs and Poshan Mulyankan Cards for MAM/SAM children in Chandigarh etc.

V. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)

3.52 From 2022-23 onwards the 'Poshan Tracker' application has been rolled out through National e-Governance Division (NeGD), as an important governance tool.

Technology under the Poshan Tracker has been leveraged for dynamic identification of stunting, wasting, under-weight prevalence among children and last mile tracking of nutrition service delivery. The Poshan Tracker enables real-time monitoring and tracking of all AWCs, AWWs and beneficiaries on defined indicators. Beneficiaries under the Scheme are Aadhaar seeded to ensure last mile tracking and delivery of services. Poshan Tracker helps Poshan 2.0 in generating data, providing feedback to Program Managers and documenting the impact of scheme on nutrition indicators. The Ministry/States/Districts are able to make effective and timely interventions based on the data from the Poshan Tracker, thereby facilitating continuous evaluation and the progress of different components.

VI. MONITORING AND SUPERVISION

3.53 Besides, Poshan Tracker, the existing practice of monitoring and supervisory visits in the field has been standardized and minimum number of visits required to be made at various levels have been stipulated to ensure effectiveness in the delivery of services under the Poshan 2.0 Scheme, along with the active involvement of Panchayati Raj Institutions (PRIs) in monitoring of AWC activities. A check list of various aspects to be monitored/supervised by the State and Central level officials during their visits has also been prescribed for their guidance.

3.54 In the context of universalization of Poshan 2.0 with focus on monitoring and improved quality in delivery of services, a 5-tier monitoring and review mechanism

at the Central level and up to Anganwadi level has been introduced. The people's representatives (MPs/MLAs/PRIs) have been included in the Monitoring Committees to make the mechanism participative and more transparent.

VII. WHEAT BASED NUTRITION PROGRAMME (WBNP)

3.55 Under the Wheat Based Nutrition Programme (WBNP), food grains, viz., wheat, rice and other coarse grains are allocated at subsidized rates under NFSA to the States/UTs through the Department of Food & Public Distribution (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution), for preparation of supplementary food under Anganwadi Services. The Ministry is responsible for processing and approval of the proposals from the States/UTs for allocation of food grains in coordination with the D/o F&PD.

3.56 As envisaged in the Hon'ble Prime Minister's Address on 75th Independence Day, fortified Rice has to be provided through every Government Scheme by the year 2024. Accordingly, this Ministry is allocating Fortified Rice to States/UTs across the country from the second quarter of FY 2022-23 onwards. As on 31 March, 2024, Ministry of Women & Child Development has allocated 10,48,645.30 MTs of wheat, 11,37,029.19 MTs of fortified rice to States/UTs under Wheat Based Nutrition Programme (WBNP) to 36 States UTs during F.Y. 2023-24.

3.57 Statement of Foodgrains allocated under WBNP for the Year 2023-24 till 31.03.2024 is placed at **Annexure-XIV**.



Child Protection and Welfare



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Child Protection and Welfare

4.1 The Constitution of India accords highest priority to safety and well-being of children. Children constitute about 39% of the total population of India (Census 2011). It has been widely accepted by policy makers of our country that investments made for the survival, education, protection and overall well-being of children helps in breaking the inter-generational cycle of poverty and ensuring inclusive growth of the country. In a vast country like India, children face multiple vulnerabilities in terms of accessing quality nutrition, healthcare, education and other services. Moreover, new challenges are emerging every day, such as online exploitation of children, climate change, natural and man-made disasters which add to vulnerability of children. The Ministry of Women and Child Development has taken some major initiatives to ensure safety and well-being of children.

I. LAWS, POLICY AND PROGRAMMES FOR CARE AND PROTECTION OF CHILDREN

A. National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)

4.2 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), a statutory body, was set up in March 2007 under the Commission for Protection of Child Rights Act,

2005, an Act of Parliament (December, 2005). The Commission's mandate is to ensure that all Laws, Policies, Programmes and Administrative Mechanisms are in consonance with the Child Rights perspective as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of the Child (for more details on the NCPCR, please refer to Chapter-9 of the Report).

B. United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)

4.3 India acceded to the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) in 1992. As a signatory to the Convention, India is required to submit periodic reports on the measures taken by the Government to give effect to its undertakings under the Convention, in accordance with Article 44 of the Convention. The reports are prepared in accordance with the Guidelines adopted by the UN Committee on the Rights of the Child. The Country Report is prepared by involving all sectoral Ministries, national level institutes and other civil society, as well as the community and children. Ministry also holds consultations with central ministries, national level institutions and other civil society-governmental and non-governmental organisations for preparation of the report.

C. The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012

4.4 To deal with child abuse cases, the Parliament had passed a special law i.e. 'The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012'. The Act came into force on 14th November, 2012 along with the rules framed there under. The Act defines a child as any person below the age of 18 years. The act is gender neutral and provides protection to all the children from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography. Under its provisions, an offence is treated as 'aggravated' when committed by a person in a position of trust or authority over the child such as a member of security forces, public officer, public servant, etc. The Act mandates establishment of Special Courts for trial of offences under the Act, keeping the best interest of the child as of paramount importance at every stage of the judicial process. The Act incorporates child friendly procedures for reporting recording of evidence, investigation and trial of offences.

4.5 To facilitate reporting of offences/ complaint, the POCSO e-Box was launched by the Hon'ble Minister for Women and Child Development, in New Delhi, on 26th August, 2016. POCSO e-Box is an online complaint management system for easy and direct reporting of sexual offences against children and timely action against the offenders under the POCSO Act, 2012.

4.6 Considering the growing rate of Crime against children, and incidences of new kind of sexual crimes against children, it became imperative to review and amend the provisions of the POCSO Act, 2012. Accordingly, the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act, 2019 was

notified by this Ministry to be made effective from 16th August, 2019.

4.7 Under amended provisions in the Act, death penalty has been introduced as a possible punishment in cases of aggravated penetrative sexual assault. Definition of child pornography and commensurate punishment has also been introduced. Provisions to protect the interest of vulnerable children in times of natural disasters and punishment for giving chemical substance for early sexual maturity of children for sexual crime against them have also been included.

D. POCSO Rules, 2020

4.8 The POCSO Rules were reviewed after the amendments in the POCSO Act, 2012. After careful consideration of all aspects and detailed deliberations, the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Rules, 2020 were approved and notified, replacing the POCSO Rules, 2012.

4.9 The Ministry has been coordinating with different Ministries and State Governments/ UT Administrations for suitable action, which also aims at greater awareness, speedy justice and better services for child victims under the POCSO Act. Letters were written to Chief Ministers, MPs and Chairpersons of local bodies at the level of the Minister and to Chief Secretaries of all States/UTs by Secretary, WCD for awareness generation on the POCSO Act and other compliances, as required.

4.10 The Ministry had also requested the Principal Secretaries/Secretaries of all States/ UTs for appointment of support persons. As per POCSO Act, recruitment of support persons is the responsibility of the State. Further, the Ministry also requested the Department of School Education and Literacy, Ministry

of Education and Principal Secretaries of Department of School Education of all States/UTs to take necessary action for awareness and sensitisation in schools on issue of child safety and prevention of child sexual abuse followed by subsequent reminders.

4.11 On the request of the Ministry of Women and Child Development, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, started showing 'Komal', a short film on child safety in every school. Under Samagra Shiksha, schools have initiated a safety pledge. Letters have been sent to all the schools to display the Childline Helpline number. NISHTHA, a teacher training programme that aims to train 42 lakhs teachers, Principals, Heads of elementary level Government Schools, faculty members of District Institute of Education and Training (DIET), State Council of Educational Research and Training (SCERTs), Block Resource Coordinators (BRCs) and Cluster Resource Coordinators (CRCs) by the next financial year, is in process. NCERT has published the Childline number 1098 and reference to POCSO e-box in every textbook. The Ministry of Education has also directed all the Kendriya Vidyalayas across the country to display awareness content on POCSO on their notice boards or any other prominent place in the schools. School Safety Pledges are also being taken in schools with appropriate messages on Child Safety and Prevention of Child Sexual Abuse.

4.12 Efforts have been made by the Ministry to impress upon Ministry of Home Affairs for expediting investigations and for greater sensitization of personnel. The Ministry of Home Affairs has developed 'Investigation Tracking System for Sexual Offences' portal for

timely completion of investigations in cases pertains to Section 4 and 6 of the POCSO Act. Bureau of Police Research and Development (BPR&D) is conducting various courses for sensitisation of personnel. States and UTs have been advised by the Ministry of Home affairs to send officers for these courses and for timely completion of Investigations of POCSO cases.

4.13 As per the POCSO Act, for the purpose of providing a speedy trial, the State Government shall in consultation with the Chief Justice of the High Court, by Notification in the Official Gazette, designate for district, a Court of Session to be a Special Court to try the offences under the Act. Further, in compliance to the Hon'ble Supreme Court's direction, and with support from Nirbhaya fund Department of Justice has formulated Fast Track Special Courts (FTSCs) Scheme under which, a total of 1023 courts are to be set up. Out of these courts, exclusive POCSO Courts in 389 districts have been set up, where number of pending cases under POCSO exceeds 100. Further, it has also been decided to set up remaining 634 FTSCs, as per need and pendency for rape, as well as POCSO Act cases.

E. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

4.14 Government of India amended the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act in 2021 and is the primary legislation for ensuring the safety, security, dignity and well-being of children. The Act provides for protection of children in need of care and protection and those in conflict with law by catering to their basic needs through care, protection, development, treatment and social re-integration. It defines standards of care and protection to secure the best interest of child. The Juvenile Justice (Care and

Protection of Children) Rules and Adoption Regulations, have also been promulgated under the Act. The Ministry has notified the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021), which has come into effect from 01.09.2022. The Ministry has also notified the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Rules, 2022 on 01.09.2022 and Adoption Regulations, 2022 on 23.09.2022. Among others, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 empowers the District Magistrate to function as the focal point for implementation of JJ Act, 2015 and decide the cases of adoption. The amendment also introduces eligibility conditions for appointment of the members of Child Welfare Committee.

II. Ministry of Women and Child Development has launched **Mission Vatsalya** for addressing various aspects of child development while subsuming the erstwhile Child Protection Services (CPS) Scheme for ensuring welfare, protection and constructive growth of the children.

4.15 Mission Vatsalya aims to foster a sensitive, supportive, and synchronized ecosystem for children as they transit different ages and stages of their development. This is envisaged to be done by strengthening the institutional framework of child welfare and protection committees and the Statutory and Service delivery structures in all districts of the country. While children in difficult circumstances are to be addressed by the Statutory and Service Delivery Structures, equal emphasis is to be given to issues around child welfare and protection at the community level integrated with the local development plans and corresponding budgets. Thus, it

is envisaged that the committees under the institutional framework will complement the Statutory and Service Delivery Structures in terms of advocacy, awareness generation, capacity building, and preventive measures to build a robust child friendly ecosystem in the community.

4.16 Mission Vatsalya provides preventive, statutory care and rehabilitation services to children who are in need of care and protection and those in conflict with law as defined under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. It is a centrally sponsored scheme, providing financial support to state Government/UT Administrations, for delivering services as mandated under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 thereunder for children. The primary responsibility of execution of the Act, as such, lies with the States/UTs.

4.17 The scheme acknowledges the necessity for strengthening preventive action to secure welfare of children. It aims to provide ground level support to children and their care givers, while raising awareness and building capacities under the scheme.

4.18 The major Components/services under the Mission Vatsalya are:

- i. **Statutory bodies:** Child Welfare Committees (CWC), Juvenile Justice Boards (JJB) and Special Juvenile Police Units (SJPU).
- ii. **Service delivery Structures:** State Child Protection Society (SCPS), State Adoption Resource Agency (SARA), and District Child Protection Unit (DCPU).

iii. **Institutional Services:** Children Homes, Specialized Adoption Agencies, Open Shelters, Observation Homes, Special Homes, Places of Safety. In the Children Home, a unit for providing specialized services to children with special needs (disabled children, children affected by HIV/AIDS, children affected by substance abuse etc) has also been created under the scheme. Separate Children Homes based on age, gender or special needs of children could be established/ supported by the State/ District and shall have similar facilities in terms of infrastructure and services. The CCIs could be either for fifty (50) children or twenty-five (25) children, depending upon the need of children in a particular area.

iv. **Family based non institutional care:** Mission Vatsalya promotes family based non-institutional care of children in difficult circumstances based on the principle of institutionalization of children as a measure of last resort. The Mission supports children through following modes of Non-Institutional Care. During the current FY 2023-24, total 1,21,861 Children have been approved to be covered under Non-Institutional Care.

- a) **Sponsorship:** Financial support is extended to vulnerable children living with extended families/biological relatives for supporting their education, nutrition and health needs.
- b) **Foster Care:** The responsibility of the child is undertaken by

an unrelated family for care, protection and rehabilitation of the child. Financial support is provided to biologically unrelated Foster Parents for nurturing the child.

- c) **Adoption:** Finding families for the children found legally free for adoption. Specialized Adoption Agencies (SAA) facilitate the adoption programme.
- d) **After Care:** The children who are leaving a Child Care Institution on completion of 18 years of age are provided with financial support to facilitate their re-integration into mainstream of society. Such support is given from the age of 18 years up to 21 years, extendable up to 23 years of age to help her/him become self dependent.

A monthly grant of Rs. 4,000/- per child is provided for Sponsorship or Foster Care or After Care to the State Government.

- v. **Vatsalya Sadan:** Vatsalya Sadan is an Integrated Home Complex of CCIs (Children Home, Observation Home, Special Home, Place of Safety) along with JJB and CWC located within single premises for implementation of the Juvenile Justice Act. Vatsalya Sadan (Integrated Home Complex) may be set up for unit of 50 and 25 children in each Home. The benefits of having "Vatsalya Sadan" are to avoid/ minimize disruption, travelling time for case needs and ensure security provision.

vi. **Emergency outreach phone services for children in crisis/difficult circumstances**, through a 24 hours toll free number 1098.

vii. **Training, capacity building** – for all stakeholders working in the area of child protection.

4.19 During the year 2023-24, the Ministry had assisted 2450 Homes, 424 Specialized Adoption Agencies (SAAs) and 227 Open Shelters throughout India benefiting 62,592 beneficiaries. Apart from the institutional services, so far 781 Child Welfare Committees and 774 Juvenile Justice Boards have been constituted under the scheme as reported by the States and UTs.

4.20 Status of funding support to States/UTs for implementation of Mission Vatsalya Scheme for FY 2022-23 and 2023-24 is as follows:

(Rs. in Cr.)

Year	No. of States that have signed MOUs	Budget Allocation (BE)	Actual Release
2022-23	36	1472.17	1043.20
2023-24	36	1472.17	1390.80

*Details of fund disbursement during FY 2022-23 and 2023-24 (till 31st March, 2024) (Annexure - XV).

viii. **Track Child and Khoya-Paya:**

4.21 Track Child portal has been made functional since the year 2012. This portal facilitates the matching of 'missing' children being reported at Police stations with those 'found' children who are residing in the Child Care Institutions (CCIs). The web address of TrackChild portal is www.trackthemissingchild.gov.in. The portal is updated by the concerned stakeholders

namely Police stations, Child Care Institutions (CCIs), Child Welfare Committees (CWCs), and Juvenile Justice Boards (JJBs) etc. till 31st March 2024, total 13,249 Police Stations are making entries of missing/recovered children in the TrackChild Portal and 5,313 number of Child Care Institutions are entering details of children. As on date 4,33,474 children have been matched through the system.

ix. **Mission Vatsalya Portal:** As per the guidelines of Mission Vatsalya, a Digital Platform for various MIS related to children in difficult circumstances which include missing, orphaned, abandoned, and surrendered children has been developed by Ministry of Women and Child Development in consultation with States/UTs. The different portals under erstwhile Child Protection Services Scheme and Juvenile Justice Act i.e. TrackChild Portal for Missing/Found Children; ICPS Portal for monitoring the scheme and; Khoya-Paya Citizen Centric Application for Missing and Sighted Children have been integrated under one single portal. This may be used by SCPS, DCPU, CWC, JJB, CCIs, SJPU as well as citizens through respective dashboard for all MIS purposes. The soft launch of Mission Vatsalya Portal was done by Ministry of Women and Child Development during a virtual meet with all States/UTs on 27.06.2023.

x. **Child Helpline Service:**

4.22 Under Mission Vatsalya Scheme, Child Helpline is being run in coordination with State and District functionaries with integration with the Emergency Response Support System 112 (ERSS-112) Helpline of MHA. Ministry has entrusted Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Kerala to act as a Total Solution Provider (TSP) for automation

of Child Helpline -1098 and its integration with ERSS-112. Standard Operating Procedures (SoPs) of Child Helpline have been issued by the Ministry. As per SoPs of Child Helpline, a 24x7 dedicated WCD Control Room (WCD-CR) is required to be setup for Child Helpline in each State/UT and will be integrated with ERSS-112. Further, at the district level, Child Helpline (CHL) Unit at District Child Protection Unit (DCPU) is to be made available round the clock and shall be equipped with necessary facilities, manpower and software applications and dedicated connectivity to provide outreach service for children in crisis linking them to emergency and long-term care and rehabilitation services. States/UTs as per the SoPs of Railways will continue running of Child Help Desk/Kiosk/ Booth at the selected Railway Stations and will also continue to run Child Help Desks at existing Bus Stands. Child Helpline is 100% funded by the GoI. All 36 States/UTs have started the implementation of Child Helpline has been approved for all 762 districts and functioning in 464 districts as on 31.03.2024. As per SoP, manpower for Child Helpline ranges from 6 to 20 at various levels. The total number of calls answered through CHL by 36 States/UTs WCD Control Rooms during the FY 2023-24 is 12,16,896.

xi. Collaboration with NIMHANS:

4.23 Ministry has collaborated with NIMHANS which has established a National Initiative & Integrated Resource Centre for Child Protection, Mental Health, and Psychosocial Care named "SAMVAD" (Support Advocacy & Mental Health Interventions for Children in Vulnerable Circumstances And Distress) in NIMHANS, at Bangalore. SAMVAD is working in 4 key thematic areas, namely Mental Health, Care & Protection, Education

and Policy & Law. In the FY 2023-24, SAMVAD has reached out to a total of 15,25,73 stakeholders in 34 States/UTs through various training and capacity building programs.

xii. Collaboration with LBSNAA for capacity building:

4.24 The Ministry of Women and Child Development has partnered with Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) to develop an online training module for capacity building of multiple stakeholders for strengthening implementation of child rights with a special focus on the Juvenile Justice Act in India. The Hon'ble Minister, WCD launched Online Courses on Child Rights on 2nd July, 2023 during Regional Symposium on 'Child Protection, Child Safety and Child Welfare' in Delhi. The course is available through digital platforms such as "iGOT" platform, as part of 'Mission Karmayogi' with the following content:

- Introduction to Child Rights & Juvenile Justice System.
- Child in Need for Care and Protection
- Child In Conflict With Law
- Institutional & Non-Institutional Care

4.25 As on 31.03.2024, a total of 10283 stakeholders have enrolled for the course and 7022 have successfully completed it.

xiii. Workshop on Sensitization/ Training Programme for representatives of PRIs, ULBs and Police on Child Rights & Protection at Srinagar, Jammu & Kashmir:

- i. The Ministry had organized two day workshop on 14-15 September, 2023 at Srinagar, J&K in collaboration with UT Administration. Lieutenant

Governor Shri. Manoj Sinha had inaugurated the two-day workshop for Sensitization/Training programmes for representatives of PRIs, ULBs, Police and other stakeholders to strengthen the Child Protection System and Mechanism in the UT of Jammu Kashmir. This workshop was attended by officers from MWCD, NCPCR, UT of J&K, Administrative and Police Training. Institutes, DCPOs, CWCs, JJBs, SJPU, representative from UNICEF, Panchayati Raj Institutions along with other Stakeholders.

- ii. **Zonal Conferences:** Outreach with State Governments/UT Administrations and Stakeholders through Zonal Conferences on Strategic Interventions for addressing Malnutrition Concerns and for the Development, Empowerment and Protection of Women and Children including Mission Vatsalya scheme during the last financial year.
- iii. **Workshops:** Workshops on Sensitization/ Training Programme for representatives of Panchayati Raj Representatives (PRIs), Urban Local Bodies (ULBs) and Police on Child Rights & Protection including Mission Vatsalya Scheme at Srinagar, Jammu

& Kashmir (J&K) on 11.03.2024 and 12.03.2024 in collaboration with UT Administration.. This workshop was attended by officers from Ministry, NCPCR, UT of J&K, Administrative and Police Training. Institutes, District Child Protection Officers (DCPOs), CWCs, JJBs, Special Juvenile Police Units (SJPU), representative from UNICEF and other Stakeholders.

- iv. **Training conducted by National Institute of Public Co-operation and Child Development (NIPCCD):** Under Mission Vatsalya Scheme, NIPCCD has conducted 129 training programmes during the financial year 2023-24 and 82 training programmes during the current financial year (as on 01.12.2023).
- v. A three day consultation was organized by the Ministry from 22.03.2023 to 24.03.2023 at NIPCCD to improve adoptability of Mission Vatsalya portal by its user/stakeholders.
- vi. A virtual technical training Session on the Modules of Institutional and Non-Institutional Care in the Mission Vatsalya Portal for North Eastern States (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura) was organized by the Ministry on 15.11.2023.



Two day workshop on 14-15 September, 2023 at Srinagar, J&K in collaboration WIT with UT Government

- xiv. Vatsal Bharat:** Regional Symposiums on 'Child Protection, Child Safety and Child Welfare' were organized, starting from 2nd July, 2023 to 18th August, 2023 across various locations in the country. In the Regional Symposiums, representatives from States/UTs including members of Child Welfare Committees (CWCs), Juvenile Justice Boards (JJBs), Members of Village Child Protection Committee (VCPC) and Anganwadi Workers had participated.



- a. The **first Regional Symposium** was held at Vigyan Bhawan, Delhi on 2nd July 2023, and there were nine participating states - Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh and UTs of Delhi, Chandigarh, Jammu & Kashmir and Ladakh. The Symposium was attended by more than 2000 representatives

from Child Welfare Committees (CWCs), Juvenile Justice Boards (JJBs), Members of Village Child Protection Committee (VCPC) and Anganwadi Workers.

- b. **Second Regional Symposium** was held on Child Protection, Child Safety, and Child Welfare held at Bhopal on 9th July, 2023. There were three participating states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan.
- c. **Third Regional Symposium** was held on Child Protection, Child Safety, and Child Welfare held at Mumbai on 22nd July, 2023. There were seven participating states of Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Goa, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.
- d. **Fourth Regional Symposium** was held on Child Protection, Child Safety, and Child Welfare held at Ranchi on 30th July, 2023. There were four participating states West Bengal, Jharkhand, Odisha, and Bihar.
- e. **Fifth Regional Symposium** was held on Child Protection, Child Safety, and Child Welfare organized held at Guwahati on 12th August 2023. Participating States: Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Tripura and Sikkim.
- f. **Sixth Regional Symposium** was held on Child Protection, Child Safety, and Child Welfare

organized held at Kashi, Uttar Pradesh on 18th August 2023.

xv. Children Sports Celebration

4.26 Children Sports Festival was organized in all the registered Child Care Institutions under Juvenile Justice (Care and Protection of Children Act), 2015 through DCPUs for three days during the period 17th to 28th April, 2023 in all the 30 States/UTs. Well curated Indoor and Outdoor games were organized. Sports Activities for Children with Special Needs residing in Child Care Institutions was organized in order to boost their morale. The activities that were conducted for children with special needs were Indoor (Chess, Ludo Carom Badminton) Outdoor (Athletics 100 M Race Kabaddi Tug of War). The indigenous sports form the backbone of any community and a nation as well. In view of this during the Children Sports Festival, the States were encouraged to organize and promote Indigenous games which are commonly played among children in their States. A total of 1796 Child Care Institutions (CCIs) were covered in 454 districts.

xvi. E-SAMPARK:

4.27 MOU has been signed for E-SAMPARK Program between Ministry of Women and Child Development and Indian Academy of Paediatrics to provide free online consultation to children residing in Child Care Institutions (CCIs) run by or funded by Government of India across the country. Around 2,100 Child Care Institutes with 70,000 children will benefit from this program.

xvii. Social Audit of CCIs by NCPDR:

4.28 National Commission for Protection of Child Rights (NCPDR) conducted social audit of 7,163 Child Care Institutions across the country (except for the State of Jammu and Kashmir where the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (JJ Act, 2015) was not applicable and the UTs of Lakshadweep, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, where no CCIs existed) in compliance to the Hon'ble Supreme Court's order dated 05.05.2017 in the matter of W. P. (Crl.) 102 of 2007 in Re-Exploitation of children in orphanages in State of Tamil Nadu Vs. Union of India. A National Report as well as State Reports of



Celebration of Children Sports Festivals in CCIs

social audit was submitted to the Hon'ble Supreme Court on 06.03.2020. Secretary, WCD has asked all the States/UTs vide DO No. 30/67/2019-CW-II dated 31.8.2020 for registration of CCIs in accordance with Section 41 of the JJ Act, 2015. Hon'ble Minister has also written a D.O. letter to all MPs and MLAs to take necessary action for registration of CCIs under JJ Act and also against those institutions which are not complying with the requirement. The States have been asked to regularly monitor the status and furnish information on 15th January and 15th July every year. The Ministry had categorically asked the States/UTs time and again to close down the unregistered Institutions and make suitable alternative arrangements for the inhabitants. 5,534 CCIs have been registered under JJ Act. The States/UTs have been requested to ensure inspection of CCIs under the supervision of the District Magistrates/ Deputy Collectors and background verification of all agencies engaged in running CCIs and police verification of the staff engaged with the CCIs.

xviii. Persons with Disability:

4.29 Through CCIs 4,364 Special Need Children in 199 Children Homes in States/UTs have been supported under Mission Vatsalya Scheme, in the FY 2023-24. **(Annexure XVI).**

xix. "Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 & 6 of the POCSO Act, 2012"

4.30 Ministry of Women and Child Development (MWCD) has introduced, the centrally funded scheme namely "Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 & 6 of the POCSO Act, 2012" from NIRBHAYA fund to address the challenges faced by the minor

pregnant girl child victims and fills the gaps of the existing schemes for implementation by the State/UT Governments.

4.31 The main objective of this Scheme is to provide integrated support and assistance to minor pregnant girl child victims under one roof and to facilitate their immediate, emergency and non-emergency access to a range of services for long term rehabilitation in terms of education, police assistance, medical (also comprising maternity, neonatal and infant care), psychological, mental health counselling, legal support, Non-Institutional Care support, place of stay in Child Care Institutions/Aftercare facilities and health insurance cover for the girl child victim and her new-born under one roof to enable access to justice and empowerment of such girl child victims.

xx. Veer Bal Diwas:

4.32 "Veer Bal Diwas" was organized by the Ministry of Culture in the year 2022. However, in the year 2023, it was organized by the Ministry of Women & Child Development, and it was commemorated successfully on 26.12.2023 at Bharat Mandapam, New Delhi, wherein around 6000 children participated. The event was graced by the Hon'ble PM and several Union Ministers, MPs & other dignitaries. In the event, the Shabad Kirtan, March Past, Martial Arts were also performed by children and teenager artists.

xxi. AMRIT GENERATION CAMPAIGN:

4.33 The Amrit Generation campaign was organised in collaboration with Meta/ Facebook. Young people from across the country were invited to showcase their creativity and share their aspirations by creating Reels on Instagram and Facebook.

Participants were encouraged to explore their ambitions and what they aspire to become when they grow up, fostering a sense of community and inspiring others in the process. The winners from across the country were invited to Delhi and were given opportunities to meet Hon'ble Prime Minister, Ministers, Members of Parliament. They also visited Parliament of India (New and Old Buildings) and Pradhan Mantri Sanghralaya.

xxii. Portal for Pradhan Mantri Rashtriya BalPuraskar (<http://nca-wcd.nic.in>)

i. Conferment of Awards

4.35 The Government of India acknowledges children as one of the most important partners in nation-building. Their hopes and aspirations are to be acknowledged and their achievements are to be rewarded. The Ministry has been giving awards to the meritorious children and Individuals/Institutions for the last several decades. Towards this end, the National Child Welfare Awards were being given since 1979 to individuals and institutions to recognise the contribution of dedicated individuals and institutions, whose tireless efforts complemented the actions taken by the Government of India for the

welfare of children. Further, National Awards were also being given since 1996 to recognise exceptional achievements of children in different fields namely innovation, scholastic achievements, social service, art and culture and sports.

4.36 Under the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, awards are given as recognition to children residing in India above the age of five years and not exceeding 18 years with exceptional abilities and outstanding achievement in fields of Bravery, Sports, Social Service, Science & Technology, Environment, Arts & Culture and Innovation, which deserves recognition. The awardees are felicitated and conferred medal and a certificate. For consideration of the awards, the achievement of the child should not be one-off but carried out over a period of time. The achievements should be indicative of child's passion in respective field and suggestive of a bright future in particular field.

4.37 From the year 2023 onwards, Ministry has started inviting the applications of the awards online on the new unified portal 'www.awards.gov.in' launched by Ministry of Home Affairs meant for all the awards given by the Central Government Ministries/Departments.



Gender Budgeting



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Gender Budgeting

5.1 Gender Budgeting is an approach to budgeting that integrates a gender perspective in all stages of the public finance management cycle. It is concerned with gender responsive formulation of legislation, policies, plans, programmes, schemes, resource allocation, implementation, tracking of expenditure, audit, and impact assessment. It is an important strategy towards achieving gender equality and women's empowerment by ensuring that government revenue and public expenditure meet differential gender needs.

5.2 Government of India has been implementing Gender Budgeting (GB) since the early 2000s. Over the years, Government has put in place various fiscal, regulatory, and structural policies and mechanisms for undertaking gender budgeting and gender mainstreaming. The Ministry of Women and Child Development (MWCD), as the nodal Ministry for GB, has emphasised that GB is not merely the earmarking of funds for women and girls but creating a positive impact in their lives and bridging gender gaps.

5.3 As part of Mission Shakti for empowerment of women, MWCD aims to achieve 100% coverage of GB in Central Ministries/Departments and States/Union Territories. Ministry's strategic focus is on:

i. Strengthening institutional mechanisms and processes to undertake gender budgeting at the Central and States/UTs level; and

ii. Developing internal and external capacities and building expertise across sectors to integrate the gender perspective in planning, budgeting and auditing.

5.4 The activities undertaken by the Ministry and the achievements thereon during the year 2023-24 are given below.

A: Institutional Mechanisms and Processes on Gender Budgeting

5.5 **Gender Budget Cells:** In 2004-05, Ministry of Finance, Government of India created an institutional mechanism for mainstreaming gender by mandating the setting up of Gender Budget Cells (GBCs) in all Ministries/Departments. These Gender Budget Cells are envisaged as focal points for mainstreaming gender through the tool of Gender Budgeting. On 8th March 2007, the Ministry of Finance issued a Charter mandating the formation of Gender Budget Cells and laid down guidelines for composition and functions of GBCs. As an institutional mechanism for gender mainstreaming, GBCs function with the objective of influencing and initiating a change in the Ministry/Department's policies and programmes in a way to promote gender equality and ensure that public resources through the Ministry budget are allocated and managed accordingly. As mandated, the GBCs should comprise senior and middle level officers from the Plan, Policy, Coordination, Budget and Accounts Division of the Ministry /Department and headed by an officer

not below the rank of Joint Secretary. The MWCD has been actively pursuing with the Ministries/Departments for setting up Gender Budget Cells in Central Ministries. In October 2021, MWCD sent D.O. Letters to all Ministries/Departments to strengthen and reconstitute GBCs, nominate nodal officials and strengthen reporting in the Gender Budget Statement. An advisory with roles and responsibilities for the nodal official for Gender Budgeting in each Ministry/Department was also issued for guidance. Currently, 62 Ministries/Departments have set up the Gender Budget Cells.

5.6 Budget Call Circular: The Budget Call Circular issued by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance every year provides an important mechanism to ensure that Ministries/Departments adequately plan and budget for schemes and programmes with a gender lens. The Budget Circular for FY 2024-25 issued by the Budget Division, DEA on 1st September 2023, *inter-alia*, included the following instructions on gender budgeting:

“13.4 Statement No. 13 “Gender Budgeting” in Expenditure Profile. Gender Budgeting

is a process of identifying and addressing gender specific barriers across all sectors of development. The process of budget planning and preparation provides a critical opportunity to identify, prioritize and address gender concerns in all Ministries/Developments. It may be noted here that each and every sector has an impact on the lives of women and girls, and therefore, it is felt that all programmes/schemes should have a gender component. Addressing gender issues may be possible through making existing programmes/schemes more gender sensitive or alternatively, this may require the formulation of a programme/scheme specifically for women and girls. Therefore, to accompany the budget submissions for the Financial Year 2024-25, all Ministries/Departments are required to prepare and submit a Gender Budget Statement (Statement 13 in Expenditure Profile) in the prescribed format (**Appendix-XVIII**). This Gender Budget Statement is to be prepared in two parts - Part A: reflecting schemes that are 100% targeted towards women and girls and Part B: reflecting programmes/schemes in which 30 to 99% of budgetary allocation benefit towards women and girls.”

EXPENDITURE PROFILE STATEMENT NO.13			
APPENDIX XVIII (See Paragraph 13.4)			
FORMAT FOR FURNISHING INFORMATION ON 'GENDER BUDGETING'			
(i) 100% provision towards women			
Demand No :	Name of the Ministry/Department:		
	(₹ in crore)		
Details of Scheme	BE 23-24	RE 23-24	BE 24-25
(ii) Pro-women (at least 30% of provision)			
Demand No:	Name of the Ministry/Department:		
	(₹ in crore)		
Details of Scheme	BE 23-24	RE 23-24	BE 24-25
Note: Two separate statements in the format prescribed above may be furnished			

5.7 Gender Budget Statement – Tracking allocations for women and girls: The Gender Budget Statement (GBS) is published annually along with the Union Budget since 2005-06. It is a reporting mechanism for Ministries/Departments to review their programmes from a gender perspective and present information on allocations for women and girls. In the interim budget for FY 2024-25, a total of 38 Central Ministries/Departments and 5 UTs have reported an amount of Rs. 3.09 lakh crore in the Statement 13 of the Expenditure Profile, i.e. Gender Budget Statement as compared to Rs. 2.23 lakh crore by the same number of Ministries/Departments and UTs during FY 2023-24. A total of 22 Ministries/Departments and 5 UTs reported in Part A (100% women specific schemes) and 31 Ministries/Departments and 4 UTs reported in Part B (30-99% budgetary allocation for women). Ministry of Power and Ministry of Civil Aviation reported for the first time in the GBS 2024-25. The quantum of budget estimate as reported in GBS 2024-25 is an increase of 38.60% over the budget estimate of GBS for FY 2023-24. The share of Gender Budget in the total Union Budget increased to 6.5% in 2024-25 from 5% in 2023-24.

The MWCD reported an allocation of Rs. 20,511.28 crore for women and girls in the Interim Budget for 2024-25, which is approximately 78.61 per cent of its total budget estimate of Rs. 26,092.19 crore. This, inter-alia, included gender budget allocation of (a) Rs. 16,350.98 crore under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0; (b) Rs. 3,145.96 crore under Mission Shakti; and (c) Rs. 883.30 crore under Mission Vatsalya.

5.8 Gender Aware Policy Appraisal through EFC/PIB Memorandum: In April 2014, the Expenditure Finance Committee (EFC) document included a gender perspective at

the planning stage for all new programmes, projects and schemes. Section 3 of the EFC format specifically mentions – ‘*If the scheme has any gender balance aspects or components specifically directed at welfare of women please bring them out clearly*’. The Ministry has been regularly providing inputs for EFC proposals on schemes/policies/programmes to make them more gender responsive.

5.9 Gender-sensitive Checklists/ Guidelines for Gender Budgeting: The Ministry has developed tools for implementing GB. These include specific guidelines in the form of Checklists I (beneficiary-oriented programmes that target women) and Checklist II (mainstream sectors and programmes), gender appraisal of schemes and policies based on Five Step Framework, and spatial mapping. These guidelines taking help in reviewing public expenditure from a gender perspective to enable gap identification and taking measures to enhance gender responsiveness of schemes and budgets.

B: Capacity Building on Gender Budgeting

5.10 As mentioned earlier, the key focus area of the Ministry is to continue strengthening capacities and building expertise on GB of key officials at the National, State and District Level. The following efforts were made during the year:

5.11 Implementation of the Gender Budgeting Scheme: The Ministry has been implementing a Gender Budgeting Scheme since 2007-08 with an objective of building capacity of the government officers at the central, state and district level to undertake gender budgeting. Under the scheme, grant-in-aid in the form of 100% financial assistance is given to government departments, national and state training institutes/organizations

to conduct training and workshops on gender budgeting. Gender Budgeting Scheme along with Research, Publication & Monitoring Scheme has been included under the Samarthya component of Mission Shakti. A detailed Standard Operation Procedure (SOP) for the Gender Budgeting Scheme by revising the extant guidelines for seeking grant-in-aid to organize training/workshop was published in March 2023. Under the GB Scheme, a total of 32 implementing agencies (including 9 Central Govt. funded National/Regional level Training Institutes, 9 Dept. of WCD/ Social Welfare, State Governments, 6 State Govt. Training Institutes and 8 Universities/ Colleges) were given approval for conducting training/workshops on gender budgeting during 2023-24. An amount of Rs. 1.27 crore was released to 27 agencies during the year.

5.12 National-level training for the Central Ministries/Departments: A national-level training programme on Gender Budgeting for the Nodal Officers of over 40 Ministries/ Departments to build their capacities on Gender Budgeting was conducted in collaboration with UN Women in two batches during 16-17 November 2023 and 21-22 November 2023 at New Delhi under the project titled 'Strengthening Gender Responsive Planning and Budgeting'. A total of about 70 officers participated in the training programmes. The objective of the training programme was to enhance the understanding of central government officials on gender budgeting and encourage the officers to take forward the learnings on GB.



State level workshop on “Gender Budgeting under the Mission Shakti” for Municipal Functionaries and MEPMA officials and Elected representatives of ULBs in Telangana organized at Regional Centre for Urban and Environmental Studies, Osmania University (RCUES-OU), Hyderabad 27-28 February 2024



National level training programme on Gender Budgeting for central Ministries/Departments held on 16-17 November and 21-22 November 2023

5.13 **Regional training for 6 Project States:** In collaboration with UN Women, a 2-day regional training programme on gender budgeting was organised for the officers of six States on 21-22 March 2024 in Gurgaon, Haryana under the project 'Strengthening Gender Responsive Planning and Budgeting'. A total of 24 officials from the six States participated in the training

programme. The objective of the training programme was to strengthen understanding, knowledge, and analytical skills of the State government officials on gender integration into policy making and budget cycle and to encourage key champions to implement Gender Budgeting at the state level.



2-day Training of State Govt Officials of six Project States on Gender Budgeting: 21-22 March 2024

5.14 **Collaboration with Indian Institutes of Management (IIMs) on Capacity Building Programme on Gender Budgeting for Senior Officers of Government of India and States/UTs:**

As part of the Ministry's ongoing efforts to strengthen Gender Budgeting processes at the national/state levels, the Ministry has approached the select Indian Institutes of Management (IIMs) (IIM-Ahmedabad, IIM-B'lore, IIM-Indore, IIM-Kolkata, IIM-Kozikode, IIM-Lucknow) for possible collaboration to undertake periodic capacity building programmes on Gender Budgeting for the Senior Officers of the Government of India as well as the States and Union Territories. Based on the initial response, consultations were first held with IIM-Ahmedabad for developing customised training programme on gender budgeting.

C: Support to strengthen the Gender Budgeting Processes at the central level

5.15 Gender Analysis of the Schemes of select Ministries/Departments: Recognizing the fact that there is larger potential to enhance reporting of allocations in the GBS by many Ministries/Departments, the Ministry undertook gender budget analysis of various schemes of 43 Ministries/Departments that have either not reported any allocation in the GBS 2023-24 or reporting less than 5% of the total allocations, with technical support of UN Women for improved and better reporting in the GBS for FY 2024-25. Preliminary reports of Gender Budget Analysis were shared with respective Ministries/Departments during October- November 2023 that *inter-alia* included scheme-wise analysis with focus on reporting of allocation in the GBS.

5.16 **Meeting with select Central Ministries/ Departments to review and discuss steps to strengthen reporting in the Gender Budget Statement in FY 2024-25:**

The Ministry convened meetings with select 34 Central Ministries/Departments in two batches on 23rd November and 6th December 2023 under the Chairpersonship of Secretary, MWCD to review and discuss the gender budget analysis and take further necessary steps to strengthen reporting in the Gender Budget Statement in FY 2024-25. During the meeting, Secretary (WCD) expressed concern that the Government's efforts on enhancing the gender equality and women empowerment through increased budgetary support under various schemes are not adequately reflected because of under-reporting of allocations in the GBS by many Ministries/Departments. He called upon the participating Ministries/Departments to undertake a close review of their schemes with a gender lens, and ensure reporting allocations in the GBS for FY 2024-25. During the meetings, several Ministries/Departments conveyed that the existing GBS format limits reporting of their schemes having less than 30% allocations of the total budget.



Shri Indevan Pandey, Secretary (WCD) chairing the review meeting with 19 select central Ministries/ Departments on 23rd November 2023



Shri Indevar Pandey, Secretary (WCD) chairing the review meeting with 15 select central Ministries/ Departments on 6th December 2023

5.17 Following the above, Secretary, MWCD vide D.O. letter no. 22/2/2022-Gender Budgeting dated 1st January 2024 wrote to Secretaries of select 43 Ministries/ Departments urging them to take necessary actions to improve reporting of allocations in the GBS for FY 2024-25 which will reflect better picture of the Government's commitment towards gender equality and women empowerment in the country.

5.18 **Hand-holding support to Ministries/ Departments:** The MWCD-UN Women Team visited several Ministries/Departments to provide hand-holding support to prepare the GBS for FY 2024-25. Due to all these efforts, the gender budget allocation in FY 2024-25 has been all time high since inception viz., 6.5% of the total budget.

D: State/UT Initiatives on Gender Budgeting

5.19 The Ministry has made consistent efforts to support the institutionalization of GB at the State/UT level. Till date, 26 States and 7 UTs have undertaken GB initiatives to address gender gaps. The level of institutionalization in each State/UT is varied and a range of GB mechanisms and processes

have been implemented. These include the identification of a nodal Department and official for GB, constitution of Gender Budget Cells, developing State GB Action Plans, publishing a Gender Budget Statement in the State Budget, designating a nodal training institute, capacity building trainings, conducting gender audit/performance audits etc. For FY 2024-25, a total of 11 States have published Gender Budget Statements as per the available information. Goa has published their 1st gender budget statement for FY 2024-25. A total of 21 States have designated nodal training institutes for capacity building on GB.

E: Technical Assistance to Strengthen Gender Budgeting at the central and State levels

I. **'Advancing Gender Budgeting in Select States in India' (TA 9735)** with the Asian Development Bank (ADB) and Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific (JFPR)

5.20 To strengthen GB in the States, a Technical Assistance (TA) Project on 'Advancing Gender Budgeting in Select States in India' with the Asian Development Bank (ADB) and Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific (JFPR) was initiated during 2020-21. The project covered four states, viz., Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, and Manipur with an aim to enhance institutional capacities in gender budgeting and gender mainstreaming of the state departments. In the four select states, the project has focused on strengthening GB mechanisms; enhancing the capacity on GB of government stakeholders; developing customized knowledge products and training modules; and developing an e-governance tool on gender budgeting. UN Women has

been the implementing agency under the TA Project.

5.21 The TA became effective on 4 October 2019 with an original completion date of 31 May 2021. However, due to initial delays in TA implementation owing to outbreak of COVID-19 pandemic the TA completion date was extended to 31 May 2023 which was further extended up to 31 January 2024 to complete few additional activities viz., (i) publication of the State scoping study and State action plans on gender budgeting; (ii) support to G20, more specifically activities of the W20 – the official G20 engagement group focused on gender equality, through the organization of a side event on Gender Budgeting; and (iii) preparation of concept paper for the proposed second phase of the TA.

5.22 As part of the TA, the content and design for a 'Gender Budgeting Dashboard' has been developed. It will be a one-stop information portal for GB and act as a self-learning web tool for government representatives and non-government stakeholders. A 'Gender Indicator Mapping Tool' (GIMT) has also been developed which is a web tool to map select gender indicators in aspirational districts across 26 States to inform policies and decision-making.

II: 'Strengthening Gender-Responsive Planning and Budgeting' with UN Women and Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)

5.23 A project titled '*Strengthening Gender-Responsive Planning and Budgeting*' has been initiated in collaboration with UN Women India

funded by Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). The project became effective in April 2023 and was extended up to 30 April 2024. The project has two key outputs viz. *Output 1: Action plans for Gender Budgeting and/or strengthening Gender Budget Statement for identified 30 central Ministries/Departments and 6 select States viz. Assam, Chhattisgarh, Haryana, Goa, Tamil Nadu and Uttarakhand* and *Output 2: Build capacity of institutional setups on monitoring and evaluating the investments in Gender.*

5.24 Under the project, five consultants/technical coordinators have been placed by UN Women in the Gender Budgeting Division of the Ministry, and one State Technical Coordinator in each of the six project States to work with the Nodal Department on Gender Budgeting.

5.25 *Inception Meeting with Central Ministries/Departments:* An inception meeting was organized with select Central Ministries/Departments, under the chairpersonship of the Statistical Advisor, MWCD; and in the presence of the Country Representative, UN Women and Country Director, BMGF India on 18 July 2023 in New Delhi. The meeting aimed to discuss the project implementation – activities planned, project outputs, and the overall outcome to be achieved. Another key objective was to understand the specific needs of the Ministries/Departments for strengthening and institutionalizing gender budgeting. A total of 70 officials from 45 Central Ministries/Departments participated in the meeting.



Shri Dhrijesh Kumar Tiwari, Statistical Adviser, MWCD addressing the participants from 48 Central Ministries/Department during the Inception meeting held on 18th July 2023

5.26 *Inception meeting with 6 States:* An Inception Meeting with the nodal departments of Women and Child Development, Planning/ Finance was organized with six States viz. Assam, Chhattisgarh, Goa, Haryana, Maharashtra, and Uttarakhand under the chairpersonship of Secretary, MWCD on 26th September 2023 in New Delhi. The aim of the meeting was (i) to share the project implementation plan to strengthen Gender Budgeting in the respective States, and also (ii) to share the current GB practices by the States.



Shri Indeevar Pandey, Secretary, MWCD addressing the participants from six States during the Inception meeting held on 26th September 2023

F: Participation in National and International Programmes on Gender Budgeting

I: *Conference on “Engendering Land Ports in India”*; 9 January 2024; New Delhi

5.27 The Land Ports Authority of India, Ministry of Home Affairs organized a one day Conference on “Engendering Land Ports in India” held in New Delhi on 9th January 2024 with the aim to bring together policymakers, academicians, and industry representatives to reflect on the importance of the subject and the measures that can be undertaken to ensure that Land Ports are safe, equitable and inclusive for women. Shri Dhrijesh Kumar Tiwari, Statistical Adviser, MWCD was invited as Chief Guest at the Conference to release a study report titled ‘Engendering Land Ports in India: Gender Assessment and Audit of Select Integrated Check Post (ICPS)’ along with Gender Audit Toolkit for ICPS.



II: *European Conference on ‘Gender Budgeting: Achievements, Challenges, Ways Forward’*, 22-24 February 2024, Cyprus

5.28 The Ministry was invited to participate online in the European Conference on ‘Gender Budgeting: Achievements, Challenges, Ways

Forward' organized by the Cyprus Gender Budgeting Platform, in Nicosia, Cyprus, on 22-24 February 2024, under the Auspices of the President of the Cyprus Republic to share some of the best practices and the efforts that India is undertaking to promote gender budgeting. The aims of the Conference were (i) to give the opportunity to EU-countries and other European countries to present the challenges and achievements in relation to gender budgeting in their country, (ii) to contribute towards the exchange of information and experiences between the participants; (iii) to discuss the methodologies used and how they can be improved. Shri Dhrijesh Kumar Tiwari, Statistical Adviser, MWCD joined the Conference through video conference on 23 February 2024 and made a presentation on 'Gender Budgeting in India' by delineating Govt. of India's efforts and commitment to promote gender equality and women empowerment (GEWE).

III: National Level Workshop on Gender Responsive Budgeting, 18-19 March 2024, New Delhi

5.29 Arun Jaitley National Institute of Financial Management (AJNIFM) (An Autonomous Institute of Ministry of Finance, Government of India) organized a 2-day national workshop on Gender Budgeting at IIC, New Delhi on 18-19 March 2024 for the officers of the central Ministries/Departments with the objective of building their capacities to enhance the effectiveness of Gender

Responsive Budgeting. Shri Dhrijesh Kumar Tiwari, Statistical Adviser, MWCD addressed the participants on 18th March 2024 and apprised them about the Ministry's multiple efforts to strengthen gender budgeting for gender equality and women-led development. The workshop was sponsored by the Ministry under the Gender Budget Scheme.

G: OTHER ACTIVITIES – SUBMISSION OF REPORTS TO MINISTRY OF FINANCE

5.30 A Broad-Based Committee for Gender Analysis and Budgeting was constituted by the Ministry on 11 November 2019 following the Hon'ble Finance Minister's Budget Speech 2019-20 (Para 78). The report of the Committee titled '**Enhancing Gender Responsiveness of Plans and Budget**' was finalized and submitted to Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on 1st May 2023.

5.31 In November 2022, the Ministry constituted a Working Group of GB experts to review the format and methodology of the GBS and suggest measures to strengthen it. under the chairpersonship of Ms. Dakshita Das, IRAS (Retd.), Former Additional Secretary, Ministry of Finance and with other Gender Budget Experts as Members of Group. The Report of the Working Group was submitted to Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on 16th August 2023 for their consideration of its recommendations w.r.t the proposed revisions in the GBS format and in the Budget Circular so as to make them effective from the FY 2024-25.



Statistics and Research



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Statistics and Research

6.1 The Ministry of Women and Child Development, with an aim to achieve holistic development of women and children, formulates various schemes/programmes to ensure that they have a positive impact on various social, cultural and economic aspects of women and children. To ascertain that the schemes/programmes are better implemented and to assess the need for further improvement, monitoring and evaluation is required at regular intervals. An efficient statistical system, hence, needs to be put well in place. Also, for proper planning and implementation of schemes and policies and various other initiatives of the Ministry, it is necessary that credible data and quality information is compiled that can be fed into statistical system.

6.2 To realize the attainment of goals set forth under its mandate, the Ministry emphasizes on situational analysis as well as research of its ongoing programmes through its 'Research, Publication and Monitoring Scheme'. The feedback that such analysis provides is a valuable input for taking corrective measures in respect of the existing schemes.

6.3 Along with the formulation of core policies and schemes for welfare and advancement of women and children, programme implementation is a crucial

aspect that requires a huge and multi-layered bureaucratic setup at Centre and State levels. Hence, possibilities of public grievances related to implementation of schemes at the ground level cannot be ignored.

6.4 The Ministry has taken these possibilities into its consideration and has set-up grievance redressal mechanism for speeding up of the developmental process at the grassroots. Proper knowledge of the grievances can be helpful to take some corrective measures to fine-tune the implementation of the schemes/programmes.

6.5 The Statistics Bureau of the Ministry, therefore, has been entrusted to look after the collection and compilation of statistics, to sponsor meaningful research in the fields of welfare and development of women and children and to handle the mechanism of redressal of public grievances and complaints.

6.6 Statistics Bureau also coordinates with stakeholders for Sustainable Development Goals related to this Ministry. This Bureau has also been entrusted with the responsibility of monitoring and improving India's performance on three Global Indices namely, Global Gender Gap Index (GGGI), Gender Inequality Index (GII) and Global Hunger Index (GHI). In this endeavor a Project Management Unit (PMU) has been established in the Ministry. To achieve the frontier score in Data

Governance Quality Index (DGQI) for this Ministry, this Bureau implements DGQI Action Plan in coordination with all the Divisions of this Ministry. For this purpose, a dedicated Data Strategy Unit (DSU) has been on boarded in the Ministry.

I. Grant-in-Aid for Research, Publication and Monitoring Scheme

6.7 The Grant-in-Aid for Research, Publication and Monitoring Scheme is one of the important Schemes of the Ministry of Women and Child Development through which the Ministry sponsors projects on issues concerning women and children, their welfare and development including food and nutrition aspects. Priority within these broad areas is given to research projects of applied nature keeping in consideration the plans, policies and programmes, and social problems requiring urgent public intervention for bridging information gaps. Research on various issues of women and children is essential to understand the multifaceted factors responsible for success of an initiative or the challenges faced by the Ministry at the ground level.

6.8 Under this Scheme, research grants are given to an institution or a group of institutions for carrying out a specific research project with one or more scholars closely associated therewith. The institutions, viz, universities, research institutes, voluntary organizations, professional associations in the field of women and child development and similar organizations/agencies that have the capacity to do research thereon, may be entrusted to undertake the same. Institutions set up and fully funded by Central Government/State Governments/Public Sector Undertakings

are also eligible for the same. The voluntary organization should have three years of experience after registration to be eligible for the grant. Proposal for grants is submitted in adherence to the research guidelines laid down by the Ministry.

II. Global Indices

6.9 Statistics Bureau has been entrusted with the responsibility of monitoring and improving India's performance on three Global Indices namely, Global Gender Gap Index (GGGI), Gender Inequality Index (GII) and Global Hunger Index (GHI). To implement Government's initiative to leverage Global Indices as tools for reforms and growths, this Ministry being nodal for tracking and improving India's performance in GGGI, GII & GHI, has undertaken formulation of indigenized indices, identifying existing data gaps for parameters of these indices, identifying reform areas and reform actions, preparing action plan, coordinating with line Ministries/Departments of Central and States/UTs, engaging with the publishing agencies for technical support and assistance.

6.10 To improve India's status in these indices, the Ministry has adopted two-pronged strategy. Firstly, monitoring India's global position, i.e., ranking across the above-mentioned indices with engagement of Publishing Agency of Global Indices, and data source agencies of constituent parameters to ensure factually correct and updated Indian data value is used in computation of index score. And the second is the identification of suitable reforms in consultation with stakeholders to improve the status of the respective parameters. The Ministry of Women & Child Development has constituted

Gender Index Coordination Committee (GICC) to coordinate with Ministries/Departments of Centre and States/UTs to identify and implement reforms to improve achievements on various indicators of the Global Indices.

III. Internship Programme

6.11 Statistics Bureau is conducting an Internship Programme for women students, scholars, social activists and teachers in the age group of 21 to 40 years from non-tier-I cities and rural parts of India with an objective to involve them in research and related activities for various schemes of the Ministry. The Internship Programme is available for the duration of two months throughout the year.

6.12 The revised guidelines of Internship Programme were released in April 2023. Interns gain exposure to the policies and programmes of the Ministry through short-term associations, including the possibility of undertaking pilot projects or micro-studies focused on the Ministry's ongoing activities. The goal is to equip interns with a comprehensive understanding of the Ministry's mandate, specific programmes, and policy analysis, empowering them to advocate for women and children's issues on various platforms.

6.13 Each intern is provided a lump sum stipend of Rs. 20,000/- per month, reimbursement of travel cost for joining of the Programme in the Ministry and return back to home at the end of the Programme and triple sharing hostel facility.

IV. Public Grievances

6.14 The Grievance redressal mechanism is a part and parcel of an accountability

machinery of any administration. Government of India attaches top priority to the Public Grievances (PGs) and their timely redressal. To make the Ministry responsive and friendly to people, an effective grievance redressal mechanism has been established in the Ministry. Public Grievances and the appeals thereon received in the Ministry are attended and responded on top priority. An Additional Secretary/Joint Secretary level officer has been designated as the Nodal Appellate Authority for disposing of the public grievance appeals. A Director/Deputy Secretary level officer of the Ministry has been designated as Nodal Public Grievance Officer. For an effective grievance redressal mechanism in the Ministry, all Bureau Heads have been designated as Sub-Appellate Authority for disposal of the PG appeals. Officers at the level of Director/Deputy Secretary in each of the Divisions/Sections and in the attached/subordinate offices have been nominated as Grievance Redressal Officer (GRO) for disposal of the public grievances in respect to their Divisions/Offices.

6.15 The status of disposal of public grievances is monitored on weekly basis by Secretary (WCD) in the Senior Officers' Meeting.

A. Public Grievances – Online Mode

6.16 At present, following mechanism for handling public grievances concerning the Ministry received from the PG Portal <https://pgportal.gov.in/cpgoffice/> of Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DAPRG) (i) directly from the public, or forwarded from (ii) Prime Minister's Office, (iii) President's Secretariat and (iv) DAPRG is being followed:

- i On daily basis, Public Grievance Officer accesses the National Portal, sorts out the grievances relating to different Bureaus/Divisions of the Ministry or Sub-Ordinate Organizations and forwards them to the respective GROs for necessary action.
- ii Acknowledgments are sent to those applicants who do not have the e-mail address or mobile number. A few applicants are also advised to contact the concerned Central Ministry/ Department/Agency where the subject matters of the grievances pertain.
- iii In respect of the PG appeals, they are forwarded to the concerned Sub-Appellate Authority for disposal.
- iv Records of the action taken report furnished by the concerned GROs in the Ministry are maintained.

B. Implementation of CPGRAMS Version 7.0

6.17 In May 2022, DARPG launched CPGRAMS Reforms version 7.0 to streamline grievance redressal mechanism and to reach the rightful redressal office (automated), surpassing the line offices. The CPGRAMS Reforms envisaged ensuring user friendly lodging of grievance by a citizen and enables navigation of the grievance to reach the field office responsible for resolution of the same. The broader salient features of the CPGRAMS Reforms version 7.0 are that it is citizen friendly as there is a questionnaire guided registration process. Besides, there is a provision of lodging a grievance which will be automatically forwarded to field level directly. The system will also improve grievance redressal time

and lodging of grievance is done through drop down menus. The Ministry of Women and Child Development has implemented CPGRAMS version 7.0 and operationalized successfully in the month of July, 2022. Secretary, DARPG has duly appreciated the efforts of the Ministry in this regard.

6.18 As per the advice of DARPG, the Ministry has nominated a Joint Secretary level officer as the Nodal Appellate Authority during April 2023 for public grievances in compliance with recommendation No. 38 made by the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice in its One Hundredth Report on Demand for Grant (2020-21) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. During May 2023, login IDs were created for all 37 Sub-Appellate Authorities for disposal of the PG appeals.

C. Status of Disposal of PGs and PG Appeals during 1st January 2023 to 31st March 2024

6.19 The Ministry has been efficiently disposing of the grievances and the PG appeals. The overall percentage of disposal of PGs as per CPGRAMS Monitoring Desk was 95.53% for the period January 2023 to March 2024. The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) acknowledged the efforts of the Ministry in redressing the public grievances in an efficient manner.

6.20 The progress report of grievances received and disposed of from various sources during 1st January 2023 to 31st March 2024 is given in the following table:

Grievance received from (Source)	Brought forward	Receipt during the period	Total receipts	Total cases disposed of during the period	% of disposal
Directly from the public (Local/Internet)	193	5795	5988	5737	95.81%
PMO	42	2153	2195	2102	95.76%
DAPRG	2	69	71	69	97.18%
President's Secretariat	8	143	151	121	80.13%
Pension	3	23	26	25	96.15%
TOTAL	248	8183	8431	8054	95.53%

6.21 The progress report of PG Appeals received and disposed of during 1st January 2023 to 31st March 2024 is given in the following table:

Brought forward	Receipt during the period	Total receipts	Total cases disposed of during the period	% of disposal
866	1750	2616	2502	95.64%

V. Sustainable Development Goals

6.22 The issue of gender equality has taken a center stage in the agenda for the development of our country. This is reflected through the set of goals and targets of Sustainable Development Goals, officially known as 'Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development' which came into effect from 1st January 2016. It consists of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 associated targets which are spread over the areas of social, economic and environmental dimensions of

development. The Ministry of Women and Child Development is concerned with the SDGs in respect of empowerment of women and development of children.

6.23 The NITI Aayog has been entrusted with the responsibility of national targets and assigning them to Ministries/Departments concerned for implementation. To monitor the SDG and its associated targets, a National Indicator Framework (NIF) comprising 306 indicators has been developed by Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) in consultation with other Central Ministry/Departments, States and other stakeholders such as UN Agencies and Civil Society. In this regard, the Ministry of Women and Child Development is concerned with the National Indicators on SDG-1 'End Poverty in all its form everywhere', SDG-2 'to end hunger and all forms of malnutrition, and double agricultural productivity in the next 15 years' and SDG-5 'Achieve Gender equality and empower all women and girls'.

6.24 The Ministry is the data source Ministry for the following indicators of the National Indicator Framework:

Target	Indicator
Goal 1: End poverty in all its forms everywhere.	
1.3: Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable.	1.3.2: Number of Beneficiaries under Integrated Child Development Scheme (ICDS).
	1.3.5: Proportion of the population (out of total eligible population) receiving social protection benefits under Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana (PMMVY) .
1.b: Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions.	1.b.1: Proportion of budget earmarked under gender budget.
Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls	
5.1: End all forms of discrimination against all women and girls everywhere	5.1.1: Whether or not legal framework are in place to promote, enforce and monitor equality and non-discrimination on the basis of sex (in percentage).
5.c: Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels	5.c.1: Number of Central Ministries and States having Gender Budget Cells (GBCs).



National Institute of Public Cooperation and Child Development



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

National Institute of Public Cooperation and Child Development

7.1 The National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD), popularly known as NIPCCD, is a premier organization devoted to promotion of voluntary action, research, training and documentation in the overall domain of women and child development. NIPCCD was established in the year 1966, in New Delhi, as an autonomous Institution under the Societies Registration Act of 1860, and functions under the aegis of the Ministry of Women and Child Development, Government of India. It has its Headquarters in New Delhi and five Regional Centres at Guwahati (1978), Bengaluru (1980), Lucknow (1982), Indore (2001), and Mohali (2019) to cater to region-specific requirements.

7.2 The Institute focuses on essential and need-based programmes for holistic development of children and their protection, and for creating awareness regarding women's empowerment and gender issues, especially women's rights— political, social and economic. The current thrust areas of the Institute relating to child development are maternal and child health and nutrition, early childhood care and education, childhood disabilities, positive mental health in children and child care support services. The activities of the Institute in the area of women

development are geared to support national policies and programmes for women's empowerment through training, research and documentation. The Institute is also focusing on gender planning and mainstreaming, gender budgeting, economic and political empowerment of women, prevention of sexual harassment at work place, prevention of gender-related violence such as female foeticide, female infanticide, trafficking of women and children, child marriage, etc.

7.3 The objectives of the Institute are to:

- i. develop and promote voluntary action in social development;
- ii. take a comprehensive view of child development and to develop and promote programmes in pursuance of the National Policy for Children;
- iii. develop measures for coordination of governmental action as well as voluntary action in social development; and
- iv. evolve a framework and perspective for organizing children's programmes through governmental and voluntary efforts.

7.4 The vision of NIPCCD is to be seen as an Institute of global repute in child rights,

child protection, and child development by developing partnerships and linkages with National and International agencies and making its training and research activities relevant to the needs of its varying stakeholders.

7.5 The Institute has two main constitutional bodies, namely, the General Body and the Executive Council. While the General Body is responsible for formulating overall policies of the Institute, the Executive Council is responsible for management and administration of the Institute. Both these bodies have representation of government and voluntary organizations. The Union Minister for Women and Child Development is the President of the General Body and Chairperson of the Executive Council.

7.6 There are two Departments, each headed by an Additional Director, under which six divisions are functioning:

A. Department of Mother Care and Child Development

- i. Child Development
- ii. Public Cooperation and Child Protection
- iii. Women's Development

B. Department of Training and Common Services

- i. Training
- ii. Monitoring and Evaluation
- iii. Common Services

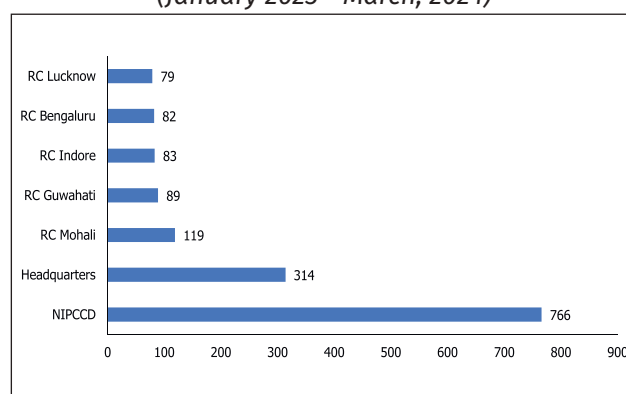
I. Activities of the Institute

A. Training Programme

7.7 The Institute places a significant

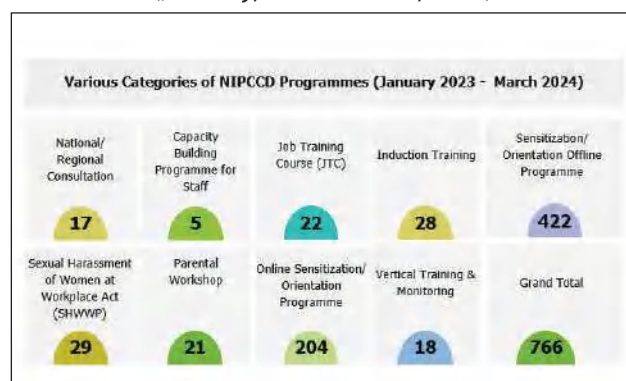
emphasis on training as a core activity, aligning its programmes with major schemes of the Ministry. These schemes fall under three overarching categories: Mission Poshan 2.0, Mission Vatsalya, and Mission Shakti, ensuring efficient implementation. In the period from January 2023 to March 2024, NIPCCD orchestrated a total of 766 training programmes (both online and offline mode), as depicted in Figure 1.

Figure 1: Programmes organized by NIPCCD (January 2023 - March, 2024)



7.8 The Training programmes encompassed: Job Training Course, Induction Training, Vertical Training Programmes, Orientation/Sensitization Courses and Skill Training Programmes, Workshops, and Consultation/Review Meets (Figure 2).

Figure 2: Various Categories of NIPCCD Programmes (January, 2023 - March, 2024)



The scope of coverage extended to various schemes and programmes of the Ministry

of Women and Child Development (MWCD), addressing contemporary, need-based themes.

7.9 Impressively, a total of 32476 participants attended 766 Training Programmes from January 2023 - March, 2024. Among these programmes, a substantial 19% (149 programmes) were dedicated to enhancing the capacity of Anganwadi Services Scheme functionaries under Umbrella ICDS. **Child Protection Services** vis-à-vis **Mission Vatsalya** emerged as another crucial area with 22% (169 programmes) of the initiatives aimed at addressing issues related to safeguarding children. Additionally, the Institute dedicated 13% (104 programmes) of its efforts to programmes concerning **Women's Development**, recognizing the pivotal role that women play in societal progress. Furthermore, NIPCCD organized 18% (140 programmes) to address issues related to **Child Development**, encompassing mental health concerns among children (Figure 3).

7.10 This multifaceted approach underscores the Institute's commitment to a comprehensive strategy, covering aspects crucial for the holistic development of both children and the community at large. The distribution of programmes reflects a balanced and inclusive agenda, aligning with the broader objectives of promoting social welfare and well-being.

Figure 3: Theme-wise Programmes organized by NIPCCD (January, 2023 - March, 2024)



B. Major Achievements under Early Childhood Care & Education (ECCE)

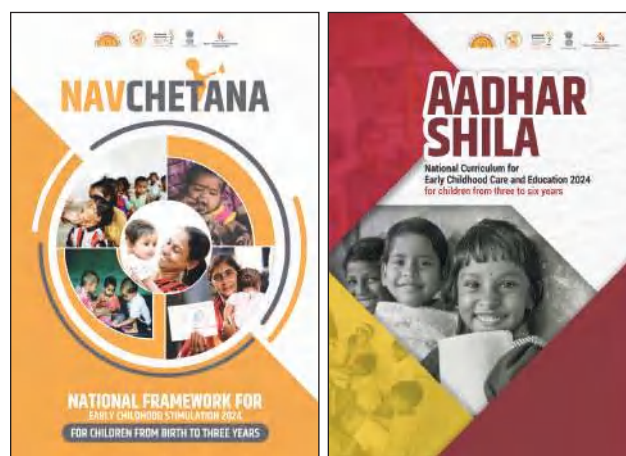
i. **Formulation of “Navchetana- National Framework for Early Childhood Stimulation for Children from Birth to Three Years, 2024” and “Aadhaarshila- National Curriculum for Early Childhood Care and Education for Children from Three to Six Years 2024”.**

7.11 The role of India's 14 lakh Anganwadi Workers and Helpers in reaching more than 8 crore children nation-wide is invaluable. To empower the dedicated Anganwadi Didis and ensure optimal learning for all children, the Ministry recognises the need for a contextual curriculum grounded in the latest science of early learning. In this endeavour, the Ministry of Women and Child Development has launched the “Navchetana - National Framework for Early Childhood Stimulation for Children from Birth to Three Years, 2024” and “Aadhaarshila- National Curriculum for Early Childhood Care and Education for Children from Three to Six Years 2024”.

ii. **Navchetana** aims to help children from birth to three years develop holistically, based on the principles of serve and return, caregivers' three acts: love, talk, play, and positive guidance. Special focus has been given for the screening, inclusion and referrals of Divyang children. The Framework provides a stepping stone for children for their long term development, aiming to ensure that all children start their learning journeys on an equal footing. For the first time, it outlines almost 140 activities to be undertaken based on the age of the child in months, to facilitate socio-

emotional, cognitive, language and motor development. Thus, it aims to empower Anganwadi functionaries, the world's largest public women-led childcare workforce, with greater knowledge and capabilities for early childhood stimulation.

- iii. **Aadhaarshila** is driven by the pressing need for a contextual curriculum that specifically offers Anganwadi educators a guide grounded in Indian and international ECCE research. It aims to improve the quality of early childhood education transacted at the Anganwadi Centre, by prioritising competency-based lesson plans and almost 150 activities, covering all learning domains. It covers how children learn, including approaches for early language, literacy and numeracy, promoting social, emotional and ethical development, as well as positive learning habits. It focuses on unlocking playful learning through a mix of activities including in-centre and at-home, indoor and outdoor, child-led and educator-led activities etc. Special focus has been given for the screening, inclusion and referrals of Divyang children in every activity.



- iv. **Training and Capacity Building under Poshan Bhi Padhai Bhi (PBPB):** The Union Minister for Women and Child Development, Smt. Smriti Zubin Irani, on May 10, 2023, inaugurated “Poshan Bhi Padhai Bhi”, the flagship programme of the Ministry. PBPB is a path-breaking ECCE programme designed to help India develop the world's largest, universal, high-quality pre-school network at Anganwadi Centers (AWCs), in alignment with the new National Education Policy (NEP) 2020. Under the programme, steps have been taken to bolster early childhood care and education and good nutrition practices through development and use of ‘Do-It-Yourself’ (DIY) and locally available toys for learning at AWCs.



7.12 A two-tier implementation model is being followed wherein NIPCCD will be training 40618 Master trainers comprising CDPOs, Supervisors and Additional Resource Persons. In the second-tier, these master trainers would be imparting training to **13.1 Lakh Anganwadi Workers in a three-day module** across the country through play-based pedagogy covering both nutrition and early childhood education. Poshan Bhi Padhai Bhi includes activities around the right to inclusion and also addresses the recently launched Anganwadi Protocol for Divyang Children in November 2023. As per the protocol, the training also covers the three steps of screening, inclusion, and referral, as well as the roles of different functionaries (DMS, DPOs, CDPOs, Supervisors, and community members) in operationalizing the protocol. Similarly, the recently released Protocol for Community Management of Malnutrition (CMAM) has been duly incorporated in the

PBPB Programme. Capacity-building under PBPB will help facilitate implementation of Aadhaarshila and Navchetana at the Anganwadi Centre level through dissemination of Stimulation Activity Calendar (0-3 years), Activity Calendar (3-6 years) and Weekly Play Based Calendar for 3-6 years (4 Weeks of Initiation + 36 Weeks of Active Learning+ 8 Weeks of Reinforcement).

7.13 PBPB has been piloted across 10 Utkarsh Districts in the country to test the training content and implementation model. Since its launch, an impressive number of 100 State Level Master Trainers Programme (Figure 3) including those for pilot Utkarsh Districts have been organised on PBPB, which constitute 24% of the total Programmes conducted by NIPCCD so far. Training has been initiated across 186 Districts from 32 States with total participation from 6604 Functionaries under Anganwadi Services Schemes (data as on 31st March, 2024).

Table 1: Glimpses of Pilot training at 10 Utkarsh Districts on PBPB



7.14 NIPCCD organized its **First Anganwadi Workers Training Programme** on Poshan Bhi Padhai Bhi from 18-20 December, 2023 in New Delhi with a total participation of 82 Functionaries from Anganwadi Services Scheme. The Training programme highlighted the importance of ECCE and the Anganwadi Workers by play-based pedagogy got an insight of carrying out activities for children. The active participation in training programmes underscores the commitment of stakeholders to the success of this innovative initiative, reflecting a concerted effort towards nurturing a healthier and more educated generation.



7.15 An Awareness Programme on 'Importance of Care and Education for Pre-school Children for Functionaries of Anganwadi Services Scheme' was organised by NIPCCD Headquarters at GC, Rampur, Uttar Pradesh, from October 30-31, 2023. An impressive number of 120 participants attended the programme.



7.16 As part of **Mission Vatsalya**, an Online National Consultation Meet for DMs/ADMs on Child Protection was organized on 30 June, 2023 by NIPCCD, New Delhi which saw a participation of 300 officials. Also, efforts were directed towards organization of a **Consultation Meet for the Chairpersons and Members of Child Welfare Committees** at NIPCCD in New Delhi. The event not only facilitated knowledge exchange but also fostered a collaborative environment aimed at enhancing the effectiveness of child welfare efforts at the grassroots level. A **Consultation Meet for Multi-Stake Holders on 'Effective Implementation of POCSO Act'** was organized at NIPCCD, New Delhi, from August 24 to 25, 2023 witnessing an active participation from 59 stakeholders.



7.17 A **Consultation Meet on JJ (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 and Rules, 2022 & Adoption Regulations, 2022** was organized by NIPCCD Regional Centre, Bengaluru for Programme Managers of SARA/SCPS and DCPOs for Southern States. Organized from November 23-24, 2023, the meet was attended by 48 participants.

7.18 **Mission Shakti**, a comprehensive initiative dedicated to the empowerment of women, places significant emphasis on the prevention and protection of women from violence. As part of its commitment to this cause, a pivotal **Workshop on the Prevention of Gender-based Violence for Women Police Officials** took place at NIPCCD from June 22 to 23, 2023. The participants included Women Help Desk personnel, Delhi Metro officers, as well as individuals from the Police Control Room vans and Police Stations. The diverse composition of the group underscored the holistic approach taken to tackle this pervasive issue.



7.19 An **Online Training on 'Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013'** was organised at NIPCCD Regional Centre, Mohali on October 9, 2023 for the Functionaries of Defence Estates, Western Command, Chandigarh. In this programme, 127 participants marked their attendance.

C. National Workshop on BBBP

- i. A **National Workshop on Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)** was organised

by MWCD from November 2-3, 2023 at NIPCCD, New Delhi providing an insight about the latest 'BBBP Operational Manual' and its guidelines, emphasizing Sectoral Activities in convergence with Partner Ministries.



7.20 First **Capacity Building Programme on 'Mission Shakti - Hub for Empowerment of Women'** was organized for State Nodal Officers and State Mission Coordinators from 21 to 22 July, 2023 at NIPCCD, New Delhi. The Second **Capacity Building Programme for State Nodal Officers and State Mission Coordinators on Mission Shakti - Hub for Empowerment of Women** was organized on 20 October, 2023 at NIPCCD Regional Centre, Bengaluru.



7.21 **State Level Capacity Building Workshop for Implementation of Mission Shakti** was organized at Regional Centre, Mohali from 12-13 September, 2023. The workshop was inaugurated by Smt. Amneet P. Kumar, IAS, Commissioner & Secretary, WCD, Govt. of Haryana. A total of 57 participants attended this Workshop.



7.22 MWCD organized a National Workshop on **'Hub for Empowerment of Women (HEW) and BBBP Convergence'** on 11 January, 2024 at **Vigyan Bhawan**, New Delhi. 85 Participants along with Officials of WCD attended the Programme.

7.23 A National Workshop on Women Helpline was organised from 4-5 March, 2024 at NIPCCD Headquarters in New Delhi. A total of 47 participants attended the Workshop. Taking a step forward in efforts to prevent human trafficking, an **Orientation Training Programme on 'Prevention of Trafficking of Women & Children'** was organized for Police & CSOs from 24-26 May, 2023 at NIPCCD Regional Centre, Indore.

7.24 A **Training Programme on 'Supportive Interventions for Children with Learning and Behavioural Problems'** was organized

at NIPCCD Regional Centre, Mohali, from September 18 to 21, 2023. A total of 46 participants mainly teachers actively engaged in the programme. The initiative aimed to equip educators with effective strategies to address needs of students facing learning and behavioural difficulties.



II. Field Demonstration & Counselling Services

7.25 The Child Guidance Centre (CGC), an integral component of the National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD), remains steadfast in delivering high-quality services. During the period January, 2023 till March, 2024 the Child Guidance Centres across regional centres and Headquarters demonstrated its commitment through substantial figures. A noteworthy 600 new cases were officially registered at the Centres, indicative of the persistent need for its services. The Centre's multifaceted approach not only involves direct intervention through new case registrations but also underscores the significance of ongoing support, as evident in the substantial number of follow-up cases. A staggering total of 4100 consultations were conducted for children and parents alike.

7.26 The Adolescent Guidance Service Centre (AGSC) is dedicated to fostering positive mental health among adolescents, with a focus on individuals aged 12-19 years. Embracing a holistic approach through a robust adolescent guidance programme, the Centre actively engages in counselling and supportive interventions to facilitate healthy psychosocial development of young people. During the period January 2023- till March 2024, AGSC registered 100 new cases of adolescents seeking assistance. Furthermore, AGSC provided a noteworthy nearly 900 consultations encompassing diverse assessments and therapeutic interventions.

III. Important Activities

A. Celebration of Bharat Parv, 2023

7.27 NIPCCD organized a stall **Celebrating Bharat Parv, 2023 at Red Fort, New Delhi** from 20th - 31st January 2023 showcasing various initiatives of the MWCD for development, safety and protection of women and children.



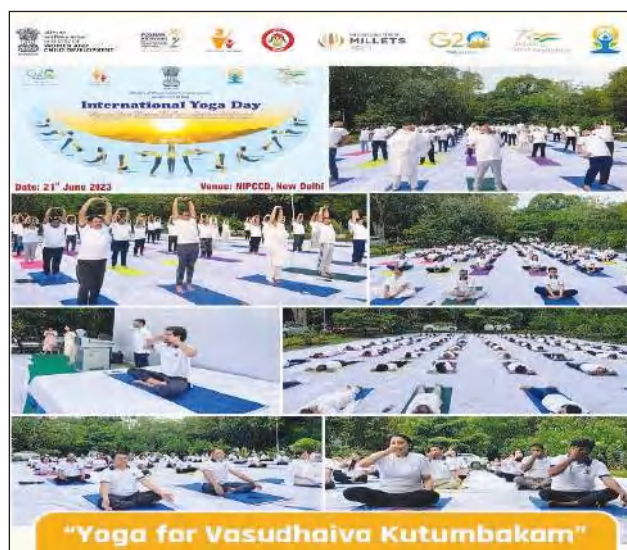
B. 14th Tribal Youth Exchange Programme

7.28 14th Tribal Youth Exchange Programme was organized by Nehru Yuva Kendra (Ministry of Youth Affairs & Sports, Govt. of India) in

association with NIPCCD, Lucknow, on 10- 16 February, 2023. The main objectives of the programme were to discuss the challenges and issue faced by the tribal youth; to orient them about constitution rights, life skills, career planning, programmes & schemes of the government, etc.

C. International Yoga Day

7.29 NIPCCD, New Delhi enthusiastically observed the International Day of Yoga, dedicated to fostering physical and emotional well-being. The vibrant event saw active participation from MWCD officials, emphasizing the significance of holistic health. The celebration resonated with a shared commitment to promoting the benefits of yoga, aligning with the global mission to enhance both physical and emotional wellness. The event served as a platform for unity, as diverse participants came together to embrace the transformative power of yoga for overall well-being. Yoga is a discipline which needs to be practiced physically, mentally and spiritually. Outreach activities were observed at all NIPCCD Regional Centres for women and children on International Day of Yoga on 21st June, 2023.



D. MoU signed between NIPCCD and Safdarjung Hospital, New Delhi

7.30 On August 14, 2023, an MoU was inked between Ms Tripti Gurha, Joint Secretary, MWCD and Director, NIPCCD, and Dr Vandana Talwar, MS of VMMC and Safdarjung Hospital. This strategic collaboration aims to streamline the certification process for Children with Special Needs, fostering seamless connections between diagnostic and therapeutic services. The MoU is poised to significantly enhance the support system for these children, bridging gaps and ensuring a more efficient and effective pathway from diagnosis to essential therapeutic interventions.



E. Swachhata Hi Seva Campaign, 2023



7.31 As part of the Swachhata Hi Seva Campaign 2023, NIPCCD Headquarters

organized a Special Cleaning Drive on October 1, 2023 at Maa Sarada Park, New Delhi. The Chief Guest of the occasion was Shri Indevar Pandey, Secretary, Ministry of Women and Child Development.

F. Rashtriya Ekta Diwas

7.32 During the event the entire staff and faculty of NIPCCD undertook the 'Rashtriya Ekta Diwas Pledge', emphasizing their commitment to promoting a shared vision of unity. This collective effort to commemorate Sardar Vallabhbhai Patel's enduring ideals, reinforced the importance of national integration, echoing through the spirited run at the Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi.



G. IASOWA Carnival at Palika Services Officers Institute, New Delhi

7.33 On January 21, 2024, NIPCCD orchestrated an Information Dissemination Stall for the IASOWA Carnival organized at

Palika Services Officers Institute, New Delhi. The stall provided valuable insights and infographic brochures into the multitude of schemes



H. Celebration of Bharat Parv, 2024

7.34 MWCD celebrated Bharat Parv 2024 at the Lawns and Gyan Path in front of Red Fort, New Delhi showcasing initiatives of MWCD. NIPCCD orchestrated stalls on Anganwadi Services, Nutrition, ECCE, Women Empowerment, Child Protection and Mental Health and Counselling Centres.



I. Poshan Se Padhai Tak

7.35 In the event on Poshan Se Padhai Tak organized by MWCD on 1st March, 2024, a Panel Discussion was held on Initiatives of MWCD for ECCE under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 with Panelist being Secretary, MWCD and from NIPCCD & Vikramshila



J. Celebration of National Girl Child Day, 2024

7.36 MWCD celebrated the determination and accomplishments of the Girl Child: Empowering the future! On National Girl Child Day 2024 at NIPCCD New Delhi. The event was chaired by the Hon'ble MoS, WCD, and Special Address was delivered by Secretary, MWCD.





National Commission for Women



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

National Commission for Women

I. Introduction

8.1 The National Commission for Women (NCW) was constituted on 31st January 1992 as a Statutory Body to safeguard and promote the rights and interests of women. The Commission has been mandated to investigate and examine all matters relating to the safeguards provided to women under the Constitution and other laws and recommend to the Government, the measures for their effective implementation. The Commission is also mandated to review the existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommend amendments to meet any lacunae/or inadequacies in such laws; to look into complaints and take Suo Motu notice of matters relating to deprivation of women's rights etc. and take these up with appropriate authorities; take up research studies on issues of relevance to women, Gender Sensitization of Police Officers, participate and advise in the planning process for socio-economic development of women, evaluate socio-economic progress, inspect jails, remand homes etc. where women are housed under custody and seek remedial action wherever necessary.

8.2 Redressal of grievances and complaints concerning deprivation of women's rights and non-implementation of laws enacted to

safeguard their rights is one of the important activities undertaken by the Commission. Various cases of atrocities committed against women have been investigated by the Commission and immediate relief has been provided to the affected women in many cases. The Commission, while handling/processing complaints, leverages its association with the State Police Authorities, State Commissions for Women, National Legal Service Authority, State Legal Services Authority, District Legal Services Authority, etc. In order to ameliorate the condition of women in Prisons/Remand Homes, the Commission provides suggestions, advisories and measures on health, safety and mental wellbeing etc. so that they are treated in a humane manner.

II. Details of Complaints received and redressed

- i. During 1st Jan, 2023 to 31st March, 2024, the C&I Cell of the Commission registered a total of **34,998** complaints/cases falling within its mandate.
- ii. Details of State-wise and Nature-wise distribution of complaints registered by the Commission during the above mentioned period, is attached at **Annexure - XVII** and **Annexure - XVIII** respectively.

- iii. Mahila Jan Sunwai: Considering the increasing inflow of Complaints, the Commission has been conducting Mahila Jan Sunwai in collaboration with DLSA and State/District Police Authorities.

III. **24×7 NCW Women Helpline- 7827170170:**

8.3 On 27th July, 2021, the Commission launched 24×7 Helpline - 7827170170 with an aim to provide online support to women in distress through referral by linking them with the concerned Police, Hospitals, Legal Services Authorities, and Psychological Counselling etc. From 1st Jan 2023 to 31st March 2024 the total calls received in the Helpline were 2,72,807.

IV. **Redressal of NRI Complaints**

8.4 The NRI Cell receives complaints from women on issues related to NRI marriages from across the country and also those residing abroad. These issues primarily involve domestic violence, desertion, dowry demand, apprehension of respondent/s leaving the country, confiscation of passports by husband and in-laws, child custody issues, Financial & Legal Aid under the Scheme of Ministry of External Affairs, maintenance, service of documents abroad, whereabouts of husband not known and wife's inability to join her spouse abroad, etc.

8.5 NCW largely adopts a convergent approach among various Ministries such as Ministry of Women and Child Development, Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs, to address NRI matrimonial issues. The process of legal recourse initiated by the aggrieved women is expedited by

coordinating with different stakeholders and Action Taken Report (ATR) is sought from such authorities i.e., concerned Police Department, District Legal Services Authority, Indian Embassies and Missions abroad, and Regional Passport Officer (Ministry of External Affairs). During the period 1st January, 2023 till 31st March, 2024, **2879 letters** have been issued to concerned authorities and others in this regard.

8.6 The Complainants/Survivors are also provided **psycho-social and legal counseling** by legal professionals and counselors, when they approach the Commission personally and are also appraised on the interventions that NRI Cell makes while dealing with matters. During the period, around **59 walk-in complainants** have been counseled in addition to telephonic counseling by the NRI Cell on a daily basis.

8.7 **Hearings** are also conducted in matters registered with the Commission for necessary intervention, wherever required in relation to follow up with the concerned authorities or reconciliation between the parties. During the period, around **17 cases have been heard**.

8.8 **During 1st January, 2023 till 31st March 2024, a total number of 638 New Complaints have been received by NRI Cell** and the Commission has initiated action in all complaints. The Commission has, during this period, succeeded in providing all possible relief/s to a large number of aggrieved women, sought by them from the Commission, in matters relating to NRI marriages.

8.9 The Table below summarizes the year wise details of complaints registered with the NRI Cell

S. No.	Period	No. of Complaints Received
1.	1 st January 2023 to 31 st December, 2023	523
2.	1 st January, 2024 to 31 st March, 2024	115
	Total (1 st January, 2023 - 31 st March, 2024)	638

8.10 NRI Cell of the Commission also **organizes Programmes/Seminars and Consultation/Meetings** from time to time to create wider public awareness and to initiate deliberations on the effectiveness of legal remedies available for the Indian women affected on account of various issues involved in NRI marriages. Keeping in view the challenges faced by aggrieved women in getting substantial relief due to conflict of Law and Jurisdiction, **NRI Cell conducted the following awareness programmes:-**

V. Suo Motu Cognizance of Incidents/ Cases

8.11 **Under Section 10(1) and 10(4) of the National Commission for Women Act, 1990**, NCW takes suo motu cognizance of cases on the basis of media reports and complaints relating to violation of women's rights and non-implementation of laws enacted to provide protection to women. Generally, action taken reports in this regard are sought from the concerned authorities. However, regarding crimes of heinous nature committed against a woman, Inquiry Committees/Fact Finding Teams are constituted by the Commission which submit their recommendations/findings to the Commission for taking such action as deemed fit against those allegedly involved in the crime which are forwarded to the concerned authorities for further appropriate action.

8.12 Details of number of cases where suo motu cognizance has been taken by the

S. No.	Name of Programme	State	No. of Programmes
1.	NRI Marriages – Do's and Dont's – A Way Forward	Punjab	14
2.	Rights of Indian Women in NRI Matrimonial Issues	Kerala	05
3.	Social – Legal Empowerment on rights of Indian Women in NRI Matrimonial Issues	Andhra Pradesh	02
4.	NRI Marriages – Do's and Dont's – A Way Forward	Gujarat	05
5.	Rights of Indian Women in NRI Matrimonial Issues	Delhi	02

Commission, the number of cases where Action Taken Reports have been received and the number of cases that were closed from 1st January 2023 to 31st March 2024 are as below: -

No. of matters taken up	No. of ATR's received (Old & New)	No. of cases closed (Old & New)	Inquiry Committee/ Fact Finding Team constituted
351	670	167	23

VI. Deliberations on Legal issues

A. Report on Law Review on “The Family Courts Act, 1984”

8.13 The Commission reviewed “The Family Courts Act, 1984” through five Regional stakeholder consultations to incorporate viewpoints from diverse sectors from different regions to suggest comprehensive changes in the law relating to the Family Courts Act, 1984. The Consolidated Report arising out of these consultations, suggesting viable amendments to further promote the interest of women was forwarded to MWCD and Ministry of Law and Justice vide D.O. No. 06-05/64/2022-2023/NCW(L) dated 01.06.2023.

B. Law Review Consultations on “Rights of Muslim Women - Reviewing Muslim Personal Law”

8.14 The Commission conducted Regional law review consultations to take a relook at the Indian Muslim personal law in order to formulate specific recommendations for amendments and enhance the outreach of the legislation for women and strengthen their stance in the society.

The consolidated report suggesting viable

recommendations with respect to “Rights of Muslim Women: Reviewing Muslim Personal Law” keeping in view the interest of Muslim Women in India was forwarded to Ministry vide D.O. No. 06-05/29/2023-24/NCW(L) dated 07.08.2023

C. Review of ‘Marriage and Divorce Laws across Communities in India’

8.15 Marriage and Divorce laws in India are diverse, reflecting the religious and cultural diversity of the country. Understanding the specific personal laws applicable to one’s religious community is essential for individuals.

8.16 The diverse communities in India have their own set of marriage and divorce laws based on religious and cultural practices. These laws play a crucial role in regulating and governing matrimonial relationships and dissolution. However, discussions and reforms are necessary to address the challenges and promote gender equality within these legal frameworks.

8.17 In this regard the Commission conducted four Regional level consultations in collaboration with premier National Law Institutes across the Country, with the objective of re-examining the law and allied legislations in order to formulate specific recommendations for amendments and enhancing the outreach of the legislations.

D. Review of ‘Rights of Women under Property Law’

8.18 Keeping in mind the impact of property law on economic independence, overall societal progress and the empowerment of women, NCW conducted regional consultations to incorporate viewpoints of stakeholders from different regions, religions

and cultures, considering that there are many region specific, state-specific, religion-specific and culture-specific views that need to be addressed, to make the law more inclusive and robust. The final consultation is scheduled in June 2024.

VII. Initiatives in North East Region

A. During the period 1st January 2023 till 31st March 2024, the National Commission for Women organised the following Seminars to create awareness in the North East Region:-

- i. Seminar on “Women and Health, A Holistic and Life-cycle Approach” on 25th May, 2023 at Guwahati, Assam
- ii. Seminar on “Socio economic Status of Single Mothers” on 23rd June, 2023 at Shillong, Meghalaya
- iii. Seminar on “Safety of Domestic Workers and others” on 27th July, 2023 at Aizawl, Mizoram
- iv. Weavers’ Meet on 7th August, 2023 at Tezpur University, Assam
- v. Seminar on “Substance Abuse and its Impact on Women” on 5th October, 2023 at Kohima, Nagaland
- vi. Seminar on “Awareness on Prevention of HIV/AIDS among Women in Mizoram” on 27th October, at Aizawl, Mizoram
- vii. Seminar on Women Farmers organised by Indira Gandhi Govt. College, at Arunachal Pradesh 11.11.2023.
- viii. Seminar on Women in Health organised with North Eastern Hills University, Shillong 17.11.2023 Shillong, Meghalaya
- ix. Seminar on Women in Decision Making organised with KK Handiqui State Open University, Assam 30.11.2023
- x. Seminar on Women in Health with G.B. Pant Institute of Himalayan Environment 18th December 2023 Arunachal Pradesh
- xi. Seminar on Tea Garden Workers at Dhalai with Tripura State Women Commission – 8.01.2024
- xii. Seminar on Sex workers and their children by with Welfare Society, Assam 23.02.2024
- xiii. Seminar on Empowering the Women farmers in Tripura with Tripura State Women Commission – 29.02.2024.
- xiv. Regional Conference with Secretaries, WCD and SCW of the NE States on 18th January, 2024 at Guwahati, Assam

VIII. Policy Monitoring and Research Cell

8.19 Every year, the Commission collaborates with Government, Semi Government Organizations, Universities, Academic and Research Organisations, etc. to undertake Seminars/Webinars/Conferences /Workshops and Research Studies to implement the mandate under Section 10 of the NCW Act, 1990 on gender specific themes relates to current issues.

8.20 Approved themes for Research Studies and Seminars for the financial year 2023-24 are:-

- i. Women and Health
- ii. Women in decision making roles in Corporates
- iii. Women farmers/daily wage laborers in relation to migration
- iv. Sex Workers and their Children (Legal, educational, health and occupational challenges)
- v. Challenges faced by Women of Denotified Tribes

IX. Inspection of Jails/Custodial Homes and Psychiatric Institutions

A. Psychiatric Home and Custodial Home Reforms (PHCHR):

8.21 The PHCHR cell was set up in 2017-2018 with an aim of inspecting the Prisons and Psychiatric Homes in the country. The major tasks undertaken by the Cell is to inspect such institutions and formulate recommendations for improving the conditions of women in Prison/Custodial Homes and in Psychiatric Homes/Mental Hospitals. Moreover, rigorous inspections are conducted in all those institutions/shelter homes, namely, SwadharGreh, One Stop Centres, Ujjwala Homes, etc. where women are housed.

8.22 The PHCHR Cell has been conducting visits to such institutions keeping in mind the welfare of women from different intersections. The visits to One Stop Centres are being portrayed in a separate column as this institution provides immediate rescue and shelter to women and girls in distress who can avail stay up to a period of 5 days.

Hence, during the period 1st January 2023 till 31st March 2024, the Commission undertook a total of **90 physical inspections** as under:

Jails / Prisons	Psychiatric Homes	Shelter Homes	One Stop Centres
25	8	30	27

8.23 **All India IG/DG Prisons Meeting** on **“Prison Administration in Light of the Rights of the Women Prisoners”** held on **10/01/2023** at India International Centre, New Delhi with the objective of ensuring that the rights of women inmates are not violated and adequate correctional facilities are provided, inspection of prisons has been identified as one of the focus areas by the Commission. The effort is to make women wards in prisons humane and ensure availability of all necessary facilities to the inmates.

X. Women Safety:

8.24 The Commission reviews the Acid Attack cases on Management Information System (MIS) portal maintained on NCW's website. In this regard, the Commission organised an **All India Nodal Officers Meeting on Acid Attacks on 18th January, 2023** at IIC Delhi to discuss various issues of acid attack, and how can it be dealt with leading to its curbing in totality.

8.25 Another **e-meeting/ video conference** was held on **15th November, 2023** with **DGPs of States/Union Territories across India** who are appointed as Nodal Officers, to discuss and ensure regular updation of acid attack cases on MIS. The Commission emphasized on timely payment of compensation, medical assistance and filing speedy chargesheets.

XI. Capacity Building and Women Welfare

A. Legal Awareness Programmes:

8.26 The National Commission for Women in collaboration with National Legal Services Authority (NALSA) has organized awareness camps at Taluka level to impart practical knowledge about the basic legal rights and remedies provided under various women related laws, thereby making them fit to face the challenges in real life situations.

8.27 A total of **524 camps** have been organised for women at taluka level in the States of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Haryana from 12th July to 31st July 2023 wherein approximately **31,000 women** participated.

8.28 The Commission launched Legal Awareness Programme “**Vidhaan Se Samadhan**” for women at Block level in collaboration with NALSA. The program was inaugurated by the Hon’ble Chief Justice Dr. D.Y. Chandrachud in the presence of Hon’ble Minister of State of Law and Justice Shri Arjun Ram Meghwal. The objective of the program is to impart practical knowledge about basic legal rights and remedies provided to women under various laws while also making women at block level aware of the competent authorities to approach in order to seek redressal thereby ensuring legal literacy among women in a total of 7266 blocks in the country. During the programme, 2-3 women will be identified from each block as potential master trainers who can further impart legal knowledge at the local level.



B. Launch of Mobile Application “Her Legal Guide” :

8.29 NCW has launched its Mobile Application “Her Legal Guide” on 9th November 2023 in observance of Legal Services Day. The App was inaugurated by the Hon’ble Chief Justice Dr. D.Y. Chandrachud and Hon’ble Minister of State of Law and Justice Shri Arjun Ram Meghwal.

XII. GENDER SENSITISATION PROGRAMMES:

A. Gender Sensitisation and Legal Awareness Programme for students of Class 9th to 12th of Kendriya Vidhyalaya Sangathan:

8.30 The Commission initiated ‘Gender Sensitization & Legal Awareness Programme for the students of Class 9th to 12th of KV in association with Kendriya Vidyalaya Sangathan, going by the belief ‘Catch them Young’. The Gender Sensitisation and Legal Awareness Programme has been conducted in **57 schools of Chandigarh Region wherein 16972 students have participated** and **46 schools of Dehradun Region where 14711 students have participated.**

B. Gender Sensitisation and Forensic Training of Police Officials of Delhi and Haryana

i. Gender Sensitization Programme for Judicial Officers:

8.31 The Commission organised ‘Gender Sensitization Workshop’ for Judges, Judicial Officers and lawyers in collaboration with various Central and State Judicial Academies. Focus area of the workshop is to understand Gender, Managing Gender bias while dealing with cases, building better justice delivery system etc. Gender Sensitization Workshop have been organised in collaboration with Sikkim Judicial Academy, Jammu and Kashmir Judicial Academy, Delhi Judicial Academy and National Judicial Academy, Bhopal.

ii. **AWARENESS PROGRAMMES FOR MINORITY WOMEN:** An Awareness Programme for the Muslim Women was organised on 14th September 2023 in collaboration with UP Sunni Central Waqf Board and Deen Dayal Upadhyay, State Institute of Rural Development at DDU, SIRD, Lucknow. The deliberation focussed on Legal Rights of Muslim Women, Self Help Groups and their



benefits and Role of NCW focusing on complaint grievance redressal etc. The Commission also in collaboration with Delhi State Haj Committee conducted an Awareness Programme for Minority Women on **13th December 2023** in celebration of National Minorities Day in NCW Auditorium.

C. INTERNATIONAL WOMEN'S DAY CELEBRATION

- i. **Activity undertaken by NCW to celebrate International Women's Day, 2023:** An awareness campaign in collaboration with Royal Enfield (Eicher Motors Ltd.) was organized to spread awareness on women's rights, gender equality and issues of violence and abuse against women. Under the initiative, a women's safety awareness ride was carried out on **18th March 2023** in selected locations of Delhi, Chandigarh, Pune and Bangalore.
- ii. **National and Regional Level Programme "Tu Bol" on International Women's Day, 2024 :** On the occasion of International Women's Day, the

National Commission for Women organized **Experience Sharing Programme Titled "Tu Bol"** at various places in the country. The objective of the program was to bring together eminent personalities to share their stories of struggle and journey towards success. The main programme was held at Vigyan Bhawan, New Delhi on 7th March 2024 which was attended by more than 1500 participants. The Resource Persons of the National Level Programme were Sister BK Shivani (Motivational/Spiritual Speaker), Saina Nehwal (Indian badminton player), Ritu Karidhal Srivastava (Mission Director, Chandrayaan 3, ISRO), Neha Joshi (Politician) and Pragya Prasun Singh (Acid Attack Survivor). Additionally, 4 Regional Level Programmes were held at Jammu on 2nd March 2024, Bhopal on 4th March, Gangtok, Sikkim on 12th March and Chennai on 18th March 2024 where eminent speakers shared their experiences in life.



D. FOUNDATION DAY 2024

8.32 The Foundation Day of the National Commission for Women was celebrated in Bharat Mandapam, New Delhi, with Hon'ble Union Minister Smriti Irani and other dignitaries present. The event featured an exhibition by Women Artisans, cultural dance performance, and speeches highlighting women's empowerment initiatives. The celebration drew a diverse crowd, reaffirming commitment to women's rights. Representatives from various Embassies, Judicial Officers, Armed Forces personnel, State Women Commissions, Vice-Chancellors, Advocates, and Students from different regions also participated. The programme

was also live telecasted on Doordarshan nationwide.

E. IV Interactive Meeting with SWCs of the financial year 2022-23:

8.33 The 4th interactive meeting of the financial year 2022-23 with the State Women Commissions was organised on 13th March, 2023, followed by a Capacity Building Programme for Incumbents of SWCs on 14th March, 2023 in collaboration with Haryana SWC at Faridabad Haryana.

F. Two- Day Interactive meeting with different Stakeholders in Goa:

8.34 The National Commission for women conducted a 2 Day Interactive meeting with



different Stakeholders in collaboration with Goa State Commission for Women.

- i. On 26th November 2023, a Joint Meeting of Advisory Committee and Incumbents of SWCs was held to discuss a draft scheme for “Rehabilitation of Survivors of Domestic Violence” and outcomes of Women Safety Audit for the city of Ghaziabad and Vijaywada.
- ii. On 27th November 2023, another meeting was held with State DGPs/ Senior Police Officers to discuss various steps taken by State Police Authorities for handling crimes against women and to expedite complaint redressal system for NCW complaints. The Meeting was also attended by representative from MHA.

XIII. CAPACITY BUILDING PROGRAMMES:

A. Capacity Building & Personality Development Programme (PDP) in Physical Mode at Pan India level:

8.35 NCW invited proposals from University/ Colleges for organizing Capacity Building & Personality Development Programme for their UG/PG Women Students. The aim of the programme is to make women independent and employment-ready. Focus is on use of intuitive, logical and critical thinking, communication and interpersonal skills to enhance employability. 61 Colleges/ University organised the Programme for their UG/PG Women Students from April-November 2023 wherein approximately 15000 female students were imparted knowledge.

B. Round Table Conference on CSR as an Enabler to Strengthen Women’s Livelihood with CII:

8.36 A Roundtable on CSR as an Enabler to Strengthen Women’s Livelihood, was jointly organised by the National Commission for Women (NCW) and CII in Mumbai on 13th July, 2023. Deliberations at the Roundtable centered around the role of India Inc., in strengthening livelihood for women and the importance of a collaborative approach with government, industry and civil society collectively working towards creating a robust ecosystem that would help women, especially vulnerable women, realise their economic potential.

C. Programmes under Nirbhaya Bharat, Sashakt Naari as part of AKAM:

8.37 The Commission organized the Awareness Programmes on “Legal Awareness and Financial Literacy”, “Women Empowerment through Employment”, “Women Rights and Empowerment”, “Rights of Women and Sustainable Women Empowerment”, “Digital and Financial Literacy”, “Awareness Programme on various beneficial schemes related to women & POSH Act” and “Empowering Widows, Divorced and Single Parent Women” under the Nirbhaya Bharat, Sashakt Naari in collaboration with State Women Commission Uttarakhand, Telangana, Tamil Nadu, Goa, Mizoram, Rajasthan, Kerala and Haryana.

D. “Digital Shakti Program”

8.38 NCW collaborated with Cyber Peace to enhance digital safety and literacy among women through the “Digital Shakti Program”, benefiting around 7 Lakh women, empowering them in the digital realm.

E. Consultation on Artificial Intelligence

8.39 NCW organized a pivotal Roundtable Conference on ‘Navigating The Deepfake

Dilemma - Collaborative Strategies for a Safer Cyberspace' at the India International Centre, New Delhi, addressing the misuse of deepfake technology and forging collective strategies against it.

XIV. Media and Outreach Programmes

A. Radio Talk Show: "Navchetana" on Akashvani

8.40 NCW conducted the "Navchetana" talk show on Akashvani, featuring eight episodes discussing various topics such as Women's Health, Corporate Decision Making, and Cyber Security. Each episode included expert discussions and shared NCW helpline numbers and success stories titled "Aayog ka Sahyog". The series aired from September to December 2024 on FM Rainbow and globally via the All India Radio Application.

B. Empowering Dialogue on Doordarshan

8.41 NCW collaborated with Doordarshan for a nationwide telecast shedding light on Gender Sensitization and NCW's operational endeavors. This talk show was broadcasted nationwide on DD National.

XV. Jammu & Kashmir Cell and Ladakh Cell

A. "Violence Free Home: A Woman's Right-12 pilot Special Cells in Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh" have been set up as an initiative of providing social services to women survivors by trained social workers located in the police system with a clear understanding that violence against women is a crime. After the successful execution of said project, the Commission decided to implement the project in rest of the Districts of Jammu & Kashmir and set up 10 Special

Cells for a period of 24 months FY 2023-2025 in rest of the Districts of UT of Jammu & Kashmir under the project.

XVI. Anti-Human Trafficking Cell

8.42 12 Seminars on "Anti Human Trafficking Awareness" were organized at Goa, Srinagar, Hyderabad, Kolkata, New Delhi and Bengaluru. The Seminars were attended by almost 6000 participants including senior police officers from different States/UTs, representatives from the Social Welfare/WCD Departments of different States/UTs, State Women Commissions, State Legal Services Authority, Paramilitary Forces including the CISF, CRPF, BSF, RPF and Indian Army, Civil Society Organizations from different States/UTs, Students and Media among others.

XVII. MoU Signing between Railway Protection Force and National Commission for Women on 19th March, 2024

8.43 In a significant step combating human trafficking, the Commission has recently entered into a MoU with the Railway Protection Force to undertake training and sensitization programme for RPF officials. This collaborative effort comes in response to the alarming trend of human traffickers exploiting the extensive railway network of Indian Railways for transporting their victims from source areas to destinations of exploitation.

XVIII. New Initiatives

A. Women Safety Audit Survey

8.44 The Commission for Women has initiated the Women Safety Audit Survey research in tier II cities which aims to assess



the level of safety experienced by women in public spaces and work spaces in the cities on the basis of a sample survey and focused group discussions (FGDs). The Commission has engaged 9 Agencies for the first phase to conduct the survey in Ghaziabad, Faridabad, Vijayawada, Coimbatore, Jodhpur, Aurangabad, Gwalior, Raipur, Ranchi, Meerut, Vasai Virar and Asansol. The Commission has also initiated the second phase of the survey for which it has engaged 4 Agencies. The second phase of the survey research is being

conducted in Gurugram, Agra, Agartala, Indore, Varanasi, Srinagar, Rajkot, Jaipur, Dhanbad, Ludhiana and Thiruvananthapuram.

B. Capacity building Programme for Women in Politics: “She is a Changemaker”

- i. **‘She is a Changemaker’ - Capacity Building Program for Women in Politics:** NCW is collaborating with different training Institutes at Pan India level under its capacity building



programme 'She is a Change maker' for imparting training to women in politics at different levels. From January 2023 to March 2024, 88 training programs have been conducted for Women Representatives of Panchayati Raj Institution (PRIs), Urban Local Bodies and Office Bearers of Political Parties in the States of Telangana, Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Manipur,

Madhya Pradesh, Meghalaya, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, and UT of Jammu & Kashmir.

ii. She is a Change maker - Panchayat se Parliament Program

8.45 As a way forward of NCW pan – India level capacity building program '**She is a Changemaker**' for women in politics at different levels, NCW in collaboration with the

Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (ICPS), Lok Sabha organized a one day specialized program for 500 selected participants, who were women elected representatives of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies from different States/UTs, who had already trained under NCW **“She is a Change maker program”** on 5th January, 2024 at Central Hall Parliament House, New Delhi. The primary objective of this program titled “She is a Changemaker - Panchayat se Parliament” was to significantly deepen participants’ comprehension of constitutional provisions, parliamentary procedures, and related subjects.

iii. Public Awareness Workshop on Prevention of Sexual Harassment at Workplace for Government & Corporate Employees:-

8.47 To create awareness and prevent incidents of sexual harassment at workplaces, the Commission has been conducting awareness programmes on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 for both government and corporate employees. During this period, a total of 22 workshops (6 programmes for Corporate Sector at Ahmedabad, Bengaluru, Delhi, Mumbai, Noida & Pune and 16 Programmes for Government Employees of UT of Ladakh, Jammu and Kashmir, Haryana, Maharashtra, Mizoram, Tripura Department of Justice (Ministry of Law and Justice), CERT-in (Ministry of Electronics) and BPR&D (Ministry of Home Affairs) and Tripura, Supreme Court of India and with police departments of Gurugram, Ghaziabad, Amritsar and Faridabad) have been conducted under which approximately 3100 participants have been trained.

iv. “Regional Seminar on “Women Farmers/Daily Wage Labourers in relation to Migration”

8.48 Four Regional Seminar on “Women Farmers/Daily Wage Labourers in relation to Migration” were held in collaboration with different training Institutes: 27th July 2023 at Lucknow, Uttar Pradesh, 21st September 2023 at Pant Nagar, Uttarakhand, 03rd November 2023 at Guwahati, Assam and 14th February 2024 at Thane, Maharashtra. Participant were Women Farmer, AazivikaSakhi, MGNREGA Women Labourers, Women Members of Self Help Groups and Women representatives of Panchayati Raj Institutions.

v. Process Improvement for Complaint Management System of National Commission for Women

8.49 The National Commission for Women as per its mandate takes up complaints from Domestic Violence Survivors and other Aggrieved Women in order to expedite the justice delivery process. In order to make the functioning of Complaint Management System even more effective, the Commission has collaborated with Kaizen Institute. The Institute will do a thorough study of the functioning of C&I Cell in order to give inputs and come up with suggestions for Process Improvement for Complaint Management System of National Commission for Women. The objective of the Process Improvement for Complaint Management is to drive operational improvements and build organizational capacity, in meeting its objectives and to suggest measures for midcourse correction for system improvement and better utilization of resources. A nationwide DGP meeting was conducted in Goa by the Commission in order to improve the complaint management system

under NCW. A training of C&I staff and JTEs was also conducted at IGNFA, Dehradun on 2nd – 3rd December, 2023 in order to further this project. Final Report with recommendations has been approved by the Commission.

vi. Training of Protection Officers

8.50 Realizing the pivotal role of Protection Officers appointed by the State Governments under Section 8 of the Domestic Violence Act, 2005 in facilitating legal and other assistance

to aggrieved women, NCW had collaborated with Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), the premier administrative training institute in India and developed a Standardized Module for Training of Protection Officers. This Module is shared with Chief Secretaries of all States/UTs for conducting training programs for Protection Officers appointed in their respective States/UTs.



National Commission for Protection of Child Rights



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

National Commission for Protection of Child Rights

9.1 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) was set up on 5th March, 2007, as a statutory body of Government of India. The mandate of the Commission is to ensure that all laws, policies, programmes and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective, as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC). The functions of the Commission are to study and monitor all matters relating to constitutional and legal rights of children; to examine and review the safeguards provided by any law for the protection of child rights and recommend measures for their effective implementation in the best interest of the child; to review the existing laws and suggest amendments therein, if considered necessary; to look into complaints or take suo-moto notice of the cases involving the violation of constitutional and legal rights of the children; and to monitor implementation of laws and programmes relating to the survival, welfare and development of children. The Commission also have responsibility of monitoring of implementation of laws relating to children such as; Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (u/s 109); Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 (u/s 44) and Right to Education (RTE) Act, 2009 (u/s 31)

9.2 The Commission continued its interventions in its pursuit of protecting the rights of the children against all forms of violations, deprivations and abuse. The Commission looked into various areas including the right of children to education, child labour, child health, children with special needs/disabilities, sexual exploitation of children, drugs and substance abuse among children, child trafficking and rehabilitation of rescued children etc. with its powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908.

9.3 The methods adopted included field visits, issuance of communications in the form of letters, directives, guidelines and recommendations to the Government; complaints management and issue of summons; policy dialogues with Ministries; review meetings with States, regional and national level consultations for monitoring child rights across the country.

PART- I

A. Workshops/Consultations

i. State level online Workshops on Sensitization for keeping child rights at the core of implementation of NEP 2020 Action Plan.

9.4 The National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century

and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. This Policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG-4, while building upon India's traditions and value systems. The fundamental principles includes- to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres, to achieving Foundational Literacy and Numeracy by all students by Grade 3, promoting multilingualism and the power of language, ethics and human & Constitutional values, creativity and critical thinking, emphasis on conceptual understanding, extensive use of technology etc. NCPDR, under Section 13 of CPDR Act, 2005, has been assigned the role of reviewing existing policies as well as making recommendations for effective implementation of policies in the best interest of the children. Therefore, the online sensitization meetings for keeping child rights at the core of implementation of NEP 2020 Action plan were conducted in different States. The details of the meetings are provided in **Annexure – XIX**.

ii. Regional Workshops on Roles of Panchayati Raj Institutions (PRIs) in school education system especially w.r.t Village Development Plan and School Development Plans (SDPs)/ Complex/Cluster Development Plans (SCDPs).

9.5 Local authority is an important pillar in fulfilling national and global agenda of educational development. At national level, the RTE Act, 2009 underlines the crucial

role of local bodies under sections 6 and section 9 of the Act. The 73rd Amendment to the Constitution of India that was aimed at implementing the Article 40 of the DPSP which says that "State shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government" and have upgraded them from non-justifiable to justifiable part of the constitution and has put constitutional obligation upon States to enact the Panchayati Raj Acts as per provisions of the Part IX. The same amendment has also empowered the Panchayati Raj institutions and mandated with specific areas of responsibility for the PRIs. One of the important areas of 29 subjects is extending education opportunities to all children. Further, the 11th schedule enshrines the distribution of powers between the State legislature and the Panchayats and enlists specific areas of responsibility for the PRIs. Similarly, to provide a universal framework for urban local bodies and to strengthen the functioning of the local bodies, Parliament amended the constitution (74th Amendment Act 1992) and provided constitutional status to "municipalities". One of the subjects enlisted in 12th schedule for ULBs is Promotion of cultural, educational and aesthetic aspects. It is also noted in the National Education Policy NEP 2020, the School Development Plans (SDPs) are being prepared by School Management Committee (SMCs). These plans will then become the basis for the creation of School Complex/Cluster Development Plans (SCDPs). It will also provide all other relevant support to the school complexes to achieve the educational outcomes. Therefore, the Commission organized Two Regional Level workshops on "Roles of Panchayati Raj

Institutions (PRIs) in school education system especially w.r.t Village Development Plan and School Development Plans (SDPs)/ Complex/ Cluster Development Plans (SCDPs)". The details of the Regional Level workshops are in **Annexure – XX**.

iii. National Colloquium on addressing issues of Out Of School Children (OOSC) on 02.02.2023 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

9.6 The Hon'ble Supreme Court in the matter of children who had lost both or single parent to COVID or otherwise post March 2020 had taken cognizance under SMWP (C) No.4/2020 and in the matter of children in street situations had taken cognizance under SMWP (c) No.6/2021. The Hon'ble Supreme Court in both these cases has passed directions to the States/UTs for effective protection of such children and their suitable rehabilitation. In the order dated 09.05.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court in these two cases, directions have been given to all States/UTs for rehabilitation of Street children as well as to make an assessment of children who have dropped out of school and enroll them into formal education again. Further, the Hon'ble Supreme Court in its last order dated 06.01.2023 has directed NCPCR to verify from the States as to whether the order dated 09.05.2022 is being implemented and as to whether the benefit has been really conferred to the children who have lost either of their parent or both the parents during the Covid period. The Hon'ble Court through its order has also directed that any non-cooperation by any State Government or school will be viewed seriously. To discuss and review the issues of Out of School Children, the Commission organised a National level

Colloquium on 02.02.2023 at Vigyan Bhawan, Maulana Azad Rd, Kartavya Path, Central Secretariat, New Delhi.

iv. Review and Consultation for Preventing drop outs from schools and re-engaging out of school children.

9.7 The Census 2011 data has revealed that 8.4 crore children (age group of 5 -17 years) don't go to school at all -that's nearly 20 percent of the age group covered under the RTE Act. In the context of Out of School Children (OoSC) and their Re-engagement, the Commission is of firm view that emphasis must be laid on understanding and strengthening the preventive strategies in this regard. All the programmes, policies and related interventions of the Government should be in consonance with prevention of Out of School Children which could be a first step towards combating the problem of school drop outs, non-enrolment, and low attendance. Considering the gravity of the issue, Commission has organised the Review and Consultations on the topic of Preventing drop outs from schools and re-engaging out of school children in various States of India (details provided in **Annexure - XXI**).

v. Seven days State level residential orientation cum sensitization Workshops on Training of Chairpersons and Members of Child Welfare Committees (CWCs) of various Districts in State of Assam

9.8 As per Rule 91 of the J.J. Model Rules 2016 (as amended in 2021), one of the functions of NCPCR is to develop training module for stakeholders under Juvenile Justice Act, 2015. Accordingly, the module has been created for the CWCs with a larger goal

of providing comprehensive knowledge of the nation's Juvenile Justice system and its related laws. The Commission conducted following 7 days residential training workshops for the Chairpersons and Members of CWCs in various States of NER viz:

S.No.	State	District	Activity Date
1.	Assam-Part 1	Guwahati	10 th to 16 th March 2023
2.	Manipur	Imphal	15 th to 21 st March 2023
3.	Assam-Part 2	Guwahati	17 th to 23 rd March 2023
4.	Arunachal Pradesh	Itanagar	18 th to 24 th March 2023
5.	Meghalaya	Shillong	19 th to 23 rd June 2023
6.	Sikkim	Gangtok	23 rd to 29 th June 2023
7.	Nagaland	Kohima	19 th to 25 th June 2023
8.	Tripura	Agartala	23 rd to 29 th June 2023

vi. “वत्सलभारत” ‘Regional symposium on child protection child safety and child welfare’ in Seven States/UTs of the Country.

9.9 On behalf of Ministry of Women and Child Development (MWCD), Government of India, a One-day Symposium “वत्सलभारत”- ‘Regional Symposium on Child Protection Child Safety and Child Welfare’ was conducted in different States/UTs of India. The programme was a regional event and was attended by representatives from Child Welfare Committees (CWCs), Juvenile Justice Boards (JJBs), District Child Protection Units (DCPUs), representatives from Child Care

Institutions (CCIs), Members of Village Child Protection Committee (VCPC) and Anganwadi Workers from States as well as other States/ UTs in the region. The Symposium was also graced by the presence of Smt. Smriti Zubin Irani, Hon'ble Minister Women and Child Development, Government of India. The details of the symposiums conducted are given in **Annexure-XXII**.

B. MEETINGS

i. Poshan Maah-2023

9.10 On the occasion of celebrating “Rashtriya Poshan Maah” 2023 a national consultative meeting was held on 27.09.2023 on the subject ‘**Millet in meals**’ in conference room of NCPCR. The consultation on “Millets in Meals” aimed to bring together key stakeholders, including government officials, nutrition experts, agricultural experts, educators, and civil society organizations, to discuss and strategize the integration of millets into the Mid-Day Meal program, and Aanganwadis. This initiative seeks to promote sustainable nutrition, food security, and the well-being of school children, while also supporting small-scale millet farmers. The consultation on “Millets in Meals” seeks to pave the way for a more nutritious, sustainable, and inclusive Meal program. By leveraging the potential of millets, we aim to improve the health and well-being of school children, support local farmers, and contribute to a more resilient and food-secure future. Various officials from the concerned ministries and agriculture universities attended the meeting and had an in-depth discussion.

9.11 To celebrate Rashtriya Poshan Maah, 2023 and to spread awareness regarding the prevalence of malnutrition among children

and how to combat the same, the Commission had requested all the SCPCRs to celebrate Poshan Maah and organise activities to spread awareness on health and nutrition of children.

9.12 NCPCR organised a One Day Sensitization Program in Gairatganj, an aspirational block of Raisen District, Madhya Pradesh on 21st September, 2023 on the occasion of celebrating “Rashtriya Poshan Maah”, 2023. The objective of the programme was to create awareness on the “Important aspects of Health and Nutrition of Children.” An exhibition showcasing the nutritious food given to children in Aanganwadi centres was also the part of the programme. Exhibition was inaugurated by Hon'ble Health Minister, Madhya Pradesh and Chairperson, NCPCR. The program was also graced by Hon'ble Health Minister, Madhya Pradesh and Chairperson, NCPCR. To sensitize the participants from Aanganwadi centres, ASHA workers, a session on health and nutrition of children, Millets in meals was delivered by Dr. A. K. Singh, Professor and Head of Neonatology, AIIMS, Jodhpur, Dr. Stuti Sharma, Assistant Professor, Department of Plant Breeding & Genetics,

Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, and Dr. Mridula Devi, Director, Central Institute for Women in Agriculture (ICAR-CIWA), Bhubneshwar, Odisha.

ii. Virtual Review Meetings on the issue of child marriage

9.13 During the year 2023, the Commission conducted over 50 virtual meetings encompassing all Districts across the 36 States and Union Territories (UTs), from January 31st to May 10th, 2023. These meetings were convened to scrutinize the undertakings carried out by the respective District authorities within each State, aimed at curbing the incidence of child marriage.

9.14 In a proactive measure to deter occurrences of child marriages, particularly during events such as Akshaya Tithi, commonly known as Akti or Akha Teej, the Commission, through a letter dated January 12, 2023, directed the Principal Secretaries, WCD of all States/UTs to issue directives to all District Magistrates or Collectors/CMPOs across their respective jurisdictions to complete the recommended preventive activities, including but not limited to



awareness programs, convened meetings, and the identification of vulnerable children within their Districts, by January 31, 2023.

9.15 Additionally, on February 28, 2023, the NCPCR issued another communication urging the Principal Secretaries of all States/UTs to furnish a roster of CMPOs within their Districts. Furthermore, they were requested to provide comprehensive data concerning child marriages prevented/stopped, FIRs lodged, injunction orders issued, and interventions executed in cases of child marriage within their Districts throughout the financial year 2021-2022.

iii. **Joint Action Plan (JAP) on Prevention of Drugs and Substance Abuse among Children and Illicit Trafficking**

9.16 National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) with Narcotics Control Bureau (NCB) and concerned ministries has developed a Joint Action Plan on “Prevention of Drugs and Substance Abuse among Children and Illicit Trafficking” and released on 9th February, 2021. The Joint Action Plan- “एक युद्ध नशे के विरुद्ध”- was formulated to streamline and strategies the efforts made by various authorities, institutions, agencies to bring paradigm shifts in the direction of drugs and substance abuse prevention amongst the children in the country.

9.17 The Commission has virtually conducted review meetings on implementation of Joint Action Plan of all the Districts in February and March, 2023. The main objective of these meetings was to see the progress and to review the data on the prescribed indicators of Joint Action Plan viz- Numbers of Prahari clubs constituted in schools; CCTV cameras installation at chemist shops selling schedule X and schedule H

drugs; inquiry conducted under Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA Act), .

iv. **Inter-departmental review meeting cum consultation on child rights with States/UTs-**

9.18 NCPCR as per its mandate under section 13(1) of CPC Act, 2005 hold inter-departmental review cum consultation on various issues of child rights of States/UTs with various concerned departments of the States/UTs. The main objective of these meetings is to review the present situation of implementation of laws related to children in States/UTs, and to discuss challenges, good practices and way forward for their effective implementation.

9.19 To organize the meeting with the States/UTs, a detailed exercise pertaining to indicators based on various child-related legislations was carried out. Accordingly, an agenda item with details of indicators was communicated to the Chief Secretaries and Chief Administrators of the States and UTs, respectively, for nominating nodal officers and supplying data and information as per prescribed formats meant for various departments. During the meeting, various aspects of the issues being faced by children were discussed and a State/UT-wise set of recommendations was provided.

9.20 The details of review meetings held in 2023-24 are provided in **Annexure –XXIII**.

C. **GUIDELINES/ MANUAL/ MODULE**

i. **Guidelines for prevention of bullying and cyber bullying in schools by NCPCR.**

9.21 After the COVID-19 Pandemic, the use of technology has increased many

folds as education is being extended to children through online mode and children are spending more time on internet and technology has become the most accessible mode of extending recreational opportunities for children. It has been observed that the threat to online safety of children having multiple dimensions have increased – be it the scare of misuse of children’s data or exposure of children to sexual content or bullying in schools. Considering the growing use of technology and increasing cases of bullying, NCPCR has prepared guidelines for prevention of bullying and cyber bullying in schools. The link of the said guideline is as follow: https://ncpcr.gov.in/uploads/1714382687662f675fe278a_preventing-bullying-and-cyberbullying-guidelines-for-schools-2024.pdf

ii. Training Module for Chairperson and Members of Child Welfare Committees (CWCs)

9.22 As per Rule 91 of the J.J. Model Rules 2016 (as amended in 2021), of one of the function of NCPCR is to develop training module for stakeholders under Juvenile Justice Act, 2015. Accordingly, the module has been created for the CWCs with a larger goal of providing comprehensive knowledge of the nation’s Juvenile Justice system and its 76 related laws. The main objective of the programme is to improve the functional knowledge and relevant skills of CWC members and the CWC Chairperson in order to provide effective and timely service for the protection and rehabilitation of children in need of care and protection, children in conflict with the law, and to provide protection to orphans, abandoned children, and children who have been turned over and who are left without a parent. The link of the said module is as follow https://ncpcr.gov.in/uploads/1668950434637a29a2d3cd9_cwc-module-updated.pdf

iii. Guidelines for Child and Adolescent Participation in the Entertainment Industry and any Commercial Entertainment Activity

9.23 The Commission had issued guidelines “Guidelines to Regulate Child Participation in the Entertainment Industry” in 2011 to regulate the participation of children in the entertainment industry. Keeping in view of the new amendments and implementation of child related laws, the Commission had constituted a committee with eminent members from Entertainment Industry and officials of the concerned Ministries. After discussions and deliberations held in the meetings of the committee, new draft guidelines for regulation of child participation in the entertainment industry or any commercial entertainment activity has been prepared. The link of the guideline is given as follow: https://ncpcr.gov.in/uploads/16844053596465fc6f115d1_guidelines-for-child-and-adolescent-participation.pdf

iv. Model guidelines with respect to support persons under Section 39 of POCSO Act, 2012.

9.24 The Hon’ble Supreme Court in the case titled “We the Women of India vs. Union of India & Ors. Writ Petition(s) (Civil) No(s) 1156/2021 and in Writ Petition No. 427 of 2022 titled Bachpan Bachao Andolan vs. Union of India” had passed an order dated 09.10.2023 wherein the Hon’ble Court was pleased to direct the National Commission for Protection of Child Rights to formulate Model Guidelines with respect to Support Persons under Section 39 of the POCSO Act, 2012 in consultation with the State Governments and Government of the Union Territories. vide the said order, the Hon’ble Supreme Court of India opinionated

that the need for support person should not be left to the discretion of the parents; in all cases, the option of availability of support person and right to claim the assistance of such support person should be made known to the victim's parents. Further, the Hon'ble Supreme Court has also opinionated that every State has an obligation to provide support persons to POCSO victims which cannot be made optional unless there are good reasons recorded by the CWC in its order, the familiarity of support persons is mandatory. Therefore, the Commission in light of the directions passed by the Hon'ble Supreme Court of India, have framed guidelines as to include the essential components and basic mechanism involved for engaging of a support person as mandated under Section 39 of the POCSO Act, 2012 so as to address the ambiguity in understanding of the process and steps to be followed for engaging the same. Further, the said guidelines also puts in place a key framework for a uniform educational standard, duration of engagement of a support person, appropriate remuneration etc. The link of the guidelines is given as follow: https://ncpcr.gov.in/uploads/1700657059655df7a3f1c2a_final-document-section-39.pdf

v. Guidelines for conducting preliminary assessment under Section 15 of the Juvenile Justice (JJ) Act, 2015

9.25 The Hon'ble Supreme Court on 13.07.2022 passed a judgement in Barun Chandra Thakur v/s Master Bholu & Anr. CrI. Appeal No. 950/2022, wherein the Hon'ble Court, examined the proceedings arising out of preliminary assessment made under Section 15 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act (JJ Act), 2015. Through the said judgement, the Hon'ble Court indicated that

the task of preliminary assessment under Section 15 of the JJ Act, 2015 is a delicate task which requires expertise and has its own implications with regard to the trial of the case. The Central Government, NCPCR and SCPCRs have been directed by the Hon'ble Court to consider formulating guidelines for the procedure to be adopted by the authorities while conducting the assessment under Section 15 of the JJ Act, 2015. In view of the Hon'ble Supreme Court's directions, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) had developed guidelines describing the key procedures that will enable the Juvenile Justice Board (JJB) to conduct the preliminary assessment in consonance with the guiding principles and other provisions of the Act. These said guidelines have been formulated in a manner so as to not limit the experts by providing or suggesting any kind of specific assessment tool. The link of the guidelines is given as follow: https://ncpcr.gov.in/uploads/16813797786437d1c2bea2a_guidelines-for-conducting-preliminary-assessment.pdf

D. PARIKSHA PARV (5.0 AND 6.0)

9.26 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) inspired from the Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, "Pariksha pe Charcha" programme like previous years and conducted Pariksha Parv 5.0 started from 7th February, 2023 to 31st March, 2023. Pariksha Parv 5.0 is an endeavour for providing a platform for students, parents and teachers to share their thoughts and get guidance and important tips from the experts/renowned personalities and motivational speakers. In such stressful times, talking about and sharing the uneasy and confusing thoughts would help mitigate

stress and anxiety of students to a great extent, change the outlook/perspective of children towards exams and make it a joyful activity like a festival. During this year in 2023, NCPCR launched “Pariksha Parv 5.0” with the following major activities:-

- i. 15 Live Streaming Sessions telecasted through Social Media of NCPCR- Facebook/Twitter and YouTube on topics related to examination pressure and stress, cyber safety, prevention of drugs and substance abuse, online education, safety and security, POCSO, career counseling etc. Renowned experts from various fields such as mental health, motivational speakers, cyber law experts, educationist experts, yoga gurus etc.interacted with children, parents and teachers.
- ii. 06 Radio spots were broadcasted on Vividh Bharti (National), All India Radio for creating awareness on Pariksha Parv 5.0 with audio messages of Hon’ble Prime Minister’s “Pariksha Pe Charcha, 2023.
- iii. Invited small audio-video messages from students on “Exam Warrior” through NCPCR website. The Commission received 3251 audio/video messages from all around the Country.
- iv. To create awareness on NCPCR’s social media accounts during Pariksha Parv 5.0, more than 75 creative and 06 Radio spots were developed by the Media cell in house team as well as outside media agency.

9.27 Pariksha Parv was celebrated for the first time in the year 2019-20, after the Parents Teachers Associations (PTAs) and

school teachers. For 2024, “Pariksha Parv 6.0” entailed the following major activities-

- i. **District and State level orientation cum sensitization programme-** The programme is intended for sensitizing parents through School Management Committees (SMCs) and Commission began to organize the programmes and till 29.02.2024 had organized around 100 programmes in different Districts.
- ii. **Live Streaming Sessions-** on topics will be organized on topics related to examination pressure and stress and other child related issues wherein renowned persons/ experts from the field of Mental Health, Motivational speakers/ Educationist/Cyber law, experts, Yoga Gurus, founders of StartUps will be interacting with children, Parents and teachers. The sessions were streamed live on Social Media channels of NCPCR including Facebook, Twitter and YouTube.
- iii. **Online quiz based on ‘Exam Warriors’ for children**
- iv. **Audio-video messages from students on “Exam Warrior”** - Working on children’s Right to Participation, the Commission involved more children in this program, by inviting audio-video messages of about 60 seconds from the children/students of classes 5th to 12th with full parental consent and with complete regard to child physical as well as online safety. The select videos were uploaded on NCPCR’s social media accounts after parental consent.

- v. Meta, in collaboration with NCPC Rconducted an event on 12.02.2024 to launch a campaign aimed at uniting students, teachers and parents towards shared understanding of dealing with exam stress and complement existing efforts i.e. Pariksha Parv.

E. USE OF OFFICIAL LANGUAGE

i. Hindi Pakhwara

9.28 Hindi Diwas is celebrated on 14th September in the country because on this day in 1949, the Constituent Assembly of India had adopted Hindi written in Devanagari script as the official language of India. Assistant Director of the Commission participated in two days (14-15 September, 2023) Hindi Diwas programme organized in Pune (Maharashtra) by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The messages of Hon'ble Home Minister and Hon'ble Minister of Women & Child Development were read amongst the staff. Hindi Pakhwara (Fortnight) was celebrated in NCPCR from 16th September to 30th September, 2023 wherein various activities to promulgate Hindi Language were carried out in the Commission through competitions like hindi essay, shabd samran, hindi kavya path, hindi dictation (for MTS only). The employees of the Commission participated in these events with great enthusiasm. The winning participants were awarded cash prizes and certificates by the Chairperson, Members and Member Secretary, NCPCR.

ii. Hindi Workshop

9.29 Hindi Workshops are organized in every quarter of the year to encourage the officers and staff of the Commission to work

in Hindi language. During the workshop, officers and staff were given practical training to prepare drafts of letters in Hindi. The participants of the workshop were also given information about official Language Policy of the Government of India.

iii. The Meeting of the Official Implementation Committee

9.30 The meeting of the official Language Implementation Committee of NCPCR is organized in every quarter to implement various constitutional and legal provisions of official Language Act, 1963 and rules framed there under. During the meeting, problems come in the implementation of Official Language and condition of official language is discussed with competent authority.

F. BENCHES/CAMPS

9.31 One of the functions of the Commission under section 13(1)(j) of CPCr Act, 2005 is to inquire into complaints and take suo-motu notice of matters of violation and deprivation of child rights and their entitlements.

9.32 The Commission is committed to reach out to every last child in the country through its various interventions under the mandates provided under CPCr Act, 2005. To reach out to as many children as possible and for redressing their grievances, NCPCR in phase II from September, 2023 has undertaken the task of holding grievance redressal Camps/ Benches in Districts with high population of tribal and Districts having Aspirational blocks. NCPCR has conducted its grievance redressal benches/camps to redress grievances pertaining to violation and deprivation of rights and entitlements of children.

9.33 The details of Benches/Camps organized by NCPCR from January, 2023 to March, 2024 is given in **Annexure - XXIV**.

9.34 In 117 grievance redressal Benches/Camps of NCPCR held in Aspirational Blocks, and in Districts having high tribal population, NCPCR has received around 44,000 grievances pertaining to various issues of violation and deprivation of child rights. With Commission's intervention birth certificates, caste certificates, disability certificate, adhaar cards of children were made by the concerned department. Disabled children were linked with disability pension. Mapping of vulnerable families was done by constituting a committee comprising of Panchayat Sarpanch, Panchayat Secretary, Aganwadi workers and children. Vulnerable families, children who had lost their parents during covid-19 pandemic were linked with government scheme. On spot submission of the concerned departments were obtained and solutions were provided by

G. GRIEVANCE REDRESSAL

i. Complaints of Child Rights violations/deprivations and Suo-motu actions by the Commission.

9.35 NCPCR under Section 13 of the Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act 2005 is mandated to inquire into complaints related to the violation of child rights. During the period under Report (from January 2023 to January, 2024), the Commission received **27456** new complaints pertaining to deprivation and violation of child rights including the complaints received from NCPCR's Benches/Camps. As against this, **3406** complaints including pending ones were closed during the period (Details in **Annexure - XXV**).

H. 18th FOUNDATION DAY, CELEBRATION OF NCPCR-

9.36 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) celebrated its 18th Foundation Day on 2nd March 2023 on "Empowering Girl Child" theme at Auditorium, Pradhanmantri Sangrahalaya, Teen Murti Marg, New Delhi. To mark the day, NCPCR invited girl children from bordering villages of 75 Districts across the country. Children of BSF families were also invited for the programme. Children from 46 remote bordering villages of bordering Districts were present for the event viz; Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Uttarakhand, Punjab, Sikkim, Mizoram, Manipur, Assam, Tripura participated in the programme.

9.37 Union Minister for Women and Child Development and Minority Affairs, Smt. Smriti Zubin Irani was the Chief Guest of the event. Secretary, WCD, Shri Indavar Pandey and Chairperson, NCPCR, Shri Priyank Kanoongo were present during the celebrations.

9.38 Union Minister, M/o WCD and M/o Minority Affairs Smt. Smriti Zubin Irani interacted with children and expressed her happiness at the event and was overjoyed to see participation of children from vibrant bordering Districts of the country. She said that children, according to the Hon'ble Prime Minister of India, are "crucial to the growth and development of the nation". She encouraged and motivated the children to strive well in all spheres of life.

9.39 The Hon'ble Union Minister of WCD and Minority Affairs launched "Child Rights Champions World" a dedicated feature on NCPCR's website on child rights literacy. Hon'ble Prime Minister's book "Exam

Warrior” was distributed to children. A tour to Pradhanmantri Sangrahalaya, New Delhi was also arranged by NCPDR for all the children and their guardians/escorts.

I. RESCUE OPERATIONS

9.40 NCPDR celebrated “Elimination of Child Labour” month in the honor of World Day against Child Labour by conducting rescue operation in 20 States, 145 Districts and 145 places all over India as part of the of “Azadi ka Amrit Mahotsav” starting from **1st - 30th June 2023**. The rescue operation was particularly focused on the areas of Railway Stations / Railway Road (within 1 km radius). This rescue

operation provided an occasion for unified commitment and action to address the issue of child and bonded labour through convergent action by all the authorities, departments, and stakeholders. The stakeholders involved in the rescue operation were SDM/ADM, CWC, Labour Inspector, DCPO, DPO, SJPU, Childline, DLSA, Task Force Officers, Volunteers (NCCA, ISS), NGOs, RPF etc.

9.41 Zone-wise virtual meetings regarding the rescue operations were conducted from 3rd - 9th Nov 2023. 2150 children were rescued from 145 places all over India, 258 FIRs were registered & 149 Challan were issued.



PART- II**A. CHILDLINE TRANSITION UNDER MISSION VATSALYA**

9.42 Ministry of Women and Child Development (MWCD) being the nodal Ministry for ensuring welfare of children after the approval of the Cabinet in 2021 has now implemented Mission Vatsalya in order to secure healthy & happy childhood for each and every child in India, to ensure opportunities, to enable them to discover their full potential and assist them in flourishing in all respects, in a sustained manner. As proposed, Mission Vatsalya in partnership with the States and Districts shall execute the 24x7-helpline service for children as defined under the JJ Act, 2015, and as amended in 2021. With respect to the same, MWCD has also send a note to the Chairperson, NCPCR to obtain legal opinion from the Ld. ASG for a way ahead to bring ChildLine services directly under the ambit of Government of India. Through the opinion given by the Ld. ASG it is further clarified that the MWCD through appropriate provisions in the applicable scheme i.e Mission Vatsalya can select and appoint other organization like NCPCR for National level operations of Childline. As ChildLine - 1098 services is provisioned under the JJ Act, 2015 and as the Commission is mandated to *monitor the implementation of the provisions of the Act* under Section 109, hence monitoring of the ChildLine service also comes within the monitoring role of NCPCR.

9.43 In view of the above in furtherance of its monitoring powers, the Commission proposed to the Ministry of Women and Child Development along with a Standard Operating Procedure for transition of Childline Services.

B. MEDIATION CELL

9.44 The Hon'ble Ministry of Women and Child Development (MWCD), vide its order No. 31/59/2016-CW-I dated 27 July 2018, in accordance with the power conferred to the Government of India under Section 33(1) of the Commission for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005, constituted a "Mediation Cell" in National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). This was created to resolve the cases of children who were taken away by one of the spouses, without the permission of the other spouse, due to marital discord or domestic violence from overseas countries to India, or vice versa, and for preparing a Parental Plan taking into account the best interest of the child. The Cell is actively mediating on cases involving NRI parents.

C. PORTALS & DIGITALISATION**i. MASI- Monitoring App for Seamless Inspection:**

9.45 The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has developed an application- *MASI – Monitoring App for Seamless Inspection*- for real time monitoring of the Child Care Institutions (CCIs) and their inspection mechanism across the country. The effective and efficient functioning of the mechanism for inspection of Child Care Institutions provided under the Juvenile Justice Act, 2015 and synchronous monitoring of the system is the rationale behind developing this comprehensive application.

ii. Baal Swaraj Portal-COVID Care

9.46 NCPCR had devised an online portal Baal Swaraj to do real time monitoring of

children in need of care and protection. Keeping in view of the second surge of COVID pandemic and the number of complaints being received for children who had become orphan by losing their parents to COVID, a link on the portal had been devised-COVID Care link.

iii. Baal Swaraj Portal-CISS

9.47 The Hon'ble Supreme Court has taken cognizance on the issue of children in street situation in SMWP (C) No. 6/2021 In Re Children in Street Situations on 15.11.2021. The problems pertaining to the rescue and rehabilitation of children who are on the streets were taken up before the Hon'ble Supreme Court in this case and many directions have been passed to the State Governments to take measures and steps for rescue and rehabilitation of children in street situations. The Hon'ble Supreme Court had observed that the Standard Operating Procedure for rescue and rehabilitation of children in street situations 2.0 formulated by NCPCR provides for steps and role of authorities while dealing with street children which are comprehensive in nature.

iv. Baal swaraj – citizen login (portal)

9.48 NCPCR on its Baal Swaraj Portal-CISS has devised a link <https://ncpcr.gov.in/baalswaraj/citizenlogin>, through which individuals, academic institutions and Non-Government Organisations/Civil Society Organisations (hereinafter referred to as “NGOs/CSOs” respectively) having varied experience of working towards the cause of children in street situations (hereinafter referred to as “CiSS”) could be involved at the ground level with the appropriate authorities for the identification and rehabilitation of

CiSS.

v. Pocso tracking portal

9.49 The POCSO tracking portal was inaugurated by the Hon'ble Mr. Justice Uday Umesh Lalit, Former Chief Justice of the Supreme Court of India, on July 17, 2022. This tracking portal, a collaborative effort between the National Legal Services Authority (NALSA) and the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), was conceived to fulfill the Commission's mandate of overseeing the enforcement of the POCSO Act 2012, as outlined in Section 44. Recognizing the imperative for a dedicated platform to monitor implementation and facilitate services for victims of child sexual abuse under the POCSO Act, the tracking portal aims to provide real-time tracking of cases involving child sex abuse victims. It is envisioned to streamline processes for victim compensation and rehabilitation, ensuring their care and safety.

vi. Ghar portal

9.50 The extent and scope of the NCPCR monitoring role has been significantly increased with respect to the implementation of Juvenile Justice (Care and Protection of Children Amendment Act, 2021 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2022. As per Rule 81 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2022 (Transfer and Repatriation of Child), the role of the Commission has been elaborately defined. Since the implementation of the JJ Act, 2015 and its Rules, 2016, there were many challenges and gaps which came to the notice, especially hindering the process of rehabilitation of children. In an attempt to

eliminate those challenges which are being faced by authorities in repatriation and to send the maximum number of children back to their native place with their families/relatives the Commission has prepared Protocol for Restoration and Repatriation of children and GHAR (Go Home and Reunite) portal.

vii. Tracking portal for out of school children

9.51 The Hon'ble Supreme Court has discussed upon the various issues related to children who have either dropped out of school or are likely to drop out of school and expressed its concerns towards the continuation of education of children during the COVID pandemic. In the last order dated 09.05.2022, the Hon'ble Supreme Court has given the directions for ensuring continuation of education of children and identifying children who have dropped out of school. Therefore, NCPCR to developed a web portal track and monitor children who are drop out and currently out of school so as to bring such children back in the main stream education system.

viii. POCSO e- Box

9.52 The POCSO e-box is an easy and direct medium for reporting any case of sexual assault under POCSO Act, 2012. The POCSO e-box was launched in August 2016 by the Commission as an additional facility to enable

the children to lodge complaints directly to NCPCR, particularly in cases of sexual abuse. It is displayed prominently on the home page of NCPCR website, where the user has to simply press a button named POCSO ebox, which will navigate to a page asking picture options. User has to simply select at least one picture option, fill a simple form and click on submit button to register the complaint. After this, an acknowledgment is received about the complaint being registered along with a complaint number. This initiative has been proved as one of the most effective way of receiving complaints and information.

ix. Management information system portal

9.53 NCPCR being a monitoring authority required data under various Acts in a performa prescribed by NCPCR. To save financial, human and other resources in carrying out this process, NCPCR under Rule 17 (g) of NCPCR Rules, 2006, has initiated the process of collecting data/information through development of an online Management Information System Portal on various indicators. It is a tool that indicates performance under various indicators that helps comparing data from other sources. There are 187 State/UT level and 2238 district level nodal officers given access to the system for uploading the relevant information on regular basis.



Central Adoption Resource Authority



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Central Adoption Resource Authority

Central Adoption Resource Authority

10.1 Central Adoption Resource Agency (CARA) was set up in June, 1990 by the Ministry of Welfare, Government of India to regulate, monitor and promote adoption of orphaned, abandoned or surrendered children, with the principal mandate of finding loving families for Children in need of Care and Protection. Pursuant to a decision of the Union Cabinet dated 2nd July, 1998, the Ministry of Social Justice & Empowerment conferred autonomous status to CARA on 18th March, 1999 by registering it as a Society under the Societies Registration Act, 1860. Adoptions under the JJ Act, 2000 enabled placement of children in adoption with the involvement of recognized agencies and authorities for ensuring safeguards in adoption placement of institutionalised children.

10.2 Central Adoption Resource Authority (CARA) became a Statutory Body of the Government of India under the provisions of Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 w.e.f. 15th January, 2016. The JJ Act, 2015 has been amended through Govt. notification on 09/08/2021 and one of the most important features of the amendments is that it includes authorizing District Magistrate including Additional District Magistrate to issue adoption orders under Section 61 of the JJ Act,

in order to ensure speedy disposal of cases and enhance accountability. Central Adoption Resource Authority (CARA) functions at the National level, under the aegis of Ministry of Women and Child Development (MWCD), as the nodal body for promoting and regulating adoption of Indian children.

I. Role & Charter of CARA

10.3 As envisaged in Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Amended in 2021), CARA is mandated as under :-

- i. To promote in-country adoptions and to facilitate inter-state adoptions in co-ordination with State Agency;
- ii. To regulate inter-country adoptions;
- iii. To frame regulations on adoption and related matters from time to time, as may be necessary;
- iv. To carry out the functions of the Central Authority under the Hague Convention on Protection of Children & Cooperation in respect of Inter-country Adoption;
- v. Any other function as may be prescribed.

II. Organisational Structure

10.4 CARA is headed by the Chief Executive Officer (CEO) and has a sanctioned strength of

37 officers and staff altogether. The Authority has a Steering Committee with the following members as defined in Section 69 of the JJ Act, 2015 :-

- i. Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, Chairperson-ex-officio;
- ii. Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, dealing with Authority-ex-officio;
- iii. Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, dealing with Finance-ex-officio;
- iv. One member from a State Adoption Resource Agency;

- v. Two members from Specialised Adoption Agencies;
- vi. One Adoptive Parent;
- vii. One Adoptee;
- viii. One advocate or a professor having at least ten years of experience in family law;
- ix. Member-Secretary, who shall also be Chief Executive Officer of the Organization.

III. Associated Authorities and Agencies

10.5 The Authorities and Agencies associated with CARA in the adoption process are tabulated underneath :-

S. No.	Stakeholders (Registered in CARINGS)	No. of Stakeholders (as on 31-03-2024)
(a)	Specialised Adoption Agencies (SAAs)	516
(b)	District Child Protection Units (DCPUs)	736
(c)	Child Care Institutions (CCIs) linked with SAAs	5789
(d)	Authorized Foreign Adoption Agencies (AFAAs) & Central Authorities of foreign countries (CAs)	51
(e)	Prospective Adoptive Parents (PAPs)	In-Country - 30760 Inter-Country - 873
(f)	State Adoption Resource Agencies (SARAs)	35
(g)	Chief Medical Officers (CMOs)	592
(h)	Child Welfare Committee (CWC)	297

(SOURCE : CARINGS)

All District Magistrates (DMs) are connected online for the purpose of issuance of Adoption Orders.

IV. Programme Activities

10.6 CARA framed the Adoption Regulations, 2022 as mandated under Section 68(c) of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (Amended in 2021) which has been operational from 23rd September, 2022. The new Adoption Regulations aims to strengthen adoption programme in the country by streamlining the adoption process. Transparency, early de-institutionalization of children, informed choice for the parents, ethical practices and defined timelines in the adoption process are the salient aspects of the Adoption Regulations, 2022.

A. Notification of Adoption Regulations and Outcome

i. Empowerment of DM

10.7 The District Magistrate (DM) holds pivotal position as the head of the district administration at the district and is entrusted to ensure effective implementation of the JJ Act as well as garner synergized efforts in favour of children in need of care and protection and children in conflict with law. In line with the JJ Amendment Act, 2021, the Adoption Regulations, 2022 empowered DM to issue Adoption Order within a defined time line, whereas earlier Adoption Orders were issued by the District Courts. As on September 12, 2022, there were 997 Adoption Orders pending with various Courts ranging from two month to beyond one year. The pendency has been reduced considerably as on 31st March 2024. (most of the cases within the stipulated time of 60 days) .

ii. Verification of Special Needs Children by CMO

10.8 To streamline/simplify the adoption process of Special Need (SN) Children and further to ensure accurate determination of health status of such children, following amendments have been made as provisioned in Regulation 37 of Adoption Regulations, 2022.

- i. Chief Medical Officer of a district to declare the health status of a child having special needs as provided in Schedule XVIII and Schedule III(Part-E) within a period of fifteen days
- ii. Schedule III (Medical Examination Report) and Schedule XVIII (Classification of Special Needs) have been re-drafted with 15 broad categories of disease/ deformities in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

10.9 Around 600 CMOs are registered and the New MER module has been developed enabling CMOs to certify the health status of the children having special needs.

iii. Foster Adoption

10.11 Foster Adoption is a process through which a child who is already in a foster care of a family gets an opportunity to be with the same family permanently on the successful completion of 2 years in foster care. Regulation 41(19) mandates CARA to carry out activities to promote non-institutional care for children who have not been able to find a family through adoption and further Regulation 53 stipulates other options for rehabilitation of children and CARA may make additional efforts for adoption of hard to place children

through foster care. In line with the Adoption Regulations 2022, CARA has been promoting the adoption of older children who are already in foster care. A new 'foster adoption' tab has been made functional on the CARINGS portal with the primary goal of broadening the benefits of the adoption programme to older children whose legal status is defined through due procedures under the JJ Act, 2015. The portal is operational for the adoption of children who are already under foster care and both foster parents and child in foster care are desiring to opt for adoption. So far, 10 children have benefitted through this module. Further, 29 more cases are registered on the recently operationalized Foster Care Adoption section on CARINGS.

A. Foster Care

10.12 Foster Care Module has also been made functional on CARINGS. This shall help to promote non-institutional care of older children in the category of 'hard to place child' and 'Non-adoptable children' as per the procedures laid down in section 44 of the JJ Act, 2015 (amended in 2022), and Rule 23 of the JJ Model Rules, 2016 (amended in 2021). All children in need of care and protection (CNCP) including children in the category of "no visitation" and "unfit guardian" are eligible for foster care. Further, more than 100 parents have already registered on the recently operationalized Foster Care section on CARINGS.

Moreover, after the successful completion of two years in foster care and following all prescribed criteria, the foster parents can also adopt the same child who was in their foster care.

iv. Facilitating inter-country Adoptions under Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956

10.13 Hindu Adoption and Maintenance Act (HAMA), 1956 is a personal law under the purview of Ministry of Law and Justice that allows adoption to be undertaken by Hindus. Adoption Regulations, 2022 in its chapter VIII has stipulated the role and responsibility of CARA in cases of HAMA adoptions by NRI/OCI PAPs who desire to relocate the child abroad. CARA registers applications for inter-country adoptions under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 for adoption procedure for Non-Resident India (NRIs) or Overseas Citizens of India Card holder prospective adoptive parents who live outside the country and now wish to relocate the child abroad. From 01st January to 31st March 2023, 50 support letters have been issued by CARA.

v. Mandatory counselling in Disruption or Dissolution

10.14 To orient Prospective Adoptive Parents (PAPs) and older children on the needs, expectations, challenges and resolution that one can expect during and after the adoption process, Adoption Regulations 2022 has stipulated mandatory counselling for PAPs and children. Counselling aims to prepare the PAPs and ensure swift acclimatization of the child into the adoptive family. Adequate safeguards have been provided for children where there has been disruption/dissolution under the JJ Act. Online processing of Disruption or Dissolution has also been enabled through CARINGS.

vi. Timelines

10.15 In adoption process, each of the

steps is dependent on its preceding step for a smooth adoption case to be executed. Defined time lines have been stipulated with intent to reduce delay in processes. Timelines at various stages like uploading of Legally Free for Adoption Certificate (LFA) within ten days, examination of special needs children within a period of fifteen days and verification of adoption application documents by DCPU within five days, issuance of adoption orders by DM within sixty days are some of the timelines mentioned in the Adoption Regulations, 2022. The detailed timeline has been enumerated in **Schedule XIV- Timeline for Authorities and Agencies**. It has expedited the process at each level and has ensured orderly progress in adoption process.

vii. Preparation of Home Study Report

10.16 Home Study Reports (HSR) is one of the crucial and preliminary documents based on which the eligibility and suitability of the PAPs are assessed for adoption. The new Regulations have allocated this responsibility to be undertaken by DCPUs as well in addition social worker of a selected SAA or empanelled social worker of SARA. The time line to conduct the HSR has been increased from 30 days to 60 days. Since then, till 31st March, 2024, 822 HSR have been completed by DCPUs from the date of notification of the regulation.

viii. Role of Indian Diplomatic Missions (IDMs)

10.17 Indian Diplomatic Missions (IDMs) abroad have been entrusted with responsibilities pertaining to adoptions by NRI/OCI PAPs. In addition to existing responsibilities, the latest Regulations mandates IDMs to take up the remaining post

adoption follow ups for the Indian adoptive parents relocating to a foreign country.

ix. Role of Birth Certificate Issuing Authority

10.18 The local registrar notified under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969) issues birth certificate in favour of an adopted child on an application filed by the SAA or adoptive parents, incorporating the names of the adoptive parents as parents and the date of birth of the child as mentioned in the Adoption Order of the DM, in accordance with circulars issued from time to time by the Registrar General of India. The Regulations have clarified that 'no physical presence of the adoptive parents' is required for the issuance of birth certificate.

x. Grievance management system revamped

10.20 Timely redressal of grievance has been a major challenge, as all complaints were directly addressed to CARA. It has been observed that majorly the grievances were due to non-clarity about adoption procedure. To address the issue, the following measures have been taken:-

- i. **Hour Help Desk:** A 12 hour Help Desk established to address the queries in a speedy way.
- ii. **Central Grievance System:** It is an Online Module to address the grievances at various levels which has been made operational where grievance are addressed at levels i.e. if not resolved by SAA/DCPU, it will be visible on online portal of SARA and lastly at CARA.

10.21 The details of the calls handled by Helpdesk are as under :-

S. No.	Inbound calls	Outbound calls	Total
1 st Jan 2023 to 31 st Mar 2024	79433	79433	79433

10.22 Total 2065 grievances were received and 2037 grievances have been addressed, through CPGRAMS, CARINGS Grievance Portal and e-mails from 1st January, 2023 to 31st March, 2024.

xi. Punitive measures for non-serious PAPs

10.23 Adoption Regulations, 2022 has stipulated stringent measures for non-serious PAPs and also paving way for the awaiting PAPs to get a chance to adopt. Taking cognizance of these issues, new Regulations stipulated following :-

- i. If PAPs fail to reserve a child out of the stipulated three referrals, they shall be barred for a period of one year after which they can re-enter the adoption process with new registration. It may be noted that all such PAPs have already been debarred from the system.
- ii. If PAPs found to be the reason for disruption/dissolution they shall be barred from adopting again. Till 31st March 2024, a total of 55 PAPs have been barred from the system.

xii. Younger PAPs for Younger Children

10.24 In order to provide care and nurture to the child, it becomes pertinent for the PAPs to match the energy level of a child. For instance, a toddler may require more

physical and mental responsiveness from the parents as compared to an older child. Therefore, age brackets of PAPs have been defined in accordance with that of a child. Adoption Regulations, 2022 has modified the age eligibility criteria to ensure that younger children are placed with younger PAPs by bifurcating the 0-4 years category into 0-2 years for couples with composite age of 85 years and 40 years for single PAP. Simultaneously for children in age group of 2-4 years the maximum composite for couples is 90 years and 45 years for single PAP.

xiii. Child Welfare Committee Module

10.25 Child Welfare Committee (CWC) plays an important role as a competent authority to take action in the best interest of the child and determine their legal status for eligibility of adoption. CWCs have been provided access to the CARINGS wherein, it can now monitor the status of all registered children profile online, who are available for adoption and foster care on CARINGS.

xiv. Special Needs Children

10.26 According to Adoption Regulations "special needs child means a child who is suffering from any disability as provided in the Rights of Persons With Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) as given in Schedule XVIII and Schedule III (Part E) of the Regulations". At present children are classified as Special Needs based on 15 broad categories of disease/ deformities related to children as provided in Schedule III, part E of Adoption Regulations. A total of 362 special needs children have been placed from 1st January, 2023 to 31st March, 2023. These children were suffering from various physical and mental disorders and disabilities and were declared

as having special needs by the CMO of the district. Further, in order to minimize the number of special need children languishing in Homes, District Magistrates of 69 Districts were contacted to monitor the progress of categorization of health status of children by the CMOs.

xv. 7-Days Portal for RI/ NRI/ OCI PAPs

10.27 7 Days Portal was launched on 14th November 2022 by which the Resident Indians (RIs), Non Resident Indian (NRI), Overseas Citizen of India (OCI) card holder Prospective Adoptive Parents (PAPs) were enabled to access and reserve a child from '7 days' module on CARINGS from their PAPs login, irrespective of their seniority. Many children have been placed since then.

xvi. Issuance of Support Documents

10.28 CARA has issued 380 pre-approval letters in cases of domestic relative and step adoption and has issued 62 support letters to RPOs for issuing passports to domestic adoptive parents for relocation of their children.

xvii. Disallowing PAPs already having two children to adopt a normal child

10.29 As per Regulation 5(7) of the Adoption Regulation 2022, couples with two or more children shall only be considered for special needs children as specified in clause (25) of Regulation 2, and for hard-to-place children as stated in clause (13) of regulation 2 unless they are relatives or step-children.

xviii. Clarity in Adoption Fee and its utilization

10.30 A break-up of adoption fee and its utilisation pattern by SAAs/CCIs has been provided at Schedule XV (Adoption fees and

their utilisation by Specialised Adoption Agencies) in Adoption Regulations, 2022. This has brought transparency and clarity to the stakeholders involved in the adoption process.

V. CARINGS

10.31 Launched in February, 2021, Child Adoption Resource Information & Guidance System (CARINGS) is a web based designated portal for registration of PAPs desiring to adopt. All stakeholders have access to the portal and adoption process is completed on line through the CARINGS Portal. Its latest version 3.2 was made operational on 10th November, 2022 incorporating the new provisions made in accordance with the Adoption Regulations 2022, which also includes In-Country Relative Adoption and In-Country Post Adoption Follow-up Modules.

10.32 CARINGS Portal conforms to the international protocol as envisaged in the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Inter-country Adoption. It integrates the two databases pertaining to the legally free children available with that of the Prospective Adoptive Parents (PAPs) who register themselves online through the same system. The automated system matches the children available for adoption automatically with that of the choice given by PAPs and it gives online referrals automatically without any human intervention. Simultaneously, PAPs are able to view and reserve the children directly through Special Needs tab, Foster Adoption tab & Immediate Placement tab.

i. Development of Modules & Provisions

10.33 The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended

in 2021) was enforced w.e.f. 01.09.2022 and Adoption Regulations, 2017 have been amended in 2022 which were notified w.e.f. 23.09.2022. Accordingly, the following modules and provisions have been developed and made live on CARINGS portal during the year 2023:-

- i. Automated referral cycle is being executed five days in a week w.e.f. 15-01-2024 on Monday at 10:00 AM, Tuesday at 11:00 AM, Wednesday at 12:00 Noon, Thursday at 01:00 PM and Friday at 02:00 PM. [Regulation 8 (1) (a & b)].
- ii. Automatic execution of '7 days for RI/NRI/OCI PAPs' tab is being executed once in a week w.e.f. 15-01-2024 on every Tuesday at 10:00 AM. [Regulation 8 (1) (c)].
- iii. To disallow the PAPs already having two children to adopt a normal child [Regulation 5 (7)].
- iv. Debarring of PAPs for a period of one year not reserving a child out of requisite number of referrals (three referrals for RI/NRI/OCI PAPs and two referrals for Foreigner PAPs) [Regulation 9 (3)].
- v. Disruption and dissolution module [Regulation 14 (5) (6)].
- vi. Revamped Central Grievance System (CGS).
- vii. Foster Adoption module.
- viii. CARA Dashboard.
- ix. Foster Care Registration.
- x. CWC Module.
- xi. SMS/E-mail Alerts system for various stakeholders.

- xii. Inter-country Relative Adoption [Regulation 56-60]. Updated module is yet to be operationalized.
- xiii. In-country Relative Adoption [Regulation 54]. Updated module is made operational.

VI. Adoption Data (Consolidated) during last three years:-

Adoption	2021-22*	2022-23**	2023-24 (As on 31.03.2024) **
In-country	2991	3010	3580
Inter-country	414	431	449

*As per Adoption Statistics given in CARA Website.

**DATA retrieved from CARINGS portal

VII. Training & Development Activities

10.34 The legal framework of Adoption has seen major shifts during the past year. In order to equip the field/grass – root functionaries with the latest changes, their roles and responsibilities, efforts were put to organise frequent Trainings and Capacity Building programme. The trainings were conducted in physical as well as virtual mode to ensure that maximum stakeholders are benefitted. Regional Consultation on JJ Amendment Act, 2021 and JJ Model Rules, 2022 and Adoption Regulations, 2022 were organised by MWCD in collaboration with CARA and NIPCCD especially for District Magistrates and Additional District Magistrates. CMOs training on latest amendment and MER were also organised, so to facilitate the CMOs with the process. The detailed list of the Training Programme is placed underneath.

- i. Trainings in collaboration with MWCD, NIPCCD, State Governments and In-House Trainings (Annexure - XXVI)

ii. Virtual Orientation Training Programmes (**Annexure –XXVII**)

10.35 The orientation and refresher trainings (virtual) conducted from April 2023 on JJ Amendment Act 2021 and Adoption Regulation, 2022.

iii. Zone-wise Virtual Training for Chief Medical Officers (CMOs) (**Annexure – XXVIII**)

10.36 Zone-wise virtual trainings for Chief Medical Officers (CMOs on MER and classification of Special needs (as per Schedule III & XVIII) by Professor Dr. Shefali Gulati, Chief, Child Neurology Division, Department of Pediatrics, AIIMS New Delhi was organized by CARA.

iv. Zone-wise Virtual Training for SARA and DCPU functionaries on procedures related to relative, step-parent and foster adoption. (**Annexure –XXIX**)

v. Zone-wise Virtual Training for SARA, DCPU, SAA & CWC functionaries on identification of children under different categories, Foster Care, Foster Adoption, CWC linkage to CARAINGS. (**Annexure –XXX**)

vi. Trainings at CARA office

10.37 Two trainings have been organised in the CARA office (offline mode), one with the state of West Bengal from 24th May to 25th May 2023 and the other with the state of Jammu & Kashmir from 13th October to 16th October 2023.

VIII. Activities Undertaken during the Adoption Awareness Month (November 2023)

10.38 Every year, November is marked as Adoption Awareness Month. Therefore, all

States were encouraged to organise events to draw attention to adoption-related issues. This year the emphasis was on the adoption of older children, children with special need or children in foster care. Throughout the campaign, the thrust was to raise awareness about need to adopt older children/special need children & children presently in foster care. CARA aimed to spread adoption awareness amongst the stakeholders including the prospective adoptive parents.

i. Orientation and Awareness Programmes held in several States/ UTs :-

a) Orientation Programmes

S. No.	State	Date
1.	Patna, Bihar	27.01.2023
2.	Guwahati, Assam	02.03.2023
3.	Aizawl, Mizoram	10.3.2023
4.	Lucknow, Uttar Pradesh	10.03.2023-11.03.2023
5.	Jammu & Kashmir	09.11.2023
6.	Gujarat	06.12.2023
7.	West Bengal	29.09.2023
8.	Tripura	10.01.2024
9.	Manipur	11.01.2024
10.	Uttarakhand	09.02.2024
11.	Andhra Pradesh	21.03.2024

b) Awareness Programmes

S.No.	State	Date
1.	Delhi (Awareness and Orientation program) in form of Adoption Awareness Conclave	07.11.2023
2.	Jammu & Kashmir	28.11.2023
3.	Odisha	22.11.2023
4.	Meghalaya	24.11.2023

S.No.	State	Date
5.	Maharashtra	25.11.2023
6.	Manipur	28.11.2023
7.	Arunachal Pradesh	29.11.2023
8.	Andhra Pradesh	30.11.2023
9.	Tamil Nadu	30.11.2023
10.	Karnataka	01.12.2023

S.No.	State	Date
12.	Tripura	07.12.2023
13.	West Bengal	09.12.2023
14.	The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	11.12.2023
15.	Kerala	20.02.2024



10.39 Conclave of Delhi-NCR held at New Delhi on 07th November, 2023. Shri. Sandeep Kumar Chadha, Additional Secretary, MWCD; Smt. Tripti Gurha, Joint Secretary, MWCD & CEO, CARA and Shri. Krishan Kumar, Director, WCD enlightened the audience by their gracious presence.

ii. Adoption Awareness Month 2023 Celebration in States/UTs :



Awareness Programme at Maharashtra



Awareness Programme at Tamilnadu



Awareness Programme at Andhra Pradesh



Awareness Programme at Jammu & Kashmir



Awareness Programme at Arunachal Pradesh



Awareness Programme at Odisha



Awareness Programme at West Bengal



Awareness Programme at Karnataka



Awareness Programme at Kerala



Awareness Programme at Manipur

10.40 To reach out to the large number of people, Central Adoption Resource Authority launched a Social Media Campaign in collaboration with MyGov India. Pledge Activity, Quiz Contest and Poster Making competition were carried on MyGov Platform.

- i. 4,529 people took CARA's Pledge
- ii. 55,484 people participated in Quiz Contest

- iii. 1,457 people participated in Poster Making competition

10.41 Additionally, CARA conducted two Facebook Live sessions to answer the queries of general public with regard to adoption. The Facebook Live sessions were held on 15th March & 16th August, 2023, large number of people joined the session and inquired about adoption procedure to CARA.



CARA conducted two Facebook Live sessions to answer the queries of general public with regard to adoptions

IX. Visits/Inspections

10.42 Periodic visits and inspections of the SAA/CCI and meeting with Child Welfare Committees were carried out by CARA officials as per previous years with added effort of meeting with Chief Medical Officers and most importantly interaction with the District Magistrates, has been the key features of this year's visits. Through these meetings, the state specific issues could be addressed more effectively. The functioning of CWCs was meticulously reviewed to ensure all adoptable children are being declared legally free for adoption. Detailed list of the agencies visited are listed below:

S.No.	State	Agency Visited	Date
1.	Jalandhar, Punjab	a) Missionaries of Charity-CCI, b) Bhai Ghanayya Ji Charitable Trust (Unique Home)-CCI	06.01.2023
2.	Paharganj, Delhi	a) Sewa Bharti Matri Chhaya-SAA	25.01.2023
3.	District Gorakhpur, Uttar Pradesh	a) Asian Sahyogi Sanstha India-SAA	03.02.2023- 04.02.2023
4.	Bhagalpur, Bihar	a) Ramnandi Devi Hindu Anathalaya-SAA, and b) Meeting with CWC Bhagalpur	7.02.2023
5.	Mumbai, Thane, Mumbai Suburban – Maharashtra	a) Review meeting of CWC Thane b) Review meeting of CWC Mumbai, and c) Review meeting of CWC Mumbai Suburban	13.02.2023
6.	Jalandhar, Punjab	a) Nari Niketan-SAA	23.02.2023
7.	Jalandhar, Punjab	a) Bhai Ghanayya Ji Charitable Trust-CCI b) Meeting with CWC Members, DM, DCPU	24.02.2023
8.	Kamrup Metro, Assam	a) Indian Council for Child Welfare (Shishugreh)-CCI, and b) Maitri Mandir-CCI	01.03.2023
9.	Mumbai, Maharashtra	a) Bal Aasha Trust-SAA	01.03.2023
10.	Solapur, Maharashtra	a) N.W.B. Balakashram-SAA	03.03.2023
11.	Aizawl, Mizoram	a) Sunshine society for children-SAA	10.03.2023
12.	Prayagraj, Uttar Pradesh	a) Rajkiya Bal Grih-SAA, b) DCPU Prayagraj, c) CWC Prayagraj	21.03.2023

S.No.	State	Agency Visited	Date
13.	Bengaluru, Karnataka	a) Amulya (G) Shushu Greh, Mathruchhaya-SAA, b) M/S Canara Bank Relief and Welfare Society-SAA, and c) Amrutha Shishu Nivasa-CCI	28.03.2023
14.	Bengaluru, Karnataka	a) St. Michaels Home-SAA, and b) Shishu Mandir-SAA	29.03.2023
15.	Deoghar, Jharkhand	a) CWC Deoghar, b) IRA Institute of Rural Management-SAA	08.06.2023 to 10.04.2023
16.	Indore, Madhya Pradesh	a) Sanjeevini Sewa Sangam-SAA, b) Sewa Bharti Matriya Chhaya-SAA, and Rajkiya Bal Sarkansan Ashram-SAA	10.06.2023
17.	Madurai, Tamil Nadu	a) CWC Madurai, b) Grace Kennett Foundation-SAA, and c) Claretian Mercy Home-SAA	15.06.2023
18.	Amritsar, Punjab	a) CWC Amritsar, and b) All India Pingalwada Charitable Society-CCI	22.06.2023
19.	Mumbai, Mumbai Suburban & Thane, Maharashtra	a) Meeting with CWC, SAA representatives	20.06.2023
20.	Bhopal, Madhya Pradesh	a) Sewa Bharti Madhya Matrya Chhaya-SAA, b) Udaan Social Welfare Development c) Organisation-SAA d) Kilkari-SAA, e) SOS Children village Khajurikalan-CCI, and f) Meeting with CWC	08.07.2023 -09.07.2023
21.	Mumbai, Maharashtra	a) The Hindu Womens Welfare Society-SAA	22.07.2023
22.	Ranchi, Jharkhand	a) Karuna NMO-SAA, b) Sahyog Village-SAA, and c) Maa Vaishnavi Trust (Balashray)-CCI	29.07.2023

S.No.	State	Agency Visited	Date
23.	Cuttack, Odisha	a) Meeting with CWC, DCPU, SARA	04.08.2023
24.	Guwahati, Assam	a) Children Home for Girls- CCI, b) Jalukbari-CCI, and c) Assam Shishu Kalyan Sadan-CCI	12.08.2023
25.	Varanasi, Uttar Pradesh	a) Shishu Bal Greh, Chandouli-CCI b) SOS Children's Village-CCI	19.08.2023
26.	Gujarat	a) SOS Children's villages-CCI	02.08.2023- 04.08.2023
27.	Pune, Maharashtra	b) SOFOSH Agency-SAA, c) TARA for special needs children-CCI, d) Maharshi Karwe for girls-CCI, and e) Bhartiya Samaj Seva Kendra-CCI	28.08.2023- 29.08.2023
28.	Vishakhapatnam, Andhra Pradesh	a) Meeting CWC Members and visiting SAA/CCI	07.09.2023
29.	Koraput, Odisha	a) Visit to SAA/CCI b) Meeting with CWCs of four districts	08.09.2023- 09.09.2023
30.	Kolkata, West Bengal	a) ISSA-SAA, b) Child in Need Institute (CINI)-CCI, Meeting with CWC, Kolkata	29.09.2023
31.	Srinagar, J&K	a) Children home for girls-SAA, b) Children Home for Boys-CCI, and c) Phulwadi-SAA	10.11.2023
32.	Imphal, Manipur	a) Punya Children's Home for Girls-CCI, b) Punya Nawa Yaiphakol-SAA	28.11.2023
33.	Jammu, J&K	a) Palaash (Boys Govt. Run)-CCI, and b) Parisha (Girls Govt Run)-CCI	27.11.2023- 28.11.2023
34.	Itanagar, Arunachal Pradesh	a) Oju Welfare Association-SAA, b) Oju Welfare Association-CCI, and c) Missionaries of Charity Sishu Bhavan-CCI	30.11.2023

S.No.	State	Agency Visited	Date
35.	Aurangabad, Maharashtra	a) Bharatiya Samaj Seva Kendra-SAA, b) SAKAR-SAA, and c) Lions Bal Club-CCI	20.11.2023- 01.12.2023
36.	Sambalpur, Odisha	a) Visit to SAA b) Meeting with CWCs, DCPUs & SAAs of seven districts c) Meeting with Principal Secretary, WCD Deptt, Govt of Odisha	03.12.2023- 05.12.2023
37.	Lucknow, Uttar Pradesh	a) CWC Lucknow b) Govt children home-SAA & CCI c) Srimad Dayanand Bal Sadan- CCI	15.12.2023- 16.12.2023
38.	West Tripura, Tripura	a) Anwasha Girls Home - CCI	10.01.2024
39	Kamrup, Assam	a) Assam Child and Women's Welfare Society – SAA b) Matri Mandir – SAA c) Meeting with CCI's, CWC & DCPU	09.03.2024
40.	Jammu, J& K	a) Visit to Govt. Children Home – SAA b) Meeting with CWC	12.03.2024
41	Guntur, Andhra Pradesh	a) Shishugruha – SAA b) Basadan – CCI c) Meeting with CWCs, & DCPUs	22.03.2024
42	Denduluru and Elluru, Andhra Pradesh	a) Balsadan – CCI b) Shishu Gruha - SAA	23.04.2024



State Orientation and Training Program on New Adoption Regulations, 2022 at Guwahati, Assam on 2nd March, 2023



State Orientation and Training Program on New Adoption Regulations, 2022 at Aizawl, Mizoram on 10th March, 2023



State Orientation and Training Program on New Adoption Regulations, 2022 at Lucknow, Uttar Pradesh on 10th & 11th March 2023



Visit to CCI at Kamrup Metro District, Assam on 12th August 2023



Visit to CCI – TARA a Home for children with Special Needs at Pune, Maharashtra on 28th August 2023



Meeting with CWC Members and visit to SAA/CCI in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh on 07th September 2023



Visit to SAA - ISSA and One Day Capacity Building Program on Adoption Regulations 2022 and CARINGS at Kolkata, West Bengal on 29th September 2023

Three Days Induction Training of SARA & DCPOs of Jammu and Kashmir at CARA, New Delhi from 16th to 18th October 2023



UT Level Orientation and Training Program at Jammu & Kashmir on 09th November 2023



State Orientation Training Program at Gandhinagar, Gujarat on 6th December 2023



Review Meeting with CWC, DCPU & SAA Representatives at Sambalpur, Odisha on 04th December 2023



Visit to Phulwari Cradle Baby Reception Centre (SAA) & Parisha, Children/Shelter Home for Girls Jammu (CCI) at Jammu, J&K and Palash, Children/Shelter Home for Boys Jammu (CCI) at Jammu, J&K on 28th November 2023



Visit to SAA & CCI at Aurangabad, Maharashtra on 30th November 2023



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

G 20



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

G 20

I. G20 India Background:

11.1 India's G20 Presidency, from December 2022 to November 2023, emphasized "Women-led Development," focusing on women's empowerment as a central strategy for inclusive socio-economic growth and achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Under the G20 Framework the Ministry of Women and Child Development (MWCD) was the Nodal Ministry for the Ministerial Conference on Women Empowerment (MCWE), Women 20 (W20) engagement group, and G20 Alliance for the Empowerment and Progression of Women's Economic Representation (G20 EMPOWER) Initiative.

11.2 The Ministry of Women and Child Development (MWCD) as the nodal Ministry facilitated the organization of seven key international meetings during India's G20 Presidency. These included three in-person meetings of W20 at Sambhaji Nagar, Jaipur and Mahabalipuram; three in-person meetings of G20 EMPOWER initiative at Agra, Thiruvananthapuram and Gandhinagar; and the Ministerial Conference on Women's Empowerment (MCWE) at Gandhinagar. In total, 86 international meetings, both in-person and virtual, focused on gender equality, leadership, workforce participation, and access to resources for women. India's Presidency emphasized integrating women's

perspectives in policy making and governance, ensuring women's central role in development strategies, promoting gender-inclusive growth, and advancing gender equality globally, laying a foundation of 'women-led development' for future presidencies to build upon.

11.3 Besides panel discussions and sessions exhibitions highlighting innovations from women entrepreneurs in sectors like SMEs, crafts, self-help groups (SHGs), etc were also organized during these International meetings. At all the International meetings the participants experienced the cultural heritage of India as well as the rich, diverse cuisine, of the country including millets. These meetings not only provided an opportunity to discuss aspects of women's empowerment and women-led development but also showcase the rich historical and cultural heritage of India.

I. Meetings held under G20 India:

A. G20 EMPOWER Inception Meeting, Agra (11th to 12th February 2023)

11.4 G20 EMPOWER, launched during the 2019 Osaka Summit, aimed to advance women's economic empowerment and reduce the gender gap in labour force participation. Under India's G20 Presidency, the focus areas were:

1. Women's Entrepreneurship, a Win-Win for Equity and Economy
2. Creating a Global Partnership for Promoting Women's Leadership at all levels including at the Grassroots
3. Education, the Game-changing Pathway to Women's Empowerment

11.5 The G20 EMPOWER Inception Meeting, held on 11-12 February 2023 in Agra, India, focused on digital skilling across these priority areas. It was attended by 13 G20 countries, 6 guest nations, and 7 international organizations. Key discussions highlighted women's leadership in digitalization, non-traditional employment sectors, and expanding women's entrepreneurship from SMEs to large businesses, including potential unicorns.

B. 2nd G20 EMPOWER Meeting, Thiruvananthapuram (4th to 6th April 2023)

11.6 The second G20 EMPOWER meeting in Thiruvananthapuram on April 5-6, 2023, gathered participants from G20 and invitee countries, along with international organizations, to promote women-led development. The meeting focused on women's entrepreneurship, education, and leadership, with an emphasis on digital technology. Building on the February meeting, five working groups developed recommendations for private sector commitments and government actions to empower women through financial inclusion, mentorship, STEM, corporate empowerment, and digital inclusion. The meeting witnessed in person participation from 8 G20 Countries, 6 Invitee Countries and 6 International Organizations.

C. G20 EMPOWER Summit, Gandhinagar, Gujarat (1st August 2023)

11.7 The Summit saw participation from over 300 attendees, including 263 domestic and 70 international delegates from 13 G20 countries, 4 guest countries, and 8 international organizations. It produced tangible outcomes and commitments across G20 EMPOWER's three core themes under the Indian presidency.

D. W20 Inception Meeting, Chhatrapati Sambhaji Nagar (27th to 28th February 2023)

11.8 The two-days Women-20 (W-20) Inception Meeting, held in Chhatrapati Sambhaji Nagar, concluded with participation from around 150 women dignitaries from member and guest countries. The five priority areas under India's W20 Presidency were: Women's leadership at the grassroots, female enterprise, women in agriculture, bridging the digital divide, education and skill development, and climate resilience. W20 India aimed to influence G20 discussions through knowledge products and a 4C strategy- Collaboration, Cooperation, Communication, and Call to Action.

E. W20 second Meeting, Jaipur (13th to 14th April 2023)

11.9 The second W20 international meeting took place in Jaipur, Rajasthan, under the theme "Unleash the Untapped Potential of Women-Led Development, Building an Inclusive and Sustainable Future." The meeting commenced with an inaugural session featuring key addresses by India's G20 Sherpa, Amitabh Kant, and other notable figures, highlighting women-led development

as India's priority for inclusive prosperity. It was attended by about 120 delegates from 18 countries. The session also launched the W20 initiative "Mission Digital Women" focused on financial and digital literacy and skilling. Key sessions followed, covering women's economic empowerment through building a care economy, bridging the gender digital divide for equitable growth, and setting sustainable goals for the future.

F. W20 Summit, Mahabalipuram (14th to 16th June 2023)

11.10 Women 20 Summit took place Mahabalipuram, Tamil Nadu, India on 14th - 16th June 2023. The theme of this summit was 'Women-Led Development- Transform, Thrive and Transcend'. Under India's presidency, W20 is committed to ensuring increased grassroots-level participation and enhanced stakeholder participation of citizens in the W20 process. The summit also had a Janbhagidari (Citizen's Connect) Program. The W20 Communique was released in the summit.

G. Exhibition on Women-Led Development Held on Sidelines of Third DWG Meeting in Goa (9th to 11th May 2023)

11.11 A special exhibition titled 'ECHO – Economy with safe climate and health leads to greater opportunities' was organized by MWCD at Goa during the Development Working Group meeting of the Ministry of External Affairs. The exhibition highlighted India's women-led initiatives.

11.12 Participating entities included women representatives from various Indian states, the National Skill Development Corporation, the Ministry of Textiles, APEDA, Tea Board,

Spice Board, Ambi Udyogini Prathisthan, Eunnati Foundation, Kalyashastra, and women self-help groups. Notable women-led start-ups such as Sea6, Jal Sakhi, and Digital Sakhi were also featured, reflecting the diverse contributions of women to economic development and sustainability.

H. Ministerial Conference on Women's Empowerment 2023 (MCWE) Gandhinagar (2nd to 4th August 2023)

11.13 On 1st August 2023, a Side Event was held during the G20 Ministerial Conference on Women Empowerment, organized by the Asian Development Bank, UN Women and NIPCCD, in coordination with the Ministry of Women & Child Development. The event, themed "Beyond 2025 - Three Bold G20 Gender Equality Action Areas," focused on identifying key policy actions in fiscal tools for gender equality, the care economy, and climate change.

11.14 The Ministerial Conference on Women's Empowerment, part of the G20 Indian Presidency, was held in Gandhinagar, Gujarat, from August 2-4, 2023 and was chaired by the Union Minister, Women & Child Development.

11.15 Over three days, more than 150 delegates from G20 nations, invitee countries, and international organizations engaged in meaningful discussions. The conference addressed critical issues such as progress towards Sustainable Development Goals (SDGs), the impacts of climate change on women, uneven pandemic recovery. The focus of discussions remained specifically on the critical role of G20 countries to come together to take forward women-led development and its importance for the advancement of SDG Goal 5.

Key themes of the Conference included:

1. Education as a Game-Changer for Women's Empowerment
2. Women's Entrepreneurship: A Win-Win for Equity and Economy
3. Promoting Women's Leadership at All Levels
4. Women and Girls in Climate Resilience
5. Digital Skilling for Women's Empowerment

11.16 The Women Affairs Ministers from across G20 and guest countries came together and the Chair's Statement of the Ministerial conference on Women's Empowerment on the key focus areas of the Conference was released. The document also incorporated recommendations of W20 and G20 EMPOWER.

11.17 During the G-20 Ministerial Conference on Women Empowerment, Poshan Tracker of the ICT based governance tool of the Ministry was also showcased and discussed. All the members were greatly impressed by the same. Moreover, it was part of the chair's statement. The members recognized the importance of deployment of technology for monitoring nutrition and health services and early childhood care service delivery for pregnant women, lactating mothers, adolescent girls and children and took note of the Poshan Tracker application, a unique digital platform which seeks to digitize data near-real time monitoring and enabling policies for targeted intervention. An Exhibition showcasing women's leadership and contribution in various field including science and technology, food processing, textiles, etc was organised which was greatly appreciated by all International delegation.

III. G20 Webinar

11.18 As a follow up after the Leader's Summit, the Ministry of Women & Child Development held a webinar on November 16, 2023, to discuss the implementation of the G20 New Delhi Declaration 2023 on gender equality and women's empowerment. It brought together key stakeholders to catalyze action on women-led development in India. Sessions covered topics like bridging the gender digital divide, economic empowerment, climate action, and women's well-being. The sessions highlighted India's progress and called for gender-focused policies to drive inclusive growth.

IV. ACHIEVEMENTS/ OUTCOMES

11.19 Under India's G20 Presidency, the focus shifted from traditional women's empowerment to a broader vision of 'women-led development' integrating women's roles across the socio-economic spectrum.

11.20 The G20 New Delhi Leaders' Declaration (NDLD) 2023 incorporated the Chair's Statement adopted at the G20 Ministerial Conference for Women Empowerment in Gandhinagar on 2nd - 4th August 2023. Section 'G' of the NDLD is dedicated to Gender Equality and Empowering all Women and Girls, where G20 leaders encouraged women-led development and reiterated their commitment to enhancing women's full, equal, effective, and meaningful participation as decision makers for addressing global challenges.

11.21 The key outcome under Section G of the NDLD is the creation of a Working Group on the Empowerment of Women, with the first meeting to be convened under the Brazilian Presidency.







Other Programmes & Activities



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Other Programmes & Activities

I. Information technology

12.1 The Ministry is using Information Technology extensively for implementation of e-Governance in several schemes and initiatives. The Website of the Ministry (wcd.nic.in) is a bilingual website. It has the information of all the schemes, Acts/Policies etc. of the Ministry and of its associated offices along with contact directory and organizational structure of the Ministry. Throughout the reporting year the zero downtime has been maintained for the citizen. The important related hyper links also have been provided at the site.

12.2 A Monitoring Dashboard (i.e. (wcd.dashboard.nic.in)) has been developed with the help of NIC to reflect outcomes and impacts of various schemes and projects of Ministry of Women and Child Development. In the year 2022, the dashboard has been re-designed by NIC and has been implemented as per the three missions of MoWCD i.e Mission Poshan, Mission Shakti and Mission Vatsalya.

12.3 To ensure security and integrity of data, a decision was taken to close 20 websites/portals that were defunct and not required.

12.4 A brief description of some of the programmes introduced & latest development during the year of 2023-24 by the Ministry are follows:

A. E-Office (mwcd.eoffice.gov.in)

12.5 The Ministry has fully implemented eOffice Premium products and successfully migrated to paperless office concept for which the Ministry has been graded as Platinum Ministry by Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DAR&PG). Ministry of Women and Child Development (MWCD) tops the list in terms of number of e-files and percentage of e-files (100%) among all Ministries with zero physical file. Ministry has also been awarded by DARPG for commendable work done in the implementation of eOffice. More than 90000 electronic files have been created in the Ministry. Recently, eOffice 7.2.5 version has been implemented in the Ministry since a year. Further, new updations have been made in e-Office to make it user friendly and transparent.

B. Mapping and Seeding of local Government Directory (LGD) Codes:

12.6 Local Government Directory (LGD) is a standard location code directory which assigns unique code to each revenue/land region entity such as State, Districts, Sub district, Block and village and to local bodies such as village panchayat, municipality. Ministry has integrated various schemes with LGD codes and is in the process of integrating more of its e-Governance applications with the LGD Codes of the location of administrative units.

C. Uploading Services on national Government Service portal (<https://services.india.gov.in>)

12.7 Ministry's IT services [under Government to Citizen (G2C), government-to-employees (G2E) and Government-to-Business (G2B)] are being uploaded on "National Government Service Portal (<https://services.india.gov.in>) which is being designed to provide a single window portal for all Central and State/ UT Government information and transaction services, under G2C, G2E and G2B.

D. SHe-Box (www.shebox.nic.in)

12.8 SHe-Box is an online Complaint Management System for lodging complaints related to sexual harassment at workplace. It provides a single window access to every woman, irrespective of her work status, whether working in organised or unorganised, private or public sector, to facilitate the registration of complaint related to sexual harassment. Any woman facing sexual harassment at workplace can register her complaint through this portal. The new version of the She-Box portal is under development by NIC.

E. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

Common Application Software (PMMVY-CAS) Portal for disbursement of maternity benefits to eligible beneficiaries under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (<https://pmmvy-cas.nic.in>) F. Poshan Tracker (<https://poshantracker.in>)

12.9 The Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) scheme was announced by Hon'ble Prime Minister of India in 31st December 2016. Under PMMVY, monetary benefit is transferred directly to the account of eligible beneficiaries through PMMVY-

CAS portal. It is accessible to functionaries at Block, District, State and National level for implementation and monitoring of the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY). At Block level, digitization/approval of the data of eligible beneficiaries under PMMVY received from Anganwadi Centers/ Approved Health Facilities is done for making payment to the beneficiaries bank/post office account by Nodal Officer at State level. This portal was handed over to NIC in October 2022.

12.10 The new version of the PMMVYCAS portal is under development by NIC. It will cater to the amendments introduced in the revamped PMMVY under Mission Shakti guidelines. Monetary benefit of Rs. 5,000 will be given to pregnant women and lactating mothers in two instalments for the 1st child and a lump sum of Rs. 6,000 will be given to the eligible beneficiaries for the second child (only if girl) after completion of the mandated immunization for the child. In the new application, Aadhaar has been made mandatory for all beneficiaries for seamless integration with other systems in the future and to enable Aadhaar-based payments. In the new roll-out, citizens will be able to directly register themselves through PMMVY soft MIS or the mobile application.

F. Poshan Tracker (<https://poshantracker.in>)

12.11 Poshan Tracker helps Child Development Project Officers at Block Level, District Programme officers (District level), State and National level officers in real time monitoring of the activities of Anganwadis in various districts of the project States under ICDS Systems Strengthening and Nutrition Improvement Project (ISSNIP).

12.12 The objective of Information and Communication Technology enabled Real Time Monitoring (ICT-RTM) is to get real time information on nutritional indicators for improving the nutritional status of women and children at grass root level. In this system, Anganwadi Workers have been equipped with Smart Phones and lady Supervisors with Tablets pre-installed with a Common Application Software to capture and analyze the beneficiary wise information about the nutrition services and nutrition status. The data is available on a real time basis and can be viewed by different functionaries at block level, district level, state level and national level through dynamic dashboard using credentials.

G. Integrated Child Development Services- Rapid Reporting System (ICDS-RRS) (<https://icds-wcd.ni.in>)

12.13 Under the Anganwadi Services under Umbrella Integrated Child Development Services Scheme, the Rapid Reporting System has been rolled out wherein new formats of registers and reporting Monthly Progress Report [MPR] and Annual Status Report [ASR] have been prescribed at Anganwadi Workers (AWW) and Child Development Project Officer (CDPO) level. The citizen can know his/ her nearby Anganwadi Centres through this portal.

H. Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) (<https://wcd.nic.in/bbbpschemes&www.bbbpindia.gov.in>)

12.14 The objectives of the initiative are Prevention of gender biased sex selective elimination, ensuring survival & protection of the girl child, Ensuring education and participation of the girl child. YouTube Channel for Beti Bachao Beti Padhao is

available at <https://www.youtube.com/user/BetiBachaoBetiPadhao>, providing access to motivation video on BBBP.

I. TrackChild (<https://trackthemissingchild.gov.in>)

12.15 The objectives of the scheme are to contribute to the improvement in the well-being of children in difficult circumstances, as well as to the reduction of vulnerabilities to situations and actions that lead to abuse, neglect, exploitation, abandonment and separation of children. In the year 2022, Track the missing children portal has been integrated with the Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS). It will not only remove the duplicate efforts done by police officials at ground level but also the tracking of the missing children will be possible in lesser time.

12.16 Moreover, this year, Railway Protection Force (RPF) also has been on-boarded onto the Track Child portal. It will help in reporting the missing & recovered children directly by RPF posts and restoration and other care and protection services can be delivered as soon as possible.

J. Khoya-Paya (khoyapaya.gov.in)

12.17 Khoya-Paya is a citizen centric module for tracing missing children, developed as an Early Harvest Programme under Digital India. Any citizen registered with khoya-Paya can publish information about a missing or sighted child, without waiting to complete any legal formalities. The information supplied by the citizen would be made available for public view after a quick moderation. The citizen can further do searching of the database of the children by matching the attributes of the lost or sighted child.

K. Protection of Children from Sexual offences (POCSO) e-Box (<http://ncpcr.gov.in/index2.php>)

12.18 The POCSO e-box is an easy and direct medium for reporting any case of sexual assault under Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. It is displayed prominently in the home page of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) website where the user has to simply press a button named, POCSO e-box which will navigate to a page with the window having a short animation movie.

L. ChildAdoptionResource Information and Guidance System (CARInGS): Online Adoption Portal (<http://cara.nic.in> and <https://carings.nic.in>)

12.19 Child Adoption Resource Information & Guidance System (CARINGS) is an e-governance initiative on adoption by Central Adoption Resource Authority (CARA) for smooth and transparent adoption process. The application is developed and maintained by National Informatics Centre (NIC) and hosted in the official website of CARA i.e. www.cara.nic.in.

12.20 In year 2022, Ministry Women & Child Development notified the new JJ Rules 2022 and the Child Adoption Regulation 2022. In the year 2022 itself, MoWCD launched and implemented the new version CARINGS 3.2 with the new rules of the act.

M. Incremental learning Approach (e-ILA) (<http://www.e-ila.gov.in>)

12.21 E-ILA are online thematic modules on Nutrition and Early Childhood Education (ECE) developed to support the worker

improve their knowledge and skills in an ongoing, incremental manner. In addition to providing easily accessible and interactive online content for revision and recall, the e-ILA modules allow for self-paced learning, helping (Anganwadi Workers) AWWs develop practical job skills and a clear and grasp of programmatic and thematic priorities. With a knowledge assessment built-in at the end of each module, it provides immediate feedback to the AWW motivating her to improve herself and follows up at the end of the month to assess actions taken by the AWW based on the IL modules completed.

N. NGO Grant-in-Aid Portal (<http://ngomwcd.gov.in>)

12.22 NGO portal has been developed to receive online proposals from the NGO who are seeking grant from Ministry. NGO register online and it is validated by NITI Aayog web service. Only validated NGOs can apply for the grant. The State and District Codes are as per LGD Directory SwadharGreh, Ujjawala, Creche, CPS, WWH and Research.

O. Integrated Child Protection Scheme (ICpS) (<http://wcd-icps.nic.in>)

12.23 ICPS Scheme is to provide a protected environment to Children residing in various homes like (CCI, SAA, JJ Homes, Open Shelters and Night Shelters) etc. As per Supreme Court order there are 12 Monitoring formats at State and District Level. The website is developed to monitor quarterly in and out of children, number of meetings conducted by CWC and JJB to clear cases, details of members, creation of directory of various homes developed and to receive online financial proposal from State and issue of grants etc.

P. Scheme for Adolescent Girls - Rapid Reporting System (SAGRRS) (<https://sag-rrs.nic.in>)

12.24 This Portal is developed to monitor the implementation of the Scheme for Adolescent Girls (SAG) so as to bring transparency in the entire process and ensure nutritional well-being of the adolescent girls of our country. The data is aggregated at various levels like block level, district level, state and finally at the national level.

Q. Ministry of Women and Child Development (MWCD) Dashboard (wcd.dashboard.nic.in)

12.25 A Monitoring Dashboard (i.e. MWCD Dashboard) has been developed with the help of NIC to reflect outcomes and impacts of various schemes and projects of Ministry of Women and Child Development. In the year 2022, the dashboard has been re-designed by NIC and has been implemented as per the three missions of MoWCD i.e. Mission Poshan, Mission Shakti and Mission Vatsalya.

R. Sakhi Dashboard (<http://sakhi.gov.in/>)

12.26 Sakhi Dashboard is an online platform for the functionaries of One Stop Centres (OSCs) and Women Help Lines (WHLs), Mahila Police Volunteers (MPVs) to populate and view various important information about the cases of violence affected women coming to them, as well as about their establishments. The dashboard can be accessed by these functionaries, as well as by the related government officials with the help of the user names and passwords assigned to them.

12.27 The dashboard provides a simplified and standardized common format for cases of violence affected women coming to OSCs,

WHLs and MPVs, which goes on to detail the support and referral services provided to them.

S. Nari Shakti Puraskar Portal (narishaktipuraskar.wcd.gov.in)

12.28 From the year 2019, MWCD decided to receive the application through online mode for Nari Shakti Puraskar (formerly Stree Shakti Puraskar), which literally means 'Woman Power Awards', are "National Award in recognition of exceptional work for women empowerment" conferred by the Hon'ble President of India every year on 8th March, the International Women's Day as a mark of respect and recognition for those who have demonstrated exemplary courage and stellar contribution towards empowerment of women.

U. Nirbhaya Dashboard (www.nirbhayadashboard.nic.in)

12.29 The Nirbhaya Dashboard is a digital platform for all concerned Ministries/ Departments, States/UTs/Districts to update the Status of expenditure and details of women availing the Schemes/Projects funded under Nirbhaya Fund.

V. Integrated Monitoring System

12.30 This is on intranet. The system has been developed and implemented in the Ministry for monitoring of the progress of important schemes/events, Budget related matters, Court cases, Media related matters, PMO references, VIP reference, Parliamentary Matters and Public Grievances of the Ministry.

W. Internship Portal (wcd.intern.nic.in)

12.31 Through this portal, Ministry of Woman and Child Development (MWCD) is inviting application of Women students, scholars,

social activists and teachers from non-tier-I cities and rural parts of India under 'Internship Programmes of the Ministry by offering short term orientation with an objective to involve them in research and related activities for various schemes of the Ministry. The Internship Programme is available for the duration of two months throughout the year.

12.32 The students, scholars, social activists and teachers associated with different Academic/Non-academic Institution willing to undertake pilot projects/micro-studies focusing on the ongoing activities of the Ministry. The Ministry provides a qualitative exposure to students to its mandate and also have specific programmes and policy analysis at the hands of the target group to make them proactive to raise the issue of women and children on various platforms in future.

X. PMCARES for children (<https://pmcaresforchildren.in>)

12.33 The PM CARES for Children Scheme was launched by the Hon'ble Prime Minister of India on 29th May 2021 to support children who have lost both parents or surviving parent or legal guardian or adoptive parents due to COVID-19 pandemic. The objective of the Scheme is to ensure comprehensive care and protection of Children in a sustained manner and enable their wellbeing through health insurance, empower them through education and equip them for self-sufficient existence with financial support on reaching 23 years of age. The scheme is accessible through an online portal i.e. pmcaresforchildren.in. A programme regarding PM CARES for Children Scheme was held on 30.05.2022 wherein Hon'ble Prime Minister released the whole gamut of benefits and services to the children under PM CARES for Children Scheme.

12.34 As on 31st March 2024, a total of 9327 applications have been received on the portal out of which 4532 applications have been approved. An amount of 357.23 Crores have been credited to children accounts under PM CARES for Children Scheme. All eligible children are receiving benefits under the scheme for boarding and lodging and education. Post office accounts have been opened for transfer of lump sum amount. PM-JAY cards have been handed over to the beneficiaries.

12.35 A letter dated 07.07 2023 was issued to a States/UTs informing/advising to cover only those children who are eligible starting from 11th March 2020 [the date on which World Health Organisation (WHO) has declared and characterized COVID-19 as pandemic] till 5th May 2023 [the date on which WHO has declared end of COVID-19 as pandemic] duly verified by the concerned District Magistrates to this Ministry for extending benefits under the Scheme

12.36 A Scholarship of INR 20000/- per year to each child studying in class 1st to class 12th is transferred through Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) through DBT mode

II. DBT

12.37 "With the aim of reforming Government delivery system by re-engineering the existing processes in welfare schemes for simpler and faster flow of benefits and services and to ensure accurate targeting of the beneficiaries, de-duplication and reduction of fraud, Government of India has started Direct Benefit Transfer (DBT) using Aadhaar as the primary identifier of beneficiaries in its schemes. Use of Aadhaar ensures that benefits go to individuals' bank accounts electronically, minimizing tiers involved in fund flow and thereby reducing delay in payment, ensuring

accurate targeting of the beneficiary and curbing pilferage and duplication.

12.38 In pursuance of directions of the Government for implementation of DBT in its schemes, 15 Schemes/Scheme Components in the Ministry of Women & Child Development are identified for implementation in DBT mode for transfer of benefits and services directly to the beneficiary using Aadhaar as the primary identifier. The list of the Schemes is given below. The Web-based CAS/MIS have been developed for all schemes/scheme components and integrated with DBT Portal of DBT Mission, Cabinet Secretariat for monthly reporting of progress of DBT schemes through web services. PMMVY Scheme has been on-boarded on UMANG platform. Field functionaries can directly enroll the beneficiary of the scheme using the app.”

III. Progressive Use of Hindi

12.39 During the period under report, the Ministry continued its efforts towards the maximum use of Hindi in official work. Effective implementation of the Official Language Act, 1963 and Official Language Rules 1976 was ensured. All the Computers (PCs) in the Ministry are equipped with bilingual Unicode facility. Efforts continue to increase the percentage of use of Hindi in correspondence and noting. The quarterly progress reports for the progressive use of Hindi related to the Ministry of WCD and its subordinate offices were reviewed and sent regularly to the Department of Official Language. All the officers and the employees of the Ministry have working knowledge of Hindi.

S. No.	Scheme Name
1.	Anganwadi Services-Training Program
2.	Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)
3.	Protection And Empowerment of Women-Comprehensive Scheme for Combating Trafficking of Women and Children-Ujjawala-Facilities to Beneficiaries
4.	Protection And Empowerment of Women-Comprehensive Scheme for Combating Trafficking Of Women And Children-Ujjawala- Salary
5.	Protection And Empowerment of Women-SwadharGreh-facilities to Beneficiaries
6.	Protection And Empowerment of Women-SwadharGreh- Salary to Staff
7.	One Stop Centre – Services To Beneficiaries*
8.	National Creche Scheme-Nutrition
9.	National Creche Scheme- Honorarium to Workers
10.	Scheme For Adolescent Girls
11.	Anganwadi Services- Supplementary Nutrition
12.	Anganwadi Services- Honorarium to AWW And AWH
13.	Child Protection Services - Facilities to beneficiaries (Sponsorship)
14.	Child Protection Services - Facilities to beneficiaries
15.	Child Protection Services - Salary of Staff

A. Compliance of Section 3(3) of the official language Act, 1963 and Rule 5 of the official language Rules, 1976

12.40 In pursuance of the official language policy of the Government of India, all the documents covered under Sec 3(3) of the Official Language Act, 1963 viz. Cabinet notes, Parliament Questions, material related to Parliamentary Standing Committee, advertisements, notifications, circulars, office memorandum etc. are being issued both in English and Hindi. In addition, books related to various schemes of the Ministry were translated during this period. Rule 5 of Official Language Rules, 1976 is being fully complied with by the Ministry.

B. Departmental Official Language Implementation Committee (OLIC)

12.41 The meetings of Departmental Official Language Implementation Committee (OLIC) are being held regularly under the Chairpersonship of Joint Secretary, in-charge of OL. It reviews the progress made in connection with the use of Hindi and gives appropriate suggestions and remove the difficulties, if any. Apart from this, directions are being issued in the weekly meetings by Secretary for increase in the progressive use of Hindi in the official work. In the financial year 2 meetings of the Official Language Implementation Committee were held on 27th April, 2023 and 29th September, 2023.

C. Ministries Hindi Advisory Committee Meeting Held

12.42 Meeting of Hindi Advisory committee was held on 29th August, 2023 at Vigyan Bhawan, New Delhi under the chairmanship of Hon'ble Minister, WCD. All the member committee participated in the meeting.

D. Hindi workshops and official language inspections

12.43 Hindi Divison conducted Hindi workshops regularly to overcome the difficulties faced by the employees of various sections performing the official work in Hindi. In the financial year two Hindi workshops were held on 27th June, 2023 and 19th October 2023.

12.44 Hindi Divison conducted Hindi inspections of the 4 subordinate/attached office of the ministry as well as NCPCR's Southern Regional Centre, Bengaluru in order to help them tackle the difficulties faced by them in the progressive use of Hindi in official work.

E. Hindi Month Celebrations

12.45 Hindi Pakhwada was celebrated in the Ministry from 16th to 30th September, 2023. During this period, Hon'ble Minister, WCD and Secretary, WCD, by issuing an appeal, encouraged the officers and the employees of the Ministry to use Hindi in their official work. To give practical knowledge of Hindi in official work and motivate the staff to use Hindi in their day to day official work, noting and drafting, essay writing and Hindi language and general knowledge, Hindi typing competitions were organized during Hindi Pakhwada. Non Hindi speaking candidates were given 5% relaxation in total marks obtained. About 60 participants took part in various competitions and awards and certificates were given to all the 18 winners in the competitions. In addition, under the annual incentive scheme to encourage the officers and staff members to do their official work in Hindi, 10 officers and staff members, who did their maximum official work in Hindi, were awarded.

F. Hindi Work in eOffice

12.46 All work in Hindi Section is being done in e-office. All circulars, files, letters are being issued through e-office only and being put up on the notice board.

Annexures



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Annexure – I

Constitutional and Legal Provisions for Women and Children

Article 14 – Guarantees equality before law as well as equal protection of the law to all.

Article 15 – The State shall not discriminate against any citizen Nothing in this article prevents the State from making any special provision for women and children.

Article 15(1) – Prohibits discrimination against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex etc.

Article 15(3) – Special provision enabling the State to make affirmative discriminations in favour of women.

Article 16 – Guarantees equality of opportunity in matters of public employment and that no citizen shall be discriminated against in matters of public employment on the grounds only of sex, religion, race, caste, sex, descent, place of birth, place of residence or any of them.

Article 21A - The State shall provide free and compulsory education to all children of the age 6-14 years in such manner as the State may, by law, determine.

Article 24 – No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Article 39(a) – The State shall direct its policy towards securing all citizens men and women, equally, the right to means of livelihood.

Article 39(d) – Equal pay for equal work for both men and women.

Article 39(e) – Enjoins the State to ensure that the health and strength of workers, men and women and the tender age of children are not abused and that the citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength.

Article 39(f) – Enjoins the State to ensure that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that the childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

Article 42 – The State to make provision for ensuring just and humane conditions of work and maternity relief.

Article 45 – The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.

Article 46 – Directs the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and to protect them from social injustice and all forms of exploitation.

Article 47 – Directs the State to raise the level of nutrition and the standard of living of its people.

Article 51 (A) (e) – To renounce the practices derogatory to the dignity of women.

Article 243 G – Read with Schedule 11- provides for institutionalization of child care by seeking to entrust programmes of women and child development to Panchayat (item 25 of Schedule 11), apart from education (item 17), family welfare (item 25), health and sanitation (item 23) and other items with a bearing on the welfare of children.

Article 243 (D) (3) & (t) (3) – Guarantees reservation of not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat/Municipality for women and such seats to be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat/Municipality.

Article 243 (D) (4) – Guarantees reservation of not less than one-third of the total number of offices of Chairpersons in the Panchayats at each level for women.

Article 243 (t) (4) – Guarantees reservation of offices of Chairpersons in Municipalities for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the legislature of a State may by law provide.

Annexure – II

Laws Enacted by Government of India for Women and Children**I. Laws related to Women**

- Legal Practitioners (Women) Act, 1923
- The Factories Act, 1948 (Amended in 1986)
- The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
- The Maternity Benefit Act, 1961
- The Dowry Prohibition Act, 1961
- The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 (PCPNDT)
- The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of sex selection) Act, 1994
- Offences mentioned under IPC Indian Penal Code, 1860
- The Equal Remuneration Act, 1976
- The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
- The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987
- The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
- The Prohibition of Child Marriage Act, 2006
- The Criminal Law (Amendment) Act, 2013
- Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013.

II. Laws related to Children

- The Guardian and Wards Act, 1890.
- The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.
- The Young Persons (Harmful Publications) Act, 1956.
- The Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
- The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 and its amendment Act in 2003.
- Offences mentioned under IPC Indian Penal Code, 1860
- The Commissions For Protection of Child Rights Act, 2005
- The Prohibition of Child Marriage Act 2006
- The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012
- The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

Annexure – III

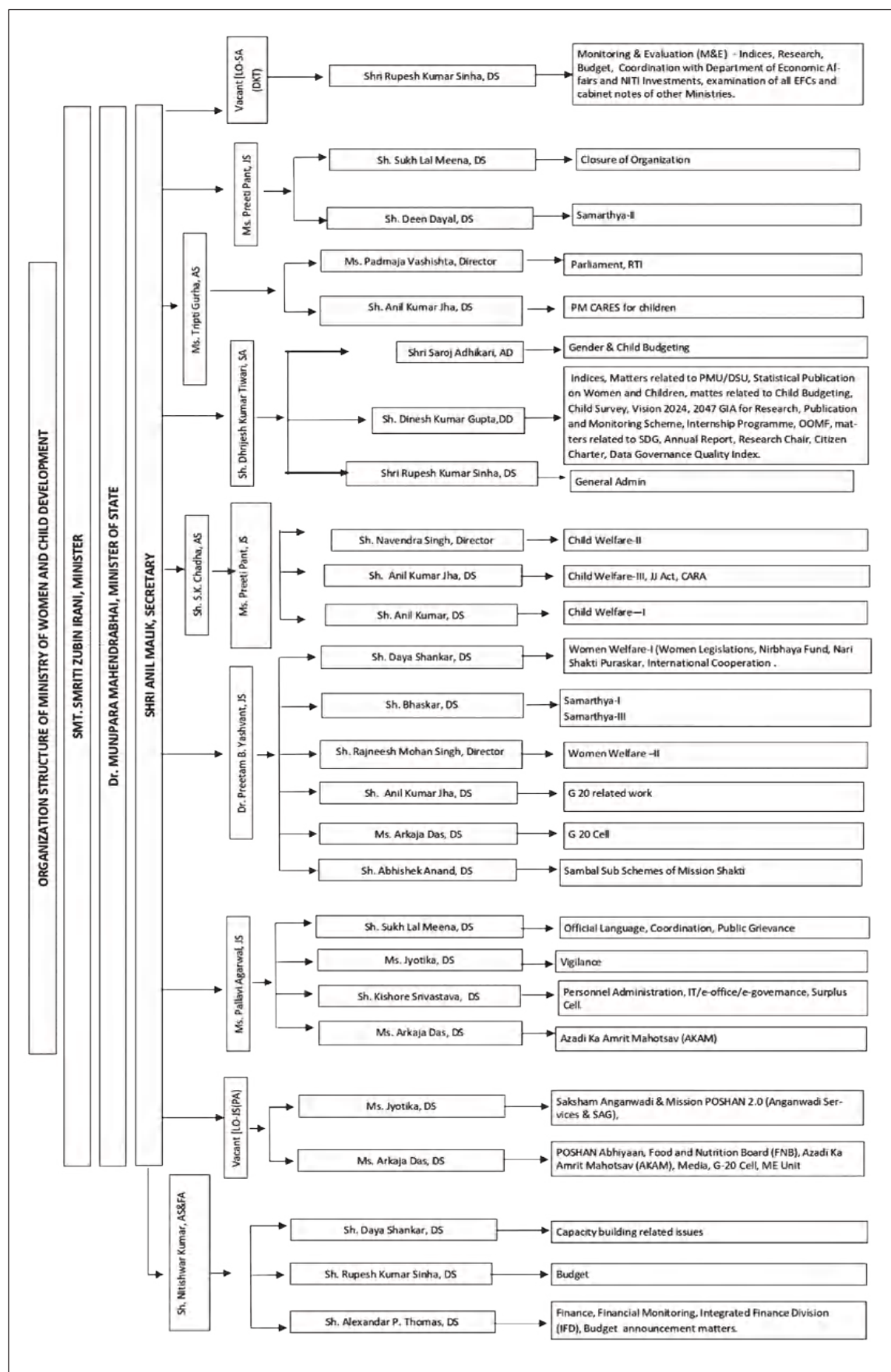
Subject Allocated to the Ministry of Women and Child Development (Mahila Aur Bal Vikas Mantralaya)

1. Welfare of the family.
2. Women and Child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.
3. Reference from the United Nations Organisations relating to traffic in women and children.
4. Care of pre-school children including pre-primary education¹.
5. National Nutrition Policy, National Plan of Action for Nutrition and National Nutrition Mission.
6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.
7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.
8. Implementation of-
 - a) The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (as amended up to 1986);
 - b) The Indecent Representation of Women (Prevention) Act, 1986 (60 of 1986);
 - c) The Dowry Prohibition Act, 1961 (as amended up to 1986);
 - d) The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988), excluding the administration of criminal justice in regard to offences under these Acts.
9. Implementation of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992).
10. Coordination of activities and programmes of Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE).
11. Planning, Research, Evaluation, Monitoring, Project Formulations, Statistics and Training relating to the welfare and development of women and Children, including of gender sensitive data base.
12. United Nations Children's Fund (UNICEF).
13. Central Social Welfare Board (CSWB)
14. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD).
15. Food and Nutrition Board.

¹Inserted vide Amendment series no. 281 dated 01.09.2005

16.
 - i. Development and popularization of subsidiary and protective foods.
 - ii. Nutrition extension.
17. Women's Empowerment and Gender Equity.
18. National Commission for Women.
19. Juvenile delinquency and vagrancy.
20. Probation of Juvenile offenders.
21. Issues relating to adoption, Central Adoption Resource Agency and Child Help Line (ChildLine).
22. The Children Act, 1960 (60 of 1960).
23. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000).
24. The Child Marriage- Restraint Act, 1929 (19 of 1929).
25. Institutional and non-institutional services for the care and development of children in need including orphans.

Organizational Structure of the Ministry of Women and Child Development



Annexure – V

Shakti Sadan Scheme State/UT-wise details of functional Shakti Sadans (As on 31.03.2024)

S. No.	State/UT	Number of functional Shakti Sadan	Total Capacity
1.	Andhra Pradesh	26	830
2.	Andaman and Nicobar	1	10
3.	Arunachal Pradesh	1	30
4.	Assam	34	1700
5.	Chandigarh	1	25
6.	Chhattisgarh	4	135
7.	Delhi	2	60
8.	Goa	3	15
9.	Gujarat	6	150
10.	Himachal Pradesh	1	30
11.	Jammu & Kashmir	2	60
12.	Jharkhand	7	250
13.	Karnataka	63	525
14.	Kerala	10	335
15.	Madhya Pradesh	14	700
16.	Maharashtra	33	700
17.	Manipur	45	2250
18.	Meghalaya	2	100
19.	Mizoram	12	360
20.	Nagaland	3	110
21.	Odisha	68	2380
22.	Punjab	2	70
23.	Puducherry	1	15
24.	Rajasthan	8	400
25.	Sikkim	1	50
26.	Tamil Nadu	33	1650
27.	Telangana	20	1000
28.	Tripura	03	90
29.	Uttarakhand	02	75
30.	Uttar Pradesh	03	671
31.	West Bengal	34	1440
	Total	445	16216

Annexure – VI

State/UT-wise details of functional Sakhi Niwas (Working Women Hostels)
(As on 31.03.2024)

S. No	State/Uts	Number of Functional Sakhi Niwas	Capacity
1.	Andhra Pradesh	12	1080
2.	Arunachal Pradesh	05	72
3.	Assam	08	249
4.	Bihar	00	00
5.	Chandigarh	06	382
6.	Chhattisgarh	06	402
7.	Delhi	17	2546
8.	Goa	00	00
9.	Gujarat	14	1164
10.	Haryana	07	588
11.	Himachal Pradesh	06	152
12.	Jammu & Kashmir	01	50
13.	Jharkhand	02	180
14.	Karnataka	62	5816
15.	Kerala	133	13337
16.	Madhya Pradesh	02	150
17.	Maharashtra	77	6796
18.	Manipur	15	225
19.	Meghalaya	03	230
20.	Mizoram	03	201
21.	Nagaland	12	927
22.	Odisha	12	732
23.	Puducherry	04	247
24.	Punjab	00	00
25.	Rajasthan	15	800
26.	Sikkim	01	74
27.	Tamil Nadu	20	1199
28.	Telangana	09	810
29.	Tripura	01	50
30.	Uttarakhand	02	400
31.	Uttar Pradesh	08	475
32.	West Bengal	00	00
	Total	463	39334

Annexure -VII

State/UT-wise details of funds sanctioned and released under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) during the period 01.04.2023 to 31.03.2024.

S. No.	State/UTs	Amount Sanctioned (in Crore)	Amount Released (in Crore)
1.	Andaman & Nicobar Islands	0.00	0.00
2.	Andhra Pradesh	57.99	57.99
3.	Arunachal Pradesh	0.00	0.00
4.	Assam	155.05	155.05
5.	Bihar	0.00	0.00
6.	Chandigarh	4.08	4.08
7.	Chhattisgarh	0.00	0.00
8.	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	0.91	0.91
9.	Delhi	27.15	27.15
10.	Goa	0.00	0.00
11.	Gujarat	75.64	75.64
12.	Haryana	0.00	0.00
13.	Himachal Pradesh	10.56	10.56
14.	Jammu & Kashmir	33.60	33.60
15.	Jharkhand	0.00	0.00
16.	Karnataka	113.96	113.96
17.	Kerala	61.06	61.06
18.	Ladakh	0.69	0.69
19.	Lakshadweep	0.23	0.23
20.	Madhya Pradesh	105.51	105.51
21.	Maharashtra	0.00	0.00
22.	Manipur	7.93	7.93
23.	Meghalaya	0.00	0.00
24.	Mizoram	1.40	1.40

S. No.	State/UTs	Amount Sanctioned (in Crore)	Amount Released (in Crore)
25.	Nagaland	2.42	2.42
26.	Odisha	0.00	0.00
27.	Puducherry	0.00	0.00
28.	Punjab	32.05	32.05
29.	Rajasthan	123.23	123.23
30.	Sikkim	1.28	1.28
31.	Tamil Nadu	0.00	0.00
32.	Telangana	0.00	0.00
33.	Tripura	11.31	11.31
34.	Uttar Pradesh	0.00	0.00
35.	Uttarakhand	30.35	30.35
36.	West Bengal	0.00	0.00
	Total	856.4	856.4

Annexure – VIII

Details of the capacity building exercises under PMMVY done during 01-09-2023 to 31-03-2024

S. No.	Medium of Training	Date of meeting / Training	State	Meeting/Training objective
1	Virtual	5th September 2023	Uttar Pradesh	To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
2	Virtual	12th September 2023	All States/UTs	To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
3	Virtual	14th September 2023	All States/UTs	To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
4	Virtual	26th September 2023	All States/UTs	To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
5	Virtual	28th September 2023	All States/UTs	To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
6	Physical	6th October 2023 -7th October 2023	Kerala/Karnataka/ Jharkhand/Assam/ Rajasthan/Uttar Pradesh	Training session on PMMVY soft MIS
7	Virtual	9th October 2023	Rajasthan / West Bengal	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
8	Virtual	10th October 2023	Haryana / Madhya Pradesh/ Kerala	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
9	Virtual	11th October 2023	Gujarat / Punjab/ Maharashtra/ Jharkhand	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
10	Virtual	12th October 2023	All States/UTs	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
11	Virtual	12th October 2023	Gujarat/ Bihar	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
12	Virtual	13th October 2023	Himachal Pradesh/ West Bengal	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal

S. No.	Medium of Training	Date of meeting / Training	State	Meeting/Training objective
13	Virtual	14th October 2023	Karnataka	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
14	Physical	6th October 2023 -7th October 2023	Tripura/Punjab/Haryana/ Chandigarh	Training session on PMMVY soft MIS
15	Physical	19th October 2023	National Technical Orientation workshop on PMMVY soft MIS	Workshop on PMMVY soft MIS
16	Virtual	20th October 2023	All States/UTs	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
17	Virtual	21st October 2023	Gujarat/Madhya Pradesh/ Andhra Pradesh	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
18	Virtual	20th October 2023 - 21st October 2023	All States/UTs	Session on making payments in PFMS using WinApp features
19	Virtual	23rd October 2023	All States/UTs	Discussion on confirming payments on PFMS
20	Virtual	26th October 2023	All States/UTs	Discussion on confirming payments on PFMS
21	Physical	27th October 2023	National Programme on PMMVY - A salutation to motherhood: Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)	Launch of PMMVY 2.0 and workshop on PMMVY soft MIS
22	Virtual	2nd November 2023	Kerala/Andaman & Nicobar	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
23	Virtual	10th November 2023	West Bengal	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
24	Virtual	20th November 2023	Maharashtra/Chandigarh/ Sikkim/Andhra Pradesh/ Bihar/Delhi/Uttar Pradesh	Meeting with CDPOs- To enhance registrations

S. No.	Medium of Training	Date of meeting / Training	State	Meeting/Training objective
25	Virtual	20th November 2023	All States/ UTs	Discussion on Master Data Mapping and Challenges
26	Virtual	21st November	Bihar/Andhra/Uttar Pradesh/Delhi/Goa/Sikkim	Meeting with CDPOs- To enhance registrations
27	Virtual	22nd November	Assam	Meeting with CDPOs- To enhance registrations
28	Virtual	28th November	Uttar Pradesh	Discussion on challenges in mapping and SNO Login
29	Physical	30th November 2023	Gujarat/ Madhya Pradesh/ Andhra Pradesh/Tripura/ Punjab/Haryana/ Chandigarh/ Maharashtra/ Karnataka/Kerala/Uttar Pradesh/ Assam/ Himachal Pradesh/ Uttarakhand/Bihar	Visit to States for Panjikaran Abhiyaan
30	Physical	1st December 2023	Gujarat/ Madhya Pradesh/ Andhra Pradesh/Tripura/ Punjab/Haryana/ Chandigarh/ Maharashtra/ Karnataka/Kerala/Uttar Pradesh/ Assam/ Himachal Pradesh/ Uttarakhand/Bihar	Visit to States for Panjikaran Abhiyaan
31	Virtual	5th December 2023	Bihar	Discussion with CDPOs- Update on Panjikaran Abhiyaan
32	Virtual	5th December 2023	All States/ UTs	Update on Submission of Legacy Data
33	Virtual	7th December 2023	Andaman and Nicobar Island/Punjab	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
34	Virtual	8th December 2023	Haryana	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
35	Virtual	12th December 2023	Arunachal Pradesh	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal

S. No.	Medium of Training	Date of meeting / Training	State	Meeting/Training objective
36	Virtual	13th December 2023	Uttarakhand/Meghalaya	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
37	Virtual	14th December 2023	Uttarakhand	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
38	Virtual	18th December 2023	Bihar	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
39	Virtual	19th December 2023	Uttarakhand	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
40	Virtual	20th December 2023	Jharkhand	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
41	Virtual	22nd December 2023	Himachal Pradesh	Meeting with NIC and CDPOs- To resolve technical issues faced in the PMMVY Portal
42	Physical	23rd December 2023	Uttarakhand	Training session on PMMVYsoft MIS
43	Virtual	2nd-5th January 2024	Haryana/UP/Bihar/ Jharkhand/Maharashtra	Extensive meeting with PMU team till the district level and CDPOs regarding registration and payment
44	Physical	16-17th January 2024	All States and UTs	Meeting in NIPCCD with PMU and NIC Team along with NIPCCD and IPPB officials
45	Virtual	15th January 2024	Tripura	Tripura Meeting at 3 PM related to Master Data Mapping
46	Virtual	19th January 2024	All States and UTs	Technical Training with State Team and CDPOs
47	Virtual	25th January 2024	All States and UTs	Discussion with States (MWCD-NIC) regarding payment status
48	Virtual	7th February 2024	All States and UTs	PMU and Director meeting with states

S. No.	Medium of Training	Date of meeting / Training	State	Meeting/Training objective
49	Virtual	16th February 2024	All States and UTs	Discussion with States on Clearance of Payments in PMMVY
50	Virtual	16th February 2024	Haryana	Meeting with Haryana with CDPOs
51	Virtual	19th February 2024	Goa	Goa Meeting with CDPOs regarding payment generation issue
52		19th February 2024	Jammu and Kashmir	J&K Meeting regarding technical issue
53	Virtual	20th February 2024	Puducherry	Meeting for resolving issue of payment generation
54	Virtual	20th February 2024	Rajasthan	Meeting till CDPOs Level for resolving various technical issue
55	Virtual	23rd February 2024	Rajasthan	Rajasthan Meeting with NIC Regarding Mapping
56	Virtual	23rd February 2024	Gujarat	IPPB Meeting with Gujarat regarding update of IPPB camps and the work going on
57	Virtual	29th February 2024 and 3rd March 2024	Kerala	Meeting with CDPOs
58	Virtual	5th March 2024	Assam	Meeting with CDPOs
59	Physical	9th March 2024	Uttar Pradesh	Capacity Building workshop at Jhansi
60	Virtual	15th March 2024	Bihar / Chandigarh/ Uttarakhand	Meeting with CDPOs
61	Virtual	18th March 2024	Jharkhand	Orient Jharkhand CDPOs about the scheme
62	Virtual	18th March 2024	All States and UTs	PMMVY Scheme-VC
63	Physical	19th March	Bihar	Capacity Building workshop
64	Virtual	20th March	Bihar	Capacity Building workshop in association with NIPCCD
65	Virtual	22nd March 2024	Discussion with States-NIC (Chhattisgarh/ Jharkhand/ Haryana/ Puducherry/ Goa & Arunachal)	Meeting with PMU and NIC Team with low performing states in terms of payment

Annexure-IX

State-wise number of Sanctioned/operational projects and AWCs (As Per APIP 2023-2024)

S. No	State/UTs	No. of Anganwadi Centres			No of Anganwadi Projects	
		Sanctioned AWCs as per APIP 2023-24	Operational as per APIP 2023-24	Non-operational per APIP 2023-24	No of Anganwadi Projects actually sanctioned/operational	No of Anganwadi Projects sanctioned/operational after surrender by Assam and allocation to Tripura
1	Andhra Pradesh	55607	55607	0	257	257
2	Arunachal Pradesh	6225	6225	0	149	149
3	Assam	62153	62093	60	98	98
4	Bihar	115009	114965	44	231	230
5	Chhattisgarh	52474	51857	617	544	544
6	Goa	1262	1262	0	220	220
7	Gujarat	53029	53029	0	11	11
8	Haryana	25962	25962	0	336	336
9	Himachal Pradesh	18925	18925	0	148	148
10	Jharkhand	38432	38432	0	78	78
11	Karnataka	65911	65911	0	224	224
12	Kerala	33115	33115	0	204	204
13	Madhya Pradesh	97135	97135	0	258	258
14	Maharashtra	110486	110446	40	453	453
15	Manipur	11510	11510	0	553	553
16	Meghalaya	5896	5896	0	43	43
17	Mizoram	2244	2244	0	41	41

S. No	State/UTs	No. of Anganwadi Centres			No of Anganwadi Projects	
		Sanctioned AWCs as per APIP 2023-24	Operational as per APIP 2023-24	Non-operational per APIP 2023-24	No of Anganwadi Projects actually sanctioned/operational	No of Anganwadi Projects sanctioned/operational after surrender by Assam and allocation to Tripura
18	Nagaland	3980	3980	0	27	27
19	Odisha	74154	74154	0	60	60
20	Punjab	27314	27307	7	338	338
21	Rajasthan	62010	61873	137	155	155
22	Sikkim	1308	1308	0	304	304
23	Tamil Nadu	54439	54439	0	13	13
24	Telangana	35700	35700	0	434	434
25	Tripura	10145	10145	0	56	57
26	Uttar Pradesh	190145	189021	1124	897	897
27	Uttarakhand	20067	20067	0	105	105
28	West Bengal	119481	119481	0	576	576
29	A & N Islands	720	720	0	5	5
30	Chandigarh	450	450	0	3	3
31	Dadra & N Haveli and Daman & Diu	409	405	4	95	95
32	Delhi	10897	10897	0	4	4
33	Jammu & Kashmir	28426	28426	0	128	128
34	Ladakh	1173	1141	32	13	13
35	Lakshadweep	59	59	0	9	9
36	Puducherry	855	855	0	5	5
	Total	1397107	1395042	2065	7075	7075

Annexure - X

Registered Beneficiaries under Supplementary Nutrition as on 31.03.2024

S. No	States/Uts	Registered Pregnant Woman	Aadhaar Verified Pregnant Woman	Registered Lactating Mother	Aadhaar Verified Lactating Mother	Registered 0-6 Months Children	Aadhaar Verified 0-6 Months Children	Registered 6 month to 3 year Children	Aadhaar Verified 6 month to - 3 year Children	Registered 3 year to 6 year Children	Aadhaar Verified 3 year to 6 year Children
1	Delhi	58065	57355	60892	60119	59227	58393	349831	345942	175615	173915
2	Dadra & Nagar Haveli - Daman & Diu	3960	3720	3030	2828	2790	2334	14909	14103	9529	9397
3	Goa	3751	3693	4732	4666	4334	4223	35012	34559	18602	18137
4	Gujarat	221092	213421	191944	186318	172256	160929	1502239	1464563	1627256	1601997
5	Jharkhand	177539	162643	123731	113399	103253	95041	1350318	1254863	1501244	1381778
6	UT-Chandigarh	3189	3160	3220	3194	3211	3133	16487	16382	20423	20397
7	Puducherry	3438	3355	3327	3244	2702	2586	24310	23414	3951	3758
8	Assam	96347	85885	84952	76650	91686	80248	1180409	1120207	1631205	1588012
9	Uttarakhand	51060	48982	47604	45783	34504	32309	384171	370839	249410	241294
10	Meghalaya	6440	5763	7971	7160	7782	6871	150426	143587	228753	222032
11	Sikkim	1324	1184	1508	1316	1458	1208	12355	11347	16979	15714
12	Tamil Nadu	300337	294581	226961	222620	204493	199073	1744546	1714626	1575758	1562789
13	Haryana	111921	104538	106073	98922	64124	57811	708516	619650	950524	812986
14	West Bengal	536788	520705	433344	421419	403910	390924	3271842	3208799	4045672	3996079
15	Kerala	128885	121701	104993	100461	89247	82221	804796	760925	1099743	1068644
16	J&K	41839	40771	37711	36837	25876	25048	322175	315362	379224	375769
17	Himachal Pradesh	36391	35750	36483	35834	34533	32960	221488	218047	238069	232592
18	Manipur	8419	7856	8453	7878	8530	7927	94381	89445	160224	153401
19	Tripura	16276	14695	13073	11934	11533	10279	126592	115630	168677	159578
20	Ladakh	939	904	813	779	631	592	7519	7298	8691	8587

S. No	States/Uts	Registered Pregnant Woman	Aadhaar Verified Pregnant Woman	Registered Lactating Mother	Aadhaar Verified Lactating Mother	Registered 0-6 Months Children	Aadhaar Verified 0-6 Months Children	Registered 6 month to 3 year Children	Aadhaar Verified 6 month to - 3 year Children	Registered 3 year to 6 year Children	Aadhaar Verified 3 year to 6 year Children
21	Odisha	283576	279979	224519	221497	194701	192754	1516121	1510576	1866441	1864557
22	Lakshadweep	409	398	379	371	374	368	3005	2929	1176	1067
23	Karnataka	239232	228328	157855	150531	121434	115711	1669230	1617294	1704705	1685744
24	Andhra Pradesh	251278	228635	192822	172632	158051	141330	1324181	1198791	1166810	1120560
25	Arunachal Pradesh	1865	1523	2609	2023	2538	2054	32703	23919	43525	31430
26	Mizoram	5626	5322	3631	3440	3745	3460	44558	42023	61189	57703
27	Maharashtra	324046	298533	292128	271408	235782	210013	2735413	2607615	3321840	3246518
28	Punjab	85757	82434	92924	89191	86440	82215	649223	624297	627901	601466
29	Telangana	157575	145395	99319	92062	83673	74789	979403	924130	853625	838346
30	Andaman & Nicobar Islands	713	687	659	640	605	585	6897	6476	4338	3897
31	Uttar Pradesh	1552960	1522789	1149186	1128196	940783	920164	9645670	9517798	8971034	8906067
32	Rajasthan	304090	283175	233670	219357	153139	141639	1958741	1803939	1792326	1703519
33	Madhya Pradesh	433866	415400	347734	333542	296238	283158	2827477	2681149	3603588	3515460
34	Bihar	406972	387699	323692	310299	225964	216316	3504063	3391493	5560315	5493060
35	Chhattisgarh	151721	141423	121445	114486	103554	95219	1044067	968797	1178676	1138008
36	Nagaland	1651	1356	2810	2348	2757	2438	40103	26582	66298	37429
	Total	6009337	5753738	4746197	4553384	3935858	3736323	40303177	38797396	44933336	43891687

Annexure - XI

Funds released under Mission Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 for the year 2023-24 (UPTO 31.03.2024)

(Rupees in lakhs)

S. No	States/Uts	Anganwadi Services (General)	SNP	Insurance	SAG	Poshan	EE, PoL/Hiring and Training	Janman	Mgnregs	Saksham	Drinking Water	Toilet	Total
1	Andhra Pradesh	32933.86	32740.49	230.89	0	0	2622.96	2040	0	0	0	0	70568.20
2	Bihar	78384.98	89722.77	530.93	0	10643	6059.22	588	0	0	0	0	185928.90
3	Chhattisgarh	21426.96	28542.77	208.87	2922.99	4196	0	648	0	0	0	0	57945.59
4	Goa	751.39	565.904	6	0	0	71.4	0	0	0	0	0	1394.69
5	Gujarat	24154.1	76725.52	267.1	0	7890	2839.62	804	0	0	0	0	112680.34
6	Haryana	11440.13	4946.63	101.33	54.74	4040	1374	0	186	0	0	435.53	22578.36
7	Himachal Pradesh	18598.33	6268.62	149.4	313.54	3297	1482.21	0	0	0	0	0	30109.10
8	Jammu & Kashmir	36801.72	6750	175.24	411.6	6616	2288.79	0	0	45	0	0	53088.35
9	Jharkhand	17227.11	35622.39	181.46	2751.78	7367	1948.68	1332	0	0	0	0	66430.42
10	Karnataka	40994.39	43493.32	330.99	0	6131	0	240	0	106.8	0	0	91296.50
11	Kerala	13050.47	16194.75	174.45	132.6	0	0	84	0	1026	0	2.16	30664.43
12	Madhya Pradesh	54442.08	45473.12	370.89	0	4845	4576.02	2604	0	0	0	0	112311.11
13	Maharashtra	51072.35	90941.6	451.65	1664.75	15744	5809.5	0	0	353.4	1782.24	2132.28	169951.77
14	Odisha	33936.17	45230.33	350.21	3085.58	7752	3924.72	696	0	0	652.53	1252.36	96879.90
15	Punjab	14232.54	14047.08	107.18	369.58	0	1470.66	0	187.2	0	0	372.89	30787.13
16	Rajasthan	38135.32	61461.09	260.11	0	5921	3299.46	120	0	0	0	0	109196.98
17	Tamil Nadu	23711.97	48977.5	231.53	368.52	5139	2614.14	312	1431.6	3354	665.75	1272.89	88078.90

S. No	States/Uts	Anganwadi Services (General)	SNP	Insurance	SAG	Poshan	EF, PoL/Hiring and Training	Janman	Mgnregs	Saksham	Drinking Water	Toilet	Total
18	Telangana	23894.64	23772.62	164.98	0	0	1934.7	1020	0	0	0	0	50786.94
19	Uttar Pradesh	88619.82	148807.03	833.38	0	8997	8904.54	0	0	10707	0	0	266868.77
20	Uttarakhand	18863.65	3819.12	104.46	0	4383	1581.84	72	0	0	0	0	28824.07
21	West Bengal	45559.91	71418.33	569.75	0	0	6208.2	0	0	0	0	0	123756.19
22	Delhi	5136.1	8733.12	57.06	0.00	1662.00	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16181.26
23	Puducherry	143.38	262.42	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	447.72
24	Andaman & Nicobar	788.31	267.68	5.16	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1129.15
25	Chandigarh	661.05	1047.68	3.96	0.00	218.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1979.69
26	Dnh & Dd	383.01	773.89	3.34	0.00		36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1196.64
27	Ladakh	1260.72	426.14	8.75	0.00	157.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1962.41
28	Lakshadweep	93.31	179.39	0.31	0.00		15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.11
29	Arunachal Pradesh	12049.4	3287.75	26.47	304.72	0.00	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16206.09
30	Assam	108345.44	67470.29	443.19	17139.42	11412.00	4852.08	0.00	0.00	733.50	3419.18	9516.20	223331.30
31	Manipur	9040.29	8693.03	87.71	0.00	0.00	962.82	156.00	900.00	0.00	288.09	0.00	20127.94
32	Meghalaya	7432.75	12356.16	40.04	3359.61	1942.00	499.05	0.00	871.20	7.20	217.26	243.32	26968.59
33	Mizoram	3716.63	2483.67	17.66	108.64	1512.00	219.06	0.00	918.00	889.20	96.24	65.77	10026.87
34	Nagaland	9709.02	9732.94	29.22	3571.29	1651.00	374.76	0.00	266.40	44.10	204.26	707.94	26290.93
35	Sikkim	2376.62	0	10.49	0.00	835.00	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3348.65
36	Tripura	10841.45	10108.68	80.23	0.00	0.00	825.39	1056.00	468.00	220.50	280.44	541.72	24422.41
	Total	860209.37	1021343.82	6617.31	36559.36	122350.00	68279.39	11772.00	5228.40	17525.70	7605.99	16543.06	2174034.40

Annexure-XII

State-wise Beneficiaries under SAG upto 31.03.2024

S No.	STATE	Registered/Active AG
1	Andhra Pradesh	18671
2	Arunachal Pradesh	15344
3	Assam	143902
4	Bihar	216013
5	Chhattisgarh	119990
6	Gujarat	68016
7	Haryana	15900
8	Himachal Pradesh	16704
9	Jharkhand	290792
10	Karnataka	1275
11	Kerala	18628
12	Madhya Pradesh	154782
13	Maharashtra	114257
14	Manipur	45188
15	Meghalaya	52502
16	Mizoram	21708
17	Nagaland	25926
18	Odisha	276793
19	Punjab	29344
20	Rajasthan	43110
21	Sikkim	8471
22	Tamil Nadu	44271
23	Telangana	30883
24	Tripura	34792
25	Uttar Pradesh	229489
26	Uttarakhand	71691
27	J&K	19168
	Total	2127610

Annexure-XIII

Allocation of foodgrains under SAG during 2023-24

S No.	STATE	Total Allocation (in MTs)	
		Wheat	Fortified Rice
1	Andhra Pradesh	0	283.81
2	Arunachal Pradesh	0	141.83
3	Assam	0	2987.05
4	Bihar	0	2340
5	Chhattisgarh	1104.34	0
6	Gujarat	622.82	0
7	Haryana	81.38	72
8	Himachal Pradesh	133.99	49.5
9	J&K	0	442.1
10	Jharkhand	0	438
11	Karnataka	14.91	14.91
12	Kerala	401.88	0
13	Madhya Pradesh	1244.75	681
14	Maharashtra	2231.83	0
15	Manipur	0	935.15
16	Meghalaya	441.03	364.69
17	Mizoram	0	477.2
18	Nagaland	0	688.16
19	Odisha	5581.09	0
20	Punjab	306.64	310.83
21	Rajasthan	526.71	291.79
22	Sikkim	0	0
23	Tamil Nadu	730.49	0
24	Telangana	0	424.57
25	Tripura	0	565.92
26	Uttar Pradesh	3332.89	2162.09
27	Uttarakhand	743.88	795.19
	Total	17498.63	14465.79

Annexure-XIV

Statement of Foodgrains allocated under WBNP for the Year 2023-24

S No.	States/UTs	Total Allocation (in MTs)	
		Wheat	Fortified Rice
1	Andaman & Nicobar Islands	0	167.95725
2	Andhra Pradesh	16409.94	29652.21
3	Arunachal Pradesh	0	516.039
4	Assam	24734.191	44687.86
5	Bihar	0	210558.64
6	Chandigarh	195.39	212.75
7	Chhattisgarh	30126.657	9118.688
8	Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu	268.352	364.597
9	Delhi	9405.303	9405.303
10	Goa	11	760.414
11	Gujarat	66334.89	13980.758
12	Haryana	23128.274	8040.809
13	Himachal Pradesh	8089.437	3594
14	Jammu & Kashmir	0	17377.17
15	Jharkhand	18633.33	18804.51
16	Karnataka	56724.16	58189.99
17	Kerala	7577	6858
18	Ladakh	33.75	135.23
19	Lakshadweep	67.68125	101.98125
20	Madhya Pradesh	116159.41	48161.97
21	Maharashtra	129254.71	42336
22	Manipur	0	8752.385
23	Meghalaya	8322.195	5595.993
24	Mizoram	750.2727	1334.0438
25	Nagaland	0	3814.274
26	Odisha	51740.33	43828.61
27	Puducherry	0	468.2823
28	Punjab	22172.013	7527.094
29	Rajasthan	81862.91	18561.232
30	Sikkim	242.99564	0
31	Tamil Nadu	41749	36058.42
32	Telangana	18887.389	26130.924
33	Tripura	0	8501.506
34	Uttar Pradesh	306099.59	277332.54
35	Uttarakhand	9665.13	10909.54
36	West Bengal	0	165189.47
	Total	1048645.30	1137029.19

Annexure-XV

**Funds released under Mission Vatsalya for the year
2022-23 & 2023-24 (till 31.03 2024) (Rs. In Lakhs)**

S No.	Name of the State/UT	2022-23	2023-24
1	Andhra Pradesh	3677.98	2500.76
2	Arunachal Pradesh	2936.49	2435.38
3	Assam	3734.67	5966.27
4	Bihar	3454.25	6518.02
5	Chhattisgarh	765.05	4465.94
6	Goa	5.77	0.00
7	Gujarat	2329.53	4710.23
8	Haryana	2938.82	1616.98
9	Himachal Pradesh	3091.73	2115.30
10	Jammu & Kashmir	2822.85	4364.48
11	Jharkhand	743.48	3765.91
12	Karnataka	5856.93	9093.83
13	Kerala	1284.89	2227.19
14	Madhya Pradesh	4690.78	6084.94
15	Maharashtra	7132.66	9537.68
16	Manipur	4826.75	2923.85
17	Meghalaya	333.07	3127.99
18	Mizoram	1503.31	5309.45
19	Nagaland	2630.86	2928.28
20	Odisha	3755.49	6028.17
21	Punjab	1069.08	1543.98
22	Rajasthan	6600.22	4283.88
23	Sikkim	1047.25	579.74
24	Tamil Nadu	5102.93	12869.99
25	Telangana	2824.95	3998.02
26	Tripura	159.54	3209.03
27	Uttar Pradesh	6604.67	10356.62
28	Uttarakhand	365.91	3263.37
29	West Bengal	2663.81	5742.44
30	Andaman & Nicobar Islands	374.79	268.01
31	Chandigarh	523.78	582.85
32	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	389.90	319.34
33	Delhi	1506.95	388.77
34	Lakshadweep	0.00	35.66
35	Ladakh	142.44	438.89
36	Puducherry	584.46	566.87
37	Others Expenditure	15843.76	4912.01
	Total Expenditure	104319.80	139080.12

Annexure-XVI

The number of CCI's supported for children with special need run by the States/UTs along with the number of beneficiaries as reported by States/UTs under Mission Vatsalya as on 31.03.2024

S No.	States/UTs	Home for Special Need Children	Beneficiary (Boys/Girls)
1	Andhra Pradesh	5	16
2	Arunachal Pradesh	0	0
3	Assam	6	184
4	Bihar	19	164
5	Chhattisgarh	12	79
6	Delhi	0	0
7	Goa	0	0
8	Gujarat	1	50
9	Haryana	2	60
10	Himachal Pradesh	2	78
11	Jammu & Kashmir	5	36
12	Jharkhand	5	178
13	Karnataka	1	5
14	Kerala	4	177
15	Madhya Pradesh	0	0
16	Maharashtra	9	82
17	Manipur	2	14
18	Meghalaya	16	274
19	Mizoram	3	46
20	Nagaland	0	0
21	Odisha	6	109
22	Puducherry	16	346
23	Punjab	2	69
24	Rajasthan	10	394
25	Sikkim	2	50
26	Tamil Nadu	20	374
27	Telangana	8	188
28	Tripura	40	1341
29	Uttar Pradesh	0	0
30	Uttarakhand	0	0
31	West Bengal	0	0
32	Andaman & Nicobar	0	0
33	Chandigarh	0	0
34	DDNH & DD	0	0
35	Ladakh	0	0
36	Lakshadweep	3	50
	Total	199	4364

*Number of Children may vary depending on rehabilitation and restoration and new admission in the CCI's.

Annexure-XVII

State Wise distribution of Complaints

S No.	State	Jan. 2023 to March 2023	April 2023 to March 2024	Total
1.	Andaman and Nicobar Islands	1	1	2
2.	Andhra Pradesh	55	191	246
3.	Arunachal Pradesh	1	8	9
4.	Assam	26	87	113
5.	Bihar	307	1271	1578
6.	Chandigarh	9	44	53
7.	Chhattisgarh	46	183	229
8.	Dadra and Nagar Haveli	0	2	2
9.	Daman & Diu	0	2	2
10.	Delhi	568	2387	2955
11.	Goa	3	17	20
12.	Gujarat	50	243	293
13.	Haryana	228	1142	1370
14.	Himachal Pradesh	18	86	104
15.	Jammu and Kashmir	38	140	178
16.	Jharkhand	89	414	503
17.	Karnataka	130	552	682
18.	Kerala	33	137	170
19.	Ladakh	0	1	1
20.	Lakshadweep	0	0	0
21.	Madhya Pradesh	275	1148	1423
22.	Maharashtra	318	1445	1763
23.	Manipur	2	7	9
24.	Meghalaya	1	1	2
25.	Mizoram	0	1	1
26.	Nagaland	1	0	1
27.	Odisha	36	143	179
28.	Pondicherry	4	18	22
29.	Punjab	87	415	502
30.	Rajasthan	221	981	1202
31.	Sikkim	1	2	3
32.	Tamil Nadu	152	619	771
33.	Telangana	58	194	252
34.	Tripura	3	18	21
35.	Uttar Pradesh	3375	15762	19137
36.	Uttarakhand	81	383	464
37.	West Bengal	131	605	736
	Total	6348	28650	34998

Annexure-XVIII

Nature wise distribution of Complaints

S No.	Category	Jan, 2023 to March 2023	April, 2023 to March 2024	Total
1.	Acid Attack	3	11	14
2.	Bigamy / Polygamy	43	192	235
3.	Cyber Crime against women	150	657	807
4.	Denial of Maternity Benefits to women	24	93	117
5.	Dowry death	61	304	365
6.	Free legal aid for women	10	37	47
7.	Gender Discrimination including equal right to education & work	12	11	23
8.	Harassment of married women/Dowry harassment	932	4815	5747
9.	Harassment of Transgender	0	3	3
10.	Indecent Representation of Women	1	9	10
11.	Outraging modesty of women/ Molestation	522	2217	2739
12.	Police Apathy against women	310	1616	1926
13.	Protection of Women against Domestic Violence	1329	6487	7816
14.	Rape/Attempt to Rape	338	1521	1859

S No.	Category	Jan, 2023 to March 2023	April, 2023 to March 2024	Total
15.	Right to exercise choice in marriage/Honour Crimes	108	397	505
16.	Right to live with dignity	2067	8271	10338
17.	Sex selective abortion / female foeticide / amniocentesis	3	8	11
18.	Sexual Assault	45	269	314
19.	Sexual Harassment	210	852	1062
20.	Sexual Harassment of Women at workplace	59	259	318
21.	Stalking / Voyeurism	110	559	669
22.	Traditional practices derogatory to women rights i.e. sati pratha, devdasipratha, witch hunting	3	10	13
23.	Trafficking / Prostitution of women	8	49	57
24.	Women's right of custody of children in the event of divorce	0	3	3
	Total	6348	28650	34998

Annexure-XIX

Online sensitization meetings for keeping child rights at the core of implementation of NEP 2020 Action plan

S No.	Topic	State	Date
1.	Online Workshos on Sensitization for keeping child rights at the core of implementation of NEP 2020 Action Plan	Himachal Pradesh	02.01.2023
2.		Andhra Pradesh	03.01.2023
3.		Arunachal Pradesh	03.01.2023
4.		Assam	04.01.2023
5.		Kerala	05.01.2023
6.		Manipur	05.01.2023
7.		Mizoram	06.01.2023
8.		Nagaland	06.01.2023
9.		Goa	07.01.2023
10.		Karnataka	07.01.2023

Annexure-XX

Regional Level workshops

S. No.	Activity Name	Venue	Date	Other States
1.	Roles of Panchayati Raj Institutions (PRIs) in school education system especially w.r.t Village Development Plan and School Development Plans (SDPs)/ Complex/ Cluster Development Plans (SCDPs)	Hyderabad Telangana	13.03.2023	Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu,
2.		Ranchi, Jharkhand	20.03.2023	Bihar, West Bengal, Odisha

Annexure-XXI

Review and Consultations on the topic of Preventing drop outs from schools and re-engaging out of school children in various States of India

S. No.	Activity Name	State	Date
1.	Review and Consultation for Preventing drop outs from schools and re-engaging out of school children.	Punjab	27.12.2023
2.		Tamil Nadu	05.01.2024
3.		Karnataka	09.01.2024
4.		Jharkhand	13.01.2024
5.		Tripura	18.01.2024
6.		Assam	19.01.2024

Regional symposium on child protection child safety and child welfare' in Seven States/UTs of the Country

S. No.	States where the Symposium was conducted	Other Institutions/States/ Uts invited	Date
1.	New Delhi	Himachal Pradesh Uttar Pradesh Haryana Uttarakhand Punjab Chandigarh Jammu & Kashmir Ladakh	02.07 2023
2.	Bhopal, Madhya Pradesh	Chhatisgarh rajasthan	09.07.2023
3.	Mumbai Maharashtra	Gujarat Daman & Diu Goa Pune	22.07.2023
4.	Ranchi, Jharkhand	Odisha West Bengal Bihar Andaman & Nicobar Island	30.07.2023
5.	Guwahati, Assam	Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram Manipur Tripura Sikkim Nagaland	06.08.2023
6.	Chennai, Tamil Nadu	Puducherry Telengana Andhra pradesh Karnataka Kerala	12.08.2023
7.	Varanasi, Uttar Pradesh	All NGOs	08.08.2023

Annexure-XXIII

The details of review meetings held in 2023-24

S. No.	Date of the Review meeting	State
1	16.06.2023	Ladakh
2	14.08.2023	Tripura
3	25.09.2023	NCT of Delhi
4	26.09.2023	Jharkhand
5	27.10.2023	Maharashtra
6	31.10.2023	Odisha
7	15.12.2023	Uttar Pradesh
8	20.12.2023	West Bengal
9	26.12.2023	Chandigarh
10	26.12.2023	Haryana
11	27.12.2023	Punjab

Benches/Camps organized by NCPCR from January, 2023 to March, 202

S. No.	State/UT	District	District level or Block level	Date of the Bench	No of Grievances received
1.	Karnataka	Udupi	District Level	06.01.2023	190
2.	Madhya Pradesh	Barwani	District Level	31.01.2023	173
3.	Karnataka	Karwar	District Level	06.02.2023	385
4.		Raichur	District Level	13.02.2023	599
5.	Madhya Pradesh	Raisen	District Level	06.02.2023	526
6.	Delhi	North	District Level	19.03.2023	210
7.	West Bengal	Murshidabad	District Level	13.05.2023	260
8.	West Bengal	Malda	District Level	12.05.2023	136
9.	Madhya Pradesh	Anuppur	Block Level	26.05.2023	361
10.	Madhya Pradesh	Shahdol	Block Level	26.05.2023	615
11.	Madhya Pradesh	Dindori	Block Level at Bajag	27.05.2023	302
12.	Madhya Pradesh	Mandla	District Level	28.05.2023	491
13.	Madhya Pradesh	Damoh	Block Level	29.05.2023	99
14.	Madhya Pradesh	Katni	District Level at Katni	30.05.2023	185
15.	Madhya Pradesh	Dhar	Block Level	05.06.2023	250
16.	Madhya Pradesh	Alirajpur	Block Level	07.06.2023	413
17.	Madhya Pradesh	Shoepur	District level at Sheopur	08.06.2023	292
18.	Madhya Pradesh	Khargone	Block Level at Jhirnya	10.06.2023	720
19.	Madhya Pradesh	Khandwa	Block Level	12.06.2023	483
20.	Chhattisgarh	Kabirdham	Block Level	15.06.2023	294
21.	Ladakh	Leh	Block Level	16.06.2023	213
22.	Chhattisgarh	Mahasamund	Block Level	17.06.2023	366
23.	Chhattisgarh	Gaurella - Pandera Marwahi	Block Level	19.06.2023	960

Annexures

S. No.	State/UT	District	District level or Block level	Date of the Bench	No of Grievances received
24.	Chhattisgarh	Mohla - Manpur - A Chowki	Block Level	19.06.2023	603
25.	Chhattisgarh	Korba	Block Level	20.06.2023	61
26.	Chhattisgarh	Sarguja	Block Level	21.06.2023	129
27.	Chhattisgarh	Kanker	Block Level	21.06.2023	782
28.	Chhattisgarh	Koriya (Hq - Baikunthpur)	Block Level	22.06.2023	586
29.	Chhattisgarh	Koriya (Hq - Baikunthpur)	Block Level	23.06.2023	486
30.	Chhattisgarh	Kondagaon	Block Level	23.06.2023	270
31.	Madhya Pradesh	Bhind	Block Level	23.06.2023	749
32.	Madhya Pradesh	Morena	Block Level	23.06.2023	796
33.	Chhattisgarh	Balrampur	Block Level	24.06.2023	432
34.	Madhya Pradesh	Shivpuri	Block Level	24.06.2023	816
35.	Madhya Pradesh	Chattarpur	Block Level	26.06.2023	142
36.	Madhya Pradesh	Panna	Block Level	27.06.2023	408
37.	Rajasthan	Alwar	Block Level	03.07.2023	133
38.	Rajasthan	Bharatpur	Block Level	04.07.2023	166
39.	Chhattisgarh	Bastar	Block Level	04.07.2023	462
40.	Chhattisgarh	Dantewada	Block Level	04.07.2023	783
41.	Chhattisgarh	Sukma	Block Level	05.07.2023	548
42.	Chhattisgarh	Bijapur	Block Level	05.07.2023	424
43.	Rajasthan	Dausa	Block Level	05.07.2023	163
44.	Rajasthan	Tonk	Block Level	06.07.2023	107
45.	Odisha	Koraput	District Level at Laxmipur	07.07.2023	59
46.	Odisha	Malkangiri	District Level	07.07.2023	398
47.	Rajasthan	Pali	Block Level	12.07.2023	219
48.	Rajasthan	Jalore	Block Level	13.07.2023	207
49.	Rajasthan	Sirohi	Block Level	14.07.2023	462
50.	Rajasthan	Bikaner	Block Level	08.08.2023	445
51.	Rajasthan	Chittorgarh	Block Level	08.08.2023	417

S. No.	State/UT	District	District level or Block level	Date of the Bench	No of Grievances received
52.	Rajasthan	Pratapgarh	Block Level	09.08.2023	87
53.	Rajasthan	Nagaur	Block Level	10.08.2023	640
54.	Tripura	North Tripura	Block Level	13.08.2023	753
55.	Rajasthan	Karauli	Block Level	21.08.2023	580
56.	Rajasthan	Dholpur	Block Level	22.08.2023	363
57.	Rajasthan	Banswara	Block Level	23.08.2023	648
58.	Rajasthan	Jodhpur	Block Level	23.08.2023	618
59.	Rajasthan	Dungarpur	Block Level	24.08.2023	650
60.	Rajasthan	Jaisalmer	Block Level	24.08.2023	159
61.	Rajasthan	Bundi	Block Level	24.08.2023	303
62.	Rajasthan	Udaipur	Block Level	24.08.2023	308
63.	Rajasthan	Barmer	Block Level	25.08.2023	510
64.	Rajasthan	Rajsamand	Block Level	25.08.2023	771
65.	Rajasthan	Jhalawar	Block Level	26.08.2023	163
66.	Rajasthan	Baran	Block Level	28.08.2023	213
67.	Madhya Pradesh	Rajgarh	Block Level	29.08.2023	416
68.	Rajasthan	Hanumangarh	Block Level	05.09.2023	390
69.	Madhya Pradesh	Seoni	District Level	10.09.2023	381
70.	Madhya Pradesh	Vidisha	Block Level	11.09.2023	3208
71.	Rajasthan	S. Madhopur (Gangapur City)	Block Level	30.09.2023	364
72.	Madhya Pradesh	Niwari	Block Level	03.10.2023	163
73.	Madhya Pradesh	Tikamgarh	Block Level	04.10.2023	708
74.	Madhya Pradesh	Ratlam	Block Level	04.10.2023	420
75.	Madhya Pradesh	Umaria	Block Level	06.10.2023	513
76.	Uttar Pradesh	Rampur	Block Level	06.10.2023	646
77.	Tamilnadu	Tiruchrrapalli	Block Level	09.10.2023	301
78.	Tamilnadu	Thiruvannamalai	Block Level	10.10.2023	337
79.	Tamilnadu	Vellore	Block Level	11.10.2023	160
80.	Tamilnadu	Perambalur	Block Level	11.10.2023	325
81.	Tamilnadu	Ariyalur	Block Level	12.10.2023	297

Annexures

S. No.	State/UT	District	District level or Block level	Date of the Bench	No of Grievances received
82.	Tamilnadu	Kallakurichi	Block Level	12.10.2023	337
83.	Tamilnadu	Karur	Block Level	12.10.2023	888
84.	Tamilnadu	Ranipet	Block Level	12.10.2023	488
85.	Tamilnadu	Villupuram	Block Level	13.10.2023	510
86.	Tamilnadu	Sivaganga	Block Level	14.10.2023	218
87.	Tamilnadu	The Nilgiris	Block Level	28.11.2023	200
88.	West Bengal	Birbhum	District Level	04.12.2023	124
89.	West Bengal	Bankura	District Level	06.12.2023	141
90.	West Bengal	Purulia	District Level	08.12.2023	88
91.	Uttar Pradesh	Jalaun	District Level	19.12.2023	108
92.	Uttar Pradesh	Mahoba	Block Level	20.12.2023	93
93.	Uttar Pradesh	Fatehpur	Block Level	20.12.2023	294
94.	West Bengal	South 24 Parganas	District Level	20.12.2023	59
95.	Uttar Pradesh	Banda	District Level	21.12.2023	171
96.	Uttar Pradesh	Kaushambi	District Level	21.12.2023	177
97.	Uttar Pradesh	Aligarh	Block Level	21.12.2023	520
98.	Uttar Pradesh	Sambhal	District Level	22.12.2023	1979
99.	Uttar Pradesh	Prayagraj	District Level	22.12.2023	194
100.	West Bengal	Paschim Medinipur	District Level	22.12.2023	269
101.	West Bengal	Dakshin Dinanajpur	Block Level	29.12.2023	146
102.	West Bengal	Uttar Dinajpur	District Level	30.12.2023	275
103.	Uttar Pradesh	Lalitpur	Block Level	09.01.2024	35
104.	Uttar Pradesh	Budaun	District Level	23.01.2024	324
105.	Uttar Pradesh	Bareilly	District Level	24.01.2024	134
106.	Madhya Pradesh	Raisen	District level	30.01.2024	654
107.	Madhya Pradesh	Raisen	Block Level	30.01.2024	246
108.	Madhya Pradesh	Raisen	Block Level	31.01.2024	366
109.	Madhya Pradesh	Raisen	Block Level	31.01.2024	272

Complaints pertaining to deprivation and violation of child rights including the complaints received from NCPCR's Benches/Camps

S. No.	Heads	Pending as on 01-01-2023 (Figures mentioned below are as provided by the technical staff in their previous report)	Fresh received during January 2023 - January 2024	Total Pending	Closed during January 2023- January 2024	Pending as on 31-01-2024
1	Education	2635	2301	4936	423	4513
2	Child Health, care, welfare or child development	2589	9972	12561	1484	11077
3(i)	JJ or care of neglected or marginalized children or children with disabilities	2772	12207	14979	573	14406
3 (ii)	Social Audit/ Legal Cell	4067	124	4191	11	4180
4	Elimination of Child labour or children in distress	2233	916	3149	852	2297
5	Child psychology or sociology	31	92	123	12	111
6	POCSO and laws related to children	3064	1844	4908	51	4857
7	NE States (Other than POCSO matters)	60	0	60	0	60
	Total	17451	27456	44907	3406	41501

Annexure-XXVI

Trainings in collaboration with MWCD, NIPCCD, State Governments and In-House Trainings

S. No.	Description	State/Organiser	Mode	Date
1.	Induction Training for the newly appointed Chairpersons and members of CWC (UT of Leh and Ladakh)	NIPCCD HQ	Offline	03/01/2023-04/01/2023
2.	Consultation Meet on Good Practices adopted by States/ UTs on effective implementation of Mission Vatsalya.	NIPCCD HQ	Offline	01/02/2023-02/02/2023
3.	3 days Induction Training for the newly appointed Chairpersons and members of CWC	Bhubaneswar, Odisha	Offline	06/02/2023
4.	Induction Training for Newly Recruited Chairperson and Members of CWCs in two batches; [First batch January 30 - February 11, 2023]	NIPCCD, Guwahati	Online	06/02/2023
5.	Division level Orientation Program on Juvenile Justice Amendment Act, 2021, Model Rules, 2022 and Adoption Regulations, 2022	Women and Child Development Department, Haryana, Faridabad	Offline	20/02/2023
6.	Division level Orientation Program on Juvenile Justice Amendment Act, 2021, Model Rules, 2022 and Adoption Regulations, 2022	Women and Child Development Department, Haryana, Gurgaon	Offline	21/02/2023
7.	State Orientation and Training Program on New Adoption Regulations	Madhya Pradesh	Offline	16/03/2023 and 17/03/2023
8.	Induction Training for Newly Recruited Chairperson and Members of CWCs in two batches; [Second batch March 13- 25 March, 2023]	NIPCCD Guwahati	Online	20/03/2023
9.	State level training on Adoption Regulations, 2022-Tripura	Tripura SARA	Online	29/03/2023
10.	Refresher Training Program on Adoption Regulations 2022 (Physical)	NIPCCD, HQ	Offline	18/04/2023
11.	Consultation Meet for Chairpersons and Members of Child Welfare Committees (16-17 May, 2023)	NIPCCD HQ	Offline	16/05/2023

S. No.	Description	State/Organiser	Mode	Date
12.	One Day State Orientation Program on New Adoption Guidelines	SARA Odisha	Offline	03/06/2023
13.	Induction Training for Newly Recruited Chairpersons and Members of Child Welfare Committees of Jammu and Kashmir (12 – 24 June, 2023)	NIPCCD HQ	Offline	19/06/2023
14.	Training Program organized by Rashtriya Sewa Bharati on 10th -11th June, 2023	Rashtriya Sewa Bharati, Indore	Offline	11/06/2023
15.	Training Program on Implementation of Mission Vatsalya Scheme and JJ Act for CCI Functionaries (17-21 July, 2023)	NIPCCD HQ	Offline	18/07/2023
16.	Orientation Training on Management of Child Care Institutions for Functionaries of CCIs (17-21 July, 2023)	NIPCCD HQ	Offline	19/07/2023
17.	Orientation Training on Nutrition and Health issues of Children in Specialized Adoption Agencies, 24-25 July 2023, NIPCCD, New Delhi Topic: CARINGS Portal	NIPCCD HQ	Offline	25/07/2023
18.	Induction Training for Newly Recruited Chairpersons and Members of CWCs " to be organised from 11-23, September, 2023 Topic: Non-Institutional Care: Adoption, Foster Care, Sponsorship and After Care etc.	NIPCCD HQ	Online	15/09/2023
19.	'Induction Training for Newly Recruited Chairpersons and Members of CWCs " to be organised from 11-23, September, 2023 Topic: SAA-CCI linkage	NIPCCD HQ	Online	16/09/2023
20.	'Induction Training for Newly Recruited Chairpersons and Members of CWCs " to be organised from 11-23, September, 2023 CARINGS and procedures for In-country & Inter-Country Adoptions under the JJ Act, 2021	NIPCCD HQ	Online	18/09/2023
21.	Two Days workshop on 'Strengthening Child Protection System/Mechanism for stakeholders of Jammu and Kashmir	MWCD	Offline	14/09/2023 to 15/09/2023
22.	Training program on "SARAL, MISSION VATSALYA AND CARING portals from September 27-28, 2023	Haryana Institute of Public Administration (HIPA)	Offline	27/09/2023

S. No.	Description	State/Organiser	Mode	Date
23.	Training Program on Implementation of JJ Act and its Amendment Act & its Rules for Multi Stakeholders (04-06 October, 2023) Topic: Adoption Regulations, 2022 and SAA-CCI linkage and CARINGS Portal	NIPCCD HQ	Offline	06/10/2023
24.	Induction Training for Newly Recruited Chairpersons and Members of Child Welfare Committees of the State of Uttarakhand Topic: Non-Institutional Care: Adoption, Foster Care Sponsorship and After Care	NIPCCD HQ	Offline	12/10/2023
25.	Guest Lecture in the Training Program on Implementation of Mission Vatsalya Scheme and JJ Act for CCI Functionaries	NIPCCD HQ	Offline	17/10/2023
26.	Induction Training for Newly Recruited Members of Juvenile Justice Boards on Non institutional care under JJ Act	NIPCCD HQ	Offline	24/11/2023
27.	Induction Training for Superintendents of CCI on Management of Child Care Institutions	NIPCCD HQ	Online	20/12/2023
28.	Induction Training for CCI Functionaries on Implementation of Mission Vatsalya Scheme under JJ Act (Adoption Regulations, 2022 and SAA-CCI Linkages SOPs)	NIPCCD HQ	Online	29/12/2023
29.	Training on Nutrition and Health issues of Children in Specialized Adoption Agencies (03-05 January, 2024) in NIPCCD, New Delhi.	NIPCCD HQ	Online	05/01/2024
30.	Three-days Online Vertical training program for different functionaries from the state of Jharkhand on different topics of Adoption (08th-10 th January, 2024) in NIPCCD, Lucknow, Uttar Pradesh on CARINGS portal	NIPCCD, Lucknow	Online	08/01/2024
31.	Induction Training on Implementation of JJ Act for Legal cum Probation Officers from 16 to 18 January, 2024 at its premises in New Delhi in NIPCCD, New Delhi. (30 participants)	NIPCCD, Delhi	Online	18.01.2024
32.	Amendment/Revised Adoption Regulation 2022 with the state of Bihar	NIPCCD, Delhi	Online	27.02.2024
33.	CARINGS, Inter Country Intra Country Adoptions and SAA-CCI Linkages	NIPCCD, Delhi	Offline	27.02.2024
34.	Developing Strategies to provide better care and protection services to the children in SAA.	NIPCCD, Delhi	Offline	06/03/2024
35.	CARINGS Portal	NIPCCD, HQ	Online	22/03/2024

Annexure-XXVII

Virtual Orientation Training Programmes

S. No.	States	Date
1.	Jammu & Kashmir, Leh & Ladakh	11/04/2023
2.	Kerala	20/04/2023
3.	Odisha	21/04/2023
4.	Madhya Pradesh	12/05/2023
5.	Jharkhand	19/05/2023
6.	Uttar Pradesh	26/05/2023
7.	Meghalaya, Mizoram, Arunachal and Sikkim	09/06/2023
8.	Bihar	16/06/2023
9.	Uttarakhand	23/06/2023
10.	Rajasthan	30/06/2023
11.	Maharashtra and Goa	14/07/2023
12.	West Bengal	21/07/2023
13.	Telangana	28/07/2023
14.	Chhattisgarh	11/08/2023
15.	Tripura, Assam, Manipur & Nagaland	18/08/2023
16.	Karnataka	25/08/2023
17.	Tamil Nadu, Puducherry, Andaman & Nicobar Island	08/09/2023
18.	Punjab, Haryana & Chandigarh	15/09/2023
19.	Andhra Pradesh	22/09/2023
20.	Gujarat, Dadra Nagar Haveli & Daman and Diu	29/09/2023
21.	Jammu & Kashmir, Leh & Ladakh	06/10/2023
22.	Odisha	20/10/2023
23.	Delhi	27/10/2023
24.	Madhya Pradesh	01/12/2023
25.	Jharkhand	08/12/2023
26.	Uttar Pradesh	15/12/2023
27.	Manipur, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, Sikkim	22/12/2023
28.	Bihar	29/12/2023
29.	Uttarakhand & Himachal Pradesh	05/01/2024
30.	Rajasthan	12/01/2024
31.	Maharashtra & Goa	19/01/2024
32.	Telangana	02/02/2024
33.	Chhattisgarh	09/02/2024
35.	Meghalaya, Tripura, Assam	16/02/2024
36.	Karnataka	23/02/2024
37.	Tamil Nadu, Puducherry	08/03/2024
38.	Punjab, Haryana, Chandigarh, Andaman & Nicobar Island	15/03/2024
39.	West Bengal	21/03/2024

Annexure-XXVIII

Zone-wise virtual trainings for Chief Medical Officers (CMOs on MER and classification of Special needs (as per Schedule III & XVIII)

S. No.	Details	Date
1.	North Zone Chandigarh, NCT of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab & Rajasthan	06/04/2023
2.	East Zone Bihar, Jharkhand, Odisha, Sikkim & West Bengal	10/04/2023
3.	North –East Zone Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland & Tripura	10/04/2023
4.	West Zone & Central Zone Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, Goa, Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh & Uttrakhand	17/04/2023
5.	South Zone Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Lakshdweep, Puducherry, Tamil Nadu, Telangana, Andaman and Nicobar	20/04/2023

Annexure-XXIX

Zone-wise Virtual Training for SARA and DCPU functionaries on procedures related to relative, step-parent and foster adoption

S. No.	Zone	Date
1.	North Zone Chandigarh, NCT of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab & Rajasthan	22/08/2023
2.	Eastern Zone Bihar, Jharkhand, Odisha, Sikkim & West Bengal	22/08/2023
3.	North Eastern Zone Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland & Tripura	24/08/2023
4.	Western Zone The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Gujarat & Maharashtra	24/08/2023
5.	Central Zone Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh & Uttarakhand	28/08/2023
6.	Southern Region Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Telangana, Andaman and Nicobar Islands	28/08/2023

Annexure-XXX

**Zone-wise Virtual Training for SARA, DCPU, SAA & CWC
functionaries on identification of children under different
categories, Foster Care, Foster Adoption, CWC linkage to CARAINGS**

S. No.	Zone	Date & Time
1.	North Zone - Chandigarh - NCT of Delhi - Haryana - Himachal Pradesh - Jammu and Kashmir - Punjab - Rajasthan	19/12/2023 Tuesday
2.	Eastern Zone - Bihar - Jharkhand - Odisha - Sikkim - West Bengal	19/12/2023 Tuesday
3.	North Eastern Zone - Arunachal Pradesh - Assam - Manipur - Meghalaya - Mizoram - Nagaland - Tripura	20/12/2023 Wednesday
4.	Western Zone - The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu - Goa - Gujarat - Maharashtra	20/12/2023 Wednesday
5.	Central Zone - Chhattisgarh - Madhya Pradesh - Uttar Pradesh - Uttarakhand	21/12/2023 Thursday
6.	North Zone - Chandigarh - NCT of Delhi - Haryana - Himachal Pradesh - Jammu and Kashmir - Punjab - Rajasthan	21/12/2023 Thursday



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Ministry of Women and Child Development Government of India





भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24





सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1.	प्रस्तावना	3-4
अध्याय 2.	महिला सशक्तीकरण तथा संरक्षण	7-31
अध्याय 3.	बाल विकास	35-50
अध्याय 4.	बाल संरक्षण तथा कल्याण	53-64
अध्याय 5.	जेंडर बजटिंग	67-76
अध्याय 6.	सांख्यिकी और अनुसंधान	79-83
अध्याय 7.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	87-97
अध्याय 8.	राष्ट्रीय महिला आयोग	101-115
अध्याय 9.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	119-133
अध्याय 10.	केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण	137-156
अध्याय 11.	जी20	159-164
अध्याय 12.	अन्य कार्यक्रम और गतिविधियां	167-175
अनुलग्नक	अनुलग्नक I से XXX	179-238



प्रस्तावना



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

प्रस्तावना

1.1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं और बच्चे मिलाकर देश की जनसंख्या का लगभग 67.7% भाग हैं। महिलाओं और बच्चों का सशक्तीकरण और संरक्षण तथा उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना देश के सतत और समान विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास से संबंधित विनियमों और कानूनों को बनाने और इनके प्रशासन के लिए भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है। यह दिनांक 30 जनवरी, 2006 से एक पृथक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। इससे पूर्व यह मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1985 में स्थापित महिला एवं बाल विकास विभाग था। महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की कमियों को दूर करने और महिला पुरुष समानता प्राप्त करने और बच्चों पर केंद्रित कानून, नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी एवं अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से इस मंत्रालय का गठन किया गया।

I. विज्ञान

1.2 हिंसा और भेदभाव से मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रहने वाली तथा विकास में समान भागीदार के रूप में योगदान देने वाली सशक्त महिलाएं, तथा सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में वृद्धि और विकास के पूर्ण अवसरों के साथ सुपोषित बच्चे।

II. मिशन – महिलाओं का सशक्तीकरण

1.3 विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से, जेंडर को मुख्यधारा में लाकर, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित करके तथा

महिलाओं को अपने मानवाधिकारों को साकार करने और संपूर्ण विकास हेतु संस्थागत एवं कानूनी सहायता प्रदान करके महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।

III. मिशन— सुरक्षित एवं संरक्षित बाल्यावस्था

1.4 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से, बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित करके, शिक्षा प्राप्ति एवं पोषण सुविधाएं सुलभ करके तथा उनके समग्र विकास एवं उन्नति हेतु संस्थागत एवं कानूनी सहायता प्रदान करके बच्चों का विकास, देखरेख एवं संरक्षण सुनिश्चित करना।

IV. संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

1.5 संवैधानिक प्रावधान एक ओर महिलाओं की समानता तथा दूसरी ओर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, उनकी बेहतरी को बढ़ावा देने और उनके लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का प्रावधान उपलब्ध कराते है। ये प्रावधान **अनुलग्नक-I** में सूचीबद्ध हैं। देश की महिलाओं तथा बच्चों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई अन्य कानून भी अधिनियमित किए हैं जो **अनुलग्नक-II** में सूचीबद्ध हैं।

V. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवंटित विषय

1.6 अपना अधिदेश हासिल करने के लिए, मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए नीतियां, कार्य योजनाएं, कानून, कार्यक्रम और योजनाएं विकसित की है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी

और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से इनका कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय को आवंटित विषय **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।

1.7 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ने विकास संबंधी प्राथमिकताओं को परिभाषित करने में मुख्य भूमिका निभाई है और एसडीजी 5 लैंगिक समानता प्राप्ति के लिए समर्पित है और महिला सशक्तीकरण को गरीबी उन्मूलन, असमानता, बेहतर स्वास्थ्य, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास जैसे सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। महिलाओं और बच्चों की बेहतरी देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति के लिए अनिवार्य होती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्कीमें और पहले सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप होती हैं; और ये देश में महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के सामाजिक सुरक्षा नेट से सीधे जुड़ी हुई होती हैं।

VI. मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना

1.8 17वीं लोकसभा के गठन के बाद, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी और राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई द्वारा की जा रही है। श्री अनिल मलिक ने दिनांक 01.03.2024 को मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे में सचिव, म.बा.वि., दो अपर सचिव, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, तीन संयुक्त सचिव, एक सांख्यिकीय सलाहकार शामिल हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

VII. मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत संगठन

1.9 मंत्रालय के अंतर्गत तीन वैधानिक निकायों – राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल

अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के अलावा स्वायत्त संगठन अर्थात् राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) कार्य कर रहे हैं। निपसिड सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है। सीएसडब्ल्यूबी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत एक चैरीटेबल कंपनी है। ये संगठन भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं और ये मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन सहित इसके कामकाज में मंत्रालय की सहायता करते हैं।

1.10 राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में स्थापित किया गया राष्ट्रीय सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में की गई परिकल्पना के अनुसार दिनांक 5 मार्च, 2007 को की गई थी। कारा एक केंद्रीय प्राधिकरण है जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित और विनियमित करने वाले एक नोडल निकाय का कार्य करता है।

VIII. वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियां

1.11 वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय ने महिलाओं तथा बच्चों के विकास, कल्याण एवं संरक्षण के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें तथा योजना पहलें शुरू की हैं। वर्ष के दौरान इन पहलों और मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा आगामी अध्यायों में की गई है।



महिला सशक्तीकरण तथा संरक्षण



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

महिला सशक्तीकरण तथा संरक्षण

I. प्रस्तावना

2.1 भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत प्रतिष्ठापित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है अपितु महिलाओं के साथ संचयी सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक भेदभावों को बेअसर करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेदन के उपाय अपनाने के लिए सरकार को शक्तियां भी प्रदान करता है। महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने और कानून के तहत समान संरक्षण प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। यह प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करने का मौलिक कर्तव्य भी अधिरोपित करता है।

2.2 महिलाओं का सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है, जो महिलाओं को जीवन के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त करने तथा अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाती है। उनकी प्रगति सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की सामर्थ्य के साथ घर के अंदर और बाहर निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता के साथ जुड़ी होनी चाहिए। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

II. महिलाओं के लिए विधायी रूपरेखा

2.3 कानूनी मोर्चे पर मंत्रालय सबसे असुरक्षित महिला के लिए कानून का संरक्षण सुनिश्चित करने में सक्रिय रहा है। महिलाओं के लिए कानूनों का इष्टतम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।

क. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

2.4 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और स्थिति और अवसरों की समानता के महिलाओं के अधिकार का सम्मान करने वाला माहौल निर्मित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में आयु या रोजगार के स्तर का विचार किए बिना सभी महिलाओं को शामिल किया गया है और यह संगठित अथवा असंगठित सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से उनका संरक्षण करता है। छात्रों, प्रशिक्षुओं, श्रमिकों, घरेलू सहायिकाओं और किसी कार्यालय अथवा कार्यस्थल में मुलाकाती महिलाओं को भी इस अधिनियम में शामिल किया गया है।

2.5 अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए यौन उत्पीड़न

इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) [<http://www.shebox.nic.in>] नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, जो हर महिला, उसके कार्य स्तर पर ध्यान दिए बिना, संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत, को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करती है। जिन्होंने पहले ही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत गठित संबंधित आंतरिक समिति (आईसी) या स्थानीय समिति (एलसी) को लिखित शिकायत दर्ज कराई हो, वे भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने की पात्र हैं। यह पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को त्वरित राहत प्रदान करने का एक प्रयास है। एक बार पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर, इसे सीधे ही संबंधित नियोक्ता की आईसी/एलसी को भेजा जाता है।

2.6 व्यावहारिक रूप से समझने में लोगों को मदद करने के लिए मंत्रालय ने अधिनियम पर एक पुस्तिका और प्रशिक्षण मॉड्यूल भी प्रकाशित किया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल को संगठन के सेवा नियमों के अनुसार अनुकूल बनाया जा सकता है।

ख. बाल विवाह

2.7 मंत्रालय बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करता रहा है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, निष्पादित करते हैं और उकसाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का नियमित रूप से अनुरोध किया जाता रहा है। बाल

विवाह की रोकथाम तथा बेटियों का संरक्षण राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 का एक प्रमुख उद्देश्य है।

2.8 बाल विवाह की रोकथाम के लिए मंत्रालय के कुछ ईमानदार प्रयासों में राज्य सरकारों के साथ संचार शामिल है जिसमें उनसे विशेष त्योहारों जैसे अक्षय तृतीया/आखा तीज – ऐसे विवाहों के परंपरागत दिन, को समवेत प्रयासों द्वारा विवाह को टालने के लिए विशेष पहल करने का अनुरोध किया गया। बाल विवाह के मुद्दे के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता सृजित की गई है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और बाल विवाह जैसे मुद्दों को इसके केंद्र में लाने के लिए बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ (बीबीबीपी), अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे प्लेटफॉर्मों का प्रयोग किया जाता है।

2.9 बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार, (i) गर्भावस्था, जन्म और बाद में माता और नवजात/शिशु/बच्चे के स्वास्थ्य, चिकित्सा कल्याण और पोषण स्तर; (ii) शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), कुल प्रजनन दर (टीएफआर), जन्म पर लिंग अनुपात (एसआरबी), बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) आदि मानदंडों और (iii) इस संदर्भ में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य किसी प्रासंगिक बिंदुओं के साथ मातृत्व की आयु के सहसंबंध की जांच करने के लिए एक कार्यबल गठित किया गया।

2.10 कार्य बल की सिफारिशों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर इसे पुरुषों के बराबर 21 साल करने के लिए 21.12.2021 को संसद में 'बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' पेश किया है। भारत में विवाह की न्यूनतम आयु को सार्वभौमिक बनाने

के लिए संशोधन में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872; पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936; मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937; विशेष विवाह अधिनियम, 1954; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 जैसे विभिन्न अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। उक्त विधेयक को शिक्षा, महिला, बालक, युवा और खेल (ईडब्ल्यूसीवाईएंडएस) संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

ग. घरेलू हिंसा

2.11 मंत्रालय घर के दायरे के अंदर और बाहर महिलाओं का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। घर जैसे निजी स्थान के अंदर होने वाली हिंसा के संबंध में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 प्रमुख कानून है। इस कानून का उद्देश्य हिंसा को रोकना तथा ऐसी स्थितियों में प्रतिवादी के साथ महिला के संबंधों पर ध्यान दिए बिना तत्काल एवं आपात राहत प्रदान करना है। यह अधिनियम परिवार के भीतर किसी प्रकार की हिंसा और उससे संबंधित या आकस्मिक प्रकार के मामलों से मुक्त जीवन जीने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है।

2.12 इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्वतंत्र प्रभार वाले संरक्षण अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करने, संरक्षण अधिकारियों के सुचारु कामकाज के लिए अलग बजट आवंटित करने, उत्तरजीवियों को सहायता प्रदान करने, पुलिस, न्यायपालिका, चिकित्सा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित और क्षमता निर्माण करने और अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से पीडब्ल्यूडीवी नियमों

के तहत फार्म-IV, जिसमें पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में सरल तरीके से जानकारी प्रदान की गई है, को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

घ. दहेज प्रतिषेध

2.13 दहेज की सामाजिक बुराई का समाधान करने की जरूरत को स्वीकार करते हुए 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करके, मंत्रालय दहेज प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कठिन प्रयास कर रहा है। यह अधिनियम दहेज को परिभाषित करता और दहेज देने, लेने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर दंडित करता है। इसमें कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में निर्मित कार्यान्वयन तंत्र का भी प्रावधान है। लोगों की सोच को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने तथा उन्हें दहेज के लेन-देन से हतोत्साहित करने के लिए बहु-क्षेत्रीय पैरवी अभियान चलाया गया है।

ड. स्त्री का अशिष्ट रूपण

2.14 स्त्री का अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986 किसी विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रण में अशिष्ट रूपण या किसी अन्य तरीके से किसी रूप में महिलाओं के ऐसे रूपण को निषिद्ध करने के विशिष्ट उद्देश्य से स्त्री का अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया। अधिनियम के अनुसार, "स्त्री का अशिष्ट रूपण" का अर्थ है किसी महिला की आकृति का किसी भी रूप में चित्रण; जिससे उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का अभद्र, या अपमानजनक चित्रण होता हो, या उसकी बदनामी होती हो, या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता के कलुषित, भ्रष्ट या आहत होने की संभावना हो। इसमें स्त्री के अशिष्ट रूपण वाली किसी पुस्तक, पैम्फलेट और

ऐसी अन्य सामग्री की बिक्री, वितरण, परिचालन को भी निषिद्ध किया गया है।

च. सती प्रथा का निवारण

2.15 सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 3 जनवरी, 1988 को अधिनियमित किया गया। सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 में सती प्रथा और इसके महिमामंडन के निवारण का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सती करने का प्रयास, सती होने के लिए उकसाना और सती का महिमामंडन करना एक दंडनीय अपराध है।

छ. अनैतिक व्यापार का निवारण

2.16 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) भारत में वेश्यावृत्ति के मुद्दे से निपटने वाला केंद्रीय कानून है। यह अधिनियम वेश्यावृत्ति को व्यावसायिक यौन शोषण के रूप में परिभाषित करता है और उन लोगों को दंडित करता है जो व्यावसायिक यौन शोषण को बढ़ावा देते हैं और ग्राहकों को शामिल करते हैं और जो वेश्याओं की कमाई पर जीवनयापन करते हैं। इसमें पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और प्रबंधन किए जाने वाले सुरक्षात्मक गृहों के रूप में कल्याणकारी उपायों का भी प्रावधान किया गया है।

ज. व्यक्तियों का दुर्व्यापार

2.17 व्यक्तियों की तस्करी या मानव दुर्व्यापार दुनिया भर में एक सबसे गंभीर अपराध है और अक्सर संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा होता है, जो आर्थिक लाभ के लिए पीड़ितों के शोषण पर पनपता है। यह असंख्य तरीकों से पीड़ितों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता का उल्लंघन भी शामिल है। मानव दुर्व्यापार को सामाजिक-आर्थिक कारणों जैसे गरीबी, निरक्षरता और

ज्ञान की कमी, और पीड़ितों के लिए अपर्याप्त आजीविका विकल्प और विशेष रूप से महिलाओं के भेदभाव और वस्तुकरण से जोड़ा जा सकता है। अपराधियों के सरासर लोभ और मानवाधिकारों, गरिमा और जरूरतों के प्रति घोर अवहेलना और अनादर से इसमें वृद्धि होती है, और इसे रोकने और मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से सहायक सांस्कृतिक, सामाजिक और कानूनी व्यवस्था तंत्र जरूरी होता है।

2.18 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार मानव दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पर संसद के 2018 के मानसून सत्र के दौरान चर्चा की गई और इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसके बाद विधेयक को विचार के लिए राज्य सभा के समक्ष रखा गया। लेकिन संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका। 16वीं लोकसभा के भंग होने पर, विधेयक व्यपगत हो गया।

2.19 जुलाई 2018 में विधेयक के पारित होने के दौरान लोकसभा में चर्चा के आलोक में, विधेयक को अधिक प्रभावी, व्यापक और आत्म-निहित और बेहतर संगठित और मामले की जरूरतों के प्रति विधिवत उत्तरदायी बनाने के लिए इसका पुनरावलोकन किया गया है। पीड़ितों पर अधिक से अधिक ध्यान देते हुए मुद्दों और परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। नया मसौदा कानून मानवीय के साथ ही आर्थिक और संगठित अपराध के रूप में मानव दुर्व्यापार का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। मानव दुर्व्यापार पर नए कानून का मौजूदा प्रस्ताव इस गंभीर मानवीय और आर्थिक अपराध के सभी पहलुओं, अभिव्यक्तियों और आयामों को व्यापक रूप से ग्रहण करने के इरादे और उद्देश्य से एक स्व-निहित कानूनी स्थिति में है। उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित करने के लिए संसद में नए सिरे से कानून पेश करने की कार्यवाई जारी है।

III. महिलाओं के लिए योजनाएं

2.20 मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम के रूप में एक समेकित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' तैयार किया है। इसका उद्देश्य संस्थागत और अभिसरण तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण की पहल को सशक्त बनाना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों में अभिसरण, पंचायती राज संस्थानों और अन्य स्थानीय स्व-शासन निकायों की अधिक भागीदारी और सहयोग तथा जन सहभागिता के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर, जीवन-चक्र निरंतरता में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके 'महिला-प्रेरित विकास' के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी की ट्रैकिंग के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

2.21 मिशन शक्ति के घटक जीवन चक्र निरंतरता के आधार पर महिलाओं की जरूरतों की देखभाल करने के लिए तैयार किए गए हैं। मिशन शक्ति की 'संबल' और 'सामर्थ्य' दो उप-योजनाएं हैं। जहां "संबल" उप-योजना महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए है, वहीं "सामर्थ्य" उप-योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इनका घटक-वार विवरण इस प्रकार है:

(क) संबल महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए:

i) **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**— एक स्थान पर कानूनी परामर्श और सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श और सहायता, महिलाओं के लिए उपलब्ध सहायता और सुविधाओं के बारे में

जानकारी देने जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं।

ii) महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल), टॉल-फ्री टेलीफोनिक शॉर्ट कोड 181 पर एक आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जिसे ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

iii) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) व्यवहार और मानसिकता में बदलाव की मुख्य पहल है। देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है।

iv) नारी अदालत, महिलाओं के उत्पीड़न, विध्वंस, अधिकारों या हकों में कटौती आदि जैसी छोटी प्रकृति के मामलों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए एक नया उप-घटक।

(ख) सामर्थ्य महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए:

i) शक्ति सदन, दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह हैं।

ii) सखी निवास, शहरों और नौकरी की संभावना वाले क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं।

iii) पालना- शिशुगृह – कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं ताकि वे महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें।

iv) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), गर्भावस्था और प्रसव के चलते मजदूरी के

नुकसान की भरपाई करती है और स्वास्थ्य अनुकूल व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। इस स्कीम में पहले केवल एक बच्चा शामिल था, अब दूसरे बच्चे के लिए भी लाभ दिया जाएगा यदि बच्चा बालिका हो।

2.22 संकल्प (महिलाओं के पोषण और ज्ञान आधारित उन्नति, अंतिम छोर तक वितरण और क्षमता प्राप्ति के लिए सहायक कार्रवाई): मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप-योजना के तहत एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तीकरण केंद्र) सभी महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध एकल खिड़की अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण तंत्र का कार्य करता है और मिशन शक्ति की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करेगा। संकल्प: एचईडब्ल्यू का लक्ष्य महिलाओं को सशक्तीकरण और विकास के लिए विभिन्न संसाधनों की सहायता, निर्देशन और उन्हें जोड़ने के माध्यम से उनकी पूरी क्षमता को साकार करने में सक्षम बनाना है।

2.23 संकल्प: एचईडब्ल्यू की सभी महिला लाभार्थियों को सुरक्षा और संरक्षा, वित्तीय समावेशन, महिला-केंद्रित कानूनों और विधानों पर कानूनी जागरूकता, उद्यमशीलता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता से संबंधित प्रमुख विषयों पर जागरूकता प्रदान की जाती है।

2.24 संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र एक दूसरे के समन्वय में 3 स्तरों: राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करता है जिसमें विशेषज्ञों की एक टीम में मिशन समन्वयक, जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान और प्रशिक्षण विशेषज्ञ, वित्तीय समावेशन विशेषज्ञ, आईटी विशेषज्ञों के अलावा प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। राज्य और जिला संकल्प केंद्रों में प्रत्येक में 8 कर्मचारियों की भर्ती का प्रावधान है।

2.25 संकल्प केंद्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के साथ मिलकर जागरूकता कार्यकलापों, शिविरों और अभियानों के आयोजन के माध्यम से व्यापक पहुंच और जागरूकता में भी संलग्न हैं। महिला विशिष्ट कार्यकलापों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संकल्प केंद्रों को महिला विशिष्ट मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए वाहन की सुविधा के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तीय आवंटन भी प्रदान किया गया है।

2.26 संकल्प: एचईडब्ल्यू के कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(क) संबल महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए:

i) वन स्टॉप सेंटर

2.27 हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा अस्थायी आश्रय सहित सेवाओं की एकीकृत रेंज तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना निर्भया कोष के माध्यम से वित्तपोषित है।

2.28 देश भर में 762 जिलों में 816 ओएससी का अनुमोदन किया गया है। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 769 ओएससी कार्यशील हैं। इन केंद्रों ने शुरुआत से मार्च, 2024 तक 8.82 लाख से अधिक महिलाओं को सहयोग किया है। महिलाओं को सर्वोत्तम सुलभ पहुंच और सहयोग प्रदान करने के लिए ओएससी को 181 महिला हेल्पलाइन और अन्य मौजूदा सेवाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

ii) महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)

2.29 महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) की योजना 1 अप्रैल 2015 से कार्यान्वित की जा रही है और इसका

उद्देश्य रेफरल सेवाओं (पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल आदि जैसे उपयुक्त विभागों से जोड़ने) के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना और एक समान नंबर 181 के माध्यम से देश भर में महिला कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन चालू की गई हैं। शुरुआत के बाद से मार्च, 2024 तक 1,47,59,652 कॉल प्राप्त हुई हैं। इस योजना को निर्भया कोष के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। मंत्रालय महिला हेल्पलाइनों को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) आदि जैसी अन्य हेल्पलाइनों के साथ एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने 06 सितंबर 2023 को एक मानक संचालन प्रक्रिया पुस्तिका जारी की जिसमें महिला हेल्पलाइन के तौर-तरीकों को रेखांकित किया गया है, ताकि क्षेत्रीय कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें।

iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

2.30 बीबीबीपी एक मानसिकता परिवर्तन कार्यक्रम है जो शून्य-बजट विज्ञापन पर केंद्रित बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के लिए जागरूकता पैदा करने में मदद करता है और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करता है। पहले 405 जिलों में परिचालित इस योजना को बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए अब इसका विस्तार किया गया है।

2.31 15वें वित्त आयोग की अवधि में जारी रखने के लिए मिशन शक्ति की संबल उप योजना के तहत एक घटक के रूप में बीबीबीपी योजना का अनुमोदन किया गया है। अब, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से

बालिकाओं में कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भी भागीदार के रूप में जोड़ा गया है।

2.32 2020-21 तक जिलों में जन्म पर विभेदक लिंग अनुपात (एसआरबी) की स्थिति (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के आंकड़ों के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए बीबीबीपी घटक के तहत निधि जारी करने के लिए तीन कोष्ठक निर्धारित किए गए हैं। 918 से कम या इसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को 40 लाख रुपये प्रति वर्ष, 919 से 952 तक एसआरबी वाले जिलों को 30 लाख रुपये प्रति वर्ष और 952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों को 20 लाख रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जा रही है।

2.33 यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है और बहु-क्षेत्रीय पहलों के लिए राज्यों के माध्यम से जिलों को निधियां भेजी जाती हैं। इस संबंध में, जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में आसानी के लिए एक संचालन नियमावली तैयार की गई है। बीबीबीपी का परिचालन मैनुअल मंत्रालय की वेबसाइट (<https://wcd.nic.in/sites/default/files/Beti:20Bachao-Beti:20Padao-English.pdf>) पर उपलब्ध है। बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की साल भर की व्यस्तता सुनिश्चित करने के लिए जिलों के लिए एक विस्तृत और अच्छी तरह सुझाया गया गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है।

क) **उद्देश्य**—इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं का अस्तित्व, सुरक्षा, शिक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए लिंग-पूर्वाग्रही लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना है।

ख) **लक्ष्य समूह** — बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निम्नलिखित समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है

प्राथमिक	- युवा और नवविवाहित दंपति और भावी माता-पिता - किशोर (लड़कियां और लड़के) और युवा - परिवार और समुदाय
माध्यमिक	- स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र - मेडिकल डॉक्टर/चिकित्सक, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर इत्यादि - अधिकारी, पीआरआई/यूएलबी, अग्रणी कार्यकर्ता, - महिला समूह और एसएचजी, नागरिक समाज संगठन, मीडिया, उद्योग, धार्मिक नेता इत्यादि

गई थी। बीबीबीपी योजना के विस्तार के चरण निम्नानुसार हैं:

2014-15	2015-16	2018-19	2018-19 से 2021-22
चरण-1 में 22 जनवरी, 2015 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100 जिलों बीबीबीपी की शुरुआत की गई	चरण-2 में 11 राज्यों में 61 जिलों में विस्तार किया गया	अखिल भ. भारतीय विस्तार बहु क्षेत्रीय पहल 244 मीडिया, पैरवी और पहुंच 640	640 जिले (2011 की जनगणना के अनुसार)

ग) **योजना के घटक— देश के सभी जिलों में बहु-क्षेत्रीय पहल:** इस घटक का उद्देश्य शून्य-बजट विज्ञापन और जमीनी प्रभाव वाले कार्यकलापों जैसे बालिकाओं में खेल को बढ़ावा देने, आत्मरक्षा शिविर, बालिकाओं के लिए शौचालयों के निर्माण, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम आदि के बारे में जागरूकता आदि पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करना है। जिला स्तर पर बहुक्षेत्रीय पहल के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के माध्यम से निधि प्रदान की जाती है।

घ) **योजना का कवरेज— 15वें वित्त आयोग की अवधि में, बहुक्षेत्रीय पहल के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए बीबीबीपी का विस्तार किया गया है। इससे पहले बीबीबीपी योजना चरणबद्ध तरीके से शुरू की**

ड) **निगरानी तंत्र—मिशन शक्ति का घटक होने के नाते कार्यान्वयन के सभी स्तरों, अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर बीबीबीपी की निगरानी की जा रही है।**

च) **निधि की स्थिति**

स्थापना के समय से बीबीबीपी योजना के तहत निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमान (आर.ई.)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2014-15	50	34.84
2	2015-16	75	59.37
3	2016-17	43	28.66
4	2017-18	200	169.10
5	2018-19	280	244.73
6	2019-20	200	85.78
7	2020-21	100	60.57
8	2021-22	100	58.80
9	2022-23	108	91.98
10	2023-24	90.5	88.63*

*31.03.2024 तक

छ) **उपलब्धियां—** इस योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता

की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। इस योजना के फलस्वरूप लोगों में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ी है। इसने भारत में घटते सीएसआर के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। अभियान का समर्थन करने वाले लोगों की सामूहिक चेतना के परिणामस्वरूप बीबीबीपी ने सार्वजनिक चर्चा में अपनी जगह बनाई है। विभिन्न संकेतकों में सुधार इस प्रकार रहा है:

- (i) राष्ट्रीय स्तर पर जन्म पर लिंग अनुपात 918 (2014–15) से बढ़कर 933 (2022–23) हो गया। (स्रोत: एचएमआईएस डेटा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अप्रैल–मार्च, 2014–15 और 2022–23)।
- (ii) सकल नामांकन अनुपात (जीईआर): माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 2014–15 में 75.51% से बढ़कर 2021–22 में 79.4% हो गया। (स्रोत: यू-डीआईएसई प्लस, शिक्षा मंत्रालय)।

ज) आयोजित कार्यक्रम— महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश की नारी शक्ति का उत्सव मनाने के लिए 150 सीआरपीएफ महिला बाइकर्स के समूह “यशस्विनी” द्वारा एक क्रॉस-कंट्री बाइक अभियान का आयोजन करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सहयोग दिया। 25 रॉयल एनफील्ड (350 सीसी) मोटरबाइक्स और 50 बाइकर्स की तीन टीमों: 03 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर से उत्तरी टीम, 05 अक्टूबर को शिलांग से पूर्वी टीम, 05 अक्टूबर को कन्याकुमारी से दक्षिणी टीम ने यात्रा शुरू की। कुल 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के बाद ये टीमों 31 अक्टूबर 2023 को समापन समारोह के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर में एकत्रित हुई।

झ) राष्ट्रीय बालिका दिवस (एनजीसीडी) का समारोह—

- i. 24 जनवरी 2023 –एनजीसीडी के उत्सव के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने इस कार्यक्रम

को जनभागीदारी बनाने का निर्णय लिया, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों से 18 से 24 जनवरी, 2023 तक बालिकाओं के महत्व से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया। इस अभियान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग #akamcelebratinggirlchildmwcd दिया गया।

- ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनजीसीडी के 5 दिवसीय समारोह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सीएसआर पर विशेष ग्राम सभा/महिला सभा, शपथ ग्रहण समारोह/हस्ताक्षर समारोह, डोर टू डोर कार्यक्रम, बालिकाओं के महत्व पर स्कूलों (सरकारी/निजी) के साथ कार्यक्रम, स्कूलों के बीच पोस्टर/नारा-लेखन/ड्राइंग/दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता, सामुदायिक संवेदीकरण कार्यक्रम, बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों पर टॉक शो, वृक्षारोपण अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षा, खेल के क्षेत्र में स्थानीय चैंपियन को सम्मानित किया गया।

- iii. **24 जनवरी 2024—**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के बच्चों की भागीदारी वाली “मेरे विकसित भारत का सपना” थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता से हुई। इस समारोह में वृक्षारोपण अभियान भी शामिल था। कार्यक्रम की जीवंतता को बढ़ाने के लिए, सीसीआई के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से, शिशु मंदिर,

बैंगलोर के बच्चों ने बोइंग इंडिया के सहयोग से एक उल्लेखनीय यूनीसाइकिल प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मान्यता मिली।

- iv. राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी देश भर में 5 दिनों के विशेष अभियान के साथ मनाया गया जिसमें बालिकाओं के महत्व को दर्शाने वाली गतिविधियां शामिल थीं। इस अभियान में डोर-टू-डोर कार्यक्रमों के दौरान हर घर/सार्वजनिक भवन/पंचायत कार्यालय पर संदेश के साथ **“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ”** स्टिकर चिपकाने जैसे नए विचार शामिल हैं। स्वच्छता किटों के वितरण के साथ मासिक धर्म स्वच्छता पर कार्यशालाओं जैसे सामुदायिक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालिकाओं के नाम पर वृक्षारोपण अभियान अनिवार्य गतिविधि थी। शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुटाव के क्षेत्र में जिले में स्थानीय चैंपियन को मान्यता देना और उनका सम्मान करना भी इस अभियान का हिस्सा बना।



निपसिड, नई दिल्ली में चित्रकला प्रतियोगिता—
राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2024



नागपट्टिनम 2, तमिलनाडु



यूपी, कार्यशाला

2.34 जिलों ने पूरे वर्ष जागरूकता पर जोर दिया और मानसिकता बदलने पर केंद्रित अभियान शुरू किए। जिलों ने मुख्य रूप से समुदायों को जोड़ने, जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार, जन्म पंजीकरण, बालिकाओं के जन्म पर उत्सव को प्रोत्साहित करने, पुत्र केंद्रित रीति-रिवाजों को चुनौती देने और सामाजिक मानदंडों को उलटने, लड़कियों को स्कूलों में वापस लाने के लिए पुनः नामांकन अभियान और बालिकाओं के महत्व के लिए अन्य पहलों की दिशा में पहले शुरू की हैं। जिलों की अच्छी पहलों का मंत्रालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रलेखन किया गया है। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट: www.wcd.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(iv) नारी अदालत

2.35 नारी अदालत मिशन शक्ति के अंतर्गत “संबल” उप-योजना का एक नया घटक है। इस अग्रणी पहल

का उद्देश्य महिलाओं को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना और उत्पीड़न, तोड़फोड़ और अधिकारों या हकों में कटौती के मुद्दों का समाधान करना है।

2.36 इस योजना के अंतर्गत, नारी अदालत उन सभी महिलाओं और बालिकाओं की सेवा करती है जिन्हें स्थानीय समुदाय में सहायता की जरूरत है या जिनकी कोई शिकायत है।

2.37 इसके मुख्य कार्यों में महिलाओं के कानूनी अधिकारों और हकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों का समाधान करना शामिल है। नारी अदालत द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में वैकल्पिक विवाद समाधान और शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलभ और किफायती न्याय के लिए आपसी सहमति से सुलह शामिल है। नारी अदालत न केवल व्यक्तिगत मामलों का समाधान करेगी बल्कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत सामाजिक योजनाओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगी और इन पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बहुमूल्य प्रतिक्रिया एकत्र करेगी।

2.38 नारी अदालत के प्रत्याशित परिणामों में अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता में वृद्धि, घरेलू हिंसा के मामलों में कमी, दबाव समूहों के रूप में महिलाओं का सशक्तीकरण, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मुकाबला, लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) की रिपोर्टिंग में वृद्धि, गुणात्मक परिणाम जैसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि, पुलिस और औपचारिक न्यायपालिका प्रणाली पर बोझ में कमी और महिलाओं के लिए रखरखाव और संपत्ति के अधिकार जैसे संसाधनों तक बेहतर पहुंच शामिल है।

2.39 नारी अदालत को चयनित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् असम और जम्मू और कश्मीर में एक

प्रायोगिक परियोजना के हिस्से के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। असम और जम्मू और कश्मीर में नारी अदालत की 50 इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

2.40 चयनित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त लागत मानदंडों और प्रस्ताव के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी की गई कुल धनराशि 42.40 लाख रुपये; जम्मू और कश्मीर: 21.60 लाख रुपये और असम: 20.80 लाख रुपये है।

(ख) सामर्थ्य – महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए:

i) शक्ति सदन

2.41 समग्र मिशन शक्ति के तहत, कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए स्वाधार गृह और दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए उज्ज्वला गृहों का विलय कर दिया गया है और इसे शक्ति सदन का नया नाम दिया गया है, जो दुर्व्यापार की गई महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। यह योजना मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त स्थिति में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों से उबर सकें। इस योजना के तहत किराए के परिसर में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.42 शक्ति सदन योजना की प्रमुख विशेषताएं:

- i. शक्ति सदन के निवासियों के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाती है। निवासियों को संबंधित विभागों के अभिसरण में व्यावसायिक प्रशिक्षण, बैंक खाता

- खोलने की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदि भी प्रदान किए जाएंगे।
- ii. गृहों के संचालन का व्यय यानी प्रशासनिक लागत 15,000/— रुपये प्रति माह, प्रबंधन लागत 12,84,000/— रुपये प्रति वर्ष, शहर की ए, बी और सी श्रेणी के अनुसार किराया प्रदान किया जाता है। प्रति वर्ष 2,50,000/— रुपये की दर से प्रत्यावर्तन, पुर्नएकीकरण राशि का प्रावधान है। इसके अलावा जन धन खाते में प्रति लाभार्थी को 500/— रुपये प्रति माह की दर से राशि दी जाती है, जिसे खाताधारक गृह में रहने के दौरान नहीं निकाल सकते हैं।
- iii. इन गृहों की सुविधाओं का लाभ महिलाओं के साथ आने वाले बच्चे भी उठा सकते हैं। शक्ति सदन में किसी भी उम्र तक की अविवाहित लड़कियां और 12 साल तक के लड़के अपनी माता के साथ रह सकते हैं। (12 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों को जेजे अधिनियम/मिशन वात्सल्य के तहत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित करना आवश्यक है)।
- iv. शक्ति सदन को आसपास के पुलिस थानों से जोड़ा जाएगा ताकि महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और बेहतरी सुनिश्चित की जा सके। इन गृहों के कर्मचारियों का वार्षिक पुलिस सत्यापन किया जाना चाहिए।
- v. मानसिक रूप से विकलांग/दिव्यांग महिलाओं के लिए भी सामाजिक और न्याय विभाग और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं के अभिसरण में गृह स्थापित किए जा सकते हैं।
- vi. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच, उत्तर पूर्व और विशेष श्रेणी के राज्यों जहां वित्तपोषण अनुपात 90:10 है, को

छोड़कर 60:40 का वित्तपोषण अनुपात है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 100: वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।

2.43 31 मार्च, 2024 तक, देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 445 शक्ति सदन कार्य कर रहे हैं। कार्यशील शक्ति सदनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक—V** में दिया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान शक्ति सदन के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 118.98 करोड़ रुपये जारी किए गए।

ii) सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) योजना

2.44 समग्र मिशन शक्ति के तहत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

2.45 इस योजना के तहत, ऐसी कामकाजी महिलाओं जो अकेली, विधवा, तलाकशुदा, अलग, विवाहित जिनके पति या परिवार उसी क्षेत्र में नहीं रहते हैं और नौकरी के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए के लिए किराए के परिसर में सखी निवास चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सखी निवास के निवासियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते उनकी सकल आय महानगरों में 50,000/— रुपये प्रति माह या अन्य स्थानों पर 35,000/— रुपये प्रति माह से अधिक न हो।

2.46 यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों जहां यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ कार्यान्वित की जाती है। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

2.47 31 मार्च, 2024 तक, देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 463 सखी निवास कार्यरत हैं। कार्यरत सखी निवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-VI** में दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.52 करोड़ रुपये जारी किए गए।

iii) पालना

2.48 महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के संबंध में सरकार की निरंतर पहल के परिणामस्वरूप उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं और अब अधिक से अधिक महिलाएं अपने घरों के भीतर या बाहर काम करके लाभकारी रोजगार पा रही हैं। बढ़ते औद्योगीकरण और शहरी विकास के कारण शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। पिछले कुछ दशकों में एकल परिवारों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चों, जिन्हें पहले काम के दौरान परिवारों से सहायता मिलती थी, को अब डे-केयर सेवाओं की जरूरत पड़ती है जो बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सुरक्षा प्रदान करती हों। उचित डे-केयर सेवाओं की कमी अक्सर महिलाओं को बाहर जाकर काम करने से रोकती है। इसलिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेवाओं/क्रेच की बेहतर गुणवत्ता और पहुंच अति आवश्यक है।

2.49 कामकाजी माताओं द्वारा अपने बच्चों को उचित बाल देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, पालना के घटक के माध्यम से

डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्रेच सेवाएं बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं, जिन्हें अब तक घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था। देखभाल कार्य को औपचारिक बनाना सतत विकास लक्ष्य 8 – सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए “सभ्य कार्य अभियान” को सहयोग करता है। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 तक 17000 आंगनवाड़ी सह क्रेच स्थापित करने का निर्णय लिया है।

2.50 आंगनवाड़ी केंद्र दुनिया की सबसे बड़ी बाल देखभाल संस्थाएं हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के प्रति समर्पित हैं, जो अंतिम छोर तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करती हैं। अपनी तरह के पहले दृष्टिकोण में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच के माध्यम से बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन बाल देखभाल सहायता सुनिश्चित करेगा और एक सुरक्षित वातावरण में उनका कल्याण सुनिश्चित करेगा। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना है। पालना घटक का उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा आदि प्रदान करना है। पालना के तहत सभी माताओं को उनकी रोजगार स्थिति पर ध्यान दिए बिना क्रेच सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

2.51 पालना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि दिन-प्रतिदिन बेहतर निगरानी और योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और इसे केंद्र और राज्य सरकारों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों जहां अनुपात 90:10 है को छोड़कर, 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ कार्यान्वित किया जाता है।

बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।

2.52 पालना के उद्देश्य हैं:

- i. बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।
- ii. अधिक माताओं को लाभकारी रोजगार करने में सक्षम बनाना।
- iii. मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 11ए में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करना, जिसमें प्रतिष्ठानों द्वारा शिशुगृह सुविधाओं की स्थापना की जानी है।

2.53 **कार्यान्वयन एजेंसियां:** इसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार शिशुगृहों का संचालन करेगी। सभी प्रशासनिक, व्यावसायिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, मीडिया वकालत आदि व्यय एचयूबी में वसूले जाएंगे।

2.54 **लक्षित समूह और लाभार्थी:** सभी माताओं को उनके रोजगार की स्थिति पर ध्यान दिए बिना शिशुगृह की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह योजना 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों पर केंद्रित है।

2.55 **सेवा प्रदायगी ढांचा:** आंगनवाड़ी-सह-क्रेच योजना को अंतर-मंत्रालयी अभिसरण के साथ विशेष रूप से आईसीडीएस और पोषण के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। यह श्रम कानूनों के साथ-साथ मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत विधानों का अनुपालन करता है।

2.56 **वर्ष 2023-24 के दौरान पालना के तहत प्रमुख पहल/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:**

- i. सरकार ने पहले से मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री

और आंगनवाड़ी सहायिका के अलावा प्रति एडब्ल्यूसीसी 2 अतिरिक्त कर्मचारियों (एक क्रेच कार्यकर्त्री और एक क्रेच सहायिका) का प्रावधान किया है। इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

- ii. राज्यों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, मंत्रालय ने पालना के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए नई सुविधाएं शामिल की हैं और अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान की है। पालना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच के लिए संशोधित बजटीय मानदंड/प्रावधान दिनांक 10.08.2023 को जारी किए गए हैं।

- iii. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पीएबी ने एडब्ल्यूसीसी की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया और 3134 एडब्ल्यूसीसी की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी। आज तक, कुल 5631 एडब्ल्यूसीसी को मंजूरी दी गई है।

2.57 **दिनांक 21.12.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम:**

- i. इस मंत्रालय द्वारा 21.12.2023 को माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के दौरान एडब्ल्यूसीसी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई।

- ii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 30 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में "सक्षम नारी सशक्त भारत - विकसित भारत के कार्यबल में महिलाएं" कार्यक्रम की संयुक्त रूप से मेजबानी की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य

- मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी की अध्यक्षता तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव तथा महिला एवं बाल विकास और आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।
- iii. इस कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग संगठनों भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), एसोचैम, पीएचडीसीआईआई, स्कोप और संयुक्त राष्ट्र संगठनों— यूनिसेफ, यूएन वीमेन और आईएलओ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में व्यापक आभासी दर्शक वर्ग शामिल हुआ, जिसमें उद्योग जगत और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों से 2.5 लाख से अधिक प्रतिभागी वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े।
- iv. इस कार्यक्रम में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महिला सशक्तीकरण को मजबूत करने के लिए लैंगिक समानता और महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देते हुए नियोक्ताओं के लिए एक सलाह जारी की। इसके अलावा, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर भवन, निर्माण और राजमार्ग क्षेत्रों में महिला कार्यबल की भागीदारी और सुरक्षा के लिए सलाह जारी की। इस कार्यक्रम ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भीतर नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण के शुभारंभ के लिए एक मंच का भी काम किया। ये सलाह वास्तव में नियोक्ताओं के लिए सहयोगी वातावरण बनाने के लिए एक मार्गदर्शक बल के रूप में कार्य करेगी जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाती है।
- v. लंबे समय से चली आ रही मांगों के प्रत्युत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रेच (संचालन और प्रबंधन) के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मानक और प्रोटोकॉल जारी किया गया। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत क्रेच स्थापित करने के लिए अधिदेशित व्यक्तियों/सेवा एजेंसियों/निगमों/कंपनियों/विश्वविद्यालयों/अस्पतालों/देखभाल सेवा प्रदाताओं/सरकारी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- iv) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)**
- 2.58 भारत सरकार ने 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अखिल भारतीय कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, पीएमएमवीवाई को मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप-योजना का एक घटक बनाया गया है। पीएमएमवीवाई के उद्देश्य हैं:
- नकद प्रोत्साहन के रूप में मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना ताकि महिला पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।
 - प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार होगा।
 - दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, यदि वह बालिका है।
- 2.59 इस योजना के अंतर्गत, समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को दो

किस्तों में न्यूनतम पांच हजार रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा। यह लाभ किसी महिला को उसके पहले दो जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो। पहले बच्चे के मामले में 5000 रुपये की राशि दो किस्तों में और दूसरे बच्चे के लिए 6000 की राशि, बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो, जन्म के बाद एक किस्त में प्रदान की जाएगी। हालांकि, दूसरे बच्चे के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए, गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण अनिवार्य होगा। इससे जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार लाने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मदद मिलेगी।

2.61 यह लाभ केवल लाभार्थी के आधार नंबर के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है ताकि किसी भी दोहराव या कदाचार से बचा जा सके। नीचे दी गई तालिका में दी गई अनुसूची के अनुसार डीबीटी मोड में पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में और दूसरी बालिका के लिए एक किस्त में नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है:

2.61 समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदंड होंगे:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं;
- आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग (दिव्यांगजन) महिलाएं
- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं
- आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी।
- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
- किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
- महिलाएं जिनकी निवल पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच/आशाएं

शर्तें और किस्तें		
किस्त	शर्त	राशि
पहली किस्त	संबंधित प्रशासन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्रों में एलएमपी की तारीख से 6 महीने के भीतर गर्भावस्था के पंजीकरण और कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराने पर	3,000/- रुपये
दूसरी किस्त	- बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया हो - बच्चे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत चौदह सप्ताह की आयु तक सभी आवश्यक टीके लगाए गए हों	2,000/- रुपये
किस्त	दूसरा बच्चा (यदि वह बालिका है तो)	राशि
एकल किस्त	गर्भावस्था के पंजीकरण और एल.एम.पी. तिथि से 6 महीने के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच के बाद संबंधित प्रशासकीय राज्य/यू.टी. द्वारा पहचान की जा सकती है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म का पंजीकरण किया जाएगा। बालिका को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत चौदह सप्ताह की आयु तक सभी आवश्यक टीके लगवाए गए हों।	6,000/- रुपये

x. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिला लाभार्थी

इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य श्रेणी भी पात्र होगी।

2.62 केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार में लगी या किसी भी मौजूदा कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं पीएमएमवीवाई के तहत लाभ पाने की हकदार नहीं होंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत पात्र लाभार्थी की आयु 18 वर्ष 7 महीने और अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए।

2.63 कोई भी पात्र लाभार्थी किसी भी समय, लेकिन गर्भावस्था के 270 दिनों के बाद आवेदन नहीं कर सकती है। इस संबंध में एमसीपी कार्ड में पंजीकृत एलएमपी गर्भावस्था की तिथि मानी जाएगी। गर्भपात/मृत शिशु के जन्म के मामले में लाभार्थी को भविष्य में किसी भी गर्भावस्था की स्थिति में नई लाभार्थी माना जाएगा।

2.64 लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/आशा द्वारा किया जाएगा। पीएमएमवीवाई लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने और पूरे देश में आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को मानदेय की एक समान दरें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/आशा के लिए मानदेय की निम्नलिखित दरें तय की गई हैं:-

लाभार्थियों द्वारा स्वयं-पंजीकरण के मामले में, स्वयं-पंजीकरण की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर क्षेत्र स्तर पर सत्यापन के लिए आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू को 150/- रुपये दिए जाएंगे। 30 दिनों के बाद, क्षेत्र स्तर पर सत्यापन के लिए आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू को 50/- रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

2.65 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में तैयार की गई है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लागत हिस्सेदारी अनुपात के आधार पर अनुदान जारी किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच का अनुपात 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 100: है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निधियों के जमाव के बिना लाभार्थियों को निधियों की समर्पित और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक एस्करो खाता रखने का प्रावधान है। भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, लाभार्थियों के खाते में अंतरण के लिए इस खाते में अपना संबंधित अंश अंतरित करते हैं। 2023-24 के दौरान बजटीय आवंटन 2067.87 करोड़ रुपये है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है।

किस्त संख्या	मानदेय के लिए पात्र कार्यकर्ताओं की श्रेणी	आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर मानदेय	आवेदन की तिथि से 30 दिनों के बाद मानदेय
पहला बच्चा			
पहली	आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू	150/- रुपये	50/- रुपये
दूसरी	आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू	100/- रुपये	50/- रुपये
कुल		250/- रुपये	100/- रुपये
दूसरा बच्चा (बालिका)			
	आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू	250/- रुपये	100/- रुपये

2.66 योजना का पारदर्शी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा 01.09.2017 को कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएस), कार्यान्वयन दिशानिर्देश और इसके उपयोगकर्ता मैनुअल जारी किए गए। 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप मार्च 2023 में एक नया पीएमएमवीवाई पोर्टल (पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस) शुरू किया गया। मोबाइल ऐप और विशिष्ट पोर्टल (पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस) की शुरुआत के साथ आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया कागज रहित हो गई है। इसका यूआरएल जजचे.चउउअलूबक.हवअ.पद है।

2.67 सरल और समझने में आसान ऑनलाइन फॉर्म एक सुसंगत और सीधी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। पोर्टल नागरिकों के लिए पहली बार स्वयं-पंजीकरण को सुगम बनाता है, जिसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा कार्यकर्त्रियों जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा सुगम बनाया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र में लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सुचारु प्रक्रिया के लिए आधार सत्यापन और आधार-आधारित भुगतान जैसे अनिवार्य प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। लाभार्थी का सत्यापन आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, और धनराशि सीधे उनके डीबीटी-सक्षम खातों में अंतरित कर दी जाती है। भुगतान पारदर्शी रूप से आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खातों में जमा किए जाते हैं, जो दक्षता के लिए पीएमएमएस के साथ एकीकृत होते हैं। अनिवार्य मोबाइल नंबर को शामिल करने से आवेदन की स्थिति और निधि के संवितरण पर रीयल टाइम अपडेट सुगम होता है। गर्भवती लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से अपने नए स्थान पर सहजता से प्रवास कर सकती हैं और लाभ प्राप्त करती रह सकती हैं। यह प्रणाली मोबाइल ऐप और वेब के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुकूल ट्रेकिंग प्रणाली प्रदान करती है, और शिकायत

फॉर्म, हेल्पलाइन-14408 और एसएमएस संचार सहित कई सहायता चैनल उपलब्ध हैं।

2.68 इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निगरानी यात्राएं आयोजित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा 2023-24 में पीएमएमवीवाई के हितधारकों/कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं/प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, पर्यवेक्षकों, मंजूरी अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों के लिए आवश्यकता आधारित क्षमता निर्माण अभ्यास आयोजित किए गए। प्रशिक्षण ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ राज्य दौरों के माध्यम से दिए गए। 01.09.2023 से 31.03.2024 के बीच किए गए क्षमता निर्माण अभ्यासों का विवरण **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

2.69 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत से लेकर 31.03.2024 तक 3.89 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है, जिनमें से 3.38 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कुल 15,122.31/- करोड़ रुपये से अधिक के लाभों का संवितरण किया गया है। पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह योजना पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है और पीएमएमवीवाई 2.0 के अनुसार इसमें परिवर्तन शामिल किए गए हैं।

(ग) विधवा गृह

2.70 विधवा गृह वृंदावन में स्थापित किया गया है जो भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित है। इसमें 1000 विधवाओं को रहने की सुरक्षित जगह, स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है। गृह का डिजाइन भी वृद्धावस्था के अनुकूल है। गृह वरिष्ठ नागरिकों और विशेष अक्षमताओं वाले व्यक्तियों की

जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं से सुसज्जित है। यह गृह देश में विधवाओं के लिए सबसे बड़ा आश्रय गृह है और इसका उद्घाटन 31.08.2018 को किया गया।

(घ) मिशन शक्ति डैशबोर्ड

2.71 मिशन शक्ति डैशबोर्ड एक व्यापक वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसे मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार रीयल टाइम निगरानी को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य ओएससी के माध्यम से लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आयोजित कार्यक्रमों की निगरानी को सुव्यवस्थित और मजबूत करना है। वेब सक्षम निगरानी प्रणाली एक उपयोक्ता-अनुकूल पोर्टल है जो डेटा गोपनीयता का उचित सम्मान करते हुए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ सेवा प्रदायगी ढांचों की स्थापना, मिशन शक्ति के तहत उपलब्ध संस्थानों के नेटवर्क, प्रदान की जा रही सेवाओं, कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के बारे में सटीक जानकारी सहित कार्यक्रमों की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, पोर्टल हिंसा की शिकार कमजोर वर्गों की महिलाओं के बारे में अद्यतन आंकड़े दर्शाने के साथ ही प्रदान की गई सेवाओं और विचार और व्यवहार परिवर्तन के लिए चलाए गए जागरूकता अभियानों की जानकारी भी देता है।

V. महिलाओं के लिए पहले

क. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विवाहों में महिलाओं की सहायता

2.72 एनआरआई पुरुषों से विवाह में अनेक बार महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, उन्हें हिंसा और अनेक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। सीमा-पारीय कानून लागू होने के कारण इन मामलों का समाधान करना कठिन होता है। भारत सरकार ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों से विवाहित भारतीय नागरिकों के मुद्दों

एवं परेशानियों की जांच करने तथा मौजूदा कानूनों/नीतियों/विनियमों में संशोधन सुझाने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार गोयल, पूर्व अध्यक्ष, पंजाब एनआरआई आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति ने 'विदेशी भारतीय नागरिकों से विवाहित भारतीय नागरिकों की कानूनी तथा विनियामक चुनौतियों की पहचान- उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सुझाव' शीर्षक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें एनआरआई वैवाहिक विवादों से जूझ रही महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए कई सिफारिशें की गईं। तदनुसार, एनआरआई विवाहों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की सदस्यता वाली एक समेकित नोडल एजेंसी स्थापित की गई है। आर्थिक कार्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय, और विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ यह मंत्रालय इन महिलाओं को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.73 इसके अलावा, एनआरआई वैवाहिक विवादों और विदेशों में भारतीय महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं/हिंसा से संबंधित मामलों के समाधान में सहायता और सहयोग करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन योजनाओं के अनुरूप विदेश में भारतीय राजनयिक मिशनों (आईडीएम) में वन स्टॉप सेंटर और समर्पित हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य से विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 9 देशों जैसे यूएई, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, सिंगापुर और कनाडा जिनमें वहां रहने वाली महिलाओं की संख्या के आधार पर ओएससी जैसी सुविधाओं की जरूरत है, में 10 आईडीएम की पहचान की। 28.04.2021 को निर्भया कोष के तहत अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया। बाद में विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में इस सुविधा को छोड़ने का प्रस्ताव रखा।

ख. साइबर अपराध का मुकाबला

2.74 महिलाओं पर हिंसा करने के लिए साइबर स्पेस के उपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए, मंत्रालय ने साइबर अपराध के मुद्दे को समग्र ढंग से उठाया है। मंत्रालय ने निर्भया कोष की मदद से साइबर अपराध पोर्टल www.cybercrime.gov.in शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श किया है। यह पोर्टल नागरिकों से बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, यौन संबंधी सामग्री जैसे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री पर शिकायतें प्राप्त करता है। यह शिकायतकर्ताओं को उनकी पहचान प्रकट किए बिना मामलों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शिकायतकर्ता पोर्टल पर रिपोर्ट को भी ट्रैक कर सकता है। इस पोर्टल का हाइपरलिंक मंत्रालय की वेबसाइट (<https://wcd.nic.in/>) पर दिया गया है।

ग. यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस

2.75 गृह मंत्रालय द्वारा देश में यौन अपराधियों का केंद्रीय डाटाबेस, यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ) तैयार किया गया है। यह देश में यौन अपराधियों का ऑनलाइन डाटाबेस है, जिसका रखरखाव एनसीआरबी द्वारा किया जा रहा है।

घ. कोविड-19 महामारी के दौरान महिलाओं के लिए सेवाओं का प्रावधान

2.76 महिलाएं और बच्चे आपदाओं एवं महामारियों के दौरान बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि विशेष रूप से हिंसा से प्रभावित या सहायता एवं देखभाल की जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, पुलिस सहायता, विधिक परामर्श/सहायता, अस्थायी आश्रय आदि जैसी

आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी सेवा प्रदायगी तंत्रों को कार्यशील बनाया जाए।

2.77 इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा सभी जिलों के जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन की अवधि के दौरान वन स्टॉप सेंटर्स और महिला हेल्पलाइंस को कार्यशील रखने के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई। इसी एडवाइजरी में विभिन्न कानूनों के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों तथा अन्य सांविधिक अधिकारियों को भी लॉकडाउन के दौरान हिंसा से प्रभावित महिलाओं को संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए निर्देश दिए गए। परिणामतः, लॉकडाउन की अवधि के दौरान, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (पीडब्ल्यूडीवीए) के तहत अधिसूचित सभी संरक्षण अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी) और महिला हेल्पलाइंस देश में हिंसा से प्रभावित या आपदाग्रस्त महिलाओं की मदद करने के लिए उपलब्ध रहे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 29.04.2021 को एक ऐसी ही एडवाइजरी जारी की गई।

2.78 उचित स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई से जूझ रही गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से महामारी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित, की मदद करने के लिए 01.05.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी एक एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा, मंत्रालय ने महिला हेल्पलाइन-181 से संपर्क करने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निमहांस के माध्यम से मनो-सामाजिक परामर्श के लिए 10.05.2021 को भी एक एडवाइजरी जारी की।

2.79 वेबिनारों और वीडियो कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर्स और महिला हेल्पलाइंस के पदाधिकारियों का संवेदीकरण किया गया है।

V. निर्भया कोष

2.80 देश में महिलाओं के लिए संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने निर्भया कोष नामक एक समर्पित कोष स्थापित किया। यह वित्त मंत्रालय के पास रखा गया, गैर-व्यपगत कॉरपस कोष है। 2023-24 तक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास रखे गए निर्भया कोष के तहत 7212.85 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निर्भया कोष के तहत प्रदान किए गए आवंटन का वर्ष-वार विवरण निम्न प्रकार है:

वित्त वर्ष	आवंटन (करोड़ रु.)
2013-14	1000.00
2014-15	1000.00
2015-16	-
2016-17	707.62
2017-18	550.00
2018-19	550.00
2019-20	550.00
2020-21	1355.23
2021-22	500.00
2022-23	500.00
2023-24*	500.00
कुल	7212.85

*वित्त वर्ष 2023-24 में म.बा.वि. मंत्रालय को 500.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई

2.81 वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.03.2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया कोष के तहत योजनाओं का मूल्यांकन करने के साथ ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय है। उसके बाद वित्तीय अनुमोदन और व्यय सीधे ही संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। निर्भया कोष से वित्तपोषित किए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने

तथा इनकी समीक्षा और निगरानी के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक अधिकारप्राप्त समिति गठित की गई है।

2.82 अधिकारियों की अधिकारप्राप्त समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-अध्यक्ष
- सचिव, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-सदस्य
- अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड-सदस्य
- संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग-सदस्य
- सचिव, परियोजना प्रायोजन विभाग-सदस्य
- संबंधित राज्य सरकार के विभाग के सचिव-सदस्य
- राज्य के महिला एवं बाल विभाग के सचिव-सदस्य
- संयुक्त सचिव (निर्भया), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-संयोजक

2.83 इस प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के स्थान पर जनवरी, 2017 में निर्भया कोष का फ्रेमवर्क भी लागू किया गया है।

2.84 निर्भया कोष के तहत प्रस्ताव तैयार और अनुमोदन करने के चरण निम्नानुसार हैं:

- केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग** महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं।
- राज्य सरकार** अपने विशिष्ट क्षेत्र (उदाहरण- सड़क परिवहन, पुलिस, विद्युत आदि) में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजना प्रस्ताव तैयार और अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त समिति

को एक प्रति सहित उसे केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत कर सकती है।

iii. **संघ राज्य क्षेत्र** प्रशासन भी परियोजना प्रस्ताव तैयार और अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त समिति को एक प्रति सहित उसे गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकता है।

iv. अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद, संबंधित मंत्रालय निधियों के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करते हैं।

2.85 निर्भया कोष के तहत वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन योजना को मंत्रालय स्वयं कार्यान्वित करता है। अन्य मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी इस कोष के तहत योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं।

VI. नारी शक्ति पुरस्कार

2.86 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस दिन और इस सप्ताह को बड़े उत्साह के साथ मनाता है। इस अवसर पर महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करने और समाज और राष्ट्र में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मंत्रालय द्वारा हर साल महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से कमजोर और संवेदनशील महिलाओं के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करता है।

2.87 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर 'डलहवअ' प्लेटफॉर्म पर "नारी शक्ति क्विज़" नामक एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया।

vii. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

2.88 माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती

स्मृति जूबिन इरानी, मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ 16–20 जनवरी, 2023 तक दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ), 2023 की वार्षिक बैठक में शामिल हुई।

2.89 माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने अंतर्राष्ट्रीय, स्विट्स और भारतीय समुदायों के सदस्यों की उपस्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उत्सव के अवसर पर, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को (प्री-रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के माध्यम से) संबोधित किया।

2.90 माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने 6 से 17 मार्च, 2023 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर आयोग (सीएसडब्ल्यू67) के साठवें सत्र में एक राष्ट्रीय वक्तव्य (प्री-रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से) दिया।

2.91 मंत्रालय ने 27.04.2023 को वाशिंगटन, डीसी में भारत-अमेरिका कांसुलर वार्ता के 10वें दौर में भाग लिया।

2.92 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 22–23 मई 2023 को तेहरान, ईरान में आयोजित आईओआरए के महिला आर्थिक सशक्तीकरण कार्य समूह (डब्ल्यूजीडब्ल्यूईई) की 7वीं बैठक में भाग लिया।

2.93 दिनांक 19.06.2023 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री और मातृ नवजात एवं बाल स्वास्थ्य (पीएमएनसीएच) के लिए साझेदारी की बोर्ड अध्यक्ष और न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री हेलेन क्लार्क के बीच बैठक हुई।

2.94 श्री एंड्रयू ब्राउन, कनाडा के रोजगार और सामाजिक विकास के एसोसिएट उपमंत्री ने 19.07.2023 को नई दिल्ली में माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी से भेंट की और महिलाओं और बच्चों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा

देने में मंत्रालय के कार्य के बारे में जानकारी ली, जिसमें प्रारंभिक बाल विकास, कल्याण और सहायता सेवाएं, और रोजगार और आय सृजन के लिए प्रशिक्षण शामिल हैं।

2.95 जापान के प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार सुश्री मसाको मोरी के नेतृत्व में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल ने 20.07.2023 को नई दिल्ली में माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी से भेंट की।

2.96 फिनलैंड के विदेश मंत्रालय के स्थायी स्टेट सेक्रेटरी श्री जुक्का सलोवारा के नेतृत्व में एक फिनिश प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2 नवंबर 2023 को माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी से मुलाकात की।

2.97 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 15 से 17 नवंबर, 2023 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित सातवें एशियाई और प्रशांत जनसंख्या सम्मेलन में भाग लिया और 2013 में अपनाए गए जनसंख्या और विकास पर एशिया और प्रशांत मंत्रिस्तरीय घोषणा के कार्यान्वयन की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रगति को प्रस्तुत किया।

2.98 भारत में जापान के दूतावास, संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास, यूएसएआईडी और डेनमार्क के दूतावास के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर क्रमशः 7 नवंबर 2023, 13 नवंबर 2023 और 24 नवंबर 2023 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की बैठकें भी हुईं।

2.99 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने 21–22 नवंबर, 2023 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ईएफटीए राज्यों और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) के लिए 20वें दौर की वार्ता में भाग लिया।

2.100 माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 12.12.2023 को वर्चुअल रूप से

आयोजित ब्रिक्स महिला मामलों की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

2.101 महिला एवं बाल विकास मंत्री के नेतृत्व में मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 15–19 जनवरी, 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ), 2024 की वार्षिक बैठक में भाग लिया।

2.102 मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 से 14 फरवरी, 2024 तक न्यूयॉर्क, यूएसए में आयोजित सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र में भाग लिया।

2.103 मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 6–7 फरवरी, 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर आयोग (सीएसडब्ल्यू68) के 68वें सत्र में एशिया–प्रशांत क्षेत्रीय परामर्श में भी भाग लिया।

2.104 महिला एवं बाल विकास मंत्री ने माह फरवरी 2024 में ब्रिटेन, आर्मेनिया, नीदरलैंड और नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडलों के अनुरोध पर उनके साथ शिष्टाचार बैठकें कीं।

viii. स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन (1–15 मार्च)

2.105 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 से 15 मार्च, 2023 और 1 से 15 मार्च, 2024 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा मनाया, जिसमें मंत्रालय के कार्यालयों/प्रभागों/संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए गए।

ix. 'जेंडर समावेशी संचार पर मार्गदर्शिका' का शुभारंभ

2.106 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 28 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'जेंडर–समावेशी संचार पर मार्गदर्शिका' का शुभारंभ किया। शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी थीं। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. महेंद्रभाई मुंजपारा भी उपस्थित थे।

2.107 यह मार्गदर्शिका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) द्वारा यूएन वुमेन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार की गई है। इसमें जेंडर-समावेशी भाषा के उपयोग पर सिफारिशें और उदाहरण दिए गए हैं जो किसी विशेष जेंडर या सामाजिक जेंडर के प्रति पूर्वाग्रह से बचती है और लिंग संबंधी रूढ़ियों को व्यक्त करने या बढ़ाने की संभावना कम होती है।

2.108 इस मार्गदर्शिका का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, सिविल सेवकों, मीडिया पेशेवरों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दस्तावेजों और संचारों के लिंग-समावेशी लेखन, समीक्षा और अनुवाद में सहायता करना है। इसका उद्देश्य है: जागरूकता बढ़ाना, लिंग तटस्थता और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ दैनिक संचार को नेविगेट करने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाना और एक ऐसे समाज की ओर कहानी को मौलिक रूप से नया रूप देना जहां भाषा सकारात्मक बदलाव का वाहक बन जाती है।

x. महिला हेल्पलाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विमोचन

2.109 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 06 सितंबर 2023 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पुस्तिका जारी की, जिसमें महिला हेल्पलाइन के तौर-तरीकों की रूपरेखा दी गई है, जो क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्यों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाएगी।

xi. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

2.110 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 अक्टूबर

2023 को मुंबई, महाराष्ट्र में 'मातृत्व को सलाम- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी की अध्यक्षता में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

2.111 कार्यक्रम के दौरान, सुचारु संचालन की सुविधा के लिए विभिन्न पक्षों के लिए एक विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल के साथ-साथ एक नया पीएमएमवीवाई पोर्टल शुरू किया गया। इसके अलावा, 8,14,612 प्राप्तकर्ताओं को 321.57 करोड़ रुपये की राशि का प्रत्यक्ष नकद अंतरण किया गया।

2.112 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई और 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति के एक घटक के रूप में संशोधित और शामिल की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य, गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि महिलाएं बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सकें; और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाना है।

xii. आंगनवाड़ी-सह-क्रेच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करना

2.113 महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 21 दिसंबर 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आंगनवाड़ी-सह-क्रेच की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी और महिला एवं बाल विकास तथा आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

2.114 पालना योजना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल में संशोधन किया गया और इसे अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले मिशन शक्ति के सामर्थ्य उप-घटक के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं की मांग को पूरा करना और महिलाओं को कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है।

xiii. ओएससी और डब्ल्यूएचएल के पदाधिकारियों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

2.115 ओएससी केंद्र प्रशासकों, केस कार्यकर्ताओं और मनो-सामाजिक परामर्शदाताओं के लिए गुवाहाटी, इंदौर, बेंगलूर में तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई है। इन सत्रों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2.116 महिला हेल्पलाइन पदाधिकारियों के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी क्षमता निर्माण कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निपसिड के प्रशिक्षकों द्वारा परामर्श और लिंग संवेदीकरण पर सत्र आयोजित किए गए और इसमें सीडैक द्वारा एक तकनीकी सत्र भी शामिल था।

xiv. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तीकरण केंद्र के बीच अभिसरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

2.117 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तीकरण केंद्र के बीच अभिसरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने संसाधनों को सुव्यवस्थित करने और अधिक प्रभाव के लिए अभिसरण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर सत्र दिए।



निपसिड, गुवाहाटी में डब्ल्यूएचएल पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम



बाल विकास



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

बाल विकास

3.1 बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। देश के विकास के लिए बच्चों का कल्याण आवश्यक है क्योंकि वे देश के भविष्य के मानव संसाधन का निर्माण करते हैं। भारत की आबादी के एक बड़ा हिस्से में 0 से 6 वर्ष (2011 की जनगणना) की आयु के लगभग 158 मिलियन बच्चे शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के विकास, सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है। बच्चों के लिए शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के ब्यौरों पर आगे आने वाले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.2 **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** भारत सरकार ने "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" (जिसे मिशन पोषण 2.0 भी कहा जाता है) का अनुमोदन किया है जो स्वास्थ्य, कल्याण और कुपोषण से प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली पद्धतियां विकसित करने के लिए मिशन मोड में एक कार्यनीतिक बदलाव है। मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- i. देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना;
- ii. कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- iii. स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और भोजन की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना; और
- iv. प्रमुख कार्यनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।

चल रहे पोषण कार्यक्रम में विभिन्न अंतरालों और कमियों को दूर करने और कार्यान्वयन में सुधार के साथ-साथ पोषण और बाल विकास परिणामों में सुधार को गति देने

के लिए मौजूदा योजना घटकों को पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है। योजना के प्राथमिक कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं:

- i. 6 महीने से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) और आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण सहयोग;
 - ii. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3–6 वर्ष, और (0–3) वर्षों के लिए प्रारंभिक उत्प्रेरण;
 - iii. आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा; तथा
 - iv. पोषण अभियान
- I. आंगनवाड़ी सेवाएं**

3.4 आंगनवाड़ी सेवाएं भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और यह बाल्यावस्था की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक है। यह अपने बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो एक ओर प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने और दूसरी ओर कुपोषण, रुग्णता, सीखने की क्षमता में कमी और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ने की चुनौती का प्रत्युत्तर है। 6 महीने से 6 साल की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं और राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियां इस योजना के तहत लाभार्थी हैं।

क. छह सेवाओं का पैकेज

3.5 मिशन पोषण 2.0 योजना के तहत पैकेज में निम्नलिखित छह सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- पूरक पोषण (एसएनपी),
- प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,
- टीकाकरण,
- स्वास्थ्य जांच, और
- रेफरल सेवाएं

छह सेवाओं में से तीन सेवाएं अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

ख. केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच लागत साझेदारी अनुपात

3.6 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए, भारत सरकार केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निम्नलिखित लागत साझेदारी अनुपात पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी करती है:

	आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	वेतन	एसएनपी
विधानमंडल वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	60:40	एनए	50:50
पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य/जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	90:10	90:10	90:10
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	100:0	एनए	100:0

‘वित्त वर्ष 2023-24 से राज्यों (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर) के लिए ‘वेतन घटक’ बंद कर दिया गया है।

ग. आंगनवाड़ी सेवाएं योजना का कवरेज और विस्तार

3.7 आंगनवाड़ी सेवाएं योजना की शुरुआत वर्ष 1975 में 33 परियोजनाओं और 4891 आंगनवाड़ी केंद्रों

(एडब्ल्यूसी) के साथ की गई थी और 9वीं योजना के अंत तक देश में धीरे-धीरे 5652 परियोजनाओं और 6 लाख स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र तक विस्तारित की गई थी। 10वीं योजना तक आंगनवाड़ी सेवाएं योजना का कवरेज सार्वभौमिक नहीं था क्योंकि इसमें 14 लाख बस्तियों में से केवल 42: को शामिल किया गया था। वर्तमान में, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पूर्णतया कार्यशील 7075 परियोजनाओं और 13.95 लाख कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। 31.12.2024 तक पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित 9.81 करोड़ है।

घ. पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों में संशोधन

3.8 पूरक पोषण, आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत छह घटकों में से एक, अनुशंसित आहार अनुमति (आरडीए) और औसत दैनिक सेवन (एडीआई) के बीच अंतर को पाटने के लिए देश भर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से आंगनवाड़ी सेवाओं के लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। सरकार ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अक्टूबर 2017 में आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों में संशोधन को मंजूरी दे दी है:

(प्रति लाभार्थी प्रति दिन रुपये)

क्र. सं.	श्रेणियां	संशोधन-पूर्व दरें	संशोधित दरें
1.	बच्चे (6 से 72 महीने)	6.00	8.00
2.	गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	7.00	9.50
3.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6 से 72 महीने)	9.00	12.00

उ. आईसीडीएस (अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में शामिल) के तहत कवरेज – मार्च 2017 से रुझान

3.9 परिचालित परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लाभार्थियों के कवरेज में वर्ष-वार रुझान नीचे दर्शाया गया है:

समाप्त वर्ष	परिचालित		पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या (लाख)
	परियोजनाएं	एडब्ल्यूसी	
31.03.2017	7074	13,54,792	983.42
31.03.2018	7075	13,63,021	892.77
31.03.2019	7075	13,72,872	875.61
31.03.2020	7075	13,81,376	855.05
31.03.2021	7075	13,87,432	831.83
31.03.2022	7075	13,91,004	949.94
31.03.2023*	7075	13,97,143	977.50
31.03.2024*	7075	13,95,032	981.20

*आंकड़े पोषण ट्रैकर के अनुसार

स्वीकृत/परिचालित परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार संख्या और पूरक पोषण और प्री-स्कूल शिक्षा दोनों घटकों के तहत लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-IX** और **अनुलग्नक-X** में दी गई है।

च. पूरक पोषण

3.10 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी सेवाओं के लाभार्थियों को प्रदान किया जाने वाला पूरक पोषण स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों और स्थानीय आबादी की भोजन प्राथमिकता/आदतों के आधार पर अलग-अलग जगहों पर भिन्न होता है। इसलिए, पूरक

पोषण के लिए व्यंजनों का चयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निर्भर करता है। एसएनपी के तहत लाभार्थियों को खिचड़ी/पोंगल/राजमा चावल (चावल आधारित) और अंडा/चपाती/मूंग साबुत, हरा चना, मौसमी फल, गुड़, पंजीरी और अधिक प्रोटीन वाले बिस्कुट जैसे खाद्य पदार्थ

प्रदान किए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा केंद्र में ही भोजन तैयार किया जाता है। पूरक पोषण, एसएजी, पोषण, बीमा, प्रशिक्षण, पेयजल और शौचालय सुविधाओं, निर्माण आदि के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत जारी निधियों का विवरण **अनुलग्नक-XI** में दिया गया है।

3.11 बजटीय आवंटन: सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के संबंध में वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक के बजट आवंटन और व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	वर्ष	बजटीय अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	आरई के संदर्भ में प्रतिशत
1.	2017-18	15,245.19	15,245.19	15,155.34	99.41%
2.	2018-19	16,334.88	17,879.17	16,811.71	94.03%
3.	2019-20	19,834.37	17,704.50	16,891.99	95.41%
4.	2020-21	20,532.38	17,252.31	15,784.39	91.49%
5.	2021-22	20,105.00	19,999.55	18,208.85	90.56%
6.	2022-23	20,263.07	20,263.07	18,812.36	92.84%
7.	2023-24	20,554.31	22,023.08	21,809.63	99.03%

वित्त वर्ष-2023-24 के लिए बजट आवंटन और व्यय में आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण और एसएजी शामिल हैं।

छ. गतिविधियां

3.12 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 17 फरवरी 2016 के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत ग्रामीण विकास, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से किया जा रहा है। आंगनवाड़ी भवनों की कमी को देखते हुए, देश भर में 4 लाख आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 17 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आईसीडीएस स्कीम के साथ अभिसरण में मनरेगा के तहत संयुक्त दिशानिर्देशों के दायरे को संशोधित किया गया।

3.12 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 17 फरवरी 2016 के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत ग्रामीण विकास, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से किया जा रहा है। आंगनवाड़ी भवनों की कमी को देखते हुए, देश भर में 4 लाख आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 17 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आईसीडीएस स्कीम के साथ अभिसरण में मनरेगा के तहत संयुक्त दिशानिर्देशों के दायरे को संशोधित किया गया।

3.13 मुद्दे का समाधान करने और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, लागत साझाकरण अनुपात को नवंबर 2017 से पूर्व प्रचलित अपने मूल मानदंड, अर्थात् मौजूदा लागत साझाकरण अनुपात पर भारत सरकार का अंशदान प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 2 लाख रुपये (राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10; और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100:0) पर बहाल कर दिया गया है। भारत सरकार का अंशदान भी प्रतिपूर्ति आधार की बजाय, अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। संशोधित योजना— "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" के अनुसार, सरकार का वित्त वर्ष 2022 से 2026 के दौरान मिशन पोषण 2.0 के तहत मनरेगा के साथ अभिसरण में प्रति वर्ष 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की

दर से 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है। मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की लागत को भी संशोधित कर 12.00 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी कर दिया गया है, जिसमें से 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2 लाख रुपये 15वें एफसी निधि (कोई अन्य अप्रयुक्त निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र प्रदान किए जाएंगे जिसे निर्धारित लागत साझेदारी अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाएगा।

3.14 इसके अलावा, इस मंत्रालय ने स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत शौचालयों के निर्माण की लागत को मौजूदा 12,000/— रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से संशोधित कर 36,000/— रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं के प्रावधान की लागत को भी मौजूदा 10000/— रुपये से संशोधित कर 17000/— रुपये कर दिया गया है।

3.15 इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे की तुलना में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति की जांच करने और तदनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों को सह-स्थित किया जाना है, वे उसी बस्ती में मौजूद होने चाहिए जहां आंगनवाड़ी केंद्र पहले मौजूद था।

3.16 सक्षम आंगनवाड़ी के तहत, देश भर में प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और ईसीसीई प्रदायगी के लिए सशक्त और उन्नत बनाया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एलईडी स्क्रीन, वाटर प्योरिफायर/आरओ मशीन की स्थापना, स्मार्ट शिक्षण सहायक उपकरण, ऑडियो-विजुअल उपकरण, बच्चों के अनुकूल शिक्षण उपकरण और कलाकृति, वर्षा जल संचयन संरचना और पोषण वाटिका शामिल होंगे।

ज. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत बीमा कवर:

3.17 कोविड-19 महामारी के चलते देश में व्याप्त विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, कोविड-19 का मुकाबला करने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा योजना के तहत कवर किया गया है:

- (क) उन्हें राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और आईएनआई/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा कोविड-19 संबंधित दायित्वों के लिए नियुक्त किया गया हो।
- (ख) उन्हें अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करना पड़ता हो, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ता हो और जिन पर इससे प्रभावित होने का खतरा हो सकता हो।
- (ग) कोविड-19 के कारण जीवन की हानि हुई है या कोविड-19 संबंधित ड्यूटी के चलते दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है।

झ. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय

3.18 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार प्रति माह निश्चित मानदेय का भुगतान किया जाता है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह, लघु-आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2,250/- रुपये से बढ़ाकर 3,500/- रुपये प्रति माह, आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500/- रुपये से बढ़ाकर 2,250/- रुपये प्रति माह कर दिया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय के अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां पोर्टल पर

लाभार्थियों के डेटा, घर के दौरे और वजन और माप की फीडिंग के लिए 500/- रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि के लिए भी पात्र हैं और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) भी आंगनवाड़ी केंद्रों की उचित स्वच्छता और कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए 250/- रुपये प्रति माह के निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।

इसके अलावा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन कर्मचारियों को सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त दायित्व के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से मौद्रिक प्रोत्साहन भी दे रहे हैं।

ज. बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण

3.19 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एमपीएलएडी, एमएलएएलएडीएस, बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), आरआईडीएफ (ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि), पंचायती राज संस्थानों को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों से धन जुटाना जारी रखेंगे। राज्य अपने स्तर पर, अपने विवेक से, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए बिना किसी बाध्यता के पूर्णतः निःशुल्क आधार पर व्यक्तियों, कंपनियों, व्यावसायिक घरानों और प्रतिष्ठित संस्थानों, सीएसआर फंड को शामिल करेंगे। इसी प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट पूरी तरह से निःशुल्क आधार पर और बिना किसी बाध्यता के इसके लिए संसाधन जुटाएंगे/इसे प्रोत्साहित करेंगे।

ट. आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे की स्थिति (एपीआईपी बैठकों में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार)

बुनियादी ढांचे की स्थिति	संख्या लाख में
पेयजल आपूर्ति वाले एडब्ल्यूसी	10.52
शौचालय सुविधाओं वाले एडब्ल्यूसी	9.29
वृद्धि निगरानी उपकरण	13.85
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास स्मार्टफोन्स	12.50

घ. लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करना

3.20 पहले लघु आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के प्रावधान के लिए जनसंख्या मानदंड इस प्रकार थे:

परियोजना	जनसंख्या	एडब्ल्यूसी की संख्या
ग्रामीण/शहरी परियोजनाएं	400-800	1
	800-1600	2
	1600-2400	3
	उसके बाद 800 के गुणकों में	1
जनजातीय/नदी/रेगिस्तान/पहाड़ी और अन्य कठिन क्षेत्र परियोजनाएं	300-800	1
पीएम-जनमन के लिए परियोजनाएं	लगभग 100	1

सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियों सहित सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करने के लिए सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका के साथ पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। 31.03.2024 तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 1,16,852 मिनी-एडब्ल्यूसी में से, 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 57754 मिनी-एडब्ल्यूसी के उन्नयन की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

ड. आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड करना

3.21 सक्षम आंगनवाड़ी के तहत, देश भर में प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और ईसीसीई प्रदायगी के लिए सशक्त और उन्नत बनाया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एलईडी स्क्रीन, वाटर प्योरिफायर/आरओ मशीन की स्थापना, स्मार्ट शिक्षण सहायक उपकरण, ऑडियो-विजुअल उपकरण, बच्चों के अनुकूल शिक्षण उपकरण और कलाकृति, वर्षा जल संचयन संरचना और पोषण वाटिका शामिल होंगे। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर पोषण वितरण के लिए चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त और उन्नत बनाया जाएगा। 31.03.2024 तक कुल 92108 आंगनवाड़ी केंद्रों (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 41192 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 50916) को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने की मंजूरी दी गई है।

ढ. पीएम जनमन

3.22 माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पहलों पर केंद्रित है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, तीन वित्त वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी देने और प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 12 लाख रुपये पर इनका निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस मंत्रालय ने पीवीटीजी बस्तियों में निर्माण के लिए 916 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है और 1050 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 126.00 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की है।

II) किशोरी योजना:

3.23 किशोरी योजना (एसएजी) को संशोधित किया गया है और 01.04.2022 से इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शामिल किया गया है। इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थी आकांक्षी जिलों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियां हैं। इस योजना में दो घटक अर्थात् पोषण और गैर-पोषण शामिल हैं। पोषण घटक के तहत, एक वर्ष में अधिकतम 300 दिनों के लिए 600 कैलोरी, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषण टेक होम राशन (टीएचआर) के रूप में प्रदान किया जाता है। गैर-पोषण घटक विभिन्न मंत्रालयों के साथ अभिसरण पर आधारित है जिसमें आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जाता है।

- i. **पोषण की लागत:** पोषण घटक के लिए वित्तीय मानदंड एक वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रति लाभार्थी 9.50/- रुपये है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व फोर्टिफिकेशन की लागत भी शामिल है।
- ii. **वित्तपोषण पद्धति:** भारत सरकार और राज्य/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र पूरक पोषण की लागत 50:50 के अनुपात में साझा करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के लिए, केंद्र और राज्य का अंश 90:10 के अनुपात में है और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल के बिना) को केंद्रीय निधि से 100: वित्तपोषण किया जाता है।

किशोरी योजना के तहत 31.03.2024 तक पोषण ट्रैकर पर सूचित राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक XII** में दी गई है। एसएजी के तहत 2023-24 के दौरान 31.03.2024 तक खाद्यान्न का राज्यवार आवंटन **अनुलग्नक XIII** में दिया गया है।

III) पोषण अभियान

3.24 मिशन मोड में 'सुपोषित भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान- समग्र पोषण के लिए

प्रधानमंत्री की व्यापक योजना (पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में ज्ञात) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) की घोषणा 2021-2022 के बजट में एक एकीकृत पोषण सहयोग कार्यक्रम के रूप में की गई थी, ताकि स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली पद्धतियों को विकसित करने और बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ पोषण सामग्री, प्रदायगी, पहुंच और परिणामों को सशक्त बनाया जा सके। पोषण संबंधी अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोरी योजना और पोषण अभियान को पोषण 2.0 के तहत फिर से अनुकूलित किया गया है। पोषण 2.0 ठिगनेपन और रक्ताल्पता के अलावा दुबलेपन और अल्प वजन के प्रसार में कमी लाने के लिए मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से कल्याण पर केंद्रित है।

3.25 यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी के उपयोग, अभिसरण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन, पोषण में सुधार के एजेंडे को जन आंदोलन में परिवर्तित करने, व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न निगरानी मापदंडों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास करता है। यह अभियान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया गया है। पोषण अभियान के प्रमुख घटक और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क. जन आंदोलन

3.26 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को शुरुआत किए जाने के बाद से जन आंदोलन पोषण अभियान के तहत प्रमुख घटकों में से एक है। पोषण माह और पोषण पखवाड़ा क्रमशः सितंबर में और मार्च-अप्रैल के निर्दिष्ट सप्ताह में आयोजित किए जाते हैं जो देश के सबसे बड़े पोषण-केंद्रित जन आंदोलन के माध्यम से जनता तक पहुंचने में मदद करते हैं। पिछले वर्षों में, इसके विषयों में समग्र पोषण, स्वच्छता, जल और साफ-सफाई, एनीमिया की रोकथाम, स्तनपान का महत्व, विकास निगरानी, पोषण पंचायतों की भूमिका, कल्याण के लिए

आयुष, 'मूल बातों पर वापस आएं – स्वास्थ्य के लिए योग', सामुदायिक स्तर पर स्थानीय सब्जियों, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों और फलों की खेती के लिए पोषण वाटिका का महत्व, पोषण के पांच सूत्र इत्यादि शामिल हैं। सितंबर 2023 में 6ठे पोषण माह और हाल ही में संपन्न पोषण पखवाड़ा 2024 के आयोजन के साथ, अब तक कुल 12 जन आंदोलन मनाए जा चुके हैं, जिसमें 100 करोड़ से अधिक संवेदीकरण कार्यकलापों की सामूहिक सूचना दी गई है।

1. पोषण माह (सितंबर 2023)

3.27 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर 2023 में 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया। इस वर्ष, इसका उद्देश्य जीवन-चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना था, जो मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। इस दृष्टिकोण पर आधारित, पोषण माह 2023 का केंद्र बिंदु महत्वपूर्ण मानव जीवन चरणों: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना था। इसका उद्देश्य "सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत" (पोषण-समृद्ध भारत, शिक्षित भारत, सशक्त भारत) पर केंद्रित विषयवस्तु के माध्यम से पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देना था। महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम में जमीनी स्तर को बढ़ाने के लिए देश भर में 'विशेष स्तनपान और पूरक आहार', मिशन लाइफ, मेरा माटी मेरा देश और स्वस्थ बालक स्पर्धा के माध्यम से पोषण में सुधार जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभियानों के माध्यम से पोषण संबंधी जागरूकता का स्तर बढ़ाने पर केंद्रित प्रयास देखे गए।। राष्ट्रीय पोषण माह में देश भर में 35 करोड़ से अधिक सघन जन आंदोलन आधारित गतिविधियां देखी गईं।



2. पोषण पखवाड़ा 2024

3.28 छठा पोषण पखवाड़ा 9 से 23 मार्च 2024 तक भारत भर में सफलतापूर्वक मनाया गया। इस पखवाड़े में तीन मुख्य विषय उठाए गए थे।

- पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी),
- जनजातीय, पारंपरिक, क्षेत्रीय और स्थानीय आहार पद्धतियां; और
- गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और आईवाईसीएफ पद्धतियां।

3.29 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 17 करोड़ संवेदीकरण कार्यक्रमों की सूचना दी गई है (लक्षद्वीप ने जन आंदोलन डैशबोर्ड पर किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं दी है) जिनमें से लगभग 6 करोड़ कार्यक्रम सामूहिक रूप से ऊपर बताए गए 3 मुख्य विषयों के तहत सूचित किए गए हैं। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भागीदारी के मामले में और सूचित किए गए कार्यक्रमों के आधार पर शीर्ष पर रहे हैं। कुल मिलाकर, 22 मंत्रालयों/विभागों (महिला एवं बाल विकास सहित) ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 'जन आंदोलन डैशबोर्ड' पर इसकी रिपोर्टिंग की है। जबकि अधिकांश गतिविधियों की रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा की गई है, अन्य शीर्ष रिपोर्टिंग ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय आदि द्वारा की गई।

3.30 "सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत" की व्यापक थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए, निम्न विषयों पर आधारित कार्यक्रम संचालित किए गए:

- क. विशेष स्तनपान और पूरक आहार— 4 करोड़ से अधिक
- ख. स्वस्थ बालक स्पर्धा (एसबीएस)/बच्चों का विकास माप— 2 करोड़ से अधिक
- ग. पोषण भी पढाई भी (पीबीपीबी)— लगभग 4 करोड़
- घ. मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार— 10 करोड़ से अधिक
 - i. आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) के माध्यम से जल संरक्षण — 2 करोड़ से अधिक कार्यक्रम
 - ii. बाजरा और पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा देकर स्थायी खाद्य प्रणालियों को अपनाना— 4 करोड़ से अधिक कार्यक्रम

iii. योग, स्थानीय भोजन आदि जैसी आयुष प्रथाओं के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाना— लगभग 4 करोड़ कार्यक्रम

- ड. मेरी माटी मेरा देश (एमएमएमडी)— लगभग 2 करोड़ कार्यक्रम
- च. जनजातीय केंद्रित संवेदीकरण— 1 करोड़ से अधिक कार्यक्रम
- छ. एनीमिया का परीक्षण, उपचार, बातचीत— लगभग 4 करोड़ कार्यक्रम



3.31 पोषण पखवाड़ा 2024 के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और सेसमे वर्कशॉप इंडिया (एसडब्ल्यूआई) के बीच दिल्ली और मुंबई की शहरी झुग्गियों में 150 आंगनवाड़ियों में सेसमे के पात्रों एल्मो, चमकी और राया के माध्यम से सहभागिता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बच्चों को अच्छे पोषण, पारंपरिक भोजन, आहार विविधता, वाश पद्धतियों पर संदेश प्रसारित करने के लिए सेसमे मपेट्स का उपयोग किया गया।



ख. विशेष पहल का शुभारंभ

3.32 माननीया मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को विज्ञान भवन में 'बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल' का शुभारंभ किया गया। पहली बार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इनपुट के साथ एक मानकीकृत राष्ट्रीय 'कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल' का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन के लिए निर्णय लेने सहित आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन, और अनुवर्ती देखभाल के लिए विस्तृत चरण की व्यवस्था की गई है।

3.33 'दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल' का शुभारंभ : 28 दिसंबर, 2023: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इनपुट के साथ विकसित प्रोटोकॉल में पूरी तरह से चिकित्सा मॉडल के मुकाबले विकलांगता के एक सामाजिक मॉडल को अपनाया गया है। संचार में आसानी के लिए इसे सरल बनाया गया है ताकि सरकारी व्यवस्था को हर अंतिम परिवार और बच्चे को बेहतर गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में समन्वय करने में मदद मिल सके।



यह प्रोटोकॉल पोषण अभियान के तहत दिव्यांगों की समावेशी देखभाल के लिए एक सामाजिक मॉडल का प्रतीक है, जिसके चरण-दर-चरण दृष्टिकोण में शामिल है:

चरण 1: प्रारंभिक विकलांगता लक्षणों की जांच

चरण 2: सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल करना और परिवारों को सशक्त बनाना

चरण 3: आशा/एएनएम और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) टीमों के माध्यम से रेफरल सहयोग।

3.34 **आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय ने 26 फरवरी 2024 को विज्ञान भवन, दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 'मिशन उत्कर्ष' के तहत पांच आकांक्षी जिलों में साक्ष्य आधारित आयुर्वेदिक पहलों के माध्यम से किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। यह परियोजना दोनों केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित की जा रही है और इसे केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी; अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली; सीएआरआई, भुवनेश्वर; क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नागपुर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के माध्यम से पांच जिलों में कार्यान्वित किया जाना है।

3.35 अमृतकाल की आंगनवाड़ी पर सम्मेलन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.12.2023 को एनडीटीवी के सहयोग से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी को प्रारंभिक शिक्षा केंद्रों में बदलने की मंत्रालय की अग्रणी पहल पर माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ **फायरसाइड चैट: "आंगनवाड़ी की पुनर्कल्पना"** के बाद मंत्रालय की पहल "पोषण भी पढ़ाई भी", दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल, सीखने में डीआईवाई तथा पारंपरिक खिलौनों को एकीकृत करने, आंगनवाड़ी में बदलाव पर पैनल चर्चा की गई।

3.36 पोषण उत्सव: पोषण का जश्न: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29 फरवरी 2024 को पोषण उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना और कुपोषण से निपटने तथा सभी महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों को प्रदर्शित करना था। इस कार्यक्रम में दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआई) द्वारा संकलित 'पोषण उत्सव पुस्तक' का विमोचन किया गया। यह पुस्तक प्राचीन पोषण परंपराओं को पुनर्जीवित करने, ज्ञान के आदान-प्रदान और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीखने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करती है। यह पुस्तक देश की समृद्ध पाक विरासत और पोषण विविधता की सराहना के लिए एक व्यापक भंडार का भी कार्य करेगी।

3.37 इस कार्यक्रम में डायमंड कॉमिक्स और अमर चित्र कथा सहित प्रसिद्ध कार्टून संस्थाओं के बीच सहयोग से एक कार्टून कोएलिशन भी शुरू किया गया। यह कोएलिशन सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए मनोरंजक और भरोसेमंद तरीके से पोषण पर आवश्यक संदेश व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय कार्टून पात्रों और प्रभावशाली कहानी वर्णन की शक्ति का उपयोग कर सकता है।

3.38 इस कार्यक्रम में पोषण कॉमिक बुक का भी विमोचन किया गया, जिसे बच्चों के बीच स्वस्थ आहार

को लोकप्रिय बनाने के लिए देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित किया गया है। इस कार्यक्रम में माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के सह-अध्यक्ष श्री बिल गेट्स के अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।



ग. आधार सत्यापित लाभार्थी

अंतिम लाभार्थी तक ट्रेकिंग और सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का आधार सत्यापन किया जा रहा है। 31 मार्च, 2024 तक, पोषण ट्रेकर पर पंजीकृत 96.73: लाभार्थियों का सफलतापूर्वक आधार सत्यापन हो गया है।

घ. लाभार्थी के लिए प्रवासन सुविधा

पोषण ट्रेकर के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र से दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में राज्य के अंदर और बाहर प्रवास की सुविधा प्रदान की गई है। जनवरी 2023 से मार्च 2024 के बीच गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों सहित कुल 1,61,214 लाभार्थियों ने केंद्र प्रवास की इस सुविधा का लाभ उठाया।

ड. लाभार्थी निवारण तंत्र

पोषण ट्रेकर में समस्या व्यक्त करने के लिए वेब आधारित और एप्लीकेशन आधारित सुविधा है। लाभार्थी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को सीधे एडब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा, एक पोषण हेल्पलाइन (14408) कार्यशील बनाई

गई है जिसके माध्यम से कोई लाभार्थी मिशन पोषण 2.0 के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में कोई प्रश्न/शिकायत दर्ज कर सकता है।

च. पोषण वाटिका

सही प्रकार का पोषण संभव बनाने के लिए अभियान का एक अन्य प्रमुख मुद्दा पोषण वाटिका या न्यूट्री-गार्डन हैं जो फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए देश भर में स्थापित किए जा रहे हैं। इस प्रकार, पोषण वाटिकाएं बच्चों को फलों और सब्जियों की निरंतर आपूर्ति के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करके आहार विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आहार-विविधता और पौष्टिक स्थानीय उपज की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 6.42 लाख पोषण वाटिकाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय आहार विविधता को बढ़ावा देने के लिए, 6 क्षेत्र-वार अर्थात् उत्तर, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और मध्य आहार चार्ट तैयार किए गए। क्षेत्र-वार आहार चार्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर अंग्रेजी और हिंदी में अपलोड किए गए हैं।

छ. पोषण अभियान के तहत मिलेट्स को बढ़ावा देना

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव के अनुरूप, मंत्रालय ने मिलेट्स के स्वास्थ्यप्रद लाभों और चुनौतीपूर्ण जलवायु में खेती के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ जन आंदोलनों में स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए 5 करोड़ से अधिक कार्यक्रम (हाल ही में मनाए गए पोषण माह 2023 में 4 करोड़ से अधिक) आयोजित किए गए।

3.39 इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए बच्चों सहित लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म

पका हुआ भोजन और टेक होम राशन (टीएचआर- कच्चा राशन नहीं) तैयार करने के लिए मिलेट्स के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पोषण 2.0 योजना के दिशानिर्देशों के तहत, पूरक पोषण के तहत सप्ताह में एक बार मिलेट्स अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना है।



जन आंदोलन, पोषण माह 2023 के दौरान मिलेट्स को प्रोत्साहन

ज. 31.3.2024 तक सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत कुल लाभार्थियों की श्रेणी-वार संख्या:

क्र. सं.	लाभार्थियों की श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या
1	0 से 6 माह तक के बच्चे	39,35,858
2	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	4,03,03,177
3	3 से 6 वर्ष तक के बच्चे	4,49,33,336
4	गर्भवती महिलाएं	60,09,337
5	स्तनपान कराने वाली महिलाएं	47,46,197
6	किशोरियां	21,27,610
	कुल	10,20,55,515

इ. पोषण ट्रैकर और ईसीसीई के तहत क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

3.40 कुपोषण के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमण को रोकने के लिए विकास की नियमित निगरानी किया जाना जरूरी है ताकि प्रारंभ में इसकी पहचान और समय पर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों के पोषण से संबंधित परिणामों की लगातार निगरानी करने के लिए, सरकार ने पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लिकेशन शुरू किया है जो आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) के कार्यकलापों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) की सेवा प्रदायगी और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन का समग्र दृश्य प्रदान करता है। इसके साथ ही, मोबाइल एप्लिकेशन एडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्ट्रों को डिजिटल और स्वचालित भी बनाता है जिससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।

3.41 कुपोषण मुक्त भारत के दृष्टिकोण को साकार करने और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण ट्रैकर के सफल कार्यान्वयन के लिए पोषण ट्रैकर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की दक्षता और विकास निगरानी की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए। प्रशिक्षण टीमों में खाद्य और पोषण बोर्ड (एफएनबी), निपसिड और एनईजीडी के अधिकारी शामिल थे और जिला पोषण समिति, पोषण अभियान और एनईजीडी के ब्लॉक समन्वयकों की भागीदारी के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से ऐसा किया गया।

3.42 इस पृष्ठभूमि में, प्रशिक्षण टीमों के लिए उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ताकि वे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के दौरान टीमों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की विकासात्मक उपलब्धियों और विकास निगरानी और पोषण ट्रैकर ऐप, डैशबोर्ड और इसके

एप्लिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। विकास निगरानी उपकरणों का उपयोग करके सटीक माप लेने के लिए सभी प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

3.43 पहले चरण में, 10 राज्यों (पीएम उत्कर्ष के तहत चयनित जिले) अर्थात् असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में प्रत्येक के 4 जिलों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शामिल विषय इस प्रकार हैं:

i. विकास की निगरानी

- क. माप के प्रकार: आयु के अनुसार वजन, कद के अनुसार वजन और आयु के अनुसार कद के हिसाब से विकास की निगरानी करना
- ख. पोषण के तहत वितरित जीएमडी यानी इन्फेंटोमीटर, स्टैडोमीटर और शिशुओं और वयस्कों के लिए वजन मापने के पैमाने की मदद से माप रिकॉर्ड करने की सही तकनीक पर व्यावहारिक प्रशिक्षण।

ii. पोषण ट्रैकर

पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन और डैशबोर्ड के बारे में संपूर्ण अवलोकन

अ. पोषण ट्रैकर

3.44 मिशन पोषण 2.0 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, सरकार ने आईसीटी एप्लिकेशन अर्थात् पोषण ट्रैकर के रूप में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है, जो मिशन के तहत रीयल टाइम की प्रगति दर्शाता है। एप्लिकेशन आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) के कार्यकलापों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) की सेवा प्रदायगी और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन का समग्र दृश्य दर्शाता है। बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन, कम वजन के प्रसार की गतिशील पहचान के लिए पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ

उठाया जा रहा है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई, गर्म पका भोजन (एचसीएम)/टेक होम राशन (टीएचआर—कच्चा राशन नहीं), विकास माप आदि के लिए रीयल टाइम डेटा संग्रह को सुविधाजनक बनाया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मासिक आधार पर पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर विभिन्न संकेतकों पर अपनी प्रगति देख सकते हैं और जहां भी अपेक्षित हो, सुधार कर सकते हैं।

3.45 इसके अलावा, महिला सशक्तीकरण पर जी-20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान, पोषण ट्रैकर का भी प्रदर्शन और इस पर चर्चा की गई। सभी सदस्य इससे काफी प्रभावित हुए। इसके अलावा, यह अध्यक्ष के बयान का हिस्सा था। सदस्यों ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सेवा प्रदायगी की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को पहचाना और पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन पर ध्यान दिया, जो एक अनूठा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य रीयल टाइम निगरानी के लिए डेटा को डिजिटाइज़ करना और लक्षित पहल के लिए नीतियों को सक्षम बनाना है।

ट. विकसित भारत संकल्प यात्रा

3.46 पूरे देश में केंद्र सरकार की स्कीमों के लाभों को परिपूर्ण करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, 15 नवंबर को खूंटी, झारखंड से “विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई)” की शुरुआत की।

3.47 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में यात्रा को सहयोग करने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की “मेरी कहानी मेरी जुबानी (एमकेएमजेड)” पहल के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लाभार्थी महिला एवं बाल विकास की चयनित योजनाओं से उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अपने अनुभव व्यक्त करते हैं। एमकेएमजेड के तहत, मंत्रालय की स्कीमों के 4.67 लाख लाभार्थियों (पोषण

अभियान के 2,21,568 और पीएमएमवीवाई के 2,45,120) ने इनमें से किसी एक योजना का हिस्सा होने के नाते नारी शक्ति के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए अपने अनुभव व्यक्त किए हैं।

3.48 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत योजनाओं की परिपूर्णता के लिए यात्रा के दौरान पात्र लाभार्थियों का “ऑन-स्पॉट पंजीकरण” भी किया जा रहा है। वीबीएसवाई (वीबीएसवाई डैशबोर्ड के अलावा) के लिए महिला एवं बाल विकास के समर्थन को ट्रैक करने वाले आंतरिक तंत्र के माध्यम से, अब तक महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत 2.29 लाख ऑन-स्पॉट पंजीकरण की सूचना दी गई है। इसके अलावा, राज्यों को इन यात्राओं के दौरान स्वस्थ बालक स्पर्धा (एसबीएस) शुरू करने के लिए भी कहा गया है, जिनमें स्वस्थ बच्चों को सम्मानित किया जाता है। वीबीएसवाई के दौरान 2.58 लाख स्वस्थ बच्चों को सम्मानित किया गया है।

3.49 ईसीसीई पर विशेष ध्यान

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए प्री-स्कूल शिक्षण सामग्री का प्रावधान शामिल होगा; मांसपेशियों के समन्वय और बुनियादी मोटर कौशल का विकास; सौंदर्यपरक प्रशंसा, स्वतंत्रता और रचनात्मकता; अच्छी स्वस्थ आदतें; सभी प्री-स्कूलर्स को स्कूल के लिए तैयार करने और ग्रेड-1 में 5-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के निर्बाध एकीकरण के लिए प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता है। ईसीसीई कार्यक्रम के लाभ के लिए राज्य 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (बाल विकास परियोजना अधिकारी/सीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी/डीपीओ और पर्यवेक्षकों) के निर्माण के लिए 10 मई, 2023 को ‘पोषण भी, पढ़ाई भी’ (पीबीपीबी) पहल शुरू की है, जो लक्षित

लाभार्थियों को पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के क्षमता निर्माण में उन्हें प्रशिक्षित और कुशल बनाएंगे। पीबीपीबी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित ईसीसीई कार्य बल की सिफारिशों के अनुरूप है। इसके शुभारंभ पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए, माननीय मंत्री ने 10,000 से अधिक समुदायों में 1.5 मिलियन अभिभावकों को 1 लाख गतिविधियों के माध्यम से शामिल करते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) सामग्री और दृश्य-श्रव्य संसाधनों के परीक्षण पर चर्चा की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण और सीखने की सामग्री के महत्व और पर्यावरण के अनुकूल स्वदेशी खिलौने बनाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करने पर जोर दिया।

3.50 पीबीपीबी के तहत प्रशिक्षण दो स्तरीय मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (निपसिड) राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) (पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) को प्रशिक्षित करेगा, जो इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करेंगे। देश भर में 2023 से 2026 के दौरान दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

3.51 निश्चित मासिक ईसीसीई दिवसों के आयोजन के लिए दिशानिर्देश और पीएसई किटों के प्रावधान और खिलौनों के लिए 'डू इट योरसेल्फ (डीआईवाई)' किट पर दिशानिर्देश – राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना (एनएपीटी) का मसौदा तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक के हिस्से के रूप में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों में सीखने के लिए स्वदेशी खिलौनों के विकास और उपयोग पर बहुत अधिक महत्व दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन

के हिस्से के रूप में स्वदेशी खिलौनों/लोककथाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशालाओं के हिस्से के रूप में डू-इट-योरसेल्फ (डीआईवाई) खिलौना किट के निर्माण पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर सभी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। इसके अलावा, निपसिड ने गुवाहाटी केंद्र के माध्यम से पूर्वोत्तर और जनजातीय खिलौनों पर एक कॉफी टेबल बुक सहित खिलौनों पर केंद्रित काफी सामग्री को एकत्रित और डिजिटलाइज किया है। इसके अलावा 30-31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पोषण में सर्वोत्तम पद्धतियों/नवाचारों को संकलित किया गया और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया। इन उदाहरणों में बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों में "सुपोषण पंचायत" और मॉडल जैविक टेरेस गार्डन; मध्य प्रदेश में तीव्र कुपोषण का एकीकृत प्रबंधन; गुजरात में आंगनवाड़ी केंद्रों और घरों के पीछे पोषक तत्व उद्यान; तेलंगाना के शहरी क्षेत्रों में मोबाइल पोषक तत्व उद्यान और आदिवासी क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएलएम को महुआ लड्डू का वितरण, चंडीगढ़ में मोबाइल एनआरसी और एमएएम/एसएमएम बच्चों के लिए पोषण मूल्यांकन कार्ड इत्यादि शामिल हैं।

V. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

3.52 वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के माध्यम से 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था उपकरण के रूप में शुरू किया गया है। पोषण ट्रैकर के तहत बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन, अल्प वजन की व्याप्तता की गतिशील पहचान और पोषण सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया है। पोषण ट्रैकर परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की तत्क्षण निगरानी और ट्रैकिंग करने में सक्षम बनाता है। इस योजना के तहत अंतिम लाभार्थी की ट्रैकिंग और सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया है। पोषण ट्रैकर पोषण 2.0 को डेटा तैयार करने, कार्यक्रम प्रबंधकों को

फीडबैक प्रदान करने और पोषण संकेतकों पर योजना के प्रभाव का प्रलेखन करने में मदद करता है। मंत्रालय/राज्य/जिले पोषण ट्रैकर के डेटा के आधार पर प्रभावी और समय पर कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं, जिससे विभिन्न घटकों के निरंतर मूल्यांकन और प्रगति में सुविधा होती है।

VI. निगरानी एवं पर्यवेक्षण

3.53 पोषण ट्रैकर के अलावा, क्षेत्र में निगरानी और पर्यवेक्षी दौरो की मौजूदा पद्धति को मानकीकृत किया गया है और पोषण 2.0 योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकलापों की निगरानी में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की सक्रिय भागीदारी के साथ सेवाओं की प्रदायगी में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक दौरो की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। उनके मार्गदर्शन के लिए राज्य और केंद्र स्तर के अधिकारियों द्वारा उनके दौरो के दौरान निगरानी/पर्यवेक्षण किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं की एक जांच सूची भी निर्धारित की गई है।

3.54 सेवाओं की प्रदायगी में निगरानी और बेहतर गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ पोषण 2.0 के सार्वभौमीकरण के संदर्भ में, केंद्रीय स्तर और आंगनवाड़ी स्तर तक 5 स्तरीय निगरानी और समीक्षा तंत्र शुरू किया गया है। तंत्र को सहभागी और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी समितियों में जन प्रतिनिधियों (सांसदों/विधायकों/पीआरआई) को शामिल किया गया है।

VII. गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी)

3.55 गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के तहत, आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक भोजन तैयार करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न, जैसे गेहूं, चावल और अन्य मोटे अनाज आवंटित किए जाते हैं। यह मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के समन्वय में खाद्यान्न आवंटन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों की प्रोसेसिंग और अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है।

3.56 75वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन में की गई परिकल्पना के अनुसार, वर्ष 2024 तक प्रत्येक सरकारी योजना के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाना है। तदनुसार, यह मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के बाद से देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फोर्टिफाइड चावल आवंटित कर रहा है। 31 मार्च, 2024 तक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 10,48,645.30 मीट्रिक टन गेहूं, 11,37,029.19 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया है।

3.57 वर्ष 2023-24 के लिए 31.03.2024 तक डब्ल्यूबीएनपी के तहत आवंटित किए गए खाद्यान्न का विवरण **अनुलग्नक-XIV** में दिया गया है।



बाल संरक्षण एवं कल्याण



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

बाल संरक्षण एवं कल्याण

4.1 भारत के संविधान में बच्चों की सुरक्षा और बेहतरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011) में बच्चों की संख्या लगभग 39 प्रतिशत है। हमारे देश के नीति निर्माताओं द्वारा यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि बच्चों की आजीविका, शिक्षा, सुरक्षा तथा समग्र बेहतरी के लिए किए गए निवेश गरीबी के निरंतर चक्र को तोड़ने में मदद करते हैं और देश का समावेशी विकास सुनिश्चित करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में बच्चे गुणवत्तापरक देखरेख, शिक्षा और बाल संरक्षण सेवाएं प्राप्त करने में कई प्रकार की संवेदनशीलताओं का सामना करते हैं। इसके अलावा, प्रतिदिन बच्चों का ऑनलाइन शोषण, मौसम परिवर्तन और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाएं जैसी नई-नई चुनौतियां सामने आ रही हैं जो कि बच्चों की संवेदनशीलता में और अधिक वृद्धि करती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा और बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ बड़ी पहलें की हैं।

1. बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए कानून, नीति और कार्यक्रम

क. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

4.2 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम (दिसंबर, 2005) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत मार्च, 2007 में की गई। आयोग को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं भारत के संविधान और संयुक्त

राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (एनसीपीसीआर पर अधिक विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट का अध्याय 9 देखें) में प्रतिस्थापित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों।

ख. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरसी)

4.3 भारत ने 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) को स्वीकार किया। कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, कन्वेंशन के अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत को कन्वेंशन के तहत अपने प्रतिबद्धता को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। कंट्री रिपोर्ट सभी क्षेत्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और अन्य सिविल सोसायटी के साथ-साथ समुदाय तथा बच्चों को शामिल करके तैयार की जाती है। मंत्रालय रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और अन्य सिविल सोसायटी-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श भी करता है।

ग. लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012

4.4 बाल शोषण के मामलों से निपटने के लिए संसद ने एक विशेष कानून अर्थात 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012' पारित किया था। यह अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ लागू हुआ। यह अधिनियम बच्चे को 18

वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह अधिनियम लैंगिक रूप से निरपेक्ष है और सभी बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न तथा अश्लील साहित्य जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति जैसे कि सुरक्षा बलों का सदस्य, लोक अधिकारी, लोक सेवक इत्यादि द्वारा बच्चे पर विश्वास या अधिकार की स्थिति में किए गए अपराध को 'गंभीर' माना जाता है। न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि रखते हुए अपराधों पर सुनवाई के लिए इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना को अधिदेशित किया गया है। अधिनियम में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराधों के परीक्षण की रिपोर्टिंग के लिए बाल अनुकूल प्रक्रियाएं शामिल हैं।

4.5 अपराधों/शिकायतों की सूचना देने को सुविधाजनक बनाने के लिए माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2016 को नई दिल्ली में ई-बॉक्स की शुरुआत की गई। पॉक्सो ई-बॉक्स बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों की सीधे और आसान तरीके से सूचना देने तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्यवाही करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है।

4.6 बच्चों के विरुद्ध अपराध की बढ़ती दर और बच्चों के खिलाफ नए प्रकार के यौन अपराधों की घटनाओं को देखते हुए, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की समीक्षा और संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। तदनुसार, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 को इस मंत्रालय द्वारा 16 अगस्त, 2019 से प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था।

4.7 इस अधिनियम में संशोधित प्रावधानों के एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाउट के मामलों में मौत की सजा को संभावित सजा के रूप में शुरू किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा और उसके अनुरूप सजा भी शुरू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के समय संवेदनशील बच्चों के हितों की रक्षा और उनके खिलाफ यौन अपराध

करने तथा अपराध करने के उद्देश्य से बच्चों की जल्दी यौन परिपक्वता के लिए रासायनिक पदार्थ देने हेतु सजा का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

घ. पॉक्सो नियम, 2020

4.8 पॉक्सो अधिनियम, 2012 में संशोधन के बाद पॉक्सो नियमों की समीक्षा की गई। सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पॉक्सो नियम, 2012 की जगह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) नियम, 2020 को अनुमोदित और अधिसूचित किया गया।

4.9 यह मंत्रालय उपयुक्त कार्यवाई के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ समन्वय कर रहा है जिसका उद्देश्य पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल पीड़ितों के लिए अधिक जागरूकता, त्वरित न्याय तथा बेहतर सेवाएं देना भी है। आवश्यकता अनुसार पॉक्सो अधिनियम और अन्य अनुपालनों पर जागरूकता सृजित करने के लिए मंत्री के स्तर पर मुख्यमंत्रियों, सांसदों और स्थानीय निकायों के अध्यक्षों तथा सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे गए थे।

4.10 मंत्रालय ने सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों/सचिवों से भी अनुरोध किया था। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार सहायक व्यक्तियों की भर्ती राज्य की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों से अनुरोध किया कि वे बाल सुरक्षा और बाल यौन शोषण की रोकथाम के मुद्दे पर स्कूलों में जागरूकता और संवेदीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाई करें और बाद में अनुवर्ती अनुस्मारकों का अनुपालन करें।

4.11 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक

स्कूल में बाल सुरक्षा पर एक लघु फिल्म 'कोमल' दिखाना शुरू किया। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में सुरक्षा प्रतिज्ञा शुरू की गई है। अगले वित्तीय वर्ष तक 42 लाख शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों के प्रमुखों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के संकाय सदस्यों, ब्लॉक संसाधन समन्वयक (बीआरसी) तथा क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा (एनआई एसएचटीएचए) प्रक्रियाधीन है। एनसीईआरटी ने हर पाठ्यपुस्तक में चाइल्डलाइन नंबर 1098 और पॉक्सो ई-बॉक्स का संदर्भ प्रकाशित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों को अपने नोटिस बोर्ड या स्कूलों में किसी अन्य प्रमुख स्थान पर पॉक्सो पर जागरूकता सामग्री प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया है। स्कूलों में बाल सुरक्षा और बाल यौन शोषण की रोकथाम पर उचित संदेश के साथ स्कूल सुरक्षा शपथ भी ली जा रही है।

4.12 मंत्रालय द्वारा जांच में तेजी लाने और कर्मियों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए गृह मंत्रालय को विश्वास में लेने के प्रयास किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 से संबंधित मामलों में जांच को समय पर पूरा करने के लिए 'यौन अपराधों के लिए जांच ट्रेकिंग प्रणाली' पोर्टल तैयार किया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) कर्मियों के संवेदीकरण के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे इन पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को भेजें और पॉक्सो मामलों की जांच समय पर पूरी करें।

4.13 पॉक्सो अधिनियम के अनुसार त्वरित सुनवाई करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेगी।

इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में निर्भया कोष के सहयोग से न्याय विभाग ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (एफटीएससी) स्कीम तैयार की है जिसके तहत कुल 1023 न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इन न्यायालयों में से 389 जिलों में जहां पॉक्सो के तहत लंबित मामलों की संख्या 100 से अधिक है, वहां विशेष पॉक्सो कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि शेष 634 एफटीएससी बलात्कार के मामलों के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के अनुसार स्थापित किए जाएंगे।

ड. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

4.14 भारत सरकार ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) में संशोधन किया जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कानून है। अधिनियम देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक पुनः एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके की सुरक्षा प्रदान करता है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखरेख और सुरक्षा के मानकों को परिभाषित करता है। इस अधिनियम के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम और दत्तक ग्रहण विनियम भी घोषित किए गए हैं। मंत्रालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) को अधिसूचित किया है जो 01.09.2022 से लागू है। मंत्रालय ने 01.09.2022 को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 और 23.09.2022 को दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 को भी अधिसूचित किया है। इसके साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए कैंबिंदु के रूप में कार्य करने और दत्तक ग्रहण के मामलों का निर्णय

लेने का अधिकार देता है। इस संशोधन में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों को भी शामिल किया गया है।

II. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण, सुरक्षा और रचनात्मक विकास सुनिश्चित करने हेतु चल रही बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम को समाहित करते हुए बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम शुरू की है।

4.15 मिशन वात्सल्य का उद्देश्य बच्चों के उनके विभिन्न आयु के विकास चरणों को पार करने के दौरान एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। यह देश के सभी जिलों में बाल कल्याण और संरक्षण समितियों के संस्थागत ढांचे और वैधानिक तथा सेवा प्रदायगकी संरचनाओं को सुदृढ़ करके किए जाने की परिकल्पना की गई है। जबकि कठिन परिस्थितियों में बच्चों को की समस्याओं का वैधानिक और सेवा प्रदायगी संरचनाओं द्वारा समाधान किया जाना है, स्थानीय विकास योजनाओं और संबंधित बजटों के साथ एकीकृत सामुदायिक स्तर पर बाल कल्याण और संरक्षण के मुद्दों पर समान जोर दिया जाना है। इस प्रकार, यह परिकल्पना की गई है कि संस्थागत ढांचे के तहत समितियां एडवोकेसी, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण और समुदाय में एक सुदृढ़ बाल अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए निवारक उपायों के मामले में वैधानिक और सेवा प्रदायगी संरचनाओं का पूरक होंगी।

4.16 मिशन वात्सल्य उन बच्चों को निवारक, वैधानिक देखरेख और पुनर्वास प्रदान करता है जिन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तथा जो कानून का उल्लंघन करते हैं। यह एक केंद्रित प्रायोजित स्कीम है जो बच्चों के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)

मॉडल नियम, 2016 के तहत अधिदेशित सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार, अधिनियम के निष्पादन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

4.17 स्कीम बच्चों के कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इसका उद्देश्य स्कीम के तहत जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण करते हुए बच्चों तथा उनकी देखरेख करने वालों को बुनियादी स्तर पर सहायता प्रदान करना है।

4.18 मिशन वात्सल्य के अंतर्गत निम्न प्रमुख घटक/सेवाएं हैं:

- i. **वैधानिक निकाय:** बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजबी) और विशेष किशोर पुलिस इकाइयां (एसजेपीयू)।
- ii. **सेवा प्रदायगी संरचनाएं:** राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)।
- iii. **संस्थागत सेवाएं:** बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां, खुले आश्रय, निरीक्षण गृह, दिव्यांग विकलांग बच्चे, एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे, मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित बच्चे इत्यादि) को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए एक इकाई भी स्कीम के तहत बनाई गई है। उम्र, लिंग या बच्चों की विशेष जरूरतों के आधार पर अलग-अलग बाल गृह राज्य/जिला द्वारा स्थापित/समर्थित किए जा सकते हैं और उनमें बुनियादी ढांचे और सेवाओं के मामले में समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। सीसीआई या तो पचास (50) बच्चों या पच्चीस (25) बच्चों के लिए हो सकता है जो किसी विशेष क्षेत्र में बच्चों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

iv. **परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख:** मिशन वात्सल्य अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देता है। मिशन गैर-संस्थागत देखरेख के निम्नलिखित तरीकों से बच्चों की सहायता करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1,21,861 बच्चों को गैर-संस्थागत देखरेख में शामिल किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(क) **प्रायोजन:** विस्तारित परिवारों/जैविक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले संवेदनशील बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) **पालन-पोषण देखरेख:** बच्चे की देखरेख, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एक असंबद्ध परिवार द्वारा बच्चे की जिम्मेदारी उठाई जाती है। बच्चे के पालन-पोषण के लिए जैविक रूप से असंबंधित पालक माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) **दत्तकग्रहण:** दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त पाए गए बच्चों के लिए परिवार खोजना। विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए) दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करती हैं।

(घ) **देखरेख (ऑफ्टर केयर):** 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बाल देखरेख संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी सहायता 18 वर्ष की आयु से

21 वर्ष तक दी जाती है जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उसे आत्म-निर्भर बनने में मदद मिल सके।

राज्य सरकार को स्पॉन्सरशिप या फोस्टर केयर या आफ्टर केयर के लिए प्रति बच्चा प्रति माह 4000/- रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है।

v. **वात्सल्य सदन:** वात्सल्य सदन किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एकल परिसर के भीतर स्थित जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के साथ-साथ सीसीआई (बाल गृह, अवलोकन गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान) का एक एकीकृत गृह परिसर है। प्रत्येक गृह में 50 और 25 बच्चों के लिए वात्सल्य सदन (एकीकृत गृह परिसर) स्थापित किया जा सकता है। "वात्सल्य सदन" का होने का लाभ व्यवधान, जरूरी ए यात्रा के समय से बचने/न्यूनतम करने और सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने में होता है।

vi. 24 घंटे टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से संकट/कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच फोन सेवाएं।

vii. **प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण** — बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे सभी हितधारकों के लिए।

4.19 वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय ने पूरे भारत में 2450 गृहों, 424 विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) और 227 खुले आश्रयों की सहायता की थी, जिससे 62,592 लाभार्थी लाभान्वित हुए थे। संस्थागत सेवाओं के अलावा, जैसा कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताया गया है, अब तक 781 बाल कल्याण समितियों और 774 किशोर न्याय बोर्डों का गठन किया गया है।

4.20 वित्त वर्ष 2022-2023 से 2023-24 के लिए बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की संख्या	बजट आवंटन (बीई, करोड़ रुपये में)	वास्तविक निर्मुक्ति
2022-23	36	1472.17	1043.20
2023-24	36	1472.17	1390.80

*वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 (31 मार्च 2024 तक) के दौरान निधि वितरण का विवरण (अनुलग्नक-ए)।

viii. ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया :

4.21 ट्रैक चाइल्ड पोर्टल को वर्ष 2012 से क्रियाशील बनाया गया है। यह पोर्टल पुलिस थानों में रिपोर्ट किए जा रहे 'गुमशुदा' बच्चों का उन 'पाए गए' बच्चों से मिलान की सुविधा प्रदान करता है जो बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में रह रहे हैं। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल का वेब पता www.trackthemissingchild.gov.in है। पोर्टल को संबंधित हितधारकों नामतः पुलिस स्टेशनों, बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), और किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) इत्यादि द्वारा अपडेट किया जाता है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक ट्रैकचाइल्ड पोर्टल पर 13,249 पुलिस स्टेशन और 5,3062 बाल देखरेख संस्थान लापता/बरामद बच्चों का विवरण दर्ज कर रहे हैं। इसकी स्थापना के बाद से सिस्टम के माध्यम से 4,33,474 बच्चों का मिलान किया गया है।

पग. मिशन वात्सल्य पोर्टल: मिशन वात्सल्य के दिशानिर्देशों के अनुसार कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों जिसमें लापता, अनाथ, परित्यक्त और अधरूपित बच्चे शामिल हैं से संबंधित विभिन्न एमआईएस के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा स्कीम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत विभिन्न पोर्टल अर्थात् लापता/पाए गए बच्चों के लिए ट्रैकचाइल्ड पोर्टल स्कीम की निगरानी के लिए आईसीपीएस पोर्टल; गुमशुदा और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खोया-पाया नागरिक केंद्र एप्लिकेशन को एक ही पोर्टल के तहत एकीकृत किया गया है। इसका उपयोग एससीपीएस, डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी,

जेजेबी, सीसीआई, एसजेपीयू के साथ-साथ नागरिकों द्वारा सभी एमआईएस उद्देश्यों के लिए संबंधित डैशबोर्ड के माध्यम से किया जा सकता है। मिशन वात्सल्य पोर्टल की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27.06.2023 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान किया गया था।

x. चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा:

4.22 मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन को राज्य और जिला अधिकारियों के समन्वय और गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली 112 (ईआरएसएस-112) के साथ एकीकृत कर चलाया जा रहा। मंत्रालय ने उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक), केरल को सौंपा है जो चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 के स्वचालन और ईआरएसएस-112 के साथ एकीकरण के लिए कुल समाधान प्रदाता (टीएसपी) के रूप में कार्य करेगा। मंत्रालय द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन के एसओपी के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए एक 24x7 समर्पित डब्ल्यूसीडी नियंत्रण कक्ष (डब्ल्यूसीडी-सीआर) स्थापित किया जाना आवश्यक है और इसे ईआरएसएस-112 के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, जिला स्तर पर, जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) में चाइल्ड हेल्पलाइन (सीएचएल) इकाई को चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया जाएगा तथा संकट में उन्हें आपातकालीन और दीर्घकालिक देखरेख और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने के लिए आउटरीच सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुविधाओं, जनशक्ति और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और समर्पित कनेक्टिविटी से लैस किया जाएगा। रेलवे के एसओपी के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चयनित रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क/कियोस्क/बूथ और मौजूदा बस अड्डों पर भी चाइल्ड हेल्प डेस्क चलाना जारी रखेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन भारत सरकार द्वारा 100: वित्त पोषित है। सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने चाइल्ड हेल्पलाइन का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। दिनांक 31.12.2023 तक, कुल 762 जिलों को डीसीपीयू

स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन इकाई के लिए मंजूरी दे दी गई है और सी-डैक ने 238 जिलों में स्थापना पूरी कर ली है। एसओपी के अनुसार, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति 6 से 20 तक होती है। शुरू किए जाने की तारीख से 31.12.2023 तक 36 डब्ल्यूसीडी नियंत्रण कक्षों में से 1098 पर कुल 6,57,062 टेलीफ़ोन कॉलों के जवाब दिए गए।

xi. निम्हान्स के साथ सहयोग

4.23 मंत्रालय ने निम्हान्स के साथ सहयोग किया है जिसने बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन केंद्र "संवाद" (संवेदनशील परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए समर्थन सहायता और मानसिक स्वास्थ्य पहल) की स्थापना की है। संवाद 4 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों अर्थात् मानसिक स्वास्थ्य, देखरेख और संरक्षण, शिक्षा और नीति और कानून पर काम कर रहा है। 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 के दौरान, संवाद 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 15,344 हितधारकों तक पहुंचा है।

xii. क्षमता निर्माण के लिए एलबीएसएनएए के साथ सहयोग:

4.24 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में किशोर न्याय अधिनियम पर विशेष ध्यान देने के साथ बाल अधिकारों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कई हितधारकों की क्षमता निर्माण हेतु एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के साथ साझेदारी की है। माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 2 जुलाई, 2023 को दिल्ली में 'बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण' पर क्षेत्रीय संगोष्ठी के दौरान बाल अधिकारों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत की। यह पाठ्यक्रम निम्नलिखित सामग्री के साथ 'मिशन कर्मयोगी' के हिस्से के रूप में "आईजीओटी" जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध है:

- बाल अधिकार एवं किशोर न्याय प्रणाली का परिचय
 - देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे
 - कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा
 - संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखरेख
- 4.25 दिनांक 31.03.2024 तक, कुल 10283 हितधारकों ने पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया है और 7022 ने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

xiii. श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में बाल अधिकारों और संरक्षण पर पीआरआई, यूएलबी और पुलिस के प्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्यशाला:

- i. मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से 14-15 सितंबर, 2023 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। उपराज्यपाल श्री. मनोज सिन्हा ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर में बाल संरक्षण प्रणाली और तंत्र को मजबूत करने के लिए पीआरआई, यूएलबी, पुलिस और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया था। इस कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एनसीपीसीआर, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, प्रशासनिक और पुलिस प्रशिक्षण के अधिकारियों, संस्थान, डीसीपीओ, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, एसजेपीयू, यूनिसेफ के प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थान के साथ अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
- ii. **क्षेत्रीय सम्मेलन:** पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मिशन वात्सल्य स्कीम सहित कुपोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने और महिलाओं और बच्चों के विकास, सशक्तिकरण तथा सुरक्षा के लिए कार्यनीतिक क्रियाकलाप पर क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ

राज्य क्षेत्र प्रशासनों और हितधारकों के साथ आउटरीच कार्यक्रम का संचालन।

- iii. **कार्यशालाएं:** दिनांक 16.11.2022 और 14-15.09.2023 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से मिशन वात्सल्य स्कीम सहित बाल अधिकार और संरक्षण पर पंचायती राज प्रतिनिधियों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पुलिस के प्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्यशाला का संचालन। इस कार्यशाला में मंत्रालय, एनसीपीसीआर, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, प्रशासनिक और पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों, जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ), सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, विशेष किशोर पुलिस इकाइयां (एसजेपीयू), यूनिसेफ के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक ने भाग लिया।

- iv. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण: मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत, एनआईपीसीसीडी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 129 प्रशिक्षण कार्यक्रम और चालू वित्तीय वर्ष (01.12.2023 तक) के दौरान 82 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- v. पोर्टल के उपयोगकर्ता/हितधारकों द्वारा मिशन वात्सल्य पोर्टल को अपनाने की क्षमता में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा 22.03.2023 से 24.03.2023 तक एनआईपीसीसीडी में तीन दिवसीय परामर्श आयोजित किया गया था।
- vi. मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख के मॉड्यूल पर एक वर्चुअल तकनीकी प्रशिक्षण सत्र 15 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था।



14-15 सितंबर, 2023 को श्रीनगर में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग के सहयोग से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

- vii. **वत्सल भारत:** दिनांक 2 जुलाई, 2023 से 18 अगस्त, 2023 तक देश के विभिन्न स्थानों पर 'बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण' पर क्षेत्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। क्षेत्रीय संगोष्ठियों में बाल कल्याण समितियों(सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।





- क. दिनांक 2 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, दिल्ली में पहली क्षेत्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इसमें नौ राज्यों – हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ने भाग लिया। संगोष्ठी में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- ख. बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर दूसरी क्षेत्रीय संगोष्ठी 9 जुलाई, 2023 को भोपाल में आयोजित की गई। इसमें तीन राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने भाग लिया।
- ग. बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर तीसरी क्षेत्रीय संगोष्ठी 22 जुलाई, 2023 को मुंबई में आयोजित की गई। इसमें सात राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने भाग लिया।
- घ. बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर चौथा क्षेत्रीय संगोष्ठी 30

जुलाई, 2023 को रांची में आयोजित किया गया। इसमें चार राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार ने भाग लिया।

- ड. बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर पांचवीं क्षेत्रीय संगोष्ठी 12 अगस्त 2023 को गुवाहाटी में आयोजित की गई। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम ने भाग लिया।
- च. बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर छठी क्षेत्रीय संगोष्ठी 18 अगस्त 2023 को काशी, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई।

viii. बाल खेल उत्सव

4.26 सभी 30 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में 17 से 28 अप्रैल, 2023 के दौरान तीन दिनों के लिए डीसीपीयू के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम), 2015 के तहत सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में बाल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान अच्छी तरह से तैयार इनडोर और आउटडोर खेलों का आयोजन किया गया। बाल देखरेख संस्थानों में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए खेल संबंधी क्रियाकलापों का आयोजन किया गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो गतिविधियाँ आयोजित की गईं, वे थीं इनडोर (शतरंज, लूडो कैरम बैडमिंटन) आउटडोर (एथलेटिक्स 100 मीटर रेस कबड्डी टग ऑफ वॉर)। स्वदेशी खेल किसी भी समुदाय और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। इसे देखते हुए बाल खेल महोत्सव के दौरान राज्यों को उन स्वदेशी खेलों को आयोजित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो आमतौर पर उनके राज्यों में बच्चों के बीच खेले जाते हैं। 454 जिलों में कुल 1796 बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) को शामिल किया गया।



बसमइतंजपवद वबिपसकतमदै चवतजे थमेजपअंसे पद ब्हे

ix. ई-संपर्क

4.27 देश भर में भारत सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में रहने वाले बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी के बीच ई-संपर्क कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 70,000 बच्चों वाले लगभग 2,100 बाल देखरेख संस्थान इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।

x. एनसीपीसीआर द्वारा सीसीआई का सोशल ऑडिट

4.28 वर्ष 2007 के डब्ल्यूपी (सीआरएल) 102 तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण बनाम संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 05.

05.2017 के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में 7,163 बाल देखरेख संस्थानों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर जहां किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) लागू नहीं था और लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के संघ राज्यों क्षेत्र, जहां कोई सीसीआई मौजूद नहीं था) का सोशल ऑडिट किया। दिनांक 06.03.2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय को एक राष्ट्रीय रिपोर्ट के साथ-साथ सामाजिक लेखा परीक्षा की राज्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। महिला एवं बाल विकास सचिव ने अ.शा. पत्र संख्या 30/67/2019-सीडब्ल्यू-II दिनांक 31.8.2020 के माध्यम से जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41 के अनुसार सीसीआई के पंजीकरण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से पूछा है। माननीया मंत्री ने भी जेजे अधिनियम के तहत सीसीआई के पंजीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी सांसदों और विधायकों को और उन संस्थानों के खिलाफ भी जो आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रहे हैं के लिए अ.शा. पत्र लिखा है। राज्यों को नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करने और हर साल 15 जनवरी और 15 जुलाई को सूचना देने को कहा गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपंजीकृत संस्थानों को बंद करने और निवासियों के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए बार-बार कहा था। जेजे एक्ट के तहत 5,534 सीसीआई पंजीकृत किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे जिला मजिस्ट्रेटों/उप कलेक्टरों की देखरेख में सीसीआई का निरीक्षण सुनिश्चित करें और सीसीआई को चलाने वाली सभी एजेंसियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन और सीसीआई के साथ लगे कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करें।

xi. दिव्यांग व्यक्ति:

4.29 यह मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 199 बाल गृहों में विशेष आवश्यकता वाले 4,364 बच्चों की सहायता करता है (अनुलग्नक XVI)।

XII. “पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों की देखरेख और सहायता योजना”

4.30 महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए मौजूदा योजनाओं की कमियों को दूर करने के लिए केंद्र द्वारा वित्त पोषित निर्भया कोष के माध्यम से “पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों के लिए देखरेख और सहायता योजना” शुरू की है।

4.31 इस योजना का मुख्य उद्देश्य नाबालिग गर्भवती बालिकाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहयोग करना तथा शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा (जिसमें मातृत्व, नवजात और शिशु देखरेख भी शामिल है), मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, कानूनी सहायता, गैर-संस्थागत देखरेख सहायता, बाल देखरेख संस्थानों/पश्चात देखरेख सुविधाओं में रहने का स्थान तथा बालिकाओं और उनके नवजात शिशु के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर के रूप में दीर्घकालिक पुनर्वास हेतु सेवाओं की एक श्रृंखला तक उनकी तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच को सुगम बनाना है जिससे ऐसी बालिकाओं को न्याय मिल सके और उनका और सशक्तीकरण हो सके।

XIII. वीर बाल दिवस:

4.32 वर्ष 2022 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा “वीर बाल दिवस” का आयोजन किया गया था। यदि, वर्ष 2023 में इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 26.12.2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें लगभग 6000 बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री तथा कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों और किशोर कलाकारों द्वारा शब्द कीर्तन, मार्च पास्ट, मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी किया गया।

xiv. एएमआरआईटी (अमृत) सृजन अभियान:

4.33 अमृत सृजन अभियान मेटा/फेसबुक के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अभियान के तहत देश भर के युवाओं को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने और अपनी आकांक्षाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रतिभागियों को उनकी महत्वाकांक्षाओं और बड़े होने पर वे क्या बनना चाहते हैं, यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रक्रिया में समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया गया और दूसरों को प्रेरित किया गया। देश भर के विजेताओं को दिल्ली आमंत्रित किया गया और उन्हें माननीय प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों से मिलने का अवसर दिया गया। उन्होंने भारत की संसद (नई और पुरानी इमारतें) और प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी दौरा किया।

xv. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बलपुरस्कार पोर्टल (<http://enca-wcd.nic.in>)

i. पुरस्कार वितरण

4.34 भारत सरकार बच्चों को राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक मानती है। बच्चों की आशाओं और आकांक्षाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उनकी उपलब्धियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह मंत्रालय पिछले कई दशकों से मेधावी बच्चों और व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दे रहा है। इस उद्देश्य से 1979 से राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार समर्पित व्यक्तियों और संस्थाओं के योगदान को मान्यता देने के लिए दिए जा रहे हैं जिनके अथक प्रयासों ने बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों को संपूरित किया है। इसके अलावा, 1996 से विभिन्न क्षेत्रों जैसे नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धियां, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति तथा खेल में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं।

4.35 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत भारत में रहने वाले पांच वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक से

कम आयु के मान्यता के योग्य बच्चों को बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्रों में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है और उन्हें पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों पर विचार करने के लिए बच्चे की उपलब्धि एक बार की नहीं होनी चाहिए बल्कि समय के साथ हासिल की गई होनी

चाहिए। ये उपलब्धियां संबंधित क्षेत्र में बच्चे के लगन और विशेष क्षेत्र में उनके उज्ज्वल भविष्य को संकेत करने वाली होनी चाहिए।

4.36 वर्ष 2023 से मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए जाने वाले सभी पुरस्कारों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए एकीकृत पोर्टल 'www-awards-gov-in' पर पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है।



जेंडर बजटिंग



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

जेंडर बजटिंग

5.1 जेंडर बजटिंग बजट बनाने का एक ऐसा तरीका है जो सार्वजनिक वित्त प्रबंधन चक्र के सभी चरणों में जेंडर परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करता है। यह कानून, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों, संसाधन आवंटन, कार्यान्वयन, व्यय की ट्रैकिंग, लेखा परीक्षा और प्रभाव मूल्यांकन के जेंडर उत्तरदायी निरूपण से संबंधित है। यह सुनिश्चित करके कि सरकारी राजस्व और सार्वजनिक व्यय अलग-अलग जेंडर आवश्यकताओं पूरा किया जा रहा है, लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है।

5.2 भारत सरकार 2000 के दशक की शुरुआत से ही जेंडर बजटिंग (जी.बी.) का कार्यान्वयन कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जेंडर बजटिंग और जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न वित्तीय, विनियामक और संरचनात्मक नीतियां तथा तंत्र बनाए हैं। जे.बी. के नोडल मंत्रालय के रूप में महिला और बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी.) ने इस बात पर जोर दिया है कि जे.बी. केवल महिलाओं और बालिकाओं के लिए धन आवंटित करना नहीं है, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पैदा करना और जेंडर अंतर को पाटना है।

5.3 महिला सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति के हिस्से के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का लक्ष्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिलाओं को 100: कवर करना है। मंत्रालय का कार्यनीतिक ध्यान इन पर है:

i. केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर लैंगिक बजट बनाने के लिए संस्थागत तंत्र और

प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना; और

ii. नियोजन, बजट और लेखा परीक्षा में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने के लिए आंतरिक और बाह्य क्षमताओं का विकास करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का निर्माण करना।

5.4 वर्ष 2023–24 के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यकलाप और उनमें प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।

क. जेंडर बजटिंग के संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाएं

5.5 **जेंडर बजट सेल:** वर्ष 2004–05 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजट सेल (जीबीसी) की स्थापना को अनिवार्य करके जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया। इन जेंडर बजट सेल की परिकल्पना जेंडर बजटिंग के माध्यम से जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में की गई है। दिनांक 8 मार्च 2007 को वित्त मंत्रालय ने जेंडर बजट सेल के गठन को अधिदेशित करते हुए एक चार्टर जारी किया और जी.बी.सी. की संरचना तथा कार्यों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए। एक संस्थागत तंत्र के रूप में जीबीसी के कामकाज का उद्देश्य जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रालय/विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार प्रभावित और इनमें परिवर्तन की शुरुआत करना है जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता हो और मंत्रालय के बजट के माध्यम यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन तथा प्रबंधन तदनुसार हो। जैसा कि अधिदेशित है, जी.बी.सी. में मंत्रालय/विभाग की योजना, नीति, समन्वय, बजट तथा लेखा प्रभाग के वरिष्ठ

और मध्यम स्तर के अधिकारी शामिल होने चाहिए और संयुक्त सचिव के पद से नीचे का अधिकारी इसका प्रमुख नहीं होना चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों में जेंडर बजट सेल स्थापित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। अक्टूबर 2021 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जबीसी को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने, नोडल अधिकारियों को नामित करने तथा जेंडर बजट विवरण में रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को अर्द्ध शासकीय पत्र भेजे। इस मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में जेंडर बजटिंग हेतु नोडल अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ एक सलाह भी जारी की गई थी। वर्तमान में, 62 मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजट सेल स्थापित किए हैं।

5.6 बजट कॉल सर्कुलर: वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हर साल जारी किया जाने वाला बजट कॉल सर्कुलर यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है कि मंत्रालय/विभाग लैंगिक दृष्टिकोण से योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त रूप से योजना और बजट तैयार करें। दिनांक 1 सितंबर 2023 को बजट प्रभाग, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट सर्कुलर में अन्य बातों के साथ-साथ, जेंडर बजट पर निम्नलिखित निर्देश शामिल थे:

व्यय प्रोफाइल में विवरण संख्या 13 “जेंडर बजटिंग”। जेंडर बजटिंग विकास के सभी क्षेत्रों में जेंडर विशिष्ट बाधाओं की पहचान करने और उनका समाधान करने की एक प्रक्रिया है। बजट नियोजन और तैयारी की प्रक्रिया सभी मंत्रालयों/विभागों में लैंगिक समस्याओं की पहचान करने, उन्हें प्राथमिकता देने और उनका समाधान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र का महिलाओं और बालिकाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और इसलिए, यह महसूस किया जाता है कि सभी कार्यक्रमों/योजनाओं में एक जेंडर घटक होना चाहिए। मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं को अधिक जेंडर संवेदनशील बनाकर या वैकल्पिक रूप से, इसके लिए महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष रूप से एक कार्यक्रम/योजना तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट प्रस्तुतियों के साथ, सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-गटप्प) में एक जेंडर बजट विवरण (व्यय प्रोफाइल में विवरण 13) तैयार और प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह जेंडर बजट विवरण दो भागों में तैयार किया जाना है – भाग क: उन योजनाओं को दर्शाता है जो 100% महिलाओं और बालिकाओं के लिए लक्षित हैं और भाग ख: उन कार्यक्रमों/योजनाओं को दर्शाता है जिनमें बजटीय आवंटन का 30 से 99% महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी है।”

EXPENDITURE PROFILE
STATEMENT NO.13

APPENDIX XVIII
(See Paragraph 13.4)

FORMAT FOR FURNISHING INFORMATION ON 'GENDER BUDGETING'

(i) 100% provision towards women
Demand No : Name of the Ministry/Department: (₹ in crore)

Details of Scheme	BE 23-24	RE 23-24	BE 24-25

(ii) Pro-women (at least 30% of provision)
Demand No: Name of the Ministry/Department: (₹ in crore)

Details of Scheme	BE 23-24	RE 23-24	BE 24-25

Note: Two separate statements in the format prescribed above may be furnished

5.7 जेंडर बजट स्टेटमेंट – महिलाओं और बालिकाओं के लिए आवंटन पर नज़र रखना: जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस) 2005–06 से प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के साथ प्रकाशित किया जाता है। यह मंत्रालयों/विभागों के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र है जो लैंगिक दृष्टिकोण से अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करता है और महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए आवंटन पर जानकारी प्रस्तुत करता है। वित्त वर्ष 2024–25 के अंतरिम बजट में कुल 38 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने व्यय प्रोफाइल के विवरण 13 यानी जेंडर बजट स्टेटमेंट में 3.09 लाख करोड़ रुपये की राशि की रिपोर्ट की है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान इतने ही मंत्रालयों/विभागों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 2.23 लाख करोड़ रुपये की राशि की रिपोर्ट की थी। कुल 22 मंत्रालयों/विभागों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग क (100: महिला विशिष्ट योजनाएं) में रिपोर्ट की और 31 मंत्रालयों/विभागों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग ख (महिलाओं के लिए 30–99: बजटीय आवंटन) में रिपोर्ट की। विद्युत मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहली बार जीबीएस 2024–25 में रिपोर्ट की। जीबीएस 2024–25 में रिपोर्ट किए गए बजट अनुमान वित्त वर्ष 2023–24 के जीबीएस के बजट अनुमान से 38.60: अधिक है। कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट का हिस्सा 2023–24 में 5% से बढ़कर 2024–25 में 6.5% हो गया।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2024–25 के अंतरिम बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए 20,511.28 करोड़ रुपए के आवंटन की सूचना दी है जो इसके कुल बजट अनुमान 26,092.19 करोड़ रुपए का लगभग 78.61 प्रतिशत है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (क) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 16,350.98 करोड़ रुपए; ख) मिशन शक्ति के तहत 3,145.96 करोड़ रुपए; और (ग) मिशन वात्सल्य के तहत 883.30 करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटन शामिल है।

5.8 ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन के माध्यम से लैंगिक जागरूकता नीति का मूल्यांकन: अप्रैल

2014 में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) दस्तावेज़ में सभी नए कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं के लिए नियोजन के चरण में जेंडर परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया था। ईएफसी प्रारूप की धारा 3 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है – ‘यदि योजना में महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से निर्देशित कोई जेंडर संतुलन पहलू या घटक हैं तो कृपया उन्हें स्पष्ट रूप से सामने लाएं।’ मंत्रालय नियमित रूप से योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों पर ईएफसी प्रस्तावों के लिए इनपुट प्रदान करता रहा है ताकि उन्हें अधिक जेंडर उत्तरदायी बनाया जा सके।

5.9 जेंडर बजटिंग के लिए जेंडर-संसिटिव जांच बिन्दु/दिशानिर्देश: इस मंत्रालय ने जी.बी. को कार्यान्वित करने के लिए उपकरण तैयार किए हैं। इनमें चेकलिस्ट-I (लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रम जो महिलाओं को लक्षित करते हैं) और चेकलिस्ट-II (मुख्यधारा के क्षेत्र और कार्यक्रम), पांच चरणीय रूपरेखा के आधार पर योजनाओं और नीतियों का जेंडर मूल्यांकन और स्थानिक मानचित्रण के रूप में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। ये दिशानिर्देश जेंडर परिप्रेक्ष्य से सार्वजनिक व्यय की समीक्षा करने में मदद करते हैं ताकि अंतर की पहचान की जा सके और योजनाओं और बजटों की जेंडर उत्तरदायित्व बढ़ाने के उपाय किए जा सकें।

ख: जेंडर बजटिंग पर क्षमता निर्माण

5.10 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मंत्रालय का मुख्य फोकस क्षेत्र राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना और जीबी पर विशेषज्ञता का निर्माण जारी रखना है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रयास किए गए:

5.11 जेंडर बजटिंग योजना का कार्यान्वयन: मंत्रालय 2007–08 से जेंडर बजटिंग योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों की जेंडर बजटिंग करने की क्षमता का निर्माण करना है। इस योजना के तहत, जेंडर बजटिंग पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए सरकारी विभागों, राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण

संस्थानों/संगठनों को 100: वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है। मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के तहत अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी योजना के साथ-साथ जेंडर बजटिंग योजना को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित करने के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों को संशोधित करके जेंडर बजटिंग योजना के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मार्च, 2023 में प्रकाशित की गई थी। जी.बी. योजना के तहत कुल

32 कार्यान्वयन एजेंसियों (इनमें 9 केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान, 9 महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग, राज्य सरकारें, 6 राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान और 8 विश्वविद्यालय/कॉलेज शामिल हैं) को 2023-24 के दौरान जेंडर बजटिंग पर प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करने की मंजूरी दी गई थी। इस वर्ष के दौरान 27 एजेंसियों को 1.27 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।



तेलंगाना में नगरपालिका कमियों और एमईपीएमए अधिकारियों और यूएलबी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए "मिशन शक्ति के तहत जेंडर बजटिंग" पर राज्य स्तरीय कार्यशाला क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र, उस्मानिया विश्वविद्यालय (आरसीयूईएस-ओयू), हैदराबाद में 27-28 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई।

5.12 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण: 40 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए जेंडर बजटिंग पर क्षमता का निर्माण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से 16-17 नवंबर 2023 और 21-22 नवंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में 'जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग और बजटिंग को

सुदृढ़ करना' नामक परियोजना के तहत दो बैचों में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 70 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जेंडर बजटिंग पर केंद्र सरकार के अधिकारियों की समझ को बढ़ाना तथा अधिकारियों को जी.बी. पर सीखे गए ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था।



केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 16–17 नवंबर और 21–22 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया।

5.13 छह परियोजना राज्यों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण: संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से 'जेंडर रिसर्पोन्सिव प्लानिंग और बजटिंग को सुदृढीकरण' परियोजना के तहत 21–22 मार्च 2024 को गुड़गांव, हरियाणा में छह राज्यों के अधिकारियों के लिए जेंडर बजटिंग पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में छह राज्यों के

कुल 24 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नीति निर्माण और बजट चक्र में जेंडर एकीकरण पर राज्य सरकार के अधिकारियों की समझ, ज्ञान और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाना और राज्य स्तर पर जेंडर बजटिंग को लागू करने के लिए प्रमुख चैंपियन को प्रोत्साहित करना था।



जेंडर बजटिंग पर छह परियोजना राज्यों के राज्य सरकार के अधिकारियों का 21–22 मार्च 2024 को 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

5.14 **भारत सरकार और राज्यों/संघ रासज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जेंडर बजटिंग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) के साथ सहयोग:** राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जेंडर बजटिंग प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के मंत्रालय के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जेंडर बजटिंग पर आवधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने के लिए संभावित सहयोग हेतु चुनिंदा भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) (आईआईएम-अहमदाबाद, आईआईएम-बेंगलुरु, आईआईएम-इंदौर, आईआईएम-कोलकाता, आईआईएम-कोझिकोड, आईआईएम-लखनऊ) से संपर्क किया है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया के आधार पर जेंडर बजटिंग पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए सबसे पहले आईआईएम-अहमदाबाद के साथ परामर्श किया गया।

ग: केंद्रीय स्तर पर जेंडर बजटिंग प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग

5.15 **चुनिंदा मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं का जेंडर विश्लेषण:** इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा जीबीएस में आवंटन की रिपोर्टिंग बढ़ाने की बड़ी संभावना को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीबीएस में सुधार और बेहतर रिपोर्टिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के तकनीकी समर्थन से मंत्रालय ने 43 ऐसे मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं का जेंडर बजट विश्लेषण किया जिन्होंने जीबीएस 2023-24 में कोई आवंटन रिपोर्ट नहीं किया है या कुल आवंटन का 5% से कम रिपोर्ट किया है। जेंडर बजट विश्लेषण की प्रारंभिक रिपोर्ट अक्टूबर-नवंबर 2023 में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा की गई। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ जीबीएस में आवंटन

की रिपोर्टिंग पर ध्यान देने के साथ योजना-वार विश्लेषण शामिल था।

5.16 **वित्त वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने के कदमों की समीक्षा और चर्चा करने के लिए चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठक:** मंत्रालय ने जेंडर बजट विश्लेषण की समीक्षा और चर्चा करने तथा वित्त वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने के लिए और आवश्यक कदम उठाने हेतु 23 नवंबर और 6 दिसंबर 2023 को दो बैठकों में 34 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठकें बुलाई। बैठक के दौरान, सचिव (डब्ल्यूसीडी) ने चिंता व्यक्त की कि विभिन्न योजनाओं के तहत बजटीय सहायता में वृद्धि के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने के सरकार के प्रयास पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होते हैं क्योंकि कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा जीबीएस में आवंटन की कम रिपोर्टिंग की जाती है। बैठकों के दौरान कई मंत्रालयों/विभागों ने बताया कि मौजूदा जीबीएस प्रारूप कुल बजट के 30% से कम आवंटन वाली उनकी योजनाओं की रिपोर्टिंग को सीमित करता है।



श्री इंदीवर पांडे, सचिव (डब्ल्यूसीडी) 23 नवंबर, 2023 को 19 चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए



श्री इंदीवर पांडे, सचिव (महिला एवं बाल विकास) 6 दिसंबर, 2023 को 15 चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हुए।

5.17 उपर्युक्त के अनुसरण में महिला एवं बाल विकास सचिव ने दिनांक 1 जनवरी, 2024 के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 22/2/2022—जेंडर बजटिंग के माध्यम से चुनिंदा 43 मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को उनसे वित्त वर्ष 2024–25 के लिए जीबीएस में आवंटन की रिपोर्टिंग में सुधार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया जिससे देश में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की बेहतर तस्वीर सामने आ सके।

5.18 **मंत्रालयों/विभागों को सहायता प्रदान करना:** एमडब्ल्यूसीडी—संयुक्त राष्ट्र महिला की टीम ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए जीबीएस तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कई मंत्रालयों/विभागों का दौरा किया। इन सभी प्रयासों के कारण वित्त वर्ष 2024–25 में जेंडर बजट आवंटन अब तक का सबसे अधिक अर्थात् कुल बजट का 6.5% रहा है।

घ: जेंडर बजटिंग पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पहल

5.19 मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जी. बी. के संस्थागतकरण का समर्थन करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। आज तक 26 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों ने लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए जी.बी. पहल की है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्थागतकरण का स्तर अलग-अलग है और जी.बी. तंत्र तथा प्रक्रियाओं

की एक श्रृंखला को कार्यान्वित किया गया है। इनमें जी. बी. के लिए एक नोडल विभाग और अधिकारी की पहचान, जेंडर बजट प्रकोष्ठों का गठन, राज्य जी.बी. कार्य योजनाएं तैयार करना, राज्य बजट में जेंडर बजट विवरण प्रकाशित करना, नोडल प्रशिक्षण संस्थान नामित करना, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, जेंडर ऑडिट/प्रदर्शन ऑडिट आयोजित करना इत्यादि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल 11 राज्यों ने जेंडर बजट विवरण प्रकाशित किए हैं। गोवा ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अपना पहला जेंडर बजट विवरण प्रकाशित किया है। कुल 21 राज्यों ने जी.बी. पर क्षमता निर्माण के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थान नामित किए हैं।

ड. केंद्रीय और राज्य स्तर पर जेंडर बजटिंग को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी सहायता

1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और समृद्ध एवं खुशहाल एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान कोष (जेएफपीआर) के साथ मिलकर 'भारत के चुनिंदा राज्यों में जेंडर बजटिंग को आगे बढ़ाना' (टीए 9735)

5.20 राज्यों में जी.बी. को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) और समृद्ध एवं खुशहाल एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान कोष (जेएफपीआर) के साथ मिलकर वर्ष 2020–21 के दौरान 'भारत के चुनिंदा राज्यों में जेंडर बजटिंग को आगे बढ़ाने' पर एक तकनीकी सहायता (टी.ए.) परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना में चार राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर शामिल थे जिसका उद्देश्य जेंडर बजटिंग में संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाना तथा राज्यों के विभागों को जेंडर मुख्यधारा में लाना था। चार चुनिंदा राज्यों में परियोजना ने जीबी तंत्र को सुदृढ़ करने; सरकारी हितधारकों की जीबी क्षमता को बढ़ाने; अनुकूलित ज्ञान सामग्री और प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने; और जेंडर बजटिंग पर एक ई-गवर्नेंस टूल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। संयुक्त राष्ट्र महिला टीए परियोजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी है।

5.21 टीए 4 अक्टूबर, 2019 को प्रभावी हुआ और इसकी मूल पूर्णता तिथि 31 मई 2021 थी। यदिप, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण टीए कार्यान्वयन में प्रारंभिक देरी के कारण टीए पूर्णता तिथि को 31 मई, 2023 तक बढ़ा दिया गया था, जिसे कुछ अतिरिक्त कार्यकलापों जैसे (i) जेंडर बजटिंग पर राज्य के कार्यक्षेत्र का अध्ययन तथा राज्य कार्य योजनाओं का प्रकाशन; (ii) जी 20 को सहयोग विशेष रूप से डब्ल्यू20 कार्यकलापों – जेंडर बजट पर एक साइड इवेंट के संगठन के माध्यम से लैंगिक समानता पर केंद्रित आधिकारिक जी20 जुड़ाव समूह और (iii) टीए के प्रस्तावित दूसरे चरण के लिए अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए पुनः 31 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया गया।

5.22 टीए के हिस्से के रूप में 'जेंडर बजटिंग डैशबोर्ड' के लिए सामग्री और डिजाइन तैयार किया गया है। यह जीबी के लिए वन-स्टॉप सूचना पोर्टल होगा और सरकारी प्रतिनिधियों तथा गैर-सरकारी हितधारकों के लिए एक स्व-शिक्षण वेब टूल के रूप में कार्य करेगा। एक 'जेंडर इंडिकेटर मैपिंग टूल' (जीआईएमटी) भी तैयार किया गया है जो नीतियों एवं निर्णय लेने की जानकारी देने के लिए 26 राज्यों के आकांक्षी जिलों में चुनिंदा लैंगिक संकेतकों को मैप करने के लिए एक वेब टूल है।

II. संयुक्त राष्ट्र महिला और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ 'जेंडर-रिस्पॉन्सिव प्लानिंग और बजटिंग को सुदृढ़ करना'

5.23 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) द्वारा वित्तपोषित संयुक्त राष्ट्र महिला इंडिया के सहयोग से 'जेंडर-रिस्पॉन्सिव प्लानिंग और बजटिंग को सुदृढ़ करना' नामक एक परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना अप्रैल 2023 में प्रभावी हुई और इसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया। इस परियोजना के दो प्रमुख आउटपुट हैं। आउटपुट 1% पहचाने गए 30 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 6 चुनिंदा राज्यों अर्थात असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु और उत्तराखंड

के लिए जेंडर बजटिंग और/या जेंडर बजट स्टेटमेंट को सुदृढ़ करने के लिए कार्य योजनाएं तथा आउटपुट 2% जेंडर में निवेश की निगरानी और मूल्यांकन पर संस्थागत सेटअप की क्षमता का निर्माण करना।

5.24 परियोजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा मंत्रालय के जेंडर बजटिंग प्रभाग में पांच परामर्शदाता/तकनीकी समन्वयक और छह परियोजना राज्यों में से प्रत्येक में एक राज्य तकनीकी समन्वयक को जेंडर बजटिंग पर नोडल विभाग के साथ काम करने के लिए रखा गया है।

5.25 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ आरंभिक बैठक: 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में, एमडब्ल्यूसीडी के सांख्यिकी सलाहकार की अध्यक्षता में और संयुक्त राष्ट्र महिला के केंद्री प्रतिनिधि तथा बीएमजीएफ इंडिया के केंद्री डायरेक्टर की उपस्थिति में चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ आरंभिक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन – नियोजित कार्यकलापों, परियोजना के आउटपुट और प्राप्त किए जाने वाले समग्र परिणाम पर चर्चा करना था। एक अन्य प्रमुख उद्देश्य जेंडर बजटिंग को सुदृढ़ और संस्थागत बनाने के लिए मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझना भी था। बैठक में 45 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के कुल 70 अधिकारियों ने भाग लिया।



श्री धृजेश कुमार तिवारी, सांख्यिकी सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 18 जुलाई 2023 को आयोजित आरंभिक बैठक के दौरान 48 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

5.26 छह राज्यों के साथ आरंभिक बैठक: 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास, योजना/वित्त के नोडल विभागों के साथ एक आरंभिक बैठक आयोजित की गई। इनमें असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे छह राज्यों के साथ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य (i) संबंधित राज्यों में जेंडर बजटिंग को सुदृढ़ करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना को साझा करना और (ii) राज्यों द्वारा वर्तमान जीबी पद्धति को साझा करना था।



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री इंदीवर पांडे 26 सितंबर 2023 को आयोजित आरंभिक बैठक के दौरान छह राज्यों के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

च: जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

I. नई दिल्ली में 9 जनवरी 2024 को “भारत में बंदरगाहों को जेंडर हितैषी बनाने” पर सम्मेलन

5.27 गृह मंत्रालय के भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने 9 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में “भारत में भूमि स्थित बंदरगाहों को लैंगिक रूप से विकसित करने” विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग प्रतिनिधियों को एक साथ लाना था ताकि इस विषय के महत्व पर विचार किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि

भूमि बंदरगाह महिलाओं के लिए सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी हों। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सांख्यिकी सलाहकार श्री धृजेश कुमार तिवारी को ‘भारत में भूमि बंदरगाहों को लैंगिक रूप से विकसित करना: चुनिंदा एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपीएस) का लैंगिक मूल्यांकन और लेखा परीक्षा’ शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर साथ ही आईसीपीएस के लिए लैंगिक ऑडिट टूलकिट भी जारी किया गया था।



II. साइप्रस में 22–24 फरवरी, 2024 को ‘जेंडर बजटिंग: उपलब्धियां, चुनौतियां, भावी कार्यनीति’ पर यूरोपीय सम्मेलन आयोजित किया गया

5.28 मंत्रालय को साइप्रस के राष्ट्रपति के तत्वावधान में 22–24 फरवरी 2024 को साइप्रस जेंडर बजटिंग प्लेटफॉर्म द्वारा निकोसिया, साइप्रस में आयोजित ‘जेंडर बजटिंग: उपलब्धियां, चुनौतियां, भावी कार्यनीति’ पर यूरोपीय सम्मेलन में ऑनलाइन भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि कुछ सर्वोत्तम पद्धतियों और भारत द्वारा जेंडर बजटिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को साझा किया जा सके। सम्मेलन का उद्देश्य (i) यूरोपीय संघ के देशों और अन्य यूरोपीय देशों को अपने देश में जेंडर बजटिंग के संबंध में चुनौतियों और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का अवसर देना, (ii) प्रतिभागियों के बीच सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान में योगदान करना; (iii) उपयोग की जाने वाली पद्धतियों और उन्हें

कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करना था। श्री धृजेश कुमार तिवारी, सांख्यिकी सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 23 फरवरी, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुए।

III. नई दिल्ली में 18–19 मार्च 2024 को जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

5.29 अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान) ने 18–19 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता निर्माण के उद्देश्य से आईआईसी, नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। श्री धृजेश कुमार तिवारी, सांख्यिकी सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 18 मार्च 2024 को प्रतिभागियों को संबोधित किया और उन्हें लैंगिक समानता तथा महिला-नेतृत्व वाले विकास के लिए जेंडर बजटिंग को सुदृढ़ करने के मंत्रालय के कई प्रयासों से अवगत कराया। कार्यशाला को जेंडर बजट योजना के तहत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था।

छ: अन्य कार्यकलाप – वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

5.30 माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण 2019–20 (पैरा 78) के बाद 11 नवंबर, 2019 को मंत्रालय द्वारा जेंडर विश्लेषण और बजट के लिए एक व्यापक-आधार वाली समिति का गठन किया गया था। इस समिति की 'योजनाओं और बजट की जेंडर उत्तरदायित्व को बढ़ाना' की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और 1 मई, 2023 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को सौंप दिया गया।

5.31 नवंबर 2022 में मंत्रालय ने जीबीएस के प्रारूप और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने के लिए सुश्री दक्षिता दास, आईआरएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में अन्य विशेषज्ञों को शामिल कर जीबी विशेषज्ञों का एक कार्य समूह गठित किया था। इस कार्य समूह की रिपोर्ट 16 अगस्त, 2023 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को जीबीएस प्रारूप और बजट परिपत्र में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में अपनी सिफारिशों पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की गई ताकि उन्हें वित्त वर्ष 2024–25 से प्रभावी बनाया जा सके।



योजना, सांख्यिकी तथा अनुसंधान



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

योजना, सांख्यिकी तथा अनुसंधान

6.1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिलाओं एवं बच्चों का समग्र विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम तैयार करता है ताकि महिलाओं और बच्चों के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर इनका सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और आगे सुधार की जरूरत का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर निगरानी एवं मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अतएव, इसके लिए एक दक्ष सांख्यिकीय प्रणाली जरूरी होती है। साथ ही मंत्रालय की योजनाओं तथा नीतियों तथा पहलों के समुचित नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीय आंकड़ों और गुणवत्तापूर्ण सूचना का संकलन जरूरी होता है जिसे सांख्यिकीय प्रणाली में दर्ज किया जा सके।

6.2 अपने अधिदेश के तहत तय लक्ष्य हासिल करने के लिए मंत्रालय परिस्थितिजन्य विश्लेषण के साथ ही 'अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी स्कीम' के माध्यम से अपने चल रहे कार्यक्रमों के अनुसंधान पर जोर देता है। ऐसे विश्लेषण से प्राप्त फीडबैक मौजूदा योजनाओं के संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में मूल्यवान इनपुट का कार्य करता है।

6.3 प्रमुख नीतियों के निरूपण के साथ महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण तथा उन्नति के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर विशाल और बहु-स्तरीय नौकरशाही व्यवस्था की जरूरत होती है। इसलिए, बुनियादी स्तर पर स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित लोगों की शिकायतों की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

6.4 मंत्रालय ने इन संभावनाओं पर विचार करते हुए बुनियादी स्तर पर विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। शिकायतों के बारे में समुचित जानकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के सुगम कार्यान्वयन में सुधारात्मक कदम उठाने में सहायक हो सकती है।

6.5 अतएव, मंत्रालय के सांख्यिकीय ब्यूरो को महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण और विकास के क्षेत्रों में सार्थक अनुसंधान प्रायोजित करने, सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण और संकलन करने तथा लोक शिकायतों और समस्याओं के निवारण हेतु एक तंत्र के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।

6.6 सांख्यिकी ब्यूरो इस मंत्रालय से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए हितधारकों के साथ समन्वय भी करता है। इस ब्यूरो को तीन चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक (जीजीजीआई), लिंग असमानता सूचकांक (जीआईआई) एवं वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) में भारत के निष्पादन की निगरानी और सुधार की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रयास में इस मंत्रालय में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है। इस मंत्रालय के लिए डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) में अग्रणी अंक हासिल करने के लिए यह ब्यूरो इस मंत्रालय के सभी प्रभागों के समन्वय से डीजीक्यूआई कार्य योजना को लागू करता है। इस उद्देश्य से मंत्रालय में डेटा कार्यनीति इकाई (डीएसयू) की एक समर्पित टीम शामिल की गई है।

I. अनुसंधान तथा प्रकाशन और निगरानी स्कीम के लिए अनुदान सहायता

6.7 अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी स्कीम हेतु सहायता अनुदान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके माध्यम से मंत्रालय महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों, उनके खाद्य तथा पोषाहार पहलुओं सहित कल्याण तथा विकास पर विविध अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करता है। योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों तथा सूचना अंतराल को दूर करने के लिए तत्काल सार्वजनिक पहल की अपेक्षा वाली सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त किस्म की अनुसंधान परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसी पहल की सफलता के लिए जिम्मेदार बहुमुखी कारकों या मंत्रालय के समक्ष बुनियादी स्तर पर मौजूद चुनौतियों को समझने के लिए महिलाओं और बच्चों से जुड़े विविध मुद्दों पर अनुसंधान कार्य आवश्यक है।

6.8 इस स्कीम के तहत किसी संस्थान या संस्थानों के समूहों को एक या निकटता से जुड़े एक से अधिक विद्वानों द्वारा विशिष्ट अनुसंधान कार्य करने के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान किए जाते हैं। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों तथा व्यावसायिक संघों जैसे संस्थानों और समान प्रकार के संगठनों/एजेंसियों जिनमें उन पर अनुसंधान करने की क्षमता हो, को ऐसा करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित संस्थान भी अनुसंधान अनुदान पाने के पात्र हैं। अनुदान की पात्रता के लिए स्वैच्छिक संगठन के पास पंजीकरण के बाद तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुदान के लिए प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसंधान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं।

II. वैश्विक सूचकांक

6.9 सांख्यिकी ब्यूरो निगरानी और तीन वैश्विक सूचकांकों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (जीजीजीआई),

लिंग असमानता सूचकांक (जीआईआई) और ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) पर भारत के प्रदर्शन में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुधारों और प्रगति के लिए उपायों के रूप में वैश्विक सूचकांकों का लाभ उठाने की सरकार की पहल को लागू करने के लिए जीजीजीआई, जीआईआई और जीएचआई में भारत के निष्पादन को ट्रैक करने तथा सुधार लाने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, इस मंत्रालय ने इन सूचकांकों के मापदंडों के लिए मौजूदा डेटा अंतराल, सुधार के क्षेत्रों एवं सुधार कार्यों की पहचान करते हुए, कार्य योजना तैयार करके, तकनीकी सहयोग और सहायता के लिए प्रकाशन एजेंसियों के साथ जुड़ते हुए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करते हुए स्वदेशी सूचकांकों के निरूपण का कार्य किया है।

6.10 इन सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधारने के लिए मंत्रालय ने दोहरी कार्यनीति अपनाई है। पहला, सूचकांक स्कोर की गणना में तथ्यात्मक रूप से सही और अद्यतन भारतीय डेटा मान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत की वैश्विक स्थिति यानी वैश्विक सूचकांकों की प्रकाशन एजेंसी और संघटक मापदंडों की डेटा स्रोत एजेंसियों की भागीदारी से उपरोक्त सूचकांकों में रैंकिंग की निगरानी करना। दूसरा, संबंधित मापदंडों की स्थिति में सुधार के लिए हितधारकों के परामर्श से उपयुक्त सुधारों की पहचान करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचकांक के मापदंडों में सुधार के लिए सुधारों की पहचान करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए केंद्र और राज्यों के विभागों के साथ समन्वय करने के लिए लैंगिक/क्षेत्रों के मंत्रालयों संघ राज्य/सूचकांक समन्वय समिति (जीआईसीसी का गठन किया है।

III. इंटरनशिप प्रोग्राम

6.11 सांख्यिकी ब्यूरो मंत्रालय की अनुसंधान प्रकाशन और निगरानी योजना के अंतर्गत भारत के गैर-टियर-१ शहरों और ग्रामीण भागों से 21 से 40 वर्ष के आयु वर्ग की महिला छात्रों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों के लिए एक इंटरनशिप कार्यक्रम आयोजित कर

रहा है जिसका उद्देश्य उन्हें मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों में शामिल करना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष के दौरान दो माह की अवधि के लिए उपलब्ध है।

6.12 इंटरनशिप कार्यक्रम के संशोधित दिशानिर्देश अप्रैल, 2023 में जारी किए गए थे। प्रशिक्षु अल्पकालिक संघों के माध्यम से मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों के संपर्क में आते हैं जिसमें मंत्रालय की चल रही गतिविधियों पर केंद्रित पायलट परियोजनाओं या सूक्ष्म अध्ययनों को शुरू करने की संभावना शामिल है। इसका लक्ष्य प्रशिक्षु को मंत्रालय के अधिदेश, विशिष्ट कार्यक्रमों तथा नीति विश्लेषण की व्यापक समझ से लैस करना है, उन्हें विभिन्न प्लेटफार्मों पर महिलाओं और बच्चों के मुद्दों की वकालत करने के लिए सशक्त बनाना है।

6.13 प्रत्येक प्रशिक्षु को 20,000/- रुपये प्रतिमाह का एकमुश्त छात्रवृत्ति, मंत्रालय में कार्यक्रम में शामिल होने और कार्यक्रम के अंत में घर वापस लौटने के लिए यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन के रूप में ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल सुविधा प्रदान की जाती है।

IV. लोक शिकायत

6.14 शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासन के जवाबदेही तंत्र का एक अभिन्न अंग होता है। भारत सरकार लोक शिकायतों (पीजी) और उनके निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मंत्रालय को उत्तरदायी और लोगों के अनुकूल बनाने की दृष्टि से मंत्रालय में एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। मंत्रालय में प्राप्त लोक शिकायतों का जवाब उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। लोक शिकायत अपीलों के निपटान के लिए अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय के निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के लिए सभी ब्यूरो प्रमुखों को लोक शिकायत अपीलों के निपटान के लिए उप-अपीलीय प्राधिकारी के

रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक प्रभाग/अनुभाग और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके प्रभागों/कार्यालयों से संबंधित लोक शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के रूप में नामित किया गया है।

6.15 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सचिव (डब्ल्यूसीडी) द्वारा साप्ताहिक आधार पर लोक शिकायतों के निपटान की स्थिति की निगरानी की जाती है।

क. लोक शिकायत— ऑनलाइन मोड

6.16 वर्तमान में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएपीआरजी) के पीजी पोर्टल <https://pgportal.gov.in/cpgoffice> से प्राप्त मंत्रालय से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों को निपटाने के लिए निम्नलिखित तंत्र का अनुपालन किया जा रहा है: (i) सीधे जनता से, या (ii) प्रधानमंत्री कार्यालय, (iii) राष्ट्रपति सचिवालय और (iv) डीएआरपीजी से अग्रेषित:

- i. दैनिक आधार पर, लोक शिकायत अधिकारी राष्ट्रीय वेब पोर्टल को एक्सेस करते हैं और विविध ब्यूरो से संबंधित लोक शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए छांटते हैं।
- ii. जिन आवेदकों के ई-मेल पते या मोबाइल नंबर नहीं होते, उन्हें पावती भेजी जाती है। कुछ आवेदकों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/एजेंसिज से उनकी शिकायत संबंधित हो, से संपर्क करने की भी सलाह दी जाती है।
- iii. पीजी अपीलों के संबंध में उन्हें निपटान के लिए संबंधित उप-अपीलीय प्राधिकारी को भेजा जाता है।
- iv. मंत्रालय में संबंधित जीआरओ द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट का रिकार्ड रखा जाता है।

ख. सीपीजीआरएएमएस संस्करण 7.0 का कार्यान्वयन

6.17 मई, 2022 में डीएआरपीजी ने शिकायत निपटारा तंत्र को स्ट्रीमलाइन करने और संबंधित कार्यालयों को

परे छोड़ते हुए सही निपटारा कार्यालय (स्वचालित) तक पहुंचने के लिए सीपीजीआरएएमएस सुधार संस्करण 7.0 की शुरुआत की है। सीपीजीआरएएमएस सुधार में नागरिक द्वारा शिकायत की उपयोगकर्ता के अनुकूल में दर्ज करवाना सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है और यह इसके निपटान हेतु उत्तरदायी क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचने के लिए शिकायत के निपटारों को सक्षम बनाता है। सीपीजीआरएएमएस संस्करण 7.0 प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं ये भी हैं कि ये नागरिक के अनुकूल हैं क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर द्वारा दिशानिर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया मौजूद है। इसके अतिरिक्त इसमें एस प्रकार की शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान है जिसे सीधे ही क्षेत्रीय स्तर तक स्वतः ही प्रेषित कर दिया जाएगा। इस प्रणाली में शिकायत निपटाने में लगने वाले समय में भी सुधार होगा और शिकायत निपटान ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सीपीजीआरएएमएस संस्करण 7.0 प्रणाली का कार्यान्वयन किया है और जुलाई 2022 के माह में सफलतापूर्वक प्रचालन किया है। इस संबंध में सचिव (डीएआरपीजी) से प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ है। सचिव, डीएआरपीजी ने इस संबंध में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की है।

6.18 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांग (2020-21) पर अपनी सौर्वी रिपोर्ट

में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश संख्या 38 के अनुपालन में, मंत्रालय ने डीएआरपीजी की सलाह के अनुसार अप्रैल 2023 के दौरान लोक शिकायतों के लिए नोडल अपीलीय प्राधिकरण के रूप में एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नामित किया है। मई 2023 के दौरान, पीजी अपीलों के निपटान के लिए सभी 37 उप-अपीलीय प्राधिकरणों के लिए लॉगिन आईडी बनाई गई थी।

ग. 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान जन शिकायतों और जन शिकायतों के निपटान की स्थिति

6.19 मंत्रालय शिकायतों और जन शिकायतों के निपटान का कुशलतापूर्वक निपटान कर रहा है। सीपीजीआरएएमएस मॉनिटरिंग डेस्क के अनुसार जनवरी 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए जन शिकायतों के निपटान का कुल प्रतिशत 95.53% था। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जन शिकायतों के कुशल तरीके से निवारण में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की।

6.20 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एवं निपटाए गए शिकायतों की प्रगति रिपोर्ट निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

निम्न से प्राप्त शिकायत स्रोत	पीछे से लाया गया	इस अवधि के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	इस अवधि के दौरान निपटाए गए कुल मामले	निपटान का %
सीधे जनता से (स्थानीय/इंटरनेट)	193	5795	5988	5737	95.81%
पीएमओ	42	2153	2195	2102	95.76%
डीएपीआरजी	2	69	71	69	97.18%
राष्ट्रपति सचिवालय	8	143	151	121	80.13%
पेंशन	3	23	26	25	96.15%
कुल	248	8183	8431	8054	95.53%

6.21 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए पीजी अपीलों की प्रगति रिपोर्ट निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

पीछे से लाया गया	इस अवधि के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्तियां	इस अवधि के दौरान निपटाए गए कुल मामले	निपटान का %
866	1750	2616	2502	95.64%

V. सतत विकास लक्ष्य

6.22 लैंगिक समानता के मुद्दे का हमारे देश के विकास के एजेंडा में मुख्य स्थान रहा है। 1 जनवरी, 2016 से आधिकारिक रूप में प्रभावी 'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड': सतत विकास का 2030 एजेंडा' नामक सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों से ऐसा प्रदर्शित होता है। इसमें विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों के क्षेत्रों में विस्तारित 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 सहायक लक्ष्य निहित हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के सशक्तीकरण और बच्चों के विकास के संबंध में सतत विकास लक्ष्यों के प्रति गंभीर है।

6.23 नीति आयोग को राष्ट्रीय लक्ष्यों और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मंत्रालय और संबंधित विभागों को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। सतत विकास लक्ष्यों और इसके सहायक लक्ष्यों की निगरानी के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और सिविल सोसायटी जैसे हितधारकों के परामर्श से 306 संकेतकों वाला राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तैयार किया गया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एसडीजी-1 'हर जगह से सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करने', एसडीजी-2 'भूख और सभी प्रकार का कुपोषण समाप्त करने एवं आगामी 15 वर्षों में कृषि पैदावार दोगुनी करने' तथा एसडीजी-5 'लैंगिक समानता हासिल करने तथा महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त बनाने' के राष्ट्रीय संकेतकों के प्रति गंभीर है।

6.24 यह मंत्रालय राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के निम्नलिखित संकेतकों के लिए आंकड़ों का स्रोत मंत्रालय है:

लक्ष्य	संकेतक
लक्ष्य 1 : हर जगह से सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करना	
1.3: सबके लिए राष्ट्रीय तौर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली व उपाय लागू करना और 2030 तक गरीबों तथा संवेदनशील लोगों को अधिक से अधिक शामिल करना।	1.3.2: समेकित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के तहत लाभार्थियों की संख्या 1.3.5रू प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पाने वाली आबादी (कुल पात्र आबादी में से) का अनुपात
1.ख: गरीबी उन्मूलन कार्यों में निवेश के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों के अनुकूल तथा लिंग-संवेदी विकास नीतियों पर आधारित ठोस नीतिगत ढांचा बनाना	1.ख.1: जेंडर बजट के तहत चिन्हित बजट का अनुपात
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता हासिल करना और महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना	
5.1: सभी महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति हर जगह होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना	5.1.1: लिंग (प्रतिशत) के आधार पर समानता और गैर-भेदभाव को बढ़ावा देने, लागू करने और निगरानी करने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है या नहीं
5.ग: सभी स्तरों पर लैंगिक समानता और महिलाओं तथा बालिकाओं के सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस नीतियों और लागू करने योग्य कानूनों को अपनाना तथा उन्हें सशक्त बनाना	5.ग.1: लैंगिक बजट प्रकोष्ठों (जीबीसी) वाले केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों की संख्या



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

7.1 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), जो निपसिड के नाम से लोकप्रिय है, महिला एवं बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्रवाई, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन है। निपसिड की स्थापना वर्ष 1966 में नई दिल्ली में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी क्षेत्र विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए गुवाहाटी (1978), बेंगलुरु (1980), लखनऊ (1982), इंदौर (2001) और मोहाली (2019) में इसके पांच क्षेत्रीय केंद्र हैं।

7.2 यह संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं उनके संरक्षण और महिला सशक्तीकरण एवं जेंडर के मुद्दों, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों – राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर जागरूकता लाने के लिए अनिवार्य एवं आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है। बाल विकास के जिन क्षेत्रों पर संस्थान इस समय जोर दे रहा है, उनमें मातृ और बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, बाल्यावस्था की अक्षमताएं, बच्चों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य और बाल देखरेख सहायता सेवाएं शामिल हैं। महिला विकास के क्षेत्र में संस्थान का कार्य प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रलेखन के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना है। संस्थान जेंडर आयोजना

एवं उसको मुख्यधारा में लाने, जेंडर बजटिंग, महिलाओं के आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण, जेंडर संबंधी हिंसा अर्थात् कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार, बाल विवाह आदि की रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

7.3 संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- i. सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यों को विकसित करना एवं बढ़ावा देना;
- ii. बाल विकास के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना और बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में कार्यक्रमों को विकसित करना और बढ़ावा देना;
- iii. सामाजिक विकास में सरकारी कार्रवाई के साथ-साथ स्वैच्छिक कार्रवाई के समन्वय के लिए उपाय विकसित करना; और
- iv. सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक रूपरेखा और परिप्रेक्ष्य विकसित करना।

7.4 निपसिड का विज्ञान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी और संपर्क विकसित करके और अपने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यकलापों को अपने विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाकर बाल अधिकार, बाल संरक्षण और बाल विकास के क्षेत्र में विश्वविख्यात संस्थान के रूप में उभरना है।

7.5 संस्थान में दो मुख्य संवैधानिक निकाय अर्थात सामान्य निकाय और कार्यकारी परिषद हैं। सामान्य निकाय संस्थान की समग्र नीतियां निरूपित करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इन दोनों निकायों में सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सामान्य निकाय और कार्यकारी परिषद की अध्यक्ष हैं।

7.6 संस्थान में दो विभाग हैं और प्रत्येक विभाग के प्रमुख एक-एक अपर निदेशक हैं, जिनके अंतर्गत छह प्रभाग कार्य कर रहे हैं:

क. मातृ देखरेख और बाल विकास विभाग

- बाल विकास
- जन सहयोग एवं बाल संरक्षण
- महिला विकास

ख. प्रशिक्षण और सामान्य सेवा विभाग

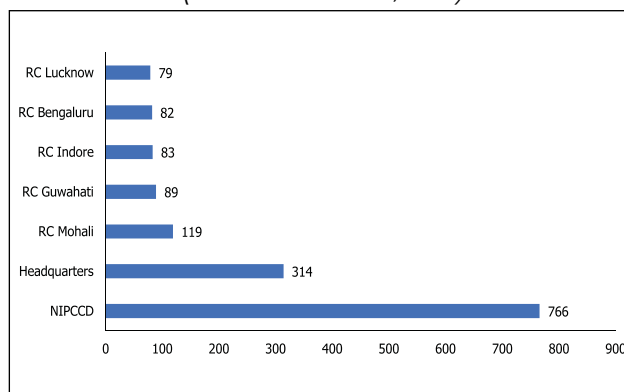
- प्रशिक्षण
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- सामान्य सेवाएं

ग. संस्थान की गतिविधियां

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम

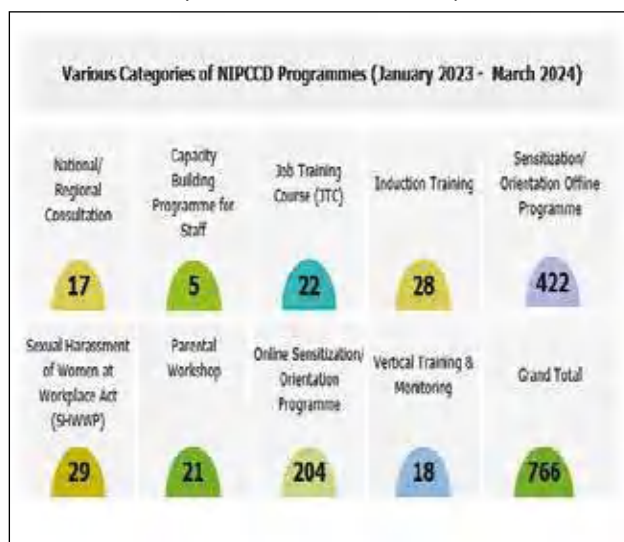
7.7 यह संस्थान अपने कार्यक्रमों को मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के साथ जोड़ते हुए, मुख्य गतिविधि के रूप में प्रशिक्षण पर महत्वपूर्ण जोर देता है। ये योजनाएं तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं: मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, जो कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि में, निपसिड ने कुल 479 प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड) आयोजित किए, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 2: एनआईपीसीसीडी द्वारा आयोजित कार्यक्रम (जनवरी 2023 – मार्च, 2024)



7.8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हैं: नौकरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रेरण प्रशिक्षण, कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिविन्यास/संवेदीकरण पाठ्यक्रम और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, और परामर्श/समीक्षा बैठकें (चित्र 2)।

चित्र 2: निपसिड कार्यक्रमों की विभिन्न श्रेणियां (जनवरी 2023 – मार्च, 2024)



कवरेज का दायरा समसामयिक, आवश्यकता-आधारित विषयों को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों तक बढ़ाया गया है।

7.9 प्रभावशाली ढंग से, कुल 32467 प्रतिभागियों ने जनवरी-मार्च 2024 तक 766 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में

भाग लिया। इन कार्यक्रमों में से, 19% (149 कार्यक्रम) अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना पदाधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित थे। **मिशन वात्सल्य** की तुलना में **बाल संरक्षण सेवाएँ** 22% (169 कार्यक्रमों) पहलों के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरी हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने सामाजिक प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए अपने प्रयासों का 13% (104 कार्यक्रम) **महिला विकास** से संबंधित कार्यक्रमों के लिए समर्पित किया। इसके अलावा, निपसिड ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं सहित **बाल विकास** से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 18: (140 कार्यक्रम) आयोजित किए (चित्र 3)।

7.10 यह बहुआयामी दृष्टिकोण एक व्यापक कार्यनीति के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर बच्चों और समुदाय दोनों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रमों का वितरण एक संतुलित और समावेशी एजेंडा को दर्शाता है, जो सामाजिक कल्याण और भलाई को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखित होता है।

चित्र 2: एनआईपीसीसीडी द्वारा आयोजित थीम-वार कार्यक्रम (जनवरी 2023 – मार्च, 2024)

	No. of Programmes	No. of Participants
Saksham Anganwadi	149	5,612
Mission Vatsalya	169	8,152
Mission Shakti	104	4,674
Child Development	140	6,731
PBPB	186	6,604
Others	18	623
	766	32,476

ख. **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) के तहत प्रमुख उपलब्धियाँ**

i. **“नवचेतना— जन्म से तीन वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के प्रोत्साहन के**

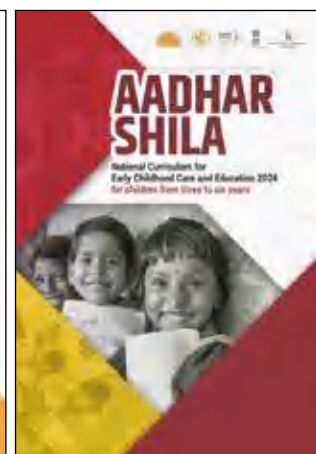
लिए राष्ट्रीय ढांचा, 2024” और “आधारशिला – तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024” का निर्माण।

7.11 देशभर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों तक पहुंचने में भारत की 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की भूमिका अमूल्य है। समर्पित आंगनवाड़ी दीदियों को सशक्त बनाने और सभी बच्चों के लिए इष्टतम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा के नवीनतम विज्ञान पर आधारित एक प्रासंगिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता को स्वीकारता है। इस प्रयास में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने “नवचेतना – जन्म से तीन वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय ढांचा, 2024” और “आधारशिला – तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024” आरंभ किया है।

ii. **नवचेतना** का उद्देश्य सेवा और वापसी के सिद्धांतों, देखरेख करने वालों के तीन कार्यों: प्रेम, बात, खेल और सकारात्मक मार्गदर्शन के आधार पर जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों को समग्र रूप से विकसित करने में मदद करना है। दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, समावेशन और रेफरल पर विशेष ध्यान दिया गया है। फ्रेमवर्क, बच्चों को उनके दीर्घकालिक विकास के लिए एक सीढ़ी प्रदान करता है जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे समान स्तर पर अपनी सीखने की यात्रा शुरू करें। पहली बार, इसमें सामाजिक-भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई और मोटर विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए महीनों में बच्चे की उम्र के आधार पर की जाने वाली लगभग 140 गतिविधियों की रूपरेखा दी गई है। इस प्रकार इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़े सार्वजनिक वीमेन-लेड बाल देखरेख कार्यबल, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को

बाल्यावस्था के प्रोत्साहन के लिए अधिक ज्ञान और क्षमताओं के साथ सशक्त बनाना है।

- iii. **आधारशिला** एक प्रासंगिक पाठ्यक्रम की अत्यधिक आवश्यकता से प्रेरित है जो विशेष रूप से आंगनवाड़ी शिक्षकों को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ईसीसीई अनुसंधान पर आधारित एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सभी शिक्षण क्षेत्रों को कवर करते हुए योग्यता-आधारित पाठ योजनाओं और लगभग 150 गतिविधियों को प्राथमिकता देकर, आंगनवाड़ी केंद्र में की जाने वाली प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसमें शामिल है कि बच्चे कैसे सीखते हैं अर्थात् प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मकता के दृष्टिकोण तथा सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना एवं सकारात्मक सीखने की आदतें। यह केंद्र और घर में, इनडोर और आउटडोर, बच्चों के नेतृत्व वाली और शिक्षक के नेतृत्व वाली गतिविधियों आदि सहित गतिविधियों के मिश्रण के माध्यम से खेल-खेल में सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें हर गतिविधि में दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, समावेशन और रेफरल पर विशेष ध्यान दिया गया है।



- iv. **पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी ने 10 मई, 2023 को मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम "पोषण भी पढ़ाई भी" का उद्घाटन किया। पीबीपीबी एक अग्रणी ईसीसीई कार्यक्रम है जिसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, भारत को आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्री-स्कूल नेटवर्क विकसित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम के तहत, आंगनवाड़ी केंद्रों में सीखने के लिए 'डू-इट-योरसेल्फ' (डीआईवाई) और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खिलौनों के विकास और उपयोग के माध्यम से बचपन की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा और अच्छे पोषण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं।



7.12 एक दो स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल का पालन किया जा रहा है जिसमें निपसिड सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों सहित 40618 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। दूसरे स्तर में, ये मास्टर ट्रेनर पोषण और बचपन की प्रारंभिक शिक्षा दोनों को कवर करते हुए खेल-आधारित शिक्षाशास्त्र के माध्यम से देश भर में तीन दिवसीय मॉड्यूल में 13.1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। पोषण भी पढाई भी में समावेशन के अधिकार से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं और इसमें नवंबर 2023 में दिव्यांग बच्चों के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल को भी संबोधित किया गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रशिक्षण में स्क्रीनिंग, समावेशन और रेफरल के तीन चरणों के साथ-साथ प्रोटोकॉल के संचालन में विभिन्न पदाधिकारियों (डीएम, डीपीओ, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और समुदाय के सदस्यों) की भूमिका भी शामिल है। इसी प्रकार, कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन (सीएमएम) के लिए हाल ही में जारी प्रोटोकॉल को पीबीपीबी कार्यक्रम

में विधिवत शामिल किया गया है। प्रोत्साहन गतिविधि कैलेंडर (0-3 वर्ष), गतिविधि कैलेंडर (3-6 वर्ष) और 3-6 वर्षों के लिए साप्ताहिक खेल आधारित कैलेंडर (शुरुआत के 4 सप्ताह + सक्रिय सीखने के 36 सप्ताह + सुदृढीकरण के 8 सप्ताह) के प्रसार के माध्यम से पीबीपीबी के तहत क्षमता निर्माण से आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर आधारित और नवचेतना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

7.13 पीबीपीबी को प्रशिक्षण सामग्री और कार्यान्वयन मॉडल का परीक्षण करने के लिए देश के 10 उत्कर्ष जिलों में संचालित किया गया है। इसके लॉन्च के बाद से, पीबीपीबी पर पायलट उत्कर्ष जिलों सहित 100 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम (चित्र 3) की एक प्रभावशाली संख्या आयोजित की गई है, जो अब तक निपसिड द्वारा आयोजित कुल कार्यक्रमों का 24% है। आंगनवाड़ी सेवा योजनाओं के तहत 6604 कार्यकर्ताओं की कुल भागीदारी के साथ 32 राज्यों के 186 जिलों में प्रशिक्षण शुरू किया गया है (डेटा 31 मार्च, 2024 तक)।

तालिका 1: पीबीपीबी पर 10 उत्कर्ष जिलों में पायलट प्रशिक्षण की झलकियाँ



7.14 निपसिड ने आंगनवाड़ी सेवा योजना के 82 पदाधिकारियों की कुल भागीदारी के साथ 18-20 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में पोषण भी पढाई भी पर अपना पहला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईसीसीई के महत्व पर प्रकाश डाला गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खेल-आधारित शिक्षाशास्त्र द्वारा बच्चों के लिए गतिविधियों को संचालित करने की जानकारी मिली। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी इस अभिनव पहल की सफलता के लिए हितधारकों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो एक स्वस्थ और अधिक शिक्षित पीढ़ी के पोषण की दिशा में एक ठोस प्रयास को दर्शाती है।



7.15 निपसिड मुख्यालय, जीसी, रामपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा 30-31 अक्टूबर, 2023 तक 'आंगनवाड़ी सेवा योजना के कार्यकर्ताओं के लिए प्री-स्कूल बच्चों की देखभाल और शिक्षा के महत्व' पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



7.16 मिशन वात्सल्य के हिस्से के रूप में, 30 जून, 2023 को निपसिड, नई दिल्ली द्वारा बाल संरक्षण पर डीएम/एडीएम के लिए एक ऑनलाइन राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई जिसमें 300 अधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही, नई दिल्ली में निपसिड में बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए एक परामर्श बैठक के आयोजन की दिशा में भी प्रयास किए गए। इस आयोजन ने न केवल ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की, बल्कि जमीनी स्तर पर बाल कल्याण प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक सहयोगी वातावरण को भी बढ़ावा दिया। 24 से 25 अगस्त, 2023 तक निपसिड, नई दिल्ली में 'पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन' पर बहु-हितधारकों के लिए एक परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें 59 हितधारकों की सक्रिय भागीदारी रही।



7.17 दक्षिणी राज्यों के लिए एसएआरए/एससीपीएस और डीसीपीओ के कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए निपसिड क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु द्वारा जेजे (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और नियम, 2022 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। 23-24 नवंबर, 2023 को आयोजित इस बैठक में 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

7.18 **मिशन शक्ति**, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक व्यापक पहल है, जो महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की रोकथाम और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण जोर देती है। इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, **महिला पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला** 22 से 23 जून, 2023 तक निपसिड में आयोजित की गई। प्रतिभागियों में महिला हेल्प डेस्क कर्मी, दिल्ली मेट्रो के अधिकारी और साथ ही पुलिस नियंत्रण कक्ष वैन और पुलिस स्टेशनों के व्यक्ति भी शामिल थे। समूह की विविध संरचना ने इस व्यापक मुद्दे को सुलझाने के लिए अपनाए गए समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित किया।



7.19 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण रक्षा संपदा, पश्चिमी कमान, चंडीगढ़ के पदाधिकारियों के लिए 9 अक्टूबर, 2023 को निपसिड क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 127 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

ग. बीबीबीपी पर राष्ट्रीय कार्यशाला

i महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2-3 नवंबर, 2023 को निपसिड, नई दिल्ली में **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** पर

एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नवीनतम 'बीबीबीपी ऑपरेशनल मैनुअल' और इसके दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें सहभागी मंत्रालय के साथ क्षेत्रीय गतिविधियों पर जोर दिया गया।



7.20 'मिशन शक्ति – महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र' पर पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम 21 से 22 जुलाई, 2023 तक निपसिड, नई दिल्ली में राज्य नोडल अधिकारियों और राज्य मिशन समन्वयकों के लिए आयोजित किया गया। **मिशन शक्ति – महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र पर दूसरा क्षमता निर्माण कार्यक्रम** 20 अक्टूबर, 2023 को निपसिड क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु में राज्य नोडल अधिकारियों और राज्य मिशन समन्वयकों के लिए आयोजित किया गया।



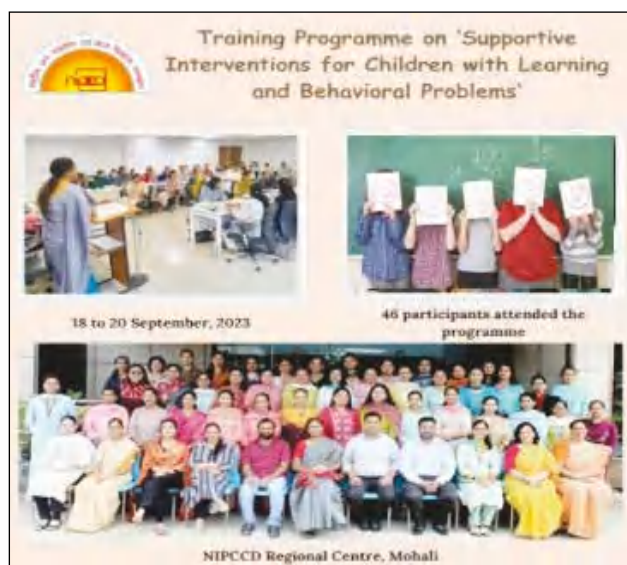
7.21 मिशन शक्ति के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला 12-13 सितंबर, 2023 तक क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती अमनीत पी. कुमार, भा. प्र.से., आयुक्त एवं सचिव, डब्ल्यूसीडी, हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था। इस कार्यशाला में कुल 57 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



7.22 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 11 जनवरी, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (एचईडब्ल्यू) और बीबीबीपी कन्वर्जेंस' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों सहित 85 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

7.23 दिनांक 4-5 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में निपसिड मुख्यालय में महिला हेल्पलाइन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में कुल 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मानव तस्करी को रोकने के प्रयासों में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, 'महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम' पर एक ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम 24-26 मई, 2023 तक निपसिड क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर में पुलिस और सीएसओ के लिए आयोजित किया गया।

7.24 'सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए सहायक पहल' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 से 21 सितंबर, 2023 तक निपसिड क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 46 प्रतिभागी मुख्य रूप से शिक्षक सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस पहल का उद्देश्य सीखने और व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को प्रभावी कार्यनीतियों से लैस करना है।



II. फ़ील्ड प्रदर्शन एवं परामर्श सेवाएँ

7.25 बाल मार्गदर्शन केंद्र (सीजीसी), राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (निपसिड) का एक अभिन्न अंग, जो उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने में दृढ़ है। जनवरी 2023 से मार्च 2024 के दौरान, क्षेत्रीय केंद्रों और मुख्यालयों में बाल मार्गदर्शन केंद्रों ने पर्याप्त आंकड़ों के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। केंद्रों पर आधिकारिक तौर पर उल्लेखनीय 600 नए मामले दर्ज किए गए, जो इसकी सेवाओं की निरंतर आवश्यकता का संकेत है। केंद्र के बहुआयामी दृष्टिकोण में न केवल नए मामले पंजीकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष पहल शामिल है, बल्कि इसमें चल रहे समर्थन के महत्व को भी रेखांकित किया गया है, जैसा कि अनुवर्ती मामलों की पर्याप्त संख्या से स्पष्ट है। बच्चों और अभिभावकों के लिए कुल मिलाकर 4100 परामर्श आयोजित किए गए।

7.26 किशोर मार्गदर्शन सेवा केंद्र (एजीएससी) 12–19 वर्ष की आयु के किशोरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, किशोरों के बीच सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। एक मजबूत किशोर मार्गदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, केंद्र युवा लोगों के स्वस्थ मनोसामाजिक विकास को सुगम बनाने के लिए परामर्श और सहायक पहल में सक्रिय रूप से संलग्न है। जनवरी 2023 से मार्च 2024 के दौरान, एजीएससी ने सहायता मांगने वाले किशोरों के 100 नए मामले दर्ज किए। इसके अलावा, एजीएससी ने विविध मूल्यांकन और चिकित्सीय पहलों को शामिल करते हुए उल्लेखनीय लगभग 900 परामर्श प्रदान किए।

III. महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

क. भारत पर्व, 2023 का उत्सव

7.27 निपसिड ने दिनांक 20 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले, नई दिल्ली में भारत पर्व, 2023 मनाते हुए एक स्टॉल का आयोजन किया जिसमें महिलाओं और बच्चों के विकास, सुरक्षा और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया।



ख. 14वां जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम

7.28 दिनांक 10–16 फरवरी, 2023 को निपसिड, लखनऊ के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा 14वां जनजातीय

युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा करना; उन्हें संविधान के अधिकारों, जीवन कौशल, कैरियर योजना, सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं आदि के बारे में उन्मुख करना था।

ग. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

7.29 निपसिड, नई दिल्ली ने शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया। इस जीवंत कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें समग्र स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया। यह उत्सव योग के लाभों को बढ़ावा देने, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण दोनों को बढ़ाने के वैश्विक मिशन के साथ जुड़ने की साझा प्रतिबद्धता के साथ आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम ने एकता के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, क्योंकि विविध प्रतिभागी समग्र कल्याण के लिए योग की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने हेतु एक साथ आए। योग एक अनुशासन है जिसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है। 21 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महिलाओं और बच्चों के लिए सभी निपसिड क्षेत्रीय केंद्रों पर आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गईं।



घ. निपसिड और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

7.30 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव और निपसिड की निदेशक सुश्री तृप्ति गुरहा और वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल की एमएस डॉ. वंदना तलवार के बीच 14 अगस्त, 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निदान और चिकित्सीय सेवाओं के बीच सहज कनेक्शन को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन इन बच्चों के लिए सहायता प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने, अंतराल को पाटने और निदान से आवश्यक चिकित्सीय हस्तक्षेप तक अधिक कुशल और प्रभावी मार्ग सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।



ङ. स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2023



7.31 स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 के हिस्से के रूप में, निपसिड मुख्यालय ने 1 अक्टूबर, 2023 को मां सारदा पार्क, हौज खास, नई दिल्ली में एक विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री इंदीवर पांडे, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय थे।

च. राष्ट्रीय एकता दिवस

7.32 कार्यक्रम के दौरान निपसिड के पूरे स्टाफ और संकाय ने एकता के साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए 'राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा' ली। सरदार वल्लभभाई पटेल के स्थायी आदर्शों को मनाने के इस सामूहिक प्रयास ने राष्ट्रीय एकता के महत्व को मजबूत किया, जिसकी गूंज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में उत्साही दौड़ के माध्यम से सुनाई दी।



छ. पालिका सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली में आईएसओडब्ल्यूए कार्निवल

7.32 निपसिड ने दिनांक 21 जनवरी, 2024 को, पालिका सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित

आईएसओडब्ल्यू कार्निवल के लिए एक सूचना प्रसार स्टॉल का आयोजन किया। इस स्टॉल ने कई योजनाओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और इन्फोग्राफिक ब्रोशर प्रदान किए।



ज. भारत पर्व, 2024 का उत्सव

7.33 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी पहलों का प्रदर्शन करते हुए लाल किले, नई दिल्ली के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व 2024 मनाया। निपसिड ने आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण, ईसीसीई, महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श केंद्रों पर स्टॉल लगाए।



झ. पोषण से पढ़ाई तक

7.34 दिनांक 1 मार्च, 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण से पढ़ाई तक पर आयोजित कार्यक्रम में, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत ईसीसीई के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई थी जिसमें पैनलिस्ट सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और निपसिड और विक्रमशिला से थे।



ञ. राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2024 का उत्सव

7.35 राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 पर निपसिड नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बालिका भविष्य को सशक्त बनाने के दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों का उत्सव मनाया! कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई और विशेष भाषण सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया।





राष्ट्रीय महिला आयोग



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

राष्ट्रीय महिला आयोग

I. परिचय

8.1 राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का गठन 31 जनवरी 1992 को महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा और प्रचार के लिए वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। संविधान और अन्य कानूनों के तहत आयोग को महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच और परीक्षण करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार को उपायों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। आयोग को संविधान के मौजूदा प्रावधानों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों की समीक्षा करने और ऐसे कानूनों में किसी भी कमी/या अपर्याप्तता को पूरा करने के लिए संशोधन की सिफारिश करने का भी अधिकार है; शिकायतों पर ध्यान देना और महिलाओं के अधिकारों से वंचित होने आदि से संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना और इन्हें सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष उठाना; महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर शोध अध्ययन करना, पुलिस अधिकारियों को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाना, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करना, जहां महिलाओं को हिरासत में रखा जाता है उस स्थान की जेलों, रिमांड गृहों आदि का निरीक्षण करना और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्यवाई करना।

8.2 आयोग की महत्वपूर्ण गतिविधियों में महिलाओं के अधिकारों से वंचित होने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का निवारण है। आयोग द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विभिन्न मामलों

की जांच की गई है और कई मामलों में अत्याचार से प्रभावित महिलाओं को तत्काल राहत प्रदान की गई है। यह आयोग, शिकायतों से निपटने/प्रक्रिया के समय, राज्य पुलिस अधिकारियों, राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि के साथ सहयोग का लाभ उठाता है। ताकि जेल/रिमांड गृहों में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए आयोग स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक कल्याण आदि पर सुझाव, सलाह और उपाय प्रदान करता है ताकि उनके साथ मानवीय तरीके से व्यवहार किया जा सके।

II. प्राप्त हुई और निवारण की गई शिकायतों का विवरण

- i. 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान, आयोग के सीएंडआई सेल ने एनसीडब्ल्यू के अधिदेश के भीतर आने वाली कुल 34,998 शिकायतें/मामले दर्ज किए।
- ii. उपर्युक्त अवधि के दौरान आयोग द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के राज्य-वार और प्रकृति-वार वितरण का ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक—XVII** और **अनुलग्नक—XVIII** में संलग्न है।
- iii. महिला जन सुनवाई: शिकायतों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, आयोग डीएलएसए और राज्य/जिला पुलिस अधिकारियों के सहयोग से महिला जन सुनवाई आयोजित कर रहा है।
- III. **24x7 एनसीडब्ल्यू महिला हेल्पलाइन — 7827170170**

8.3 27 जुलाई, 2021 को आयोग ने 24X7 हेल्पलाइन-7827170170 शुरू की जिसका उद्देश्य संबंधित पुलिस, अस्पतालों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों और मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि के साथ संकट में फंसी महिलाओं को जोड़कर रेफरल के माध्यम से ऑनलाइन सहायता प्रदान करना है। 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक हेल्पलाइन में प्राप्त हुई कुल कॉल 2,72,807 थीं।

IV. एनआरआई शिकायतों का निवारण

8.4 एनआरआई सेल को देश से और विदेश में रहने वाली महिलाओं से एनआरआई विवाह से संबंधित मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, परित्याग, दहेज की मांग, प्रतिवादियों के देश छोड़ने की आशंका, पति और ससुराल वालों द्वारा पासपोर्ट जब्त करने, बच्चे की हिरासत के मुद्दे, विदेश मंत्रालय की योजना के तहत वित्तीय और कानूनी सहायता, रखरखाव, विदेश में दस्तावेजों से संबंधित सहायता, पति के स्थान का पता नहीं होना और पत्नी की विदेश में जीवनसाथी के साथ रहने में असमर्थता आदि से संबंधित हैं।

8.5 एनसीडब्लू एनआरआई वैवाहिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए मुख्य रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के बीच अभिसरण दृष्टिकोण अपनाता है। पीड़ित महिलाओं द्वारा आरंभ की गई कानूनी सहायता की प्रक्रिया को विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय के माध्यम से तेज किया जाता है और ऐसे प्राधिकरणों अर्थात् संबंधित पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदेश स्थित भारतीय दूतावासों और मिशनों और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (विदेश मंत्रालय) से **कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)** मांगी जाती है। दिनांक 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और अन्य को 2879 पत्र जारी किए गए हैं।

8.6 ये शिकायतकर्ताओं/उत्तरजीवियों को कानूनी पेशेवरों और परामर्शदाताओं द्वारा **मनोवैज्ञानिक—सामाजिक और कानूनी परामर्श** भी प्रदान किया जाता

है, जब वे व्यक्तिगत रूप से आयोग से संपर्क करते हैं और इन मामलों को निपटाने के दौरान एनआरआई सेल द्वारा की गयी पहलों से भी अवगत कराया जाता है। इस अवधि के दौरान, दैनिक आधार पर एनआरआई सेल द्वारा टेलीफोन पर परामर्श के अलावा लगभग **59 वॉक-इन शिकायतकर्ताओं** को परामर्श दिया गया है।

8.7 जहां कहीं संबंधित प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई या पक्षकारों के बीच सुलह के संबंध में अपेक्षित होता है वहां आयोग में पंजीकृत मामलों में आवश्यक पहल के लिए सुनवाई भी आयोजित की जाती है। इस दौरान करीब **17 मामलों की सुनवाई हो चुकी है।**

8.8 **1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान, एनआरआई सेल को कुल 638 नई शिकायतें मिली हैं और आयोग ने सभी शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।** इस अवधि के दौरान आयोग गैर-निवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों में बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करने में सफल रहा है जिन्होंने आयोग से राहत की मांग की थी।

8.9 नीचे दी गई तालिका एनआरआई सेल के पास पंजीकृत शिकायतों के वर्षवार विवरण का सारांश प्रदान करती है

क्रं सं	अवधि	प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या
1.	1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर, 2023	523
2.	1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024	115
	कुल (1 जनवरी, 2023—31 मार्च, 2024)	638

8.10 आयोग का एनआरआई प्रकोष्ठ व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने और एनआरआई विवाहों में शामिल विभिन्न मुद्दों के कारण प्रभावित भारतीय महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की प्रभावकारिता पर

विचार-विमर्श शुरू करने के लिए समय-समय पर कार्यक्रम/सेमिनार और परामर्श/बैठक भी आयोजित करता है। कानून और क्षेत्राधिकार के टकराव के कारण पीड़ित महिलाओं को पर्याप्त राहत प्राप्त करने में आने

वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, एनआरआई सेल ने निम्नलिखित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए:

क्रं सं	कार्यक्रम का नाम	राज्य	कार्यक्रमों की संख्या
1.	एनआरआई विवाह – क्या करें और क्या न करें – आगे की राह	पंजाब	14
2.	एनआरआई वैवाहिक मुद्दों में भारतीय महिलाओं के अधिकार	केरल	05
3.	एनआरआई वैवाहिक मुद्दों में भारतीय महिलाओं के अधिकारों पर सामाजिक – कानूनी सशक्तिकरण	आंध्र प्रदेश	02
4.	एनआरआई विवाह – क्या करें और क्या न करें – आगे की राह	गुजरात	05
5.	एनआरआई वैवाहिक मुद्दों में भारतीय महिलाओं के अधिकार	दिल्ली	02

V. घटनाओं/मामलों का स्वतः संज्ञान

8.11 **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के अंतर्गत** राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन न करने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर मामलों का स्व-पेररणा से संज्ञान लेता है। सामान्यतः इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाती है। हालांकि किसी महिला के विरुद्ध किए गए जघन्य अपराध के मामलों में आयोग द्वारा जांच समितियों/तथ्य खोज दलों का गठन किया जाता है जो अपराध में कथित रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए आयोग को अपनी सिफारिशें/निष्कर्ष प्रस्तुत करती हैं जिन्हें आगे उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जाता है।

8.12 उन मामलों की संख्या का विवरण जहां आयोग

द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है, उन मामलों की संख्या जहां कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक बंद किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

स्वतः संज्ञान वाले मामलों की संख्या	प्राप्त हुई एटीआर की संख्या (पुराना और नया)	बंद किए गए मामलों की संख्या (पुराने और नए)	जांच समिति/तथ्य खोज दल गठित
351	670	167	23

VI. कानूनी मुद्दे पर विचार-विमर्श

क. “परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984” पर कानून की समीक्षा पर रिपोर्ट

8.13 आयोग ने “परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984” से संबंधित कानून में व्यापक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोण को शामिल करने के

लिए पांच क्षेत्रीय हितधारक परामर्श के माध्यम से “परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984” की समीक्षा की। इन परामर्शों से बनी समेकित रिपोर्ट को दिनांक 01.06.2023 के डीओ संख्या 06—05/64/2022—2023/एनसीडब्ल्यू (एल) के माध्यम से एमडब्ल्यूसीडी और कानून और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था, जिसमें महिलाओं के हित को और बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्य संशोधनों का सुझाव दिया गया था।

ख. “मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर कानून की समीक्षा — मुस्लिम पर्सनल लॉ की समीक्षा” पर परामर्श

8.14 आयोग ने संशोधन के लिए विशिष्ट सिफारिशें तैयार करने और महिलाओं के लिए कानून की पहुंच बढ़ाने और समाज में उनके दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ पर फिर से विचार करने के लिए क्षेत्रीय कानून समीक्षा परामर्श आयोजित किए।

भारत में मुस्लिम महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए “मुस्लिम महिलाओं के अधिकार: मुस्लिम पर्सनल लॉ की समीक्षा” के संबंध में व्यवहार्य सिफारिशों के सुझाव वाली समेकित रिपोर्ट को डीओ संख्या 06—05/29/2023—24/एनसीडब्ल्यू (एल) दिनांक 07.08.2023 द्वारा मंत्रालय को भेजा गया था।

ग. ‘भारत में समुदाय के बाहर विवाह और तलाक कानूनों’ की समीक्षा

8.15 भारत में विवाह और तलाक से संबंधित विविध कानून हैं, जो देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। किसी के धार्मिक समुदाय पर लागू विशिष्ट पर्सनल लॉ को समझना व्यक्तियों के लिए आवश्यक है।

8.16 भारत में विविध समुदायों के पास धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर विवाह और तलाक के अपने कानून हैं। ये कानून वैवाहिक संबंधों को विनियमित करने और नियंत्रित करने और विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, इन कानूनी ढांचे के भीतर

चुनौतियों का समाधान करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा करने और सुधार की आवश्यकता है।

8.17 इस संबंध में आयोग ने देश के प्रमुख राष्ट्रीय विधि संस्थानों के सहयोग से चार क्षेत्रीय स्तर के परामर्श आयोजित किए, जिनका उद्देश्य संशोधनों के लिए विशिष्ट सिफारिशें तैयार करने और कानूनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कानून और संबद्ध कानूनों की फिर से जांच करना था।

घ. ‘संपत्ति कानून के तहत महिलाओं के अधिकार’ की समीक्षा

8.18 आर्थिक स्वतंत्रता, समग्र सामाजिक प्रगति और महिलाओं के सशक्तिकरण पर संपत्ति कानून के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनसीडब्ल्यू ने विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और संस्कृतियों के हितधारकों के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए, यह देखते हुए कि कई क्षेत्र विशिष्ट, राज्य-विशिष्ट, धर्म-विशिष्ट और संस्कृति-विशिष्ट ऐसे विचार हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है, ताकि कानून को अधिक समावेशी और मजबूत बनाया जा सके। पिछला परामर्श जून 2024 में निर्धारित किया गया।

VII. पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहल

- I. गुवाहाटी, असम में 25 मई, 2023 को “महिला और स्वास्थ्य, एक समग्र और जीवन-चक्र दृष्टिकोण” पर संगोष्ठी।
- II. शिलांग, मेघालय में 23 जून, 2023 को “एकल माताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति” पर संगोष्ठी।
- III. 27 जुलाई, 2023 को आइजोल, मिजोरम में “घरेलू कामगारों और अन्य की सुरक्षा” पर संगोष्ठी।
- IV. 7 अगस्त, 2023 को तेजपुर विश्वविद्यालय, असम में बुनकरों की बैठक।

- V. 5 अक्टूबर, 2023 को कोहिमा, नागालैंड में "मादक द्रव्यों के उपभोग और महिलाओं पर इसके प्रभाव" पर संगोष्ठी
- VI. 27 अक्टूबर को आइजोल, मिजोरम में "मिजोरम में महिलाओं के बीच एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर जागरूकता" पर संगोष्ठी
- VII. इंदिरा गांधी सरकारी कॉलेज द्वारा अरुणाचल प्रदेश में महिला किसानों पर सेमिनार दिनांक 11.11.2023 को आयोजित किया जाएगा।
- VIII. नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी, शिलांग के साथ स्वास्थ्य में महिलाओं पर सेमिनार 17.11.2023 को शिलांग, मेघालय में आयोजित किया जाएगा
- IX. केके हंडिक्वी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, असम के साथ निर्णय लेने में महिलाओं पर सेमिनार 30. 11.2023 को आयोजित किया जाएगा
- X. जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान के साथ स्वास्थ्य में महिलाओं पर सेमिनार 18 दिसंबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा
- XI. त्रिपुरा के राज्य महिला आयोग के साथ धलाई में चाय बागान श्रमिकों पर सेमिनार —8.01.2024
- XII. वेलफेयर सोसाइटी, असम के साथ सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों पर सेमिनार 23.02.2024
- XIII. त्रिपुरा राज्य महिला आयोग के साथ त्रिपुरा में महिला किसानों के सशक्तिकरण पर संगोष्ठी — 29. 02 .2024
- XIV. 18 जनवरी, 2024 को गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर राज्यों के डब्लूसीडी और एससीडब्लू सचिवों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन

VIII. नीति निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ

8.19 प्रत्येक वर्ष, आयोग सरकार, अर्ध सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, अकादमिक और अनुसंधान संगठनों आदि का सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं और अनुसंधान अध्ययन के लिए सहयोग

करता है ताकि वर्तमान मुद्दों से संबंधित लिंग विशिष्ट विषयों पर एनसीडब्ल्यू अधिनियम, 1990 की धारा 10 के तहत अधिदेश को लागू करने के लिए किए जा सकें।

8.20 वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार के लिए स्वीकृत विषय हैं:

- i) महिला और स्वास्थ्य
- ii) कॉरपोरेट्स में निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका
- iii) प्रवासन के संबंध में महिला किसान/दैनिक मजदूर
- iv) यौनकर्म और उनके बच्चे (कानूनी, शैक्षिक, स्वास्थ्य और व्यावसायिक चुनौतियां)
- v) अधिसूचना रद्द की गयी जनजातियों की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

IX. जेलों/हिरासत गृहों और मनोरोग संस्थानों का निरीक्षण

क. मनोरोग गृह और हिरासत गृह सुधार (पीएचसीएचआर):

8.21 पीएचसीएचआर सेल की स्थापना 2017—2018 में देश में जेलों और मनोरोग गृहों के निरीक्षण के उद्देश्य से की गई थी। प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना और कारागार/हिरासत गृहों और मनश्चिकित्सीय गृहों/मानसिक अस्पतालों में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें तैयार करना है। इसके अलावा, उन सभी संस्थानों/आश्रय गृहों, अर्थात् स्वाधारगृह, वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला गृहों आदि में जहां महिलाओं को रखा जाता है उनका सख्ती से निरीक्षण किया जाता है।

8.22 पीएचसीएचआर प्रकोष्ठ विभिन्न इंटरसेक्शन से महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसे संस्थानों का दौरा कर रहा है। वन स्टॉप सेंटरों के दौरों को एक अलग कॉलम में चित्रित किया जा रहा है क्योंकि यह संस्थान संकट में फंसी महिलाओं और लड़कियों को

तत्काल बचाव और आश्रय प्रदान करता है जो इस दौरान वे 5 दिनों की अवधि तक प्रवास का लाभ उठा सकती हैं। इसलिए 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान आयोग ने कुल 90 निरीक्षण वास्तविक रूप से किए:

जेल	मनोरोग गृह	आश्रय गृह	वन स्टॉप सेंटर	जेल
25	8	30	27	25

8.23 "महिला कैदियों के अधिकारों के आलोक में जेल प्रशासन" पर अखिल भारतीय आईजी/डीजी जेल बैठक 10/01/2023 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि महिला कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और पर्याप्त सुधारात्मक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आयोग द्वारा जेलों के निरीक्षण को मुख्य क्षेत्रों में पहचाना गया है। प्रयास यह किया जा रहा है कि जेलों में महिला वार्डों को मानवीय बनाया जाए और कैदियों को सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

X. महिला सुरक्षा:

8.24 आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर उपलब्ध तेजाब हमले के मामलों की समीक्षा करता है। इस संबंध में, आयोग ने एसिड हमले के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 जनवरी, 2023 को आईआईसी, डेल्ही में तेजाब हमलों पर अखिल भारतीय नोडल अधिकारियों की बैठक का आयोजन तेजाब हमले से संबंधित विभिन्न मुद्दों और तेजाब हमले से कैसे निपटा जा सकता है और इसे कैसे पूरी तरह से रोका जा सकता है विषय पर किया।

8.25 एमआईएस पर तेजाब हमले के मामलों पर चर्चा करने और नियमित अपडेट सुनिश्चित करने के लिए

भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी जिन्हें नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है उनके साथ 15 नवंबर, 2023 को एक और ई-बैठक/वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोग ने मुआवजे का समय पर भुगतान करने, चिकित्सा सहायता प्रदान करने और शीघ्र आरोप पत्र दाखिल करने पर जोर दिया।

XI. क्षमता निर्माण और महिला कल्याण

क. कानूनी जागरूकता कार्यक्रम:

8.26 राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण(नालसा) के सहयोग से तालुका स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है ताकि महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गए बुनियादी कानूनी अधिकारों और उपायों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जा सके, जिससे उन्हें वास्तविक जीवन स्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके।

8.27 इसके अलावा, 12 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों में तालुका स्तर पर महिलाओं के लिए 524 शिविर आयोजित किए गए हैं जिसमें लगभग 31000 महिलाओं ने भाग लिया है।

8.28 आयोग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने माननीय कानून और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के बीच विधिक साक्षरता सुनिश्चित करने के साथ ही निवारण को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जागरूक करने के साथ-साथ विभिन्न कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए बुनियादी कानूनी अधिकारों और उपायों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान

करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के कुल 7266 ब्लॉकों में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रत्येक ब्लॉक से 2-3 महिलाओं की पहचान संभावित कार्यबल के रूप में की जाएगी जो स्थानीय स्तर पर कानूनी ज्ञान प्रदान कर सकती हैं।

ख. मोबाइल एप्लिकेशन "हर लीगल गाइड" का शुभारंभ:

8.29 एनसीडब्ल्यू ने 9 नवंबर 2023 को कानूनी सेवा दिवस के उपलक्ष्य में अपना मोबाइल एप्लिकेशन "हर लीगल गाइड" लॉन्च किया है। इस एप्लिकेशन का उद्घाटन माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और माननीय कानून और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था।

XII. लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम:

क. केन्द्रीय विद्यालय संगठन की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लैंगिक संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम:

8.30 आयोग ने 'कैच देम यंग' के विश्वास के साथ केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से केवी के कक्षा 9 वीं से 12 वीं के छात्रों के लिए 'लिंग संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' शुरू किया। चंडीगढ़ क्षेत्र के 57 स्कूलों में लैंगिक संवेदीकरण और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 16972 छात्रों ने भाग लिया है और देहरादून क्षेत्र के 46 स्कूलों में 14711 छात्रों ने भाग लिया है।



ख. दिल्ली और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों का लिंग संवेदीकरण और फोरेंसिक प्रशिक्षण

i. न्यायिक अधिकारियों के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम:

8.31 आयोग ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य न्यायिक अकादमियों के सहयोग से न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के लिए 'लिंग संवेदीकरण कार्यशाला' का आयोजन किया। कार्यशाला का फोकस क्षेत्र लिंग को समझना, मामलों से निपटने के दौरान लिंग पूर्वाग्रह से दूर रहना, बेहतर न्याय वितरण प्रणाली का निर्माण करना आदि है। लिंग संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन सिक्किम न्यायिक अकादमी, जम्मू और कश्मीर न्यायिक अकादमी, दिल्ली न्यायिक अकादमी और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के सहयोग से किया गया है।

ii. अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम: मुस्लिम महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम 14 सितंबर 2023 को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और दीन दयाल उपाध्याय, डीडीयू, एसआईआरडी, लखनऊ में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था। आयोग ने दिल्ली राज्य हज समिति के सहयोग से 13 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सभागार

में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के उपलक्ष्य में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया।

ग. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

i. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ,2023 को मनाने के लिए एनसीडब्ल्यू द्वारा की गई गतिविधियाँ: रॉयल एनफील्ड (आयशर मोटर्स लिमिटेड) के सहयोग से महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के मुद्दों पर जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था। इस पहल के तहत, 18 मार्च 2023 को दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे और बैंगलोर के चयनित स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा जागरूकता सवारी की गई।

ii. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2024 पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर का कार्यक्रम "तू बोल": अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश के विभिन्न स्थानों पर "तू बोल" नामक अनुभव साझा करने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिष्ठित हस्तियों को एक साथ लाना था ताकि वे अपने संघर्ष और सफलता की यात्रा की कहानियों को साझा कर सकें। मुख्य कार्यक्रम



7 मार्च 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन सिस्टर बीके शिवानी (प्रेरक/आध्यात्मिक वक्ता), साइना नेहवाल (भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी), रितु करिधाल श्रीवास्तव (मिशन निदेशक, चंद्रयान 3, इसरो), नेहा जोशी (राजनीतिज्ञ) और प्रज्ञा प्रसून सिंह (एसिड अटैक सर्वाइवर) थे। इसके अतिरिक्त 2 मार्च 2024 को जम्मू में, 4 मार्च को भोपाल में, 12 मार्च को गंगटोक, सिक्किम में और 18 मार्च 2024 को चेन्नई में 4 क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां विख्यात वक्ताओं ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए।

घ. स्थापना दिवस 2024

8.32 राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस भारत मंडपम, नई दिल्ली में मनाया गया, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में महिला कलाकारों द्वारा प्रदर्शनी, सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन और महिला सशक्तिकरण पहलों पर प्रकाश डालने वाले भाषण शामिल थे। इस समारोह में अनेक लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसने महिला अधिकारों

के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अलग अलग दूतावासों, न्यायिक अधिकारी, सशस्त्र बल कर्मी, राज्य महिला आयोग, कुलपति, अधिवक्ता के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के छात्र भी शामिल हुए। कार्यक्रम का देशभर में दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया गया।

ङ. वित्तीय वर्ष 2022-23 की एसडब्ल्यूसी के साथ प्द्वी इंटरएक्टिव बैठक:

8.33 राज्य महिला आयोगों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी इंटरएक्टिव बैठक 13 मार्च, 2023 को आयोजित की गई थी, इसके बाद 14 मार्च, 2023 को हरियाणा के फरीदाबाद में हरियाणा एसडब्ल्यूसी के सहयोग से एसडब्ल्यूसी के पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

च. गोवा में विभिन्न हितधारकों के साथ दो दिवसीय इंटरएक्टिव बैठक:

8.34 राष्ट्रीय महिला आयोग ने गोवा राज्य महिला आयोग के सहयोग से विभिन्न हितधारकों के साथ 2 दिवसीय इंटरएक्टिव बैठक आयोजित की।

i. दिनांक 26 नवंबर 2023 को, एसडब्ल्यूसी की सलाहकार समिति और पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक "घरेलू हिंसा से बचे लोगों



के पुनर्वास” के लिए एक ड्राफ्ट योजना और गाजियाबाद और विजयवाड़ा शहर के लिए महिला सुरक्षा लेखा परीक्षा के परिणामों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

- ii. 27 नवंबर, 2023 को राज्य के डीजीपी/वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने और एनसीडब्ल्यू शिकायतों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली में तेजी लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा करने के लिए एक और बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

XIII. क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

- क. अखिल भारतीय स्तर पर भौतिक मोड में क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (पीडीपी):

8.35 राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्नातक/स्नातकोत्तर महिला छात्रों के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेजों से प्रस्ताव मांगे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के लिए तैयार करना है। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सहज, तार्किक और क्रिटिकल थिंकिंग, संचार और पारस्परिक कौशल के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 61 कॉलेजों/विश्वविद्यालयों ने अप्रैल-नवंबर 2023 तक अपनी यूजी/पीजी महिला छात्रों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 15000 छात्राओं को ज्ञान दिया गया।

ख. को बढ़ाने के लिए एक समर्थक के रूप में सीएसआर पर राउंड टेबल सम्मेलन:

8.36 महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने में सहायक के रूप में सीएसआर पर एक राउंड टेबल सम्मेलन, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और सीआईआई



द्वारा संयुक्त रूप से 13 जुलाई, 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया था। राउंड टेबल सम्मेलन में विचार-विमर्श महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने और सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के साथ मिलकर एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में सहयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्व में भारत इंक की भूमिका पर केंद्रित था जो महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर महिलाओं को उनकी आर्थिक क्षमता का एहसास करने में मदद करेगा।

ग. एकेएम के अंश के रूप में निर्भय भारत, सशक्त नारी के तहत कार्यक्रम:

8.37 आयोग ने राज्य महिला आयोग उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम, राजस्थान, केरल और हरियाणा के सहयोग से निर्भय भारत, सशक्त नारी के तहत "कानूनी जागरूकता और वित्तीय साक्षरता", "रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण", "महिला अधिकार और सशक्तिकरण", "महिलाओं के अधिकार और सतत महिला सशक्तिकरण", "डिजिटल और वित्तीय साक्षरता", "महिलाओं से संबंधित विभिन्न लाभकारी योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम" और "विधवाओं, तलाकशुदा और एकल अभिभावक महिलाओं को सशक्त बनाना" जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

घ. "डिजिटल शक्ति कार्यक्रम"

8.38 एनसीडब्ल्यू ने "डिजिटल शक्ति कार्यक्रम" के माध्यम से महिलाओं में डिजिटल सुरक्षा और साक्षरता बढ़ाने के लिए साइबरपीस के साथ सहयोग किया, जिससे लगभग 7 लाख महिलाओं को लाभ हुआ और उन्हें डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाया गया।

ङ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परामर्श

8.39 एनसीडब्ल्यू ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'डीपफेक दुविधा को नेविगेट करना – एक सुरक्षित साइबरस्पेस के लिए सहयोगात्मक रणनीतियाँ' पर एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग को संबोधित

किया गया और इसके खिलाफ सामूहिक कार्यनीति बनाई गई।

XIV. मीडिया और आउटरीच कार्यक्रम

क. रेडियो टॉक शो: आकाशवाणी पर "नवचेतना"

8.40 एनसीडब्ल्यू ने आकाशवाणी पर "नवचेतना" टॉक शो का आयोजन किया, जिसमें महिला स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट निर्णय लेने और साइबर सुरक्षा जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले आठ एपिसोड शामिल थे। प्रत्येक एपिसोड में विशेषज्ञ चर्चाएं शामिल थीं और एनसीडब्ल्यू हेल्पलाइन नंबर और "आयोग का सहयोग" शीर्षक से सफलता की कहानियों को साझा किया गया था। यह श्रृंखला सितंबर से दिसंबर 2024 तक एफएम रेनबो और विश्व स्तर पर ऑल इंडिया रेडियो एप्लिकेशन के माध्यम से प्रसारित हुई।

ख. दूरदर्शन पर सशक्त संवाद

8.41 राष्ट्रीय महिला आयोग ने लैंगिक संवेदीकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रचालनात्मक प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रव्यापी प्रसारण के लिए दूरदर्शन के साथ सहयोग किया। इस टॉक शो को डीडी नेशनल पर देश भर में प्रसारित किया गया था।

XV. जम्मू और कश्मीर सेल और लद्दाख सेल

क. "हिंसा मुक्त गृह : जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में 12 पायलट विशेष सेल— महिला अधिकार" पुलिस प्रणाली में स्थित प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को अपराध मानने की स्पष्ट समझ के साथ सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की एक पहल के रूप में स्थापित किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट के सफल निष्पादन के बाद, आयोग ने प्रोजेक्ट को जम्मू और कश्मीर के बाकी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया और प्रोजेक्ट के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के बाकी जिलों में 24 महीने की अवधि के लिए 10 विशेष सेल स्थापित किए।

XVI. एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल

8.42 गोवा, श्रीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और बेंगलुरु में “मानव तस्करी-रोधी जागरूकता” पर 12 सेमिनार आयोजित किए गए थे। संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रतिनिधियों, राज्य महिला आयोगों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सीआईएसएफ सहित अर्धसैनिक बलों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरपीएफ और भारतीय सेना, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक समाज संगठनों, छात्रों और मीडिया सहित लगभग 6000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

XVII. 19 मार्च, 2024 को रेलवे सुरक्षा बल और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

8.43 मानव तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत आयोग ने हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि आरपीएफ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया जा सके। यह सहयोगात्मक प्रयास मानव तस्करी द्वारा अपने पीड़ितों को स्रोत क्षेत्रों से शोषण के गंतव्य तक ले जाने के लिए भारतीय रेल के व्यापक रेल नेटवर्क का शोषण करने की खतरनाक प्रवृत्ति के प्रत्युत्तर में किया गया है।

XVIII. नई पहल

क. महिला सुरक्षा लेखा परीक्षा सर्वेक्षण

8.44 महिला आयोग ने टियरा। शहरों में महिला सुरक्षा ऑडिट सर्वेक्षण अनुसंधान शुरू किया है जिसका उद्देश्य नमूना सर्वेक्षण और केंद्रित समूह चर्चा (एफजीडी) के आधार पर शहरों में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली सुरक्षा के स्तर का आकलन करना है। आयोग ने पहले चरण में गाजियाबाद, फरीदाबाद, विजयवाड़ा, कोयंबटूर, जोधपुर, औरंगाबाद, ग्वालियर, रायपुर, रांची, मेरठ, वसई विरार

और आसनसोल में सर्वेक्षण करने के लिए नौ एजेंसियों को नियुक्त किया है। आयोग ने सर्वेक्षण का दूसरा चरण भी शुरू किया है जिसके लिए इसने 4 एजेंसियों को नियुक्त किया है। सर्वेक्षण अनुसंधान का दूसरा चरण गुरुग्राम, आगरा, अगरतला, इंदौर, वाराणसी, श्रीनगर, राजकोट, जयपुर, धनबाद, लुधियाना और तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है।

ख. राजनीति में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम: “शी इज ए चेंजमेकर”

i. ‘शी इज ए चेंजमेकर’ – राजनीति में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम: राष्ट्रीय महिला आयोग विभिन्न स्तरों पर राजनीति में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम ‘शी इज ए चेंज मेकर’ के तहत अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्यों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की महिला प्रतिनिधियों के लिये 88 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

ii. शी इज ए चेंज मेकर— पंचायत से संसद कार्यक्रम

8.45. विभिन्न स्तरों पर राजनीति में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अखिल भारतीय स्तर के क्षमता निर्माण कार्यक्रम ‘शी इज ए चेंज मेकर’ को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस), लोकसभा के सहयोग से 500 चयनित प्रतिभागियों के लिए एक दिवसीय विशेष



कार्यक्रम आयोजित किया, जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की महिला निर्वाचित प्रतिनिधि थीं। जिन्होंने पहले ही राष्ट्रीय महिला आयोग के “शी इज ए चेंज मेकर” के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। “शी इज ए चेंज मेकर – पंचायत से संसद” नामक इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिभागियों की संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और संबंधित विषयों की समझ को व्यापक करना था।

iii. **सरकारी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जन जागरूकता कार्यशाला:—**

8.47 कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने और जागरूकता प्रसार के लिए, आयोग सरकारी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों दोनों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इस अवधि के दौरान कुल 22 कार्यशालाएँ (अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पुणे में कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए 6 कार्यक्रम और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, त्रिपुरा न्याय विभाग (कानून और न्याय मंत्रालय), सीईआरटी-इन (इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय) और बीपीआरडी (गृह मंत्रालय) और त्रिपुरा, भारत के सर्वोच्च



न्यायालय और गुरुग्राम, गाजियाबाद, अमृतसर और फरीदाबाद के पुलिस विभागों के सरकारी कर्मचारियों के लिए 16 कार्यक्रम) आयोजित किए गए हैं, जिसके तहत लगभग 3100 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

iv. “महिला किसानों/दिहाड़ी मजदूरों के प्रवास के संबंध में क्षेत्रीय संगोष्ठी”

8.48 विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से “प्रवास के संबंध में महिला किसान/दिहाड़ी मजदूर” पर चार क्षेत्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की गई: 27 जुलाई 2023 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 21 सितंबर 2023 को पंत नगर,

उत्तराखंड, 3 नवंबर 2023 को गुवाहाटी, असम और 14 फरवरी 2024 को ठाणे, महाराष्ट्र में। इसमें महिला किसान, आजीविका सखी, मनरेगा महिला मजदूर, स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य और पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधि शामिल थीं।

v. राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रक्रिया सुधार

8.49 राष्ट्रीय महिला आयोग अपने अधिदेश के अनुसार न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए घरेलू हिंसा के उत्तरजीवियों और अन्य पीड़ित

महिलाओं की शिकायत सुनता है। शिकायत प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयोग ने काइज़न संस्थान के साथ सहयोग किया है। यह संस्थान राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के प्रक्रिया सुधार के लिए इनपुट देने और सुझाव देने के लिए सी एंड आई सेल के कामकाज का गहन अध्ययन करेगा। शिकायत प्रबंधन के लिए प्रक्रिया सुधार का उद्देश्य परिचालन सुधारों को आगे बढ़ाना और संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करना है, इसके उद्देश्यों को पूरा करना और सिस्टम में सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए मध्यावधि सुधार के उपाय सुझाना है। एनसीडब्ल्यू के तहत शिकायत प्रबंधन प्रणाली में सुधार के लिए आयोग द्वारा गोवा में राष्ट्रव्यापी डीजीपी की बैठक आयोजित की गई थी। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 2-3 दिसंबर, 2023 को आईजीएनएफए, देहरादून में सीएंडआई स्टाफ और जेटीई का प्रशिक्षण भी

आयोजित किया गया। आयोग द्वारा सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।

vi. संरक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण

8.50 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त संरक्षण अधिकारियों की भूमिका के महत्व को समझते हुए पीड़ित महिलाओं को कानूनी और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए, एनसीडब्ल्यू ने भारत के प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (लबासना) के साथ मिलकर संरक्षण अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक मानकीकृत मॉड्यूल विकसित किया है। इस मॉड्यूल को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ साझा किया जाता है ताकि उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त संरक्षण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें।



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

9.1 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना 5 मार्च, 2007 को भारत सरकार के वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) में भी निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों। आयोग का कार्य बच्चों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करना; बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना तथा बच्चे के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना; मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन का सुझाव देना; बच्चों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर गौर करना या मामलों का स्वतः संज्ञान लेना; तथा बच्चों की उत्तरजीविता, कल्याण तथा विकास से संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। आयोग के पास बच्चों से संबंधित कानूनों जैसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 109 के तहत); यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 (धारा 44 के तहत) और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 (धारा 31 के तहत) के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी भी है।

9.2 आयोग ने सभी प्रकार के उल्लंघनों, वंचनाओं और दुर्व्यवहार के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के अपने प्रयासों जारी रखा। आयोग ने सिविल

प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की अपनी शक्तियों तहत बच्चों के शिक्षा के अधिकार, बाल श्रम, बाल स्वास्थ्य, विशेष आवश्यकताओं/दिव्यांग बच्चों, बच्चों के यौन शोषण, बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन, बाल दुर्व्यापार और बचाए गए बच्चों के पुनर्वास इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।

9.3 देश भर में बाल अधिकारों की निगरानी के लिए अपनाई गई विधियों में फील्ड विजिट, सरकार को पत्र, निर्देश, दिशा-निर्देश और सिफारिशें जारी करना; शिकायत प्रबंधन और समन जारी करना; मंत्रालयों के साथ नीतिगत संवाद; राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श शामिल हैं।

I. कार्यशालाएं/परामर्श/बैठकें

क. कार्यशालाएं/परामर्श

i. एनईपी-2020 कार्य योजना के कार्यान्वयन के मूल में बाल अधिकारों को रखने के लिए संवेदीकरण पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन कार्यशालाएं

9.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं का समाधान करना है। इस नीति में इसके नियम और संचालन सहित शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव है ताकि एक नई प्रणाली बनाई जा सके जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों को विकसित करते हुए एसडीजी 4 सहित 21 वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप हो। मौलिक सिद्धांतों में –

अकादमिक और गैर-शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, कक्षा 3 तक सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, नैतिकता और मानव तथा संवैधानिक मूल्यों की शक्ति, रचनात्मकता एवं महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देना, वैचारिक समझ पर बल देना, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग इत्यादि शामिल हैं। सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत एनसीपीसीआर को बच्चों के सर्वोत्तम हित में नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने के साथ-साथ सिफारिशें करने की भूमिका सौंपी गई है। इसलिए, विभिन्न राज्यों में एनईपी 2020 कार्य योजना के कार्यान्वयन के मूल में बाल अधिकारों को रखने के लिए ऑनलाइन संवेदीकरण बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों का विवरण नीचे **अनुलग्नक -XIX** में दिया गया है।

ii. स्कूल शिक्षा प्रणाली विशेषकर ग्राम विकास योजना और स्कूल विकास योजना (एसडीपी)/कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर विकास योजना(एससीडीपी)के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिका पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं

9.5 शैक्षिक विकास के राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंडे को पूरा करने में स्थानीय प्राधिकरण महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, आरटीई अधिनियम, 2009 अधिनियम की धारा 6 और धारा 9 के तहत स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन जिसका उद्देश्य डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 का कार्यान्वयन था, जिसमें कहा गया है कि "राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें उन्हें स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान किए जाएं" और उन्हें संविधान के गैर-न्यायोचित भाग से न्यायोचित भाग में अपग्रेड किया है और राज्यों पर भाग IX के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अधिनियमित करने के

लिए संवैधानिक दायित्व दिया गया है। इसी संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को भी अधिकार प्राप्त हुए हैं और पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायित्व के विशिष्ट क्षेत्रों का अधिदेश दिया गया है²⁹ विषयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, 11वीं अनुसूची में राज्य विधायिका तथा पंचायतों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायित्व के विशिष्ट क्षेत्रों की सूची बनाई गई है। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक सार्वभौमिक ढांचा प्रदान करने और स्थानीय निकायों के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए संसद ने संविधान (74 वां संशोधन अधिनियम 1992) में संशोधन किया और "नगर पालिकाओं" को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। शहरी स्थानीय निकायों के लिए 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों में से एक विषय सांस्कृतिक, शैक्षिक और सुरुचिपूर्ण पहलुओं का संवर्धन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी-2020 में भी यह उल्लेख किया गया है कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा स्कूल विकास योजनाएं (एसडीपी) तैयार की जा रही हैं। ये योजनाएं तब स्कूल परिसर/क्लस्टर विकास योजनाओं (एससीडीपी) के सृजन का आधार बनेंगी। यह शैक्षिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए स्कूल परिसरों को अन्य सभी प्रासंगिक सहायता भी प्रदान करेगा। इसलिए, आयोग ने "स्कूल शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से ग्राम विकास योजना और स्कूल विकास योजनाओं (एसडीपी)/जटिल/क्लस्टर विकास योजनाओं (एससीडीपी)" में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की भूमिका पर दो क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित कीं। क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाओं का विवरण **अनुलग्नक-XX** में दिया गया है।

iii. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 02.02.2023 को स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के मुद्दों के समाधान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

9.6 मार्च 2020 के बाद कोविड या अन्यथा दोनों अथवा एक माता-पिता को खोने वाले बच्चों के मामले

में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएमडब्ल्यूपी (सी) संख्या 4/2020 के तहत संज्ञान लिया था और बेसहारा बच्चों के मामले में एसएमडब्ल्यूपी (सी) संख्या 6/2021 के तहत संज्ञान लिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों मामलों में ऐसे बच्चों के प्रभावी संरक्षण और उनके उपयुक्त पुनर्वास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए हैं। इन दो मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.05.2022 के आदेश में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के साथ-साथ स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का आकलन करने और उन्हें फिर से उन्हें औपचारिक शिक्षा में नामांकित करने के निदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 06.01.2023 में एनसीपीसीआर को राज्यों से सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि क्या दिनांक 09.05.2022 के आदेश को कार्यान्वित किया जा रहा है और क्या लाभ वास्तव में उन बच्चों को प्रदान किया गया है जिन्होंने कोविड अवधि के दौरान अपने एक या दोनों माता-पिता को खो दिया है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से यह भी निदेश दिया है कि किसी राज्य सरकार अथवा स्कूल द्वारा किए गए किसी भी असहयोग को गंभीरता से लिया जाएगा। स्कूल न जाने वाले बच्चों के मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए, आयोग ने दिनांक 02.02.2023 को विज्ञान भवन, मौलाना आजाद रोड, कर्तव्य पथ, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया।

iv. स्कूलों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को रोकने और स्कूल न जाने वाले बच्चों को पुनः नियोजित करने के लिए समीक्षा और परामर्श

9.7 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि 8.4 करोड़ बच्चे (5-17 वर्ष के आयु वर्ग) स्कूल नहीं जाते हैं – जो आरटीई अधिनियम के तहत आने वाले आयु वर्ग का लगभग 20 प्रतिशत है। स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) और उनके पुनः नियोजन के संदर्भ में आयोग का दृढ़ विचार है कि इस संबंध में निवारक

कार्यनीतियों को समझने और मजबूत करने पर जोर दिया जाना चाहिए। सरकार के सभी कार्यक्रम, नीतियां और संबंधित हस्तक्षेप स्कूल न जाने वाले बच्चों की रोकथाम के अनुरूप होने चाहिए जो स्कूल बीच में छोड़ने वालों, नामांकन न होने और कम उपस्थिति की समस्या से निपटने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूलों से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों को रोकने और स्कूल न जाने वाले बच्चों को पुनः नियोजित करने के विषय पर समीक्षा और परामर्श का आयोजन किया है। (विवरण अनुलग्नक-XXI में दिया गया है)

v. असम के विभिन्न जिलों के बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्षों और सदस्यों के प्रशिक्षण पर सात दिवसीय राज्य स्तरीय आवासीय अभिमुखीकरण-सह संवेदीकरण कार्यशालाएं

9.8 जेजे मॉडल नियम 2016 (2021 में यथा संशोधित) के नियम 91 के अनुसार एनसीपीसीआर का एक कार्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत हितधारकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना है। तदनुसार, देश की किशोर न्याय प्रणाली और इससे संबंधित कानूनों का व्यापक ज्ञान प्रदान करने के एक बड़े लक्ष्य के साथ सीडब्ल्यूसी के लिए मॉड्यूल बनाया गया है। आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में सीडब्ल्यूसी के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए निम्नलिखित 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कीं:

क्र. सं.	राज्य	जिला	गतिविधि की तारीख
1.	असम- भाग 1	गुवाहाटी	10 से 16 मार्च 2023
2.	मणिपुर	इम्फाल	15 से 21 मार्च 2023
3.	असम- भाग 2	गुवाहाटी	17 से 23 मार्च 2023

क्र. सं.	राज्य	जिला	गतिविधि की तारीख
4.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	18 से 24 मार्च 2023
5.	मेघालय	शिलांग	19 से 23 जून 2023
6.	सिक्किम	गंगटोक	23 से 29 जून 2023
7.	नागालैंड	कोहिमा	19 से 25 जून 2023
8.	त्रिपुरा	अगरतला	23 से 29 जून 2023

vi. “वत्सलभारत” देश के सात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी

9.9 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से भारत के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक दिवसीय संगोष्ठी ‘वत्सलभारत’— ‘बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी’ आयोजित की गई। यह कार्यक्रम एक क्षेत्रीय कार्यक्रम था और इसमें बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी), जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू), बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) के प्रतिनिधियों, ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों तथा राज्यों के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार भी शामिल हुई थी। आयोजित संगोष्ठियों का विवरण नीचे **अनुलग्नक-XXII** में दिया गया है।

ख. बैठकें

i. पोषण माह –2023

9.10 “राष्ट्रीय पोषण माह” 2023 के अवसर पर एनसीपीसीआर के सम्मेलन कक्ष में ‘भोजन में मिलेट’ विषय पर दिनांक 27.09.2023 को राष्ट्रीय सलाहकार

बैठक आयोजित की गई। “भोजन में मिलेट” पर परामर्श का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, पोषण विशेषज्ञों, कृषि विशेषज्ञों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना है ताकि मिड-डे मील कार्यक्रम और आंगनवाड़ियों में मिलेट के एकीकरण पर चर्चा की जा सके और कार्यनीति बनाई जा सके। यह पहल छोटे पैमाने के मिलेट किसानों का भी समर्थन करने के साथ-साथ स्थायी पोषण, खाद्य सुरक्षा और स्कूली बच्चों की तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। “भोजन में मिलेट” पर परामर्श अधिक पौष्टिक, दीर्घकालिक और समावेशी भोजन कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करता है। मिलेट की क्षमता का लाभ उठाकर, हमारा उद्देश्य स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार करना, स्थानीय किसानों का समर्थन करना और अधिक लचीला तथा खाद्य-सुरक्षित भविष्य में योगदान करना है। संबंधित मंत्रालयों और कृषि विश्वविद्यालयों के विभिन्न अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और गहन चर्चा की।

9.11 राष्ट्रीय पोषण माह, 2023 के आयोजन पर बच्चों में कुपोषण की व्याप्तता और उससे निपटने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोग ने सभी एससीपीसीआर से पोषण माह मनाने और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करने का अनुरोध किया था।

9.12 एनसीपीसीआर ने “राष्ट्रीय पोषण माह”, 2023 के अवसर पर 21 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के आकांक्षी ब्लॉक गैरतगंज में एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य “बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के महत्वपूर्ण पहलुओं” पर जागरूकता लाना था। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी कार्यक्रम का हिस्सा थी। प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश और अध्यक्ष, एनसीपीसीआर द्वारा किया गया था। आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रतिभागियों, आशा कार्यकर्त्रियों को संवेदनशील बनाने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण, भोजन में

मिलेट विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें एम्स, जोधपुर के नियोनेटोलॉजी के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. ए.के. सिंह, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के पादप प्रजनन और आनुवंशिकी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. स्तुति शर्मा एवं केंद्रीय कृषि महिला संस्थान (आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए), भुवनेश्वर, ओडिशा की निदेशक डॉ. मृदुला देवी ने व्याख्यान दिए।

ii. बाल विवाह के मुद्दे पर वर्चुअल समीक्षा बैठकें

9.13 वर्ष 2023 के दौरान आयोग ने 31 जनवरी से 10 मई, 2023 तक 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सभी जिलों को शामिल करते हुए 50 से अधिक वर्चुअल बैठकें आयोजित की। ये बैठकें बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा किए गए वचनबद्धताओं की जांच करने के लिए आयोजित की गई थीं।

9.14 आयोजनों जैसे अक्षय तृतीया जिसे आमतौर पर अक्की या आखा तीज के रूप में जाना जाता है के दौरान विशेष रूप से बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय उपायों में आयोग ने 12 जनवरी, 2023 को एक पत्र लिखा। इस पत्र में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों, डब्ल्यूसीडी को निर्देश दिया गया था कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में सभी जिला

मजिस्ट्रेटों या कलेक्टरों/सीएमपीओ को अनुशंसित निवारक गतिविधियों को पूरा करने के लिए निर्देश जारी करें जिसमें 31 जनवरी, 2023 तक जागरूकता कार्यक्रम, बुलाई गई बैठकें और उनके जिलों के भीतर संवेदनशील बच्चों लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हो, की पहचान शामिल हो।

9.15 इसके अतिरिक्त, दिनांक 28 फरवरी, 2023 को एनसीपीसीआर ने एक और पत्र जारी कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिवों से अपने जिलों के भीतर सीएमपीओ का रोस्टर तैयार करने का आग्रह किया। इसके अलावा, उनसे वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान उनके जिले में प्रतिबंधित/रोके गए बाल विवाह, दर्ज कराई गई एफआईआर, जारी निषेधाज्ञा आदेश और उनके जिले के बाल विवाह मामलों में किये गए हस्तक्षेप से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

iii. बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध मानव दुर्व्यापार की रोकथाम पर संयुक्त कार्य योजना (जेएपी)

9.16 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और संबंधित मंत्रालयों के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने "बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की लत और अवैध मानव दुर्व्यापार



की रोकथाम” पर एक संयुक्त कार्य योजना विकसित की है और इसे 9 फरवरी, 2021 को जारी किया गया है। संयुक्त कार्य योजना – “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” – देश में बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम की दिशा में प्रतिमान बदलाव लाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों, संस्थानों, एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयासों को सुव्यवस्थित और कार्यनीतिक बनाने के लिए तैयार की गई थी।

9.17 आयोग ने फरवरी और मार्च, 2023 में सभी जिलों की संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन पर वर्चुअल समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त कार्य योजना अर्थात स्कूलों में गठित प्रहरी क्लबों की संख्या; अनुसूची एक्स और अनुसूची एच दवाओं को बेचने वाली दवा दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना; सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए अधिनियम) के तहत की गई जांच के निर्धारित संकेतकों प्रगति देखना और आंकड़ों की समीक्षा करना था।

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बाल अधिकारों पर अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक सह-परामर्श—

9.18 एनसीपीसीआर सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13(1) के तहत अपने अधिदेश के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न संबंधित विभागों के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बाल अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर अंतर-विभागीय समीक्षा सह परामर्श आयोजित करता है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों, अच्छी पद्धतियों आगे बढ़ने पर चर्चा करना है।

9.19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठक आयोजित करने के लिए बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों पर आधारित संकेतकों से संबंधित एक विस्तृत अभ्यास किया गया था। तदनुसार, नोडल अधिकारियों को नामित करने

और विभिन्न विभागों के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार डेटा और सूचना की आपूर्ति करने के लिए संकेतकों के विवरण के साथ एक कार्यसूची मद क्रमशः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और मुख्य प्रशासकों को सूचित किया गया था। बैठक के दौरान, बच्चों के समक्ष आ रही चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और सिफारिशों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सेट प्रदान किया गया।

9.20 वर्ष 2023–24 में आयोजित समीक्षा बैठकों का विवरण नीचे **अनुलग्नक-XXIII** में दिया गया है।

ग. दिशानिर्देश/मैनुअल/मॉड्यूल

i. एनसीपीसीआर द्वारा स्कूलों में बच्चों की दादागिरी (बदमाशी) और साइबर धमकी की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश

9.21 कोविड-19 महामारी के बाद, प्रौद्योगिकी का उपयोग कई गुना बढ़ गया है क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इस कारण बच्चे इंटरनेट पर अधिक समय बिता रहे हैं। प्रौद्योगिकी बच्चों को मनोरंजक अवसर प्रदान करने का सबसे सुलभ तरीका बन गया है। यह देखा गया है कि कई आयामों वाले बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है – चाहे वह बच्चों के डेटा के दुरुपयोग का डर हो या बच्चों को यौन सामग्री के संपर्क में आने या स्कूलों में धमकाने का डर हो। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और बच्चों की दादागिरी(बदमाशी) के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए, एनसीपीसीआर ने स्कूलों में दादागिरी(बदमाशी) और साइबर धमकी की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। उक्त दिशानिर्देश का लिंक इस प्रकार है: https://ncpcr.gov.in/uploads/1714382687662f675fe278a_preventing-bullying-and-cyberbullying-guidelines-for-schools-2024.pdf पप. बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल)

ii- बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल)

9.22 जेजे मॉडल नियम 2016 (2021 में यथा संशोधित) के नियम 91 के अनुसार एनसीपीसीआर का कार्यकिशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत हितधारकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना है। तदनुसार, देश की किशोर न्याय प्रणाली और इसके 76 संबंधित कानूनों का व्यापक ज्ञान प्रदान करने के बड़े लक्ष्य के साथ सीडब्ल्यूसी के लिए मॉड्यूल बनाया तैयार किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीडब्ल्यूसी सदस्यों और सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष के कार्यात्मक ज्ञान और प्रासंगिक कौशल में सुधार करना है ताकि देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए प्रभावी और समय पर सेवा प्रदान की जा सके और अनाथ बच्चों, परित्यक्त बच्चों और टर्न ओवर बच्चों और जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं, को संरक्षण प्रदान किया जा सके। उक्त मॉड्यूल का लिंक इस प्रकार है: https://ncpcr.gov.in/uploads/1668950434637a29a2d3cd9_cwc&module&updated-pdf

iii. मनोरंजन उद्योग और किसी भी वाणिज्यिक मनोरंजन गतिविधि में बाल और किशोर भागीदारी के लिए दिशानिर्देश

9.23 आयोग ने मनोरंजन उद्योग में बच्चों की भागीदारी को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2011 में 'मनोरंजन उद्योग में बाल भागीदारी को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश' दिशानिर्देश जारी किए थे। नए संशोधनों और बाल संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मनोरंजन उद्योग के प्रतिष्ठित सदस्यों और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ समिति का गठन किया था। समिति की बैठकों में हुई चर्चाओं और विचार-विमर्श के बाद, मनोरंजन उद्योग या किसी भी व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के विनियमन के लिए नए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। दिशानिर्देश का लिंक

निम्नानुसार दिया गया है: https://ncpcr.gov.in/uploads/16844053596465fc6f115d1_guidelines-for-child-and-adolescent-participation.pdf

iv. पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत सहायक व्यक्तियों के संबंध में मॉडल दिशानिर्देश।

9.24 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "हम भारत की महिलाएं बनाम भारत संघ एवं अन्य रिट याचिका (सिविल) संख्या 1156/2021 और रिट याचिका संख्या 427/2022 शीर्षक बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ" मामले में दिनांक 09.10.2023 को एक आदेश पारित किया था जिसमें माननीय न्यायालय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के परामर्श से पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत सहायक व्यक्तियों के संबंध में मॉडल दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। उक्त आदेश के तहत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि सहायक व्यक्ति की आवश्यकता को माता-पिता के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए; सभी मामलों में सहायक व्यक्ति की उपलब्धता का विकल्प और ऐसे सहायक व्यक्ति की सहायता का दावा करने के अधिकार से पीड़ित के माता-पिता को अवगत कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी राय दी है कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है कि वह पॉक्सो पीड़ितों को सहायता प्रदान करे जिसे तब तक वैकल्पिक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि सीडब्ल्यूसी के अपने आदेश में ऐसा करने के उचित कारण न हों, सहायक व्यक्तियों की परिचितता अनिवार्य है। इसलिए, आयोग ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के आलोक में, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत अनिवार्य सहायक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए आवश्यक घटकों और बुनियादी तंत्र को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं ताकि प्रक्रिया और उन्हें नियुक्त करने के लिए अपनाए जाने वाले कदमों की समझ में अस्पष्टता को दूर किया जा सके। इसके अलावा, उक्त दिशा-निर्देश ने एक समान शैक्षिक मानक, सहायक

व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि, उचित पारिश्रमिक आदि के लिए प्रमुख रूपरेखा उपलब्ध कराई हैं। दिशा-निर्देशों का लिंक इस प्रकार दिया गया है: https://ncpcr.gov.in/uploads/1700657059655df7a3f1c2a_final-document-section-39.pdf

v. किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश

9.25 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13.07.2022 को बरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू एवं अन्य आपराधिक अपील संख्या 950/2022 में एक निर्णय पारित किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (जेजे अधिनियम), 2015 की धारा 15 के तहत किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन से उत्पन्न कार्यवाही की जांच की। उक्त निर्णय के माध्यम से, माननीय न्यायालय ने सूचित किया कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन का कार्य संवेदनशील कार्य है जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और मामले की सुनवाई के संबंध में इसके अपने निहितार्थ होते हैं। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत मूल्यांकन करते समय अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मुख्य प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए दिशा-निर्देश तैयार किए थे, जो किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांतों और अन्य प्रावधानों के अनुरूप प्रारंभिक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएंगे। इन दिशा-निर्देशों को इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी तरह के विशिष्ट मूल्यांकन उपकरण प्रदान करने या सुझाव देने से विशेषज्ञों को सीमित न किया जाए। इस दिशा-निर्देशों का लिंक इस प्रकार दिया गया है: <https://ncpcr.gov.in/>

[uploads/16813797786437d1c2bea2a_guidelines-for-conducting-preliminary-assessment.pdf](https://ncpcr.gov.in/uploads/16813797786437d1c2bea2a_guidelines-for-conducting-preliminary-assessment.pdf)

घ. परीक्षा पर्व (5.0 एवं 6.0)

9.26 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरित होकर पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम का आयोजन किया तथा 7 फरवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक परीक्षा पर्व 5.0 का आयोजन किया। परीक्षा पर्व 5.0 छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और विशेषज्ञों/प्रसिद्ध विद्वानों और प्रेरक वक्ताओं से मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान करने का प्रयास है। ऐसे तनावपूर्ण समय में असहज और क्षमित करने वाले विचारों के बारे में बात करना और उन्हें साझा करना छात्रों के तनाव और चिंता को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा, परीक्षाओं के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण/परिप्रेक्ष्य को बदलेगा और इसे एक उत्सव की तरह एक आनंददायक क्रियाकलाप बना देगा। इस वर्ष 2023 के दौरान, एनसीपीसीआर ने निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों के साथ “परीक्षा पर्व 5.0” शुरू किया है :—

- i. एनसीपीसीआर के सोशल मीडिया – फेसबुक/ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से परीक्षा के दबाव और तनाव, साइबर सुरक्षा, नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, ऑनलाइन शिक्षा, सुरक्षा, पीओसीएसओ, करियर काउंसलिंग इत्यादि विषयों पर 15 लाइव स्ट्रीमिंग सत्र प्रसारित किए गए। मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरक वक्ता, साइबर कानून विशेषज्ञ, शिक्षाविद विशेषज्ञ, योग गुरु इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत की।
- ii. माननीय प्रधानमंत्री के “परीक्षा पर चर्चा, 2023” के ऑडियो संदेशों के साथ परीक्षा पर्व 5.0 के

- बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विविध भारती (राष्ट्रीय), आकाशवाणी पर 06 रेडियो स्पॉट प्रसारित किए गए।
- iii. एनसीपीसीआर की वेबसाइट के माध्यम से छात्रों से “एग्जाम वॉरियर” पर छोटे ऑडियो-वीडियो संदेश आमंत्रित किए गए। आयोग को देश भर से 3251 ऑडियो/वीडियो संदेश प्राप्त हुए।
 - iv. परीक्षा पर्व 5.0 के दौरान एनसीपीसीआर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जागरूकता लाने के लिए मीडिया सेल की इन-हाउस टीम के साथ-साथ वाह्य मीडिया एजेंसी द्वारा 75 से अधिक रचनात्मक और 06 रेडियो स्पॉट विकसित किए गए थे।
- 9.27 अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) और स्कूल शिक्षकों के बाद वर्ष 2019-20 में पहली बार परीक्षा पर्व मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए, “परीक्षा पर्व 6.0” में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं—
- i. **जिला और राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सह-संवेदीकरण कार्यक्रम—** कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के माध्यम से माता-पिता को संवेदनशील बनाना है और आयोग ने कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया और 29.02.2024 तक विभिन्न जिलों में लगभग 100 कार्यक्रम आयोजित किए थे।
 - ii. परीक्षा के दबाव और तनाव और बच्चों से संबंधित अन्य मुद्दों से संबंधित विषयों पर **लाइव स्ट्रीमिंग सत्र** आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति/विशेषज्ञ, प्रेरक वक्ता/शिक्षाविद/साइबर कानून, विशेषज्ञ, योग गुरु, स्टार्टअप के संस्थापक बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। इन सत्रों को फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सहित एनसीपीसीआर के सोशल मीडिया चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया गया।
 - iii. **बच्चों के लिए ‘एग्जाम वॉरियर्स’ पर आधारित ऑनलाइन क्विज**
 - iv. **“एग्जाम वॉरियर” पर छात्रों से ऑडियो-वीडियो संदेश** — बच्चों की भागीदारी के अधिकार पर काम करते हुए, आयोग ने माता-पिता की पूर्ण सहमति और बच्चे के शारीरिक के साथ-साथ ऑनलाइन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के साथ 5वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों/छात्रों से लगभग 60 सेकंड के ऑडियो-वीडियो संदेश आमंत्रित करके कार्यक्रम में अधिक बच्चों को शामिल किया।
 - v. मेटा ने एनसीपीसीआर के सहयोग से 12.02.2024 को एक अभियान शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा तनाव से निपटने की साझा समझ के लिए एकजुट करना और मौजूदा प्रयासों यानी परीक्षा पर्व को पूरक बनाना है।
- ड. राजभाषा का प्रयोग**
- i. **हिंदी पखवाड़ा**
- 9.28 देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित दो दिवसीय (14-15 सितंबर, 2023) हिंदी दिवस कार्यक्रम में आयोग के सहायक निदेशक ने भाग लिया। कर्मचारियों के बीच माननीय गृह मंत्री और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के संदेश पढ़े गए। एनसीपीसीआर में 16 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिंदी निबंध, शब्द स्मरण, हिंदी काव्य पाठ, हिंदी श्रुतलेख (केवल एमटीएस के लिए) जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोग में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां की गईं। आयोग के कर्मचारियों ने इन

आयोजनों में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को एनसीपीसीआर के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य सचिव द्वारा नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

ii. हिंदी कार्यशाला

9.29 हिंदी भाषा में काम करने के लिए आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष की प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कार्यशाला के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में पत्रों के प्रारूप तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में भाग लेने वालों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में भी जानकारी दी गई।

iii. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

9.30 राजभाषा अधिनियम, 1963 के विभिन्न संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक तिमाही में एनसीपीसीआर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है। बैठक के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर सक्षम प्राधिकारी के साथ चर्चा की जाती है।

च. बेंच/शिविर

9.31 सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(छ) के तहत आयोग का एक कार्य शिकायतों की जांच करना और बाल अधिकारों और उनके अधिकारों के उल्लंघन और वंचन के मामलों का स्वतः संज्ञान लेना है।

9.32 आयोग सीपीसीआर अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त अधिदेशों के तहत अपने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के हर बच्चे तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एनसीपीसीआर ने सितंबर, 2023 से दूसरे चरण में आदिवासी बहुल जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों वाले जिलों में शिकायत निवारण शिविर/बेंच आयोजित करने का कार्य शुरू किया है। एनसीपीसीआर

ने बच्चों के अधिकारों और अधिकारों के उल्लंघन और वंचना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अपनी शिकायत निवारण बेंच/शिविर आयोजित किए हैं।

9.33 जनवरी, 2023 से मार्च, 2024 तक एनसीपीसीआर द्वारा आयोजित बेंचों/शिविरों का विवरण **अनुलग्नक—XXIV** में दिया गया है।

9.34 आकांक्षी ब्लॉकों और जनजातीय बहुल जिलों में एनसीपीसीआर की 117 शिकायत निवारण बेंचों/शिविरों में एनसीपीसीआर को बाल अधिकारों के उल्लंघन और वंचन के विभिन्न मुद्दों से संबंधित लगभग 44,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग के हस्तक्षेप से संबंधित विभागों द्वारा बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनाए गए। दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग पेंशन से जोड़ा गया। पंचायत सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और बच्चों की एक समिति बनाकर संवेदनशील परिवारों की मैपिंग की गई। संवेदनशील परिवारों, कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को सरकारी योजना से जोड़ा गया। संबंधित विभागों से मौके पर ही आवेदन मांगा गया और समाधान भी किया गया।

छ. शिकायत निवारण

i. बाल अधिकारों के उल्लंघन/वंचित करने की शिकायतें और आयोग द्वारा स्व संज्ञान से की गई कार्रवाई।

9.35 बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत एनसीपीसीआर को बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिदेश प्राप्त है। रिपोर्ट के अवधि (जनवरी 2023 से जनवरी, 2024 तक) के दौरान आयोग को एनसीपीसीआर की बेंचों/शिविरों से प्राप्त शिकायतों सहित बाल अधिकारों के वंचन और उल्लंघन से संबंधित 27456 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके सापेक्ष, इस अवधि के दौरान लंबित शिकायतों सहित 3406 शिकायतें बंद कर दी गईं। (विवरण **अनुलग्नक—XXV** में दिया गया है)

ज. एनसीपीसीआर का 18 वां स्थापना दिवस समारोह—

9.36 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने 2 मार्च, 2023 को प्रधानमंत्री संग्रहालय, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली के सभागार में “बालिकाओं को सशक्त बनाना” थीम पर अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन को मनाने के लिए एनसीपीसीआर ने देश भर के 75 जिलों के सीमावर्ती गांवों की बालिकाओं को आमंत्रित किया। कार्यक्रम में बीएसएफ परिवारों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा जैसे सीमावर्ती जिलों के 46 दूरदराज के सीमावर्ती गांवों के बच्चों ने भाग लिया।

9.37 केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं। महिला एवं बाल विकास सचिव, श्री इंदीवर पांडे तथा एनसीपीसीआर के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो समारोह में शामिल थे।

9.38 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने बच्चों से बातचीत की तथा कार्यक्रम में अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। देश के जीवंत सीमावर्ती जिलों से बच्चों की भागीदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार बच्चे “राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं”। उन्होंने बच्चों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

9.39 महिला एवं बाल विकास तथा माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर बाल अधिकार साक्षरता पर समर्पित फीचर “चाइल्ड राइट्स चैंपियंस वर्ल्ड” का शुभारंभ किया। बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री की पुस्तक “एग्जाम वारियर” वितरित की गई। एनसीपीसीआर द्वारा सभी बच्चों और उनके अभिभावकों/अनुरक्षकों के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय,

नई दिल्ली का 8मण भी आयोजित किया गया।

झ. बचाव अभियान

9.40 एनसीपीसीआर ने 1 से 30 जून, 2023 तक चलने वाले “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत पूरे भारत में 20 राज्यों, 145 जिलों और 145 स्थानों पर बचाव अभियान चलाकर विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के तत्वाधान में “बाल श्रम उन्मूलन” माह मनाया। यह बचाव अभियान विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों/रेलवे रोड (1 किमी के दायरे में) के क्षेत्रों पर केंद्रित था। इस बचाव अभियान ने सभी अधिकारियों, विभागों और हितधारकों द्वारा अभिसरण कार्रवाई के माध्यम से बाल और बंधुआ मजदूरी के मुद्दे का समाधान करने के लिए एकीकृत प्रतिबद्धता तथा कार्रवाई का अवसर प्रदान किया। बचाव अभियान के हितधारकों में एसडीएम/एडीएम, सीडब्ल्यूसी, श्रम निरीक्षक, डीसीपीओ, डीपीओ, एसजेपीयू, चाइल्डलाइन, डीएलएसए, टास्क फोर्स अधिकारी, स्वयंसेवक (एनसीसीए, आईएसएस), एनजीओ, आरपीएफ इत्यादि शामिल थे।

9.41 बचाव कार्यों के संबंध में 3 से 9 नवंबर 2023 तक क्षेत्रवार वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं। पूरे भारत में 145 स्थानों से 2150 बच्चों को बचाया गया, 258 एफआईआर दर्ज की गई और 149 चालान जारी किए गए।

भाग— II

क. मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्डलाइन में बदलाव

9.42 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने 2021 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद बच्चों के कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में अब मिशन वात्सल्य का कार्यान्वयन किया है ताकि भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित किया जा सके, उन्हें अवसर प्रदान किए जा सकें, उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें सभी मामलों में निरंतर रूप से

विकसित होने में सहायता की जा सके। जैसा कि प्रस्तावित है, मिशन वात्सल्य राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में जेजे अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित और 2021 में संशोधित बच्चों के लिए 24x7-हेल्पलाइन सेवा को क्रियान्वित करेगा। उसी के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने चाइल्डलाइन सेवाओं को सीधे भारत सरकार के दायरे में लाने के लिए विद्वान एएसजी से कानूनी राय प्राप्त करने हेतु एनसीपीसीआर के अध्यक्ष को एक नोट भी भेजा है। माननीय विद्वान एएसजी द्वारा दी गई राय के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, लागू योजना अर्थात् मिशन वात्सल्य में उचित प्रावधानों

के माध्यम से चाइल्डलाइन के राष्ट्रीय स्तर के संचालन के लिए एनसीपीसीआर जैसे अन्य संगठन का चयन और नियुक्ति कर सकता है। चूंकि चाइल्डलाइन-1098 सेवाओं का प्रावधान जेजे अधिनियम, 2015 के तहत किया गया है और आयोग को धारा 109 के तहत अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए चाइल्डलाइन सेवा की निगरानी भी एनसीपीसीआर की निगरानी भूमिका में आती है।

9.43 उपर्युक्त के मद्देनजर अपनी निगरानी शक्तियों को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने महिला एवं बाल विकास



मंत्रालय को चाइल्डलाइन सेवाओं के परिवर्तन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया।

ख. मध्यस्थता प्रकोष्ठ

9.44 माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने अपने आदेश संख्या 31.59.2016—सीडब्ल्यू—1 दिनांक 27 जुलाई, 2018 के माध्यम से बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 33(1) के तहत भारत सरकार को प्रदत्त शक्ति के अनुसार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) में एक “मध्यस्थता प्रकोष्ठ” का गठन किया। यह उन बच्चों जिन्हें पति या पत्नी में से किसी एक ने, दूसरे पति या पत्नी की अनुमति के बिना, वैवाहिक कलह या घरेलू हिंसा के कारण विदेशों से भारत या विलोमतः ले लिया था के मामलों को सुलझाने और बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए एक अभिभावक योजना तैयार करने के लिए बनाया गया था। यह प्रकोष्ठ एनआरआई माता-पिता से जुड़े मामलों में सक्रिय रूप से मध्यस्थता कर रहा है।

ग. पोर्टल और डिजिटलीकरण

i. एमएसआई – निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप:

9.45 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक एप्लिकेशन— **एमएसआई** – निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप तैयार किया है। इस व्यापक एप्लिकेशन को तैयार करने का लक्ष्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत प्रदान किए गए बाल देखरेख संस्थानों के निरीक्षण के लिए तंत्र का प्रभावी और कुशल कामकाज और प्रणाली की समकालिक निगरानी करना है।

ii. बाल स्वराज पोर्टल—कोविड केयर

9.46 एनसीपीसीआर ने देखरेख और संरक्षण की

ज़रूरत वाले बच्चों की वास्तविक समय पर निगरानी करने के लिए बाल स्वराज नामक एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया था। कोविड महामारी की दूसरी लहर और कोविड के कारण अपने माता-पिता को खोकर अनाथ हो चुके बच्चों के लिए प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, पोर्टल पर एक लिंक—कोविड केयर लिंक तैयार किया गया था।

iii. बाल स्वराज पोर्टल—सीआईएसएस

9.47 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15.11.2021 को एसएमडब्ल्यूपी (सी) संख्या 6/2021 बेसहारा बच्चों के कानूनी मामलों के मुद्दे पर संज्ञान लिया है। इस मामले में बेसहारा बच्चों के बचाव और पुनर्वास से संबंधित समस्याओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया और राज्य सरकारों को बेसहारा बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए उपाय और कदम उठाने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया था कि एनसीपीसीआर द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया 2.0 में बेसहारा वाले बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए ऐसे बच्चों से निपटने के दौरान अधिकारियों की भूमिका और उठाए जाने वाले कदमों के प्रावधान की प्रकृति व्यापक है।

iv. बाल स्वराज – नागरिक लॉगिन (पोर्टल)

9.48 एनसीपीसीआर ने अपने बाल स्वराज पोर्टल—सीआईएसएस पर एक लिंक <https://ncpcr.gov.in/baalswaraj/citizenlogin> तैयार किया है जिसके माध्यम से बेसहारा बच्चों के लिए काम करने का विविध अनुभव रखने वाले व्यक्ति, शैक्षणिक संस्थान और गैर-सरकारी संगठन/सिविल सोसायटी संगठन (जिन्हें क्रमशः “एनजीओ/सीएसओ” कहा जाएगा) (जिन्हें आगे “सीआईएसएस” कहा जाएगा) सीआईएसएस की पहचान और पुनर्वास के लिए उपयुक्त अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर शामिल हो सकते हैं।

v. पॉक्सो ट्रेकिंग पोर्टल

9.49 पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने 17 जुलाई, 2022 को किया था। यह ट्रैकिंग पोर्टल, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसकी परिकल्पना धारा 44 में उल्लिखित पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रवर्तन की देखरेख करने के आयोग के अधिदेश को पूरा करने के लिए की गई थी। पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल यौन शोषण के पीड़ितों के लिए कार्यान्वयन की निगरानी तथा सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष मंच की अनिवार्यता को पहचानते हुए, ट्रैकिंग पोर्टल का उद्देश्य बाल यौन शोषण पीड़ितों से जुड़े मामलों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग प्रदान करना है। इसका उद्देश्य पीड़ितों के मुआवजे और पुनर्वास के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, उनकी देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

vi. जीएचएआ(घर) पोर्टल

9.50 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2021 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 के कार्यान्वयन के संबंध में एनसीपीसीआर निगरानी भूमिका की सीमा और दायरा काफी बढ़ गया है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 (बच्चे का स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन) के नियम 81 के अनुसार, आयोग की भूमिका को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। जेजे अधिनियम, 2015 और इसके नियम, 2016 के कार्यान्वयन के बाद से कई चुनौतियां और कमियां सामने आईं विशेष रूप से बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। उन चुनौतियों को खत्म करने के प्रयास में जो अधिकारियों द्वारा प्रत्यावर्तन में सामना की जा रही हैं और अधिक से अधिक बच्चों को उनके परिवारों/रिश्तेदारों के साथ उनके मूल स्थान पर वापस भेजने के लिए आयोग ने बच्चों की बरामदगी

और प्रत्यावर्तन के लिए प्रोटोकॉल और जीएचएआर (घर जाओ और फिर से मिलो) पोर्टल तैयार किया है।

vii. स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए ट्रैकिंग पोर्टल

9.51 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है जो या तो स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल छोड़ने की संभावना है तथा कोविड महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा जारी रखने के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। पिछले आदेश दिनांक 09.05.2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की शिक्षा जारी रखने और स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए, एनसीपीसीआर ने एक वेब पोर्टल विकसित किया है जो उन बच्चों को ट्रैक और मॉनिटर करेगा जो स्कूल छोड़ चुके हैं और वर्तमान में स्कूल से बाहर हैं ताकि ऐसे बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में वापस लाया जा सके।

i. पॉक्सो ई-बॉक्स

9.52 पॉक्सो ई-बॉक्स, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के लिए एक आसान और सीधा माध्यम है। पॉक्सो ई-बॉक्स को आयोग द्वारा अगस्त 2016 में एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लॉन्च किया गया था ताकि बच्चे सीधे खासकर यौन शोषण के मामलों में एनसीपीसीआर में शिकायत दर्ज करा सकें। इसे एनसीपीसीआर वेबसाइट के होम पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। इस पर उपयोगकर्ता को बस पॉक्सो ईबॉक्स नामक बटन दबाना है जो चित्र विकल्प पूछने वाले पेज पर नेविगेट करेगा। उपयोगकर्ता को बस कम से कम एक चित्र विकल्प चुनना है, एक सरल फॉर्म भरना है और शिकायत दर्ज करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद, शिकायत दर्ज होने के बारे में एक पावती और शिकायत संख्या प्राप्त होती है। यह पहल शिकायत और सूचना प्राप्त करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक साबित हुई है।

ix. प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल

9.53 निगरानी प्राधिकरण होने के नाते एनसीपीसीआर को एनसीपीसीआर द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभिन्न अधिनियमों के तहत आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में वित्तीय, मानवीय और अन्य संसाधनों को बचाने के लिए एनसीपीसीआर ने एनसीपीसीआर नियम, 2006 के नियम 17 (छ) के तहत विभिन्न संकेतकों पर एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना

प्रणाली पोर्टल के विकास के माध्यम से आंकड़ा/सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विभिन्न संकेतकों के तहत प्रदर्शन को इंगित करता है जो अन्य स्रोतों से आंकड़ा की तुलना करने में मदद करता है। 187 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और 2238 जिला स्तर के नोडल अधिकारियों को नियमित आधार पर प्रासंगिक जानकारी अपलोड करने के लिए सिस्टम तक पहुंच दी गई है।



केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

10.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) की स्थापना जून, 1990 में कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित किए गए बच्चों को गोद लेने को विनियमित करने, निगरानी करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य देखभाल और सुरक्षा के लिए जरूरतमंद बच्चों के लिए प्यार करने वाले परिवार को ढूंढना है। 2 जुलाई, 1998 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 18 मार्च, 1999 को कारा को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत करके स्वायत्त दर्जा प्रदान किया। जेजे अधिनियम, 2000 के तहत गोद लेने से संस्थागत बच्चों को गोद लेने में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसियों और अधिकारियों की भागीदारी के साथ गोद लेने में सक्षम बनाया गया।

10.2 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) 15 जनवरी, 2016 से किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार का वैधानिक निकाय है। जेजे अधिनियम, 2015 को 09/08/2021 को सरकारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है। इस संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसमें मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अपर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को

अधिकृत करना शामिल है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है।

I. कारा की भूमिका और चार्टर

10.3 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68 में परिकल्पना के अनुसार कारा को निम्नानुसार अधिदेश दिया गया है :

- क. देश के भीतर दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देना और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय से अंतर-राज्यीय दत्तक-ग्रहण को सरल बनाना;
- ख. अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण को विनियमित करना;
- ग. दत्तक ग्रहण और तत्संबंधी मामलों पर समय-समय पर यथाआवश्यक विनियमन निरूपित करना;
- घ. बालकों के संरक्षण पर हेग सम्मेलन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यों का निष्पादन करना और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में सहयोग करना;
- ङ. यथा नियत कोई अन्य कार्य करना।

II. संगठनात्मक ढांचा

10.4 केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होते हैं और

उसके अधिकारियों और कर्मचारियों सहित संस्वीकृत संख्या 37 है। प्राधिकरण में किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 में यथावर्णित निम्नलिखित सदस्यों की एक संचालन समिति है:—

- क. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार पदेन अध्यक्ष;
- ख. संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन प्राधिकारी;
- ग. वित्तीय मामलों से संबद्ध संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन— प्राधिकारी;
- घ. राज्य दत्तक—ग्रहण संसाधन एजेंसी से एक सदस्य;

- ड. विशिष्ट दत्तक—ग्रहण एजेंसी से दो सदस्य;
- च. दत्तक ग्रहण योग्य माता—पिता;
- छ. दत्तक/गोद लिया गया;
- ज. एक वकील या प्रोफेसर जिसके पास परिवार कानून में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो,
- छ. सदस्य—सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।

III. सम्बद्ध प्राधिकारी एवं एजेंसियां

10.5 दत्तक—ग्रहण प्रक्रिया में केन्द्रीय दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से सम्बद्ध प्राधिकरण और एजेंसियां नीचे तालिका में दी गई हैं:—

क्र. सं.	हितधारक क्षाल दत्तक ग्रहण—सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) में पंजीकृत	हितधारकों की संख्या (31.03.2024 तक)
(क)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एसएएए)	516
(ख)	जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)	736
(ग)	एसएए, से संबंधित बाल देखरेख संस्था (सीसीआई)	5789
(घ)	प्राधिकृत विदेश दत्तकग्रहण एजेंसियां (एएफएए) और विदेशों के लिए केंद्रीय प्राधिकारी (सीए)	51
(ड)	भावी ग्राही योग्य माता—पिता (पीएपी)	देश के भीतर - 30760 अंतर—देशीय - 873
(च)	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां (एसएआरए)	35
(छ)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ)	592
(ज)	बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)	297

(स्रोत: केयरिंग्स)

दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने के उद्देश्य से सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ऑनलाइन जुड़े हुए हैं।

IV. कार्यक्रम गतिविधियां

10.6 कारा ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68 (C) के तहत अधिदेशित दत्तक ग्रहण नियम, 2022 तैयार किया, जो 23 सितंबर, 2022 से प्रभावी है। नए दत्तक ग्रहण विनियम का उद्देश्य दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके देश में गोद लेने के कार्यक्रम को मजबूत करना है। पारदर्शिता, बच्चों का शीघ्र संस्थागतकरण, माता-पिता के लिए सूचित विकल्प, नैतिक प्रथाएं और गोद लेने की प्रक्रिया में परिभाषित समयसीमा, दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के मुख्य पहलू हैं।

क. दत्तक ग्रहण विनियमन और परिणाम की अधिसूचना

i. डीएम का सशक्तिकरण

10.7 जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) का जिले में जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उसे जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास करने का कार्य सौंपा गया है। जेजे संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुरूप दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 ने डीएम को निर्धारित समय सीमा के भीतर दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने का अधिकार दिया, जबकि पहले दत्तक ग्रहण आदेश जिला न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते थे। 12 सितंबर, 2022 तक विभिन्न न्यायालयों में दो महीने से लेकर एक वर्ष से अधिक समय तक के 997 दत्तक ग्रहण आदेश लंबित थे। 31 दिसंबर 2023 तक लंबित मामलों में काफी कमी आई है। (अधिकांश मामले 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर हैं)।

ii. सीएमओ द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सत्यापन

10.8 विशेष आवश्यकता वाले (एसएन) बच्चों को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित/सरल बनाने और ऐसे बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का सटीक निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियमन 37 में प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

- i. जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची XVIII और अनुसूची-III (भाग-ई) के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति की घोषणा करनी होगी।
- ii. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार अनुसूची III (चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट) और अनुसूची XVIII (विशेष आवश्यकताओं का वर्गीकरण) को रोग/विकृति की 15 व्यापक श्रेणियों के साथ पुनः तैयार किया गया है।

10.9 600 से अधिक सीएमओ पंजीकृत हैं और नया एमईआर मॉड्यूल विकसित किया गया है जो सीएमओ को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति को प्रमाणित करने में सक्षम बनाता है।

iii. पालन पोषण देखभाल दत्तक-ग्रहण

10.11 पालन पोषण दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा जो पहले से ही किसी परिवार की पालन पोषण देखभाल में है उसे पालन-पोषण देखभाल में 2 वर्ष के सफल समापन पर उसी परिवार के साथ स्थायी रूप से रहने का अवसर मिलता है। विनियम 41(19) सीएआरए को ऐसे बच्चों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां संचालित करने का अधिदेश देता है जो दत्तक ग्रहण के माध्यम से परिवार ढूंढने में सक्षम नहीं हैं। और इसके अतिरिक्त विनियम 53 बच्चों के पुनर्वास के लिए अन्य विकल्प निर्धारित करता

है और कारा पालन पोषण देखभाल के माध्यम से दत्तक ग्रहण के लिए कठिन बच्चों के लिए अतिरिक्त प्रयास कर सकता है। दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अनुरूप कारा ऐसे बड़े बच्चों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दे रहा है जो पहले से ही पालन पोषण देखभाल में हैं। बड़े बच्चों के दत्तक ग्रहण के कार्यक्रम के लाभों को व्यापक बनाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ केयरिंग पोर्टल पर एक नया 'पालन पोषण दत्तक ग्रहण' टैब कार्यशील किया गया है जिनकी कानूनी स्थिति जेजे अधिनियम, 2015 के तहत उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से परिभाषित की गई है। पोर्टल ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए कार्यशील है जो पहले से ही पालक देखभाल में हैं और पालन पोषण माता-पिता और पालन पोषण देखभाल में बच्चे दोनों दत्तक ग्रहण का विकल्प चयन करना चाहते हैं। इस मॉड्यूल के माध्यम से अब तक 10 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, केयरिंग पर हाल ही में संचालित पालन-पोषण देखभाल दत्तक ग्रहण अनुभाग पर 29 और मामले दर्ज किए गए हैं।

क. पालन पोषण देखभाल

10.12 केयरिंग पर फोस्टर केयर मॉड्यूल को भी कार्यात्मक बनाया गया है। इससे जेजे अधिनियम, 2015 (2022 में संशोधित) की धारा 44 और जेजे मॉडल नियम, 2016 का नियम 23 (2021 में संशोधित) में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार 'दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बच्चे (hard to place child) और 'गोद न लेने योग्य बच्चों' की श्रेणी में बड़े बच्चों की गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले सभी बच्चे (सीएनसीपी) जिनमें "मुलाकात नहीं" और "अयोग्य अभिभावक" श्रेणी के बच्चे भी शामिल हैं, पालन पोषण देखभाल के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, केयरिंग पर हाल ही में शुरू किए गए पालन-पोषण केयर खंड पर 100 से अधिक माता-पिता पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त पालन पोषण देखभाल में दो वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने और सभी निर्धारित मानदंडों का पालन करने के पश्चात पालन पोषण माता-पिता भी उसी

बच्चे को दत्तक ग्रहण ले सकते हैं जो उनके पालन-पोषण में था।

iv. हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को सुविधाजनक बनाना

10.13 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए), 1956 विधि और न्याय मंत्रालय के दायरे में व्यक्तिगत कानून है जो हिंदुओं को दत्तक ग्रहण की अनुमति देता है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 ने अपने अध्याय VIII में एनआरआई/ओसीआई पीएपी द्वारा एचएएमए दत्तक ग्रहण के मामलों में सीएआरए की भूमिका और जिम्मेदारी निर्धारित की है, जो बच्चे को विदेश में स्थानांतरित करने के इच्छुक हैं। कारा गैर-निवासी भारत (एनआरआई) या भारत के विदेशी नागरिकों के लिए दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन पंजीकृत करता है, कार्ड धारक भावी दत्तक माता-पिता जो देश के बाहर रहते हैं और अब बच्चे को विदेश स्थानांतरित करना चाहते हैं। 01 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक कारा द्वारा 50 समर्थन पत्र जारी किये गये हैं।

अ. व्यवधान या विघटन में अनिवार्य परामर्श

10.14 भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) और बड़े बच्चों को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान और उसके पश्चात की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, चुनौतियों और समाधान पर उन्मुख करने के लिए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 ने पीएपी और बच्चों के लिए अनिवार्य परामर्श निर्धारित किया है। काउंसलिंग का उद्देश्य पीएपी को तैयार करना और बच्चे के दत्तक ग्रहण वाले परिवार में तीव्रता से अनुकूलन सुनिश्चित करना है। जेजे अधिनियम के तहत जहां व्यवधान/विघटन हुआ है वहां बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। केयरिंग के माध्यम से व्यवधान या विघटन की ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी सक्षम की गई है।

vi. समयसीमा

10.15 दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में, गोद लेने के मामले को सुचारु रूप से निष्पादित करने के लिए प्रत्येक चरण अपने विगत चरण पर निर्भर होता है। प्रक्रियाओं में विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से परिभाषित समय सीमा निर्धारित की गई है। विभिन्न चरणों में समयसीमा जैसे कानूनी रूप से निःशुल्क दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र (एलएफए) को दस दिनों के अंतर्गत अपलोड करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर जांच करना और पांच दिनों के भीतर डीसीपीयू द्वारा दत्तक ग्रहण के आवेदन दस्तावेजों का सत्यापन, डीएम द्वारा साठ दिनों के अंतर्गत गोद लेने के आदेश जारी करना इत्यादि दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 में उल्लिखित कुछ समयसीमाएं हैं। विस्तृत समय-सीमा **अनुलग्नक XIX — अधिकारियों और एजेंसियों के लिए समय-सीमा** में दी गई है। इससे प्रत्येक स्तर पर प्रक्रिया में तीव्रता आई है और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित की है।

vii. गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना

10.16 गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) दत्तक ग्रहण के लिए पीएपी की पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के आधार हेतु महत्वपूर्ण और प्रारंभिक दस्तावेजों में से एक है। नए विनियमों में इस उत्तरदायित्व को डीसीपीयू के साथ-साथ चयनित एसएए के सामाजिक कार्यकर्ता या एसएआरए के पैनल में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता को सौंपा गया है। एचएसआर आयोजित करने की समयसीमा 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। तब से 31 मार्च, 2024 तक विनियमन की अधिसूचना की दिनांक से डीसीपीयू द्वारा 822 एचएसआर पूर्ण किए जा चुके हैं।

viii. भारतीय राजनयिक मिशनों (आईडीएम) की भूमिका

10.17 विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों (आईडीएम) को एनआरआई/ओसीआई पीएपी द्वारा दत्तक ग्रहण से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विद्यमान जिम्मेदारियों

के अतिरिक्त नवीनतम विनियम आईडीएम को विदेशी देश में स्थानांतरित होने वाले भारतीय दत्तक माता-पिता के लिए दत्तक ग्रहण के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई करने का आदेश देते हैं।

ix. जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की भूमिका

10.18 जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार एसएए या दत्तक माता-पिता द्वारा दायर आवेदन पर दत्तक ग्रहण गए बच्चे के पक्ष में जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है। इसका उद्देश्य भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार डीएम के दत्तक ग्रहण आदेश में उल्लिखित दत्तक माता-पिता के नाम को माता-पिता के रूप में और बच्चे की जन्म तिथि शामिल करना है। विनियमों ने स्पष्ट किया है कि जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 'दत्तक माता-पिता की कोई वास्तविक उपस्थिति' आवश्यक नहीं है।

x. शिकायत प्रबंधन प्रणाली को नया स्वरूप

10.20 शिकायत का समय पर निवारण बड़ी चुनौती रही है क्योंकि सभी शिकायतें प्रत्यक्ष कारा को संबोधित की जाती थीं। यह विदित हुआ है कि मुख्यतः शिकायतें दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता न होने के कारण थीं। समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

- i. **ऑवर हेल्प डेस्क:** त्वरित तरीके से प्रश्नों का समाधान करने के लिए 12 घंटे की हेल्प डेस्क स्थापित की गई।
- ii. **केंद्रीय शिकायत प्रणाली:** यह विभिन्न स्तरों पर शिकायतों को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसे क्रियान्वित कर दिया गया है जहां शिकायतों को स्तरों पर संबोधित किया जाता है अर्थात् यदि एसएए/डीसीपीयू द्वारा समाधान नहीं किया जाता है तो यह सारा के ऑनलाइन पोर्टल पर और अंत में कारा पर दिखाई देगा।

10.21 हेल्पडेस्क द्वारा प्राप्त कॉलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	प्राप्त कॉल	की गई कॉल	कुल
1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक	79433	79433	79433

10.22 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक सीपीजीआरएमएस, केयरिंग्स शिकायत पोर्टल और ई-मेल के माध्यम से कुल 2065 शिकायतें प्राप्त हुई और 2037 शिकायतों का समाधान किया गया।

xi. गैर-गंभीर पीएपी के लिए दंडात्मक उपाय

10.23 दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 में गैर-गंभीर पीएपी के लिए कठोर उपाय निर्धारित किए गए हैं और साथ ही प्रतीक्षारत पीएपी को दत्तक ग्रहण का अवसर मिलने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इन मुद्दों का संज्ञान लेते हुए, नए विनियमों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- यदि पीएपी निर्धारित तीन रेफरल में से किसी एक बच्चे को चयनित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिसके बाद वे नए पंजीकरण के साथ दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में फिर से प्रवेश कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसे सभी पीएपी को पहले ही सिस्टम से हटा दिया गया है।
- यदि पीएपी व्यवधान/विघटन का कारण पाए जाते हैं तो उन्हें पुनः दत्तक ग्रहण से रोक दिया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक कुल 55 पीएपी को सिस्टम से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

xii. छोटे बच्चों के लिए युवा पीएपी

10.24 बच्चे की देखभाल और पोषण करने के लिए, पीएपी के लिए बच्चे के ऊर्जा स्तर से मेल खाना उचित हो जाता है। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चे को बड़े बच्चे की तुलना में माता-पिता से अधिक शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, पीएपी की आयु सीमा बच्चे के अनुसार निर्धारित की गई है।

दत्तक ग्रहण विनियमन, 2022 ने आयु पात्रता मानदंड को संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे बच्चों को छोटे पीएपी के साथ रखा जाए। इसके लिए 0-4 वर्ष की श्रेणी को 0-2 वर्ष में विभाजित किया गया है, जिसमें दम्पतियों के लिए संयुक्त आयु 85 वर्ष और एकल पीएपी के लिए 40 वर्ष है। इसके साथ ही 2-4 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दम्पतियों के लिए अधिकतम संयुक्त आयु 90 वर्ष और एकल पीएपी के लिए 45 वर्ष है।

xiii. बाल कल्याण समिति मॉड्यूल

10.25 बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्रवाई करने और दत्तक ग्रहण की पात्रता के लिए उनकी कानूनी स्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीडब्ल्यूसी को कैरिंग्स तक पहुंच प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से अब वे ऑनलाइन पंजीकृत सभी दत्तक ग्रहण और पालन-पोषण के लिए उपलब्ध बच्चों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।

xiv. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

10.26 दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार "विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का अर्थ है वह बच्चा जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत विनियमों की अनुसूची XVIII और अनुसूची III (भाग ई) में दी गई किसी विकलांगता से पीड़ित है"। वर्तमान में बच्चों को दत्तक ग्रहण विनियमों की अनुसूची III, भाग ई में दिए गए अनुसार बच्चों से संबंधित रोग/विकृति की 15 व्यापक श्रेणियों के आधार पर विशेष आवश्यकताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक कुल 362 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रखा गया है। ये बच्चे विभिन्न शारीरिक और मानसिक विकारों और विकलांगताओं से पीड़ित थे और जिले के सीएमओ द्वारा उन्हें विशेष आवश्यकता वाले के रूप में घोषित किया गया था। इसके अलावा, गृहों में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या को कम

करने के लिए, सीएमओ द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के वर्गीकरण की प्रगति की निगरानी के लिए 69 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों से संपर्क किया गया।

xv. आरआई/एनआरआई/ओसीआई पीएपी के लिए 7-डे पोर्टल

10.27 7-डे पोर्टल 14 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, जिसके ज़रिए निवासी भारतीय (आरआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारक भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) को अपने पीएपी लॉगिन से केयरिंग पर '7 डे' मॉड्यूल से बच्चे को पहुँच करने और आरक्षित करने में सक्षम बनाया गया, चाहे उनकी वरिष्ठता कुछ भी हो। तब से कई बच्चों को रखा गया है।

xvi. समर्थक दस्तावेज़ जारी करना

10.28 कारा ने नजदीकी रिश्तेदारों और सौतेले दत्तक ग्रहण के मामलों में 380 पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी किए हैं तथा अपने बच्चों के स्थानांतरण के लिए घरेलू दत्तक माता-पिता को पासपोर्ट जारी करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को 62 समर्थन पत्र जारी किए हैं।

xvii. पहले से ही दो बच्चों वाले भावी माता-पिता को सामान्य बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं देना

10.29 दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के विनियमन 5(7) के अनुसार, दो या अधिक बच्चों वाले दम्पतियों को केवल विनियम 2 के खंड (25) में निर्दिष्ट विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, और विनियम 2 के खंड (13) में बताए गए कठिन बच्चों के लिए विचार किया जाएगा, जब तक कि वे संबंधी या सौतेले बच्चे न हों।

xviii. दत्तक ग्रहण शुल्क और उसके उपयोग में स्पष्टता

10.30 दत्तक ग्रहण शुल्क और एसएए/सीसीआई द्वारा इसके उपयोग पैटर्न का विवरण, दत्तक ग्रहण विनियमन, 2022 में अनुसूची XV (विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों द्वारा दत्तक ग्रहण शुल्क और उनका उपयोग) में प्रदान किया

गया है। इससे दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में शामिल हितधारकों के लिए पारदर्शिता और स्पष्टता आई है।

v. कैरिंग्स

10.31 फरवरी, 2021 में शुरू की गई चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम (कैरिंग्स) दत्तक ग्रहण के इच्छुक पीएपी के पंजीकरण के लिए एक वेब आधारित नामित पोर्टल है। सभी हितधारकों की पोर्टल तक पहुँच है और गोद लेने की प्रक्रिया कैरिंग्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जाती है। इसका नवीनतम संस्करण 3.2 10 नवंबर, 2022 को चालू किया गया था, जिसमें गोद लेने के नियम 2022 के अनुसार किए गए नए प्रावधान शामिल हैं, जिसमें इन-कंट्री रिलेटिव एडॉप्शन और इन-कंट्री पोस्ट एडॉप्शन फॉलो-अप मॉड्यूल भी शामिल हैं।

10.32 कैरिंग्स पोर्टल बच्चों के संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर हेग कन्वेंशन में परिकल्पित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि करता है। यह कानूनी रूप से मुक्त बच्चों से संबंधित दो डेटाबेस को भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के डेटाबेस के साथ एकीकृत करता है, जो उसी प्रणाली के माध्यम से स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करते हैं। स्वचालित प्रणाली दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों को स्वचालित रूप से पीएपी द्वारा दिए गए विकल्प के साथ मिलाती है और यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से ऑनलाइन रेफरल देती है। साथ ही, पीएपी विशेष आवश्यकता टैब, पालक दत्तक ग्रहण टैब और तत्काल प्लेसमेंट टैब के माध्यम से प्रत्यक्ष बच्चों को देखने और आरक्षित करने में सक्षम हैं।

i. मॉड्यूल और प्रावधानों का विकास

10.33 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) को 01.09.2022 से लागू किया गया और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 को 2022 में संशोधित किया गया है जिसे 23.09.2022 से अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, वर्ष 2023 के दौरान निम्नलिखित मॉड्यूल और प्रावधान

विकसित किए गए हैं और उन्हें कैरिंग्स पोर्टल पर लाइव किया गया है।:-

- i. स्वचालित रेफरल चक्र 15-01-2024 से सप्ताह में पांच दिन सोमवार को सुबह 10:00 बजे, मंगलवार को सुबह 11:00 बजे, बुधवार को दोपहर 12:00 बजे, गुरुवार को दोपहर 01:00 बजे और शुक्रवार को दोपहर 02:00 बजे निष्पादित किया जा रहा है। खविनियम 8 (1) (क और ख),।
- ii. 'आरआई/एनआरआई/ओसीआई पीएपी के लिए 7 दिन' टैब का स्वचालित निष्पादन 15-01-2024 से सप्ताह में एक बार प्रत्येक मंगलवार को सुबह 10:00 बजे निष्पादित किया जा रहा है। खविनियम 8 (1) (ग),।
- iii. पहले से ही दो बच्चों वाले पीएपी को सामान्य बच्चे को दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं देना खविनियम 5 (7),।
- iv. अपेक्षित संख्या में रेफरल (आरआई/एनआरआई/ओसीआई पीएपी के लिए तीन रेफरल और विदेशी पीएपी के लिए दो रेफरल) में से किसी बच्चे को आरक्षित न करने वाले पीएपी को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित करना खविनियम 9 (3)।
- v. व्यवधान और विघटन मॉड्यूल खविनियम 14 (5) (6)।
- vi. संशोधित केंद्रीय शिकायत प्रणाली (सीजीएस)।
- vii. पालन-पोषण दत्तक ग्रहण मॉड्यूल।
- viii. कारा डैशबोर्ड।
- ix. पालन-पोषण देखभाल पंजीकरण।
- x. सीडब्ल्यूसी मॉड्यूल।
- xi. विभिन्न हितधारकों के लिए एसएमएस/ई-मेल अलर्ट प्रणाली।
- xii. अंतर-देशीय रिश्तेदार दत्तक ग्रहण खविनियम 56-60।

- xiii. अद्यतन मॉड्यूल अभी क्रियान्वित होना है। देश के भीतर संबंधी दत्तक ग्रहण खविनियम 54,। अद्यतन मॉड्यूल क्रियान्वित किया गया है।

VI. पिछले तीन वर्षों के दौरान दत्तक ग्रहण डेटा (समेकित):-

दत्तक ग्रहण	2021-22*	2022-23**	2023-24 (31.03.2024 तक)**
अंतरा-देशीय	2991	3010	3580
अंतर-देशीय	414	431	449

*कारा वेबसाइट पर दिए गए दत्तक ग्रहण सांख्यिकी के अनुसार।

**डेटा कैरिंग्स पोर्टल से प्राप्त किया गया

VII प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियां

10.34 पिछले एक वर्ष में दत्तक ग्रहण के कानूनी ढांचे में बड़े परिवर्तन हुए हैं। फील्ड/जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नवीनतम परिवर्तनों, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से लैस करने के लिए, लगातार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकतम हितधारकों को लाभ मिले, प्रशिक्षण वास्तविक और आभासी दोनों तरह से आयोजित किए गए। जेजे संशोधन अधिनियम, 2021 और जेजे मॉडल नियम, 2022 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन एमडब्ल्यूसीडी द्वारा कारा और निपसिड के सहयोग से विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट के लिए किया गया था। सीएमओ को प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए नवीनतम संशोधन और एमईआर पर सीएमओ प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत सूची नीचे दी गई है।

- i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राज्य सरकारों और इन-हाउस प्रशिक्षणों के सहयोग से प्रशिक्षण (अनुलग्नक-XXVI)
- ii. आभासी अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.35 जेजे संशोधन अधिनियम 2021 और दत्तक ग्रहण विनियमन, 2022 पर अप्रैल 2023 से अभिविन्यास और पुनश्चर्या प्रशिक्षण (आभासी) आयोजित किया जाएगा। (अनुलग्नक-XXVII)

iii. मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के लिए क्षेत्रवार आभासी प्रशिक्षण

10.36 कारा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के लिए एमईआर और विशेष आवश्यकताओं के वर्गीकरण (अनुसूची III और XVIII के अनुसार) पर क्षेत्रवार आभासी प्रशिक्षण का आयोजन एम्स नई दिल्ली के बाल रोग विभाग के चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन की प्रमुख प्रोफेसर डॉ. शेफाली गुलाटी द्वारा किया गया। (अनुलग्नक-XXVIII)

iv. संबंधी, सौतेले माता-पिता और पालन-पोषण दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं पर एसएआरए और डीसीपीयू कार्यकर्ताओं के लिए क्षेत्रवार आभासी प्रशिक्षण। (अनुलग्नक-XXIX)

v. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बच्चों की पहचान, पालन-पोषण देखभाल, पालन-पोषण दत्तक ग्रहण, सीडब्ल्यूसी का कैरिंग्स से संबंध पर एसएआरए, डीसीपीयू, एसएए और सीडब्ल्यूसी पदाधिकारियों के लिए क्षेत्रवार आभासी प्रशिक्षण। (अनुलग्नक-XXX)

vi. कारा कार्यालय में प्रशिक्षण

10.37 कारा कार्यालय में दो प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं (ऑफलाइन मोड में), एक पश्चिम बंगाल राज्य के साथ 24 मई से 25 मई 2023 तक और दूसरा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के साथ 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2023 तक।

VIII. दत्तक ग्रहण जागरूकता माह (नवंबर 2023) के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ

10.38 प्रति वर्ष नवंबर को दत्तक ग्रहण जागरूकता माह

के रूप में मनाया जाता है। इसलिए, सभी राज्यों को दत्तक ग्रहण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस वर्ष बड़े बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या पालन-पोषण देखभाल में बच्चों के दत्तक ग्रहण पर बल दिया गया। पूरे अभियान के दौरान, **बड़े बच्चों/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वर्तमान में पालन-पोषण देखभाल में बच्चों के दत्तक ग्रहण** की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया। कारा का उद्देश्य संभावित दत्तक माता-पिता सहित हितधारकों के बीच दत्तक ग्रहण लेने के बारे में जागरूकता का प्रसार करना था।

i. कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अभिविन्यास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:-

क) अभिविन्यास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	दिनांक
1.	पटना, बिहार	27.01.2023
2.	गुवाहाटी, असम	02.03.2023
3.	आइजोल, मिजोरम	10.3.2023
4.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	10.03.2023-11.03.2023
5.	जम्मू और कश्मीर	09.11.2023
6.	गुजरात	06.12.2023
7.	पश्चिम बंगाल	29.09.2023
8.	त्रिपुरा	10.01.2024
9.	मणिपुर	11.01.2024
10.	उत्तराखंड	09.02.2024
11.	आंध्र प्रदेश	21.03.2024

ख) जागरूकता कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	दिनांक
1.	दिल्ली (जागरूकता एवं अभिविन्यास कार्यक्रम) दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन के रूप में	07.11.2023
2.	जम्मू और कश्मीर	28.11.2023
3.	ओडिशा	22.11.2023

क्र.सं.	राज्य	दिनांक
4.	मेघालय	24.11.2023
5.	महाराष्ट्र	25.11.2023
6.	मणिपुर	28.11.2023
7.	अरुणाचल प्रदेश	29.11.2023
8.	आंध्र प्रदेश	30.11.2023
9.	तमिलनाडु	30.11.2023

क्र.सं.	राज्य	दिनांक
10.	कर्नाटक	01.12.2023
12.	त्रिपुरा	07.12.2023
13.	पश्चिम बंगाल	09.12.2023
14.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11.12.2023
15.	केरल	20.02.2024



10.39 दिल्ली-एनसीआर का सम्मेलन 07 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री संदीप कुमार चड्ढा, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; श्रीमती तृप्ति गुरहा, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सीईओ, कारा और श्री कृष्ण कुमार, निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से श्रोताओं को ज्ञान प्रदान किया।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2023 का आयोजन:



महाराष्ट्र में जागरूकता कार्यक्रम



तमिलनाडु में जागरुकता कार्यक्रम



आंध्र प्रदेश में जागरुकता कार्यक्रम



जम्मू और कश्मीर में जागरुकता कार्यक्रम



अरुणाचल प्रदेश में जागरुकता कार्यक्रम



ओडिशा में जागरुकता कार्यक्रम



पश्चिम बंगाल में जागरुकता कार्यक्रम



कर्नाटक में जागरुकता कार्यक्रम



केरल में जागरुकता कार्यक्रम



मणिपुर में जागरूकता कार्यक्रम

10.40 बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने **माईगव इंडिया** के सहयोग से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। माईगव प्लेटफॉर्म पर प्रतिज्ञा गतिविधि, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई।

- i. 4,529 लोगों ने कारा की शपथ ली
- ii. 55,484 लोगों ने क्विज़ प्रतियोगिता में भाग लिया

- iii. 1,457 लोगों ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया

10.41 इसके अतिरिक्त, कारा ने दत्तक ग्रहण के संबंध में आम जनता के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दो फेसबुक लाइव सत्र आयोजित किए। फेसबुक लाइव सत्र 15 मार्च और 16 अगस्त, 2023 को आयोजित किए गए, बड़ी संख्या में लोग सत्र में शामिल हुए और कारा से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की।



कारा से दत्तक ग्रहण के संबंध में आम जनता के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दो फेसबुक लाइव सत्र आयोजित किए गए।

IX दौरे/निरीक्षण

10.42 पिछले वर्षों की तरह कारा अधिकारियों द्वारा एसएए/सीसीआई का समय-समय पर दौरा और निरीक्षण किया गया तथा बाल कल्याण समितियों के साथ बैठकें की गईं। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बातचीत इस वर्ष की यात्राओं की मुख्य विशेषताएं रही हैं। इन बैठकों के माध्यम से, राज्य के विशिष्ट मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। सभी दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने के लिए सीडब्ल्यूसी के कामकाज की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई। दौरा की गई एजेंसियों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	एजेंसी का दौरा किया	दिनांक
1.	जालंधर, पंजाब	क) मिशनरीज ऑफ चैरिटी-सीसीआई, ख) भाई घनय्या जी चैरिटेबल ट्रस्ट (यूनिक होम)-सीसीआई	06.01.2023
2.	पहाड़गंज, दिल्ली	क) सेवा भारती मातृ छाया-एसएए	25.01.2023
3.	जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	क) एशियन सहयोग संस्था भारत-एसएए	03.02.2023- 04.02.2023
4.	भागलपुर, बिहार	क) रामनंदी देवी हिंदू अनाथालय-एसएए, और ख) सीडब्ल्यूसी भागलपुर के साथ बैठक	7.02.2023
5.	मुंबई, ठाणे, मुंबई उपनगरीय — महाराष्ट्र	क) सीडब्ल्यूसी ठाणे की समीक्षा बैठक ख) सीडब्ल्यूसी मुंबई की समीक्षा बैठक, और ग) सीडब्ल्यूसी मुंबई उपनगर की समीक्षा बैठक	13.02.2023
6.	जालंधर, पंजाब	क) नारी निकेतन-एसएए	23.02.2023
7.	जालंधर, पंजाब	क) भाई घनय्या जी चैरिटेबल ट्रस्ट-सीसीआई ख) सीडब्ल्यूसी सदस्यों, डीएम, डीसीपीयू के साथ बैठक	24.02.2023
8.	कामरूप मेट्रो, असम	क) भारतीय बाल कल्याण परिषद (शिशुगृह)-सीसीआई, और ख) मैत्री मंदिर-सीसीआई	01.03.2023
9.	मुंबई, महाराष्ट्र	क) बाल आशा ट्रस्ट-एसएए	01.03.2023
10.	सोलापुर, महाराष्ट्र	क) एन.डब्ल्यू.बी. बालक आश्रम-एसएए	03.03.2023
11.	आइजोल, मिजोरम	क) बच्चों के लिए सनशाइन सोसाइटी-एसएए	10.03.2023
12.	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	क) राजकीय बाल गृह-एसएए, ख) डीसीपीयू प्रयागराज, ग) सीडब्ल्यूसी प्रयागराज	21.03.2023

क्र.सं.	राज्य	एजेंसी का दौरा किया	दिनांक
13.	बेंगलुरु, कर्नाटक	क) अमूल्य (जी) शिशु गृह, मातृछाया-एसएए, ख) एम/एस केनरा बैंक रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी-एसएए, और ग) अमृत शिशु निवास-सीसीआई	28.03.2023
14.	बेंगलुरु, कर्नाटक	क) सेंट माइकल्स होम-एसएए, और ख) शिशु मंदिर-एसएए	29.03.2023
15.	देवघर, झारखंड	क) सीडब्ल्यूसी देवघर, ख) आईआरए इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट-एसएए	08.06.2023 to 10.04.2023
16.	इंदौर, मध्य प्रदेश	क) संजीवनी सेवा संगम-एसएए, ख) सेवा भारती मातृ छाया-एसएए, और राजकीय बाल संरक्षण आश्रम-एसएए	10.06.2023
17.	मदुरै, तमिलनाडु	क) सीडब्ल्यूसीमदुरै, ख) ग्रेस केनेट फाउंडेशन-एसएए, और ग) क्लैटियन मर्सी होम-एसएए	15.06.2023
18.	अमृतसर, पंजाब	क) सीडब्ल्यूसी अमृतसर, और ख) अखिल भारतीय पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी-सीसीआई	22.06.2023
19.	मुंबई, मुंबई उपनगरीय और ठाणे, महाराष्ट्र	क) सीडब्ल्यूसी, एसएए प्रतिनिधियों के साथ बैठक	20.06.2023
20.	भोपाल, मध्य प्रदेश	क) सेवा भारती मध्य मातृ छाया-एसएए, ख) उड़ान सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ग) संगठन-एसएए घ) किलकारी-एसएए, ड) एसओएस चिल्ड्रन विलेज खजूरीकलां-सीसीआई, और एफ) च) सीडब्ल्यूसी के साथ बैठक	08.07.2023 -09.07.2023
21.	मुंबई, महाराष्ट्र	क) हिंदू महिला कल्याण सोसायटी-एसएए	22.07.2023
22.	रांची, झारखंड	क) करुणा एनएमओ-एसएए, ख) सहयोग विलेज-एसएए, और ग) मां वैष्णवी ट्रस्ट (बालाश्रय)-सीसीआई	29.07.2023

क्र.सं.	राज्य	एजेंसी का दौरा किया	दिनांक
23.	कटक, ओडिशा	क) सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू, एसएआरए के साथ बैठक	04.08.2023
24.	गुवाहाटी, असम	क) बालिका बाल गृह—सीसीआई, ख) जालुकबारी—सीसीआई, और ग) असम शिशु कल्याण सदन—सीसीआई	12.08.2023
25.	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	क) शिशु बाल गृह, चंदौली—सीसीआई ख) एसओएस चिल्ड्रेन विलेज—सीसीआई	19.08.2023
26.	गुजरात	क) एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज—सीसीआई	02.08.2023- 04.08.2023
27.	पुणे, महाराष्ट्र	क) एसओएफओएसएच एजेंसी—एसएए, ख) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए टीएआरए—सीसीआई, ग) बालिकाओं के लिए महर्षि कर्वे—सीसीआई, और घ) भारतीय समाज सेवा केंद्र—सीसीआई	28.08.2023- 29.08.2023
28.	विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	क) सीडब्ल्यूसी सदस्यों से बैठक और एसएए/सीसीआई का दौरा करना	07.09.2023
29.	कोरापुट, ओडिशा	क) एसएए/सीसीआई का दौरा ख) चार जिलों के सीडब्ल्यूसी के साथ बैठक	08.09.2023- 09.09.2023
30.	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	क) आईएसएसए—एसएए, ख) चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सीआईएनआई)—सीसीआई, सीडब्ल्यूसी, कोलकाता के साथ बैठक	29.09.2023
31.	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	क) बालिकाओं के लिए बाल गृह—एस.ए.ए., ख) बालिकाओं के लिए बाल गृह—सी.सी.आई., और ग) फुलवाड़ी—एस.ए.ए.	10.11.2023
32.	इम्फाल, मणिपुर	क) पुण्या चिल्ड्रेन होम फॉर गर्ल्स—सीसीआई, ख) पुण्या नवा याइफाकोल—एसएए	28.11.2023
33.	जम्मू, जम्मू और कश्मीर	क) पलाश (बालाओं के लिए सरकारी संचालित)—सीसीआई, और ख) परिषा (बालिकाओं के लिए सरकारी संचालित)—सीसीआई	27.11.2023- 28.11.2023

क्र.सं.	राज्य	एजेंसी का दौरा किया	दिनांक
34.	ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	क) ओजू वेलफेयर एसोसिएशन-एसएए, ख) ओजू वेलफेयर एसोसिएशन-सीसीआई, और ग) मिशनरीज ऑफ चैरिटी शिशु भवन-सीसीआई	30.11.2023
35.	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	क) भारतीय समाज सेवा केंद्र-एसएए, ख) एसएकेएआर-एसएए, और ग) लायंस बाल क्लब-सीसीआई	20.11.2023- 01.12.2023
36.	संबलपुर, ओडिशा	क) एसएए का दौरा ख) सात जिलों के सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू और एसएए के साथ बैठक ग) ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक	03.12.2023- 05.12.2023
37.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	क) सीडब्ल्यूसी लखनऊ ख) सरकारी बाल गृह-एसएए और सीसीआई ग) श्रीमद दयानंद बाल सदन-सीसीआई	15.12.2023- 16.12.2023
38.	पश्चिमी त्रिपुरा, त्रिपुरा	क) अन्वेषा गर्ल्स होम – सीसीआई	10.01.2024
39	कामरूप, असम	क) असम बाल एवं महिला कल्याण सोसाइटी – एसएए ख) मातृ मंदिर – एसएए ग) सीसीआई, सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू के साथ बैठक	09.03.2024
40.	जम्मू, जम्मू और कश्मीर	क) सरकारी बाल गृह – एसएए का दौरा ख) सीडब्ल्यूसी के साथ बैठक	12.03.2024
41	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	क) शिशुगृह – एसएए ख) बसादान – सीसीआई ग) सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू के साथ बैठक	22.03.2024
42	डेंडुलुरु और एल्लुरु, आंध्र प्रदेश	क) बालसदन – सीसीआई ख) शिशु गृह – एसएए	23.04.2024



2 मार्च, 2023 को गुवाहाटी, असम में नए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर राज्य अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम



10 मार्च, 2023 को आइजोल, मिजोरम में नए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर राज्य अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम



12 अगस्त 2023 को असम के कामरूप मेट्रो जिले में सीसीआई का दौरा



10 और 11 मार्च 2023 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर राज्य अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम



28 अगस्त 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बने गृह सीसीआई-टीएआरए का दौरा



07 सितंबर 2023 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में सीडब्ल्यूसी सदस्यों के साथ बैठक और एसएए/सीसीआई का दौरा



29 सितंबर 2023 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एसएए – आईएसएसए का दौरा और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 और कैरिंग्स पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

जम्मू और कश्मीर के एसएआरए और डीसीपीओ का तीन दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक कारा, नई दिल्ली में हुआ



09 नवंबर 2023 को जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम



6 दिसंबर 2023 को गांधीनगर, गुजरात में राज्य अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम

04 दिसंबर 2023 को संबलपुर, ओडिशा में सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू और एसएए प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक



28 नवंबर 2023 को जम्मू, जम्मू और कश्मीर में फुलवारी क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर (एसएए) और परीशा, चिल्ड्रन/शेल्टर होम फॉर गर्ल्स जम्मू (सीसीआई) और पलाश, चिल्ड्रन/शेल्टर होम फॉर बॉयज जम्मू (सीसीआई) का दौरा



30 नवंबर 2023 को औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एसएए और सीसीआई का दौरा



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

जी-20



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

जी-20

I. जी20 इंडिया पृष्ठभूमि:

11.1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक भारत की जी20 की अध्यक्षता में “महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास” पर जोर दिया गया। इसमें समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास एवं सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए प्रमुख कार्यनीति के रूप में महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। जी20 फ्रेमवर्क के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) महिला सशक्तीकरण (एमसीडब्ल्यूई), महिला 20 (डब्ल्यू20) सहभागिता समूह और महिला आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तीकरण और प्रगति के लिए जी20 गठबंधन (जी200 एम्पावर) पहल पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए नोडल मंत्रालय था।

11.2 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने नोडल मंत्रालय के रूप में भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान सात प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के आयोजन में सहायता की। इन बैठकों में संभाजी नगर, जयपुर और महाबलीपुरम में डब्ल्यू 20 की तीन बैठकें; आगरा, तिरुवनंतपुरम और गांधीनगर में जी20 एम्पावर पहल की तीन बैठकें और गांधीनगर में महिला सशक्तीकरण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसीडब्ल्यूई) शामिल थे। कुल मिलाकर वास्तविक और वर्चुअल दोनों 86 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें लैंगिक समानता, नेतृत्व, कार्यबल में भागीदारी और महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच पर केंद्रित थीं। भारत की अध्यक्षता में नीति निर्माण और शासन में महिलाओं

के दृष्टिकोण को एकीकृत करने, विकास कार्यनीतियों में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका सुनिश्चित करने, लैंगिक-समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया जिससे भावी अध्यक्ष देश के लिए ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास’ की नींव रखी जा सके।

11.3 पैनल चर्चाओं और सत्रों के अलावा इन अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के दौरान एसएमई, शिल्प, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) इत्यादि क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए नवाचारों पर प्रकाश डालने वाली प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं। सभी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रतिभागियों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ देश के मिलेट सहित समृद्ध विविध व्यंजनों का आनंद लिया। इन बैठकों में न केवल महिला सशक्तीकरण और महिला-नेतृत्व वाले विकास के पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिला बल्कि भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित किया गया।

I. जी20 इंडिया के तहत आयोजित बैठकें:

क. जी20 सशक्तीकरण स्थापना बैठक, आगरा (11 से 12 फरवरी 2023)

11.4 2019 ओसाका शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई जी20 एम्पावर का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को आगे बढ़ाना और श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर को कम करना है। भारत की जी20 की

अध्यक्षता के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया:

1. महिला उद्यमशीलता, हिस्सेदारी और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी स्थिति
2. जमीनी स्तर सहित सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक भागीदारी बनाना
3. शिक्षा, महिला सशक्तीकरण के लिए परिवर्तनकारी मार्ग

11.5 आगरा में दिनांक 11–12 फरवरी, 2023 तक आयोजित जी20 सशक्तीकरण स्थापना बैठक में उपर्युक्त प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें 13 जी20 देशों, 6 अतिथि देशों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। प्रमुख चर्चाओं में डिजिटलीकरण, गैर-पारंपरिक रोजगार क्षेत्रों में महिलाओं का नेतृत्व और एसएमई से लेकर संभावित यूनिकॉर्न सहित बड़े व्यवसायों तक महिला उद्यमशीलता के विस्तार पर प्रकाश डाला गया।

ख. दूसरी जी20 सशक्तीकरण बैठक, तिरुवनंतपुरम (4 से 6 अप्रैल 2023)

11.6 5–6 अप्रैल, 2023 को तिरुवनंतपुरम में दूसरी जी20 सशक्तीकरण बैठक में जी20 और आमंत्रित देशों के प्रतिभागियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए भाग लिया। इस बैठक में डिजिटल तकनीक पर जोर देते हुए महिलाओं की उद्यमशीलता, शिक्षा और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। फरवरी की बैठक के आधार पर पांच कार्य समूहों ने वित्तीय समावेशन, मेंटरशिप, एसटीईएम, कॉर्पोरेट सशक्तीकरण और डिजिटल समावेशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं और सरकारी प्रयासों के लिए सिफारिशें कीं। इस बैठक में 8 जी20 देशों, 6 आमंत्रित देशों और 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।

ग. जी20 सशक्तीकरण शिखर सम्मेलन, गांधीनगर, गुजरात (1 अगस्त 2023)

11.7 इस शिखर सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें 13 जी20 देशों, 4 अतिथि देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 263 घरेलू और 70 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत की अध्यक्षता के तहत इस बैठक में जी20 सशक्तीकरण के तीन मुख्य विषयों पर ठोस परिणाम और प्रतिबद्धताएं शामिल की गईं।

घ. W20 की स्थापना बैठक, छत्रपति संभाजी नगर (27 और 28 फरवरी 2023)

11.8 छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित दो दिवसीय महिला-20 (W-20) की स्थापना बैठक, सदस्य और अतिथि देशों की लगभग 150 गणमान्य महिलाओं की भागीदारी के साथ संपन्न हुई। W20 की भारत की अध्यक्षता के तहत प्राथमिकता वाले पांच क्षेत्र: जमीनी स्तर पर महिलाओं का नेतृत्व, महिला उद्यम, कृषि में महिलाएं, डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु रोधी थे। W20 इंडिया का उद्देश्य ज्ञान उत्पादों और 4सी कार्यानीति-सहयोग, सहकारिता, संचार और कार्रवाई के लिए आह्वान के माध्यम से G20 विचार-विमर्शों को प्रभावित करना था।

ड. W20 की दूसरी बैठक, जयपुर (13 और 14 अप्रैल 2023)

11.9 W20 की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर, राजस्थान में आयोजित हुई जिसका विषय “महिला-संचालित विकास की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करना, एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना” था। इस बैठक की शुरुआत भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और अन्य चर्चित हस्तियों द्वारा मुख्य संबोधनों वाले उद्घाटन सत्र से हुई, जिसमें समावेशी समृद्धि के लिए भारत की प्राथमिकता के रूप में महिला-संचालित विकास पर प्रकाश डाला गया। इसमें

18 देशों के लगभग 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता और कौशल पर केंद्रित W20 पहल "मिशन डिडिजिटल वीमेन" का भी शुभारंभ किया गया। इसके बाद प्रमुख सत्रों में केयर इकोनॉमी के निर्माण, समान विकास के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और भविष्य के लिए स्थायी लक्ष्य निर्धारित करने के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को कवर किया गया।

च. W20 शिखर सम्मेलन, महाबलीपुरम (14 से 16 जून 2023)

11.10 महिला 20 शिखर सम्मेलन दिनांक 14 से 16 जून 2023 तक महाबलीपुरम, तमिलनाडु, भारत में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय 'महिला-संचालित विकास- परिवर्तन, उन्नति और उपलब्धि' था। भारत की अध्यक्षता में W20, W20 की प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाने और नागरिकों की अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस शिखर सम्मेलन में जनभागीदारी (नागरिक संपर्क) कार्यक्रम भी शामिल था। इस शिखर सम्मेलन में W20 की विज्ञप्ति जारी की गई।

IV. गोवा में तीसरी DWG बैठक (9 से 11 मई 2023) के दौरान महिला-संचालित विकास पर प्रदर्शनी का आयोजन

11.11 विदेश मंत्रालय की विकास कार्य समूह की बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गोवा में 'ईसीएचओ – सुरक्षित जलवायु और स्वास्थ्य वाली अर्थव्यवस्था अधिक अवसर उपलब्ध कराती है' शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में भारत की महिला-संचालित पहलों पर प्रकाश डाला गया।

11.12 भाग लेने वाली संस्थाओं में विभिन्न भारतीय राज्यों की महिला प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, वस्त्र मंत्रालय, एपीडा, चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड, अम्बी उद्योगिनी

प्रतिष्ठान, उन्नति फाउंडेशन, कल्याणशास्त्र और महिला स्वयं सहायता समूह शामिल थे। आर्थिक विकास और स्थिरता में महिलाओं के विविध योगदान को दर्शाने वाले सी6, जलसखी और डिजिटल सखी जैसे उल्लेखनीय महिला-संचालित स्टार्ट-अप भी प्रदर्शित किए गए।

छ. महिला सशक्तीकरण पर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन 2023 (एमसीडब्ल्यूई) गांधीनगर (2 से 4 अगस्त, 2023)

11.13 दिनांक 1 अगस्त 2023 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय में एशियाई विकास बैंक, यूएन वीमेन और निपसिड द्वारा आयोजित महिला सशक्तीकरण पर G20 मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के दौरान एक सहयोगी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। "2025 से आगे – G20 लैंगिक समानता कार्रवाई के तीन साहसिक क्षेत्र" विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में लैंगिक समानता, देखभाल अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के लिए राजकोषीय साधनों में प्रमुख नीतिगत कार्रवाइयों की पहचान करने पर जोर दिया गया।

11.14 G20 की भारत की अध्यक्षता के भाग के रूप में महिला सशक्तीकरण पर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन दिनांक 2 से 4 अगस्त, 2023 तक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई।

11.15 तीन दिनों में, G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने सार्थक चर्चा की। इस सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में प्रगति, महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, महामारी से असमान बहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान विशेष रूप से महिला-संचालित विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आने में G20 देशों की महत्वपूर्ण भूमिका और एसडीजी लक्ष्य 5 की प्रगति के लिए इसके महत्व पर जोर दिया गया।

इस सम्मेलन के मुख्य विषयों में शामिल थे:

1. महिला सशक्तीकरण के लिए गेम-चेंजर के रूप में शिक्षा
2. महिला उद्यमिता: समानता और अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद
3. सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना
4. जलवायु परिवर्तन के प्रति महिला और बालिका
5. महिला सशक्तीकरण के लिए डिजिटल कौशल

11.16 जी20 और अतिथि देशों के महिला मामलों के मंत्री एक साथ आए और सम्मेलन के मुख्य फोकस क्षेत्रों पर महिला सशक्तीकरण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष का वक्तव्य जारी किया गया। इस दस्तावेज़ में डब्ल्यू 20 और जी 20 एम्पावर की सिफारिशें भी शामिल की गईं।

11.17 महिला सशक्तीकरण पर जी-20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान मंत्रालय के आईसीटी आधारित शासन उपकरण पोषण ट्रैकर का भी प्रदर्शन किया गया और उस पर चर्चा की गई। सभी सदस्य इससे काफी प्रभावित हुए। इसके अलावा, यह अध्यक्ष के वक्तव्य का हिस्सा था। सदस्यों ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और बच्चों के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सेवा प्रदायगी की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को स्वीकार किया और पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन पर ध्यान दिया। यह एक ऐसा अनूठा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो तत्काल निगरानी के लिए आंकड़े को डिजिटलाइज़ करता है एवं लक्षित पहलों के लिए नीतियों को सुगम बनाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व और योगदान को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसकी सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों ने बहुत प्रशंसा की।

III. जी 20 वेबिनार

11.18 शिखर सम्मेलन के बाद महिला एवं बाल विकास

मंत्रालय ने 16 नवंबर, 2023 को एक वेबिनार आयोजित किया जिसमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर जी20 नई दिल्ली घोषणा, 2023 के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। इसमें भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर कार्रवाई को गति देने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। सत्रों में लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, आर्थिक सशक्तीकरण, जलवायु संबंधी कार्रवाई और महिलाओं के कल्याण जैसे विषयों को शामिल किया गया। इन सत्रों में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला गया और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक-केंद्रित नीतियों का आह्वान किया गया।

IV. उपलब्धि/पारिणाम

11.19 भारत की अध्यक्षता वाली जी-20 में सामाजिक-आर्थिक स्पेक्ट्रम में महिलाओं की भूमिकाओं को समेकित करते हुए परंपरागत महिला सशक्तीकरण से 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' पर ध्यान केंद्रित किया गया।

11.20 जी-20 देशों के नेताओं के नई दिल्ली घोषणा पत्र (एनडीएलडी) 2023 में दिनांक 02-04, 2023 अगस्त को गांधीनगर में महिला सशक्तीकरण के लिए जी-20 देशों के मंत्रियों के सम्मेलन में अंगीकृत अध्यक्ष के वक्तव्य को शामिल किया गया। एनडीएलडी का खंड 'छ' लैंगिक समानता तथा सभी महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण को समर्पित है, जहां जी-20 नेताओं ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित किया और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के निर्णयकर्ता के रूप में महिलाओं के पूर्ण, बराबर, प्रभावशाली और सार्थक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

11.21 एनडीएलडी के खंड छ के तहत प्रमुख परिणाम महिलाओं के सशक्तीकरण पर कार्यकारी समूह का सृजन है, जिसकी पहली बैठक ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित की जानी है।







अन्य कार्यक्रम एवं कार्यकलाप



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

अन्य कार्यक्रम एवं कार्यकलाप

I. सूचना प्रौद्योगिकी:

12.1 मंत्रालय अनेक योजनाओं और पहलों में ई-शासन के कार्यान्वयन के लिए व्यापक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। मंत्रालय की वेबसाइट (wcd.nic.in) एक द्विभाषी वेबसाइट है। इसमें मंत्रालय और उससे जुड़े कार्यालयों की सभी योजनाओं, अधिनियमों/नीतियों इत्यादि की जानकारी के साथ-साथ मंत्रालय की संपर्क निर्देशिका और संगठनात्मक संरचना की जानकारी होती है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान नागरिक के लिए शून्य डाउनटाइम बनाए रखा गया है। साइट पर महत्वपूर्ण संबंधित हाइपरलिंक भी प्रदान किए गए हैं।

12.2 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के परिणामों और प्रभावों को दर्शाने के लिए एनआईसी की सहायता से एक निगरानी डैशबोर्ड (अर्थात् डैशबोर्ड dashboard.nic.in) तैयार किया गया है। वर्ष 2022 में, डैशबोर्ड को एनआईसी द्वारा फिर से तैयार किया गया है और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तीन मिशनों जैसे मिशन पोषण, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के अनुसार कार्यान्वित किया गया है।

12.3 डेटा की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, 20 वेबसाइटों/पोर्टलों को बंद करने का निर्णय लिया गया जो निष्क्रिय थे और जिनकी आवश्यकता नहीं थी।

12.4 मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान शुरू किए

गए कुछ कार्यक्रमों और नवीनतम विकास का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क. ई-ऑफिस (mwcd.eoffice.gov.in)

12.5 मंत्रालय ने ई-ऑफिस के प्रीमियम उत्पादों को पूर्णतः लागू किया है तथा कागज़ रहित कार्यालय की संकल्पना को सफलतापूर्वक अपनाया है जिसके लिए मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) द्वारा 'प्लैटिनम मंत्रालय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शून्य भौतिक फाइल के साथ सभी मंत्रालयों में ई-फाइल की संख्या तथा ई-फाइल के प्रतिशत (100%) की दृष्टि से सूची में सबसे ऊपर है। मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए डीएआरपीजी द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। मंत्रालय ने 90000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का सृजन किया गया है। हाल ही में, मंत्रालय में ई-ऑफिस 7.2.5 संस्करण लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, ई-ऑफिस को उपयोगकर्ता हितैषी तथा पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस को अद्यतन बनाया गया है।

ख. स्थानीय प्रशासन निदेशिका (एलजीडी) कोड की मैपिंग एवं सीडिंग :

12.6 स्थानीय शासन निदेशिका (एलजीडी) लोकेशन कोड की मानक निदेशिका है, जो प्रत्येक राजस्व/भूमि क्षेत्र जैसे कि राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक एवं गांव तथा स्थानीय निकायों जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर

पालिका को विशिष्ट कोड आबंटित करती है। मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमों को एलजीडी कोड के साथ एकीकृत किया है तथा मंत्रालय प्रशासनिक यूनिटों के लोकेशन को एलजीडी कोड के साथ अपने और ई-गवर्नेंस एप्लीकेशंस को एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।

ग. राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल (www.services.india.gov.in) पर सेवाएं अपलोड करना

12.7 मंत्रालय की आईटी सेवाएं खसरकार से नागरिक (जी2सी), सरकार से कर्मचारी (जी2ई) और सरकार से व्यवसाय (जी2बी), राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल (www.services.india.gov.in) पर अपलोड की जा रही हैं, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सभी सूचनाओं और जी2सी, जी2ई एवं जी2बी के लेनदेन सेवाओं के लिए एकल खिड़की पोर्टल प्रदान करने डिजाइन किया जा रहा है।

घ. शी-बॉक्स (www.shebox.nic.in)

12.8 शी-बॉक्स कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करवाने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। यह प्रणाली प्रत्येक महिला को उसके कार्य स्थान देखे बिना अर्थात् चाहे वे संगठित क्षेत्र की हों अथवा असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करवाना सुगम बनाने के लिए सिंगल विन्डो पहुँच प्रदान करती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। शी-बॉक्स पोर्टल का नया संस्करण एनआईसी द्वारा तैयार किया जा रहा है।

ड. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना—

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (<https://pmmv-cas.nic.in>) के तहत पात्र लाभार्थियों को मातृत्व लाभ

के वितरण के लिए कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएस) पोर्टल एफ. पोषण ट्रैकर (<https://poshantracker.in>)

12.9 प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) योजना की घोषणा 31 दिसंबर 2016 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी। पीएमएमवीवाई के तहत, मौद्रिक लाभ सीधे पीएमएमवीवाई-सीएस पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की पहुंच है। ब्लॉक स्तर पर, आंगनवाड़ी केंद्रों/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं से प्राप्त पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों के डेटा का डिजिटलीकरण/अनुमोदन राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खाते को भुगतान करने के लिए किया जाता है। यह पोर्टल अक्टूबर 2022 में एनआईसी को सौंप दिया गया था।

12.10 पीएमएमवीवाईसीएस पोर्टल का नया संस्करण एनआईसी द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के तहत संशोधित पीएमएमवीवाई में पेश किए गए संशोधनों को पूरा करेगा। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में 5,000 रुपये का मौद्रिक लाभ दिया जाएगा और बच्चे के लिए अनिवार्य टीकाकरण पूरा होने के बाद दूसरे बच्चे (केवल अगर बालिका) के लिए पात्र लाभार्थियों को 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। नए एप्लीकेशन में, आधार को भविष्य में अन्य प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण के लिए और आधार-आधारित भुगतानों को सक्षम करने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नए रोल-आउट में, नागरिक सीधे पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकेंगे।

च. पोषण ट्रैकर (<https://poshantracker.in>)

12.11 पोषण ट्रैकर आईसीडीएस प्रणाली सुदृढीकरण और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) के तहत परियोजना राज्यों के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी की विभिन्न कार्यकलापों की रीयल टाइम निगरानी में बाल विकास परियोजना अधिकारियों, ब्लॉक, जिला कार्यक्रम अधिकारियों (जिला स्तर), राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों की मदद करता है।

12.12 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थित रीयल टाइम निगरानी (आईसीटी-आरटीएम) का उद्देश्य बुनियादी स्तर पर महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण के संकेतकों पर रीयल टाइम सूचना प्राप्त करना है। इस प्रणाली में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्ट फोन और महिला पर्यवेक्षकों को दिए गए हैं जिसमें पोषण सेवाओं और पोषण स्तर के बारे में लाभार्थियों के अनुसार सूचना प्राप्त करने और विश्लेषण करने के लिए कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टाल किया गया है। डेटा रीयल टाइम आधार पर उपलब्ध है और क्रेडेंशियल का प्रयोग करके ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा देखा जा सकता है।

छ. समेकित बाल विकास सेवा-त्वरित रिपोर्टिंग तंत्र (आईसीडीएस- आरआरएस) (<https://icds-wcd.nic.in>)

12.13 अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के स्तर पर रजिस्ट्रों तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) एवं वार्षिक स्टेटस रिपोर्ट (एसआर) के नए फॉर्मेट निर्धारित किए गए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ज. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) (<https://wcd.nic.in/bbbp-schemes> और www.bbbpindia.gov.in)

12.14 इस पहल का उद्देश्य पक्षपातपूर्ण ढंग से लिंग का चयन करके उसके उन्मूलन का निवारण करना, बेटियों की उत्तरजीविता एवं संरक्षण, बेटियों की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। <https://www.youtube.com/user/BetiBachaoBetiPadhao> पर उपलब्ध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यूट्यूब चैनल उपलब्ध है जो बीबीबीपी पर प्रेरणादायी वीडियो प्रदान कराता है।

झ. ट्रैक चाइल्ड (<https://trackthemissingchild.gov.in>)

12.15 इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए योगदान करने के लिए और साथ ही उन स्थितियों और कार्यों के लिए कमजोरियों को कम करने के लिए जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और बच्चों के अलगाव का कारण बनते हैं। वर्ष 2022 में, ट्रैक द मिसिंग चिल्ड्रन पोर्टल को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के साथ एकीकृत किया गया है। यह न केवल जमीनी स्तर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए दोहहराव के प्रयासों को हटाएगा बल्कि लापता बच्चों की ट्रैकिंग भी कम समय में संभव होगी।

12.16 इसके अलावा, इस वर्ष, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर शामिल किया गया है। यह लापता और बरामद बच्चों को सीधे आरपीएफ पदों द्वारा रिपोर्ट करने में मदद करेगा और बरामदगी और अन्य देखरेख और सुरक्षा सेवाओं को जल्द से जल्द वितरित किया जा सकता है।

ञ. खोया-पाया (khoyapaya.gov.in)

12.17 खोया-पाया, खोए बच्चों की पता लगाने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के रूप में

तैयार एक नागरिक केंद्रित मॉड्यूल है। खोया-पाया पर पंजीकृत कोई भी नागरिक किसी कानूनी औपचारिकता को पूरा करने की प्रतीक्षा किए बगैर किसी खोए या देखे गए बच्चे के बारे में सूचना प्रकाशित कर सकता है। नागरिकों द्वारा प्रदान की गई सूचना शीघ्रता से सुधार के साथ लोगों को देखने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिक खोए या देखे गए बच्चे की विशेषताओं का मिलान करके बच्चों के डेटाबेस का भी सर्च कर सकते हैं।

ट. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) ई-बॉक्स (<http://ncpcr.gov.in/index2.php>)

12.18 पॉक्सो ई-बॉक्स यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत यौन हमले के किसी मामले की सूचना प्रदान करने के लिए सरल एवं सीधा माध्यम है। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की वेबसाइट के होम पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित है जहां प्रयोक्ता को केवल 'पॉक्सो ई-बॉक्स' नामक बटन दबाना होता है, जो उसे संक्षिप्त एनिमेशन मूवी वाले विंडो के पेज पर ले जाएगा।

ठ. बाल दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) : ऑनलाइन दत्तकग्रहण पोर्टल (<http://cara.nic.in> और <http://carings.nic.in>)

12.19 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) दत्तकग्रहण की अबाध एवं पारदर्शी प्रक्रिया के लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा दत्तकग्रहण पर ई-गवर्नेंस की पहल है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा एप्लिकेशन का विकास एवं अनुरक्षण किया जाता है तथा कारा की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.cara.nic.in पर होस्ट किया जाता है।

12.20 वर्ष 2022 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नए जेजे नियम 2022 और बाल दत्तक ग्रहण विनियमन

2022 को अधिसूचित किया। वर्ष 2022 में ही, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अधिनियम के नए नियमों के साथ नए संस्करण केयरिंग्स 3.2 को लॉन्च और कार्यान्वित किया।

ड. ई-वृद्धिमूलक अधिगम दृष्टिकोण (ई-आईएलए) (<http://www.e-ila.gov.in>)

12.21 ई-आईएलए पोषण एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) पर ऑनलाइन विषयपरक मॉड्यूल हैं जिसे कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए तैयार किया गया है ताकि वे सतत, वृद्धिमूलक ढंग से अपने ज्ञान एवं कौशलों में सुधार कर सकें। संशोधन एवं स्मरण के लिए आसानी से सुगम एवं अंतःक्रियात्मक ऑनलाइन सामग्री प्रदान करने के अलावा ई-आईएलए मॉड्यूल में स्वयं की गति से सीखने, व्यावहारिक जॉब कौशल का विकास करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मदद करने तथा कार्यक्रम एवं विषय की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझने का प्रावधान है। प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में शामिल ज्ञान मूल्यांकन के माध्यम से यह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को तत्काल फीडबैक प्रदान करता है, जिससे वे अपने आपमें सुधार के लिए प्रेरणा प्राप्त करती हैं और पूरे किए गए आईएल मॉड्यूल के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा उठाए गए कदम का मूल्यांकन करने के लिए माह के अंत में अनुसरण करती हैं।

ढ. एनजीओ अनुदान पोर्टल (<http://ngomwcd.gov.in>)

12.22 एनजीओ पोर्टल ऐसे एनजीओ से ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है, जो मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं। एनजीओ का पंजीकरण ऑनलाइन होता है तथा नीति आयोग की वेब सेवा द्वारा सत्यापित किया जाता है। केवल सत्यापित एनजीओ अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य और जिला कोड स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) के अनुसार हैं। स्वाधार गृह, उज्ज्वला, क्रेच, सीपीएस, डब्ल्यूडब्ल्यूएच तथा अनुसंधान को पीएफएमएस में

शामिल किया गया है तथा डीबीटी भारत पोर्टल से जोड़ा गया है।

ण. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)
(<http://wcd-icps.nic.in>)

12.23 आईसीपीएस स्कीम का उद्देश्य विभिन्न गृहों (बाल देखरेख संस्था, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, किशोर न्याय गृह, खुले आश्रय तथा रैन बसेरा आदि) में रहने वाले बच्चों को सुरक्षित परिवेश प्रदान करना है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी के लिए 12 फार्मेट हैं। बच्चों के 'अंदर और बाहर' की तिमाही संख्या, मामलों को क्लियर करने के लिए सीडब्ल्यूसी तथा जेजेबी द्वारा संचालित बैठकों की संख्या, सदस्यों के ब्यौरों, विभिन्न गृहों के लिए सृजित निर्देशिका तथा राज्य से ऑनलाइन वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने एवं अनुदान जारी करने इत्यादि की निगरानी के लिए वेबसाइट का विकास किया गया है।

त. किशोरियों के लिए स्कीम—त्वरित सूचना प्रणाली (एसएजी—आआरएस) (<https://sag-rrs.nic.in>)

12.24 इस पोर्टल का विकास संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा हमारे देश की किशोरियों के पोषण आत्मक तंदुरुस्ती को सुनिश्चित करने के लिए किशोरी स्कीम (एसएजी) के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया है। ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर और अंततः राष्ट्रीय स्तर पर डाटा का एकीकरण किया जाता है।

थ. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) डैशबोर्ड (wcd.dashboard.nic.in)

12.25 मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों तथा परियोजनाओं के परिणाम तथा प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एनआईसी की मदद से एक निगरानी डैशबोर्ड (अर्थात एमडब्ल्यूसीडी डैशबोर्ड) विकसित किया गया है। वर्ष 2022 में, डैशबोर्ड को एनआईसी द्वारा फिर से डिजाइन

किया गया है और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के के तीन मिशनों, मिशन पोषण, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के अनुसार लागू किया गया है।

द. सखी डैशबोर्ड (<http://sakhi.gov.in>)

12.26 सखी डैशबोर्ड वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) और महिला पुलिस वालंटियर्स (एमपीवी) के पदाधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन मंच है जो उनके पास आने वाली हिंसा प्रभावित महिलाओं के मामलों के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं और साथ ही उनके प्रतिष्ठानों के बारे में सूचनाओं को पहुंचाने और देखने के काम आता है। डैशबोर्ड को इन पदाधिकारियों द्वारा तथा साथ ही संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें दिए गए यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से देखा जा सकता है।

12.27 यह डैशबोर्ड ओएससी, डब्ल्यूएचएल और एमपीवी में आने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं के मामलों के लिए एक सरलीकृत और मानकीकृत सामान्य प्रारूप प्रदान करता है जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सहायता और रेफरल सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

घ. नारी शक्ति पुरस्कार पोर्टल (narishaktipuraskar.wcd.gov.in)

12.28 वर्ष 2019 से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार (पूर्व में स्त्री शक्ति पुरस्कार) के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया है। नारी शक्ति पुरस्कार जिसका शाब्दिक अर्थ है "महिला शक्ति पुरस्कार" "महिला सशक्तीकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार" होते हैं जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करने वाली और महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने और मान्यता देने के रूप में हर साल 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दिए जाते हैं।

न. निर्भया डैशबोर्ड

(www.nirbhayadashboard.nic.in)

12.29 निर्भया डैशबोर्ड निर्भया निधि के अंतर्गत वित्त पोषित स्कीमों/परियोजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाओं के व्यय की स्थिति और ब्यौरे को अद्यतन बनाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों के लिए डिजिटल प्लेटफार्म है।

व. एकीकृत निगरानी प्रणाली

12.30 यह इंटरनेट पर है। यह प्रणाली मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीमों/समारोहों, बजट से संबंधित मामलों, कोर्ट में चल रहे मुकदमों, मीडिया से संबंधित मामलों, पीएमओ संदर्भ, वीआईपी संदर्भ, संसदीय मामलों तथा जन शिकायतों की प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय में विकसित और कार्यान्वित की गई है।

ब. इंटरनेट पोर्टल (wcd.intern.nic.in)

12.31 इस पोर्टल के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) मंत्रालय के 'इंटरनेट कार्यक्रमों' के तहत भारत के गैर-टियर-२ शहरों और ग्रामीण हिस्सों से महिला छात्रों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों में शामिल करना है। इंटरनेट कार्यक्रम पूरे वर्ष में दो महीने की अवधि के लिए उपलब्ध है।

12.32 विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में नामांकित और मंत्रालय की चल रही गतिविधियों पर केंद्रित प्रायोगिक परियोजनाएं/सूक्ष्म अध्ययन करने के इच्छुक छात्र/शोध छात्र इस मंत्रालय को संस्था के प्रमुख के माध्यम से अपना आवेदन अग्रेषित कर सकते हैं। मंत्रालय छात्रों को अपने कार्यों की गुणात्मक जानकारी प्रदान करता है और लक्षित समूहों से विशिष्ट कार्यक्रम एवं नीति विश्लेषण भी कराता है ताकि वे भविष्य में विभिन्न

मंचों पर महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को आगे बढ़कर उठा सकें।

भ. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन (www.pmcaresforchildren.in)

12.33 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम को 29 मई 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उन बच्चों के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण माता-पिता या जीवित माता/पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता दोनों को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य सतत रूप से बच्चों की व्यापक देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण शिक्षा के माध्यम से सशक्त एवं सक्षम बनाना और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है। यह योजना एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुलभ है अर्थात् pmcaresforchildren.in पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के संबंध में एक कार्यक्रम दिनांक 30.05.2022 को आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के तहत बच्चों को लाभ और सेवाओं का पूरा सरगम जारी किया। दिनांक 31 मार्च 2024 तक, पोर्टल पर कुल 9327 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 4532 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन के तहत बच्चों के खातों में 357.23 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। सभी पात्र बच्चे इस स्कीम के अंतर्गत भोजन और आवास तथा शिक्षा के लिए लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एकमुश्त राशि के हस्तांतरण के लिए डाकघर खाते खोले गए हैं। लाभार्थियों को पीएम-जेएवाई कार्ड सौंप दिए गए हैं।

12.34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 07.07, 2023 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें 11 मार्च, 2020 खजिस तारीख को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है और उसकी विशेषता बताई है, से शुरू होकर केवल उन बच्चों को

कवर करने की सलाह दी गई है, जिन्हें योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा इस मंत्रालय को विधिवत सत्यापित किया गया है।

12.35 कक्षा 1 से कक्षा 12 में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को 20,000/- रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति डीबीटी मोड के माध्यम से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) के माध्यम से प्रदान की जाती है

II. डीबीटी

12.36 लाभों और सेवाओं के सरल और तीव्र प्रवाह के लिए कल्याणकारी स्कीमों में वर्तमान प्रक्रियाओं को पुनः तैयार करके सरकारी वितरण प्रणाली को सुधारने तथा ठीक से लाभार्थियों को लक्ष्य में रखने, दोहराव और धोखेबाजी को कम करने के लक्ष्य से भारत सरकार ने लाभार्थियों के प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में आधार का उपयोग करते हुए अपनी स्कीमों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत की है। आधार का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि लाभ का अंतरण व्यक्ति के खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जिससे निधि के प्रवाह में

शामिल श्रेणियां कम हों और भुगतान में विलंब कम हो, ठीक से लाभार्थियों को लक्ष्य में रखने और चोरी और दोहरावृत्ति कम होने सुनिश्चित हो।

12.37 अपनी स्कीमों में डीबीटी के कार्यान्वयन हेतु सरकार के निर्देशों के अनुसरण में प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में आधार का उपयोग करते हुए लाभार्थी को सीधे ही लाभों और सेवाओं के हस्तांतरण के लिए डीबीटी मोड में कार्यान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 15 स्कीमों को चिन्हित किया गया है। स्कीमों की सूची अनुलग्नक में संलग्न है। सभी स्कीमों/स्कीम के घटकों के लिए वेब आधारित सीएस/एमआईएस विकसित किया गया है और वेब सेवा के माध्यम से डीबीटी स्कीमों की प्रगति की मासिक सूचना के लिए डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय के डीबीटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना स्कीम को उमंग प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। फील्ड पदाधिकारी ऐप का उपयोग करते हुए स्कीम के लाभार्थी को सीधे ही नामांकित कर सकते हैं।

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1.	आंगनवाड़ी सेवाएं- प्रशिक्षण कार्यक्रम
2.	प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई)
3.	महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तीकरण-महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार से लड़ने के लिए व्यापक स्कीम-उज्ज्वला- लाभार्थियों को सुविधाएं
4.	महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण - महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार से लड़ने के लिए व्यापक स्कीम - उज्ज्वला-वेतन
5.	महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण-स्वाधार गृह -लाभार्थियों को सुविधाएं
6.	महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण-स्वाधार गृह-कर्मचारियों को वेतन
7.	वन स्टॉप सेंटर-लाभार्थियों को सेवाएं
8.	राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम-पोषण

क्र.सं.	स्कीम का नाम
9.	राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम—कार्यकर्ताओं को मानदेय
10.	किशोरियों के लिए स्कीम
11.	आंगनवाड़ी सेवाएं—पूरक पोषण
12.	आंगनवाड़ी सेवाएं—आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय
13.	बाल संरक्षण सेवाएं—लाभार्थियों को सुविधाएं
14.	बाल संरक्षण सेवाएं—लाभार्थियों को सुविधाएं
15.	बाल संरक्षण सेवाएं—कर्मचारियों को वेतन

III. हिंदी का प्रगामी प्रयोग

12.38 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की दिशा में मंत्रालय के प्रयास जारी रहे। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया। मंत्रालय में समस्त कंप्यूटरों में द्विभाषी सुविधा के साथ-साथ हिंदी यूनिकोड सुविधा भी उपलब्ध है। पत्राचार तथा नोटिंग में हिंदी के प्रयोग का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा राजभाषा विभाग को सभी रिपोर्टें नियमित रूप से भेजी गई। मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

(क) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन

12.39 भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल सभी दस्तावेज अर्थात् मंत्रिमंडल नोट, संसदीय

प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति से संबंधित सामग्री, विज्ञापन, अधिसूचनाएं, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन इत्यादि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों से संबंधित पुस्तकें इस अवधि के दौरान अनूदित की गईं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का मंत्रालय द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

12.40 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें संयुक्त सचिव, राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। समिति की बैठकों में हिंदी के प्रयोग के संबंध में प्राप्त प्रगति की समीक्षा की जाती है और कमियों/बाधाओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठकों में कार्यालयीन काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सचिव महोदय द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष में 27 अप्रैल 2023 और 29 सितम्बर 2023 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 2 बैठकें आयोजित की गईं।

(ग) मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

12.41 हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 29 अगस्त, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय मंत्री, डब्ल्यूसीडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी सदस्य समिति ने भाग लिया।

(घ) हिंदी कार्यशाला और राजभाषा निरीक्षण

12.42 हिंदी प्रभाग हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। वित्तीय वर्ष में 27 जून, 2023 और 19 अक्टूबर 2023 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

12.43 हिंदी प्रभाग ने मंत्रालय के 4 अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के साथ-साथ एनसीपीसीआर के दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु का हिंदी निरीक्षण किया ताकि उन्हें आधिकारिक कार्य में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग में आने वाली कठिनाइयों से निपटने में मदद मिल सके।

(ङ) हिंदी माह का आयोजन

12.44 मंत्रालय में 16 से 30 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री और सचिव, महिला

एवं बाल विकास ने एक अपील जारी करके मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकारी कामकाज में हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान देने और कर्मचारियों को अपने दिन-प्रतिदिन के आधिकारिक काम, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, निबंध लेखन और हिंदी भाषा और सामान्य ज्ञान में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए, हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गैर हिंदी भाषी उम्मीदवारों को प्राप्त कुल अंकों में 5: की छूट दी गई थी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रतियोगिताओं में सभी 18 विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। इसके अलावा, अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को हिंदी में अपना आधिकारिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक प्रोत्साहन योजना के तहत, 10 अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों, जिन्होंने हिंदी में अपना अधिकतम आधिकारिक कार्य किया, को सम्मानित किया गया।

(च) ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग

12.45 हिन्दी अनुभाग का समस्त कार्य ई-ऑफिस में किया जा रहा है। सभी परिपत्र, फाइलें, पत्र केवल ई-कार्यालय के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं तथा इन्हें नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जा रहा है।

अनुलग्नक



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

महिलाओं और बच्चों हेतु संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद-14 — सभी को कानून के समक्ष समता के अलावा विधियों के समान संरक्षण की प्रदान करता है।

अनुच्छेद-15 — राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा.....इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद-15(1) — किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव निषिद्ध है।

अनुच्छेद-15(3) — राज्य को स्त्रियों के लिए सकारात्मक भेदभाव करने के लिए विशेष प्रावधान।

अनुच्छेद-16 — सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता और किसी भी नागरिक के साथ लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, उदभव, जन्म के स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा, की गारंटी प्रदान करता है।

अनुच्छेद-21 (क) — राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 24 : 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों, खदानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य जोखिमयुक्त नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 39 (क) — राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने के समान अधिकार प्राप्त हों।

अनुच्छेद 39 (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 39 (ङ) — राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि पुरुष और स्त्री कर्मियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद 39 (च) — राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि बालकों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्र व गरिमामय स्थितियों में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं बाल्यावस्था और युवाओं की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 42 — राज्य द्वारा कार्य और मातृत्व राहत की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान।

अनुच्छेद 45 — राज्य सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 46 – राज्य को जनता के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने का निर्देश।

अनुच्छेद 47 – राज्य को अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उठाने के लिए निर्देश।

अनुच्छेद 51 (क) (ड) – ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

अनुच्छेद 243 (छ) – अनुसूची 11 के साथ पठित में – शिक्षा (मद 17) परिवार कल्याण (मद 25), स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (मद 23) के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को पंचायत को सौंपने (अनुसूची 11 की मद 25) तथा बाल कल्याण पर प्रभाव वाली अन्य मदों द्वारा बाल देखरेख के संस्थानीकरण का प्रावधान है।

अनुच्छेद 243 (घ) (3) और (न) (3) – महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत/नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थानों की (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान की संख्या सहित) स्त्रियों के लिए आरक्षण की गारंटी देता है और ऐसे स्थान पंचायत/नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 243 (घ) (4) – प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पदों पर स्त्रियों के लिए आरक्षण की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 243 (न) (4) – नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित करने की गारंटी देता है जो राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा उपबंधित करे।

महिलाओं एवं बच्चों हेतु कानूनी प्रावधान

I. महिलाओं से संबंधित कानून

- विधि व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1923
- कारखाना अधिनियम, 1948 (1986 में संशोधित)
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 (पीसीपीएंडपीटी)
- गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत उल्लिखित अपराध
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- स्त्री अश्लील रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987
- घरेलू ऋहसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

II. बच्चों से संबंधित कानून

- संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956
- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल एवं शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 और इसका संशोधन अधिनियम, 2003
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत उल्लिखित अपराध
- बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
- लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

महिला और बाल विकास मंत्रालय को आबंटित विषय (महिला और बाल विकास मंत्रालय)

1. परिवार कल्याण
2. महिला और बाल कल्याण तथा इस विषय से सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों व संगठनों की कार्यकलापों का समन्वयन
3. महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संगठनों से सन्दर्भ
4. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सहित स्कूल-पूर्व बच्चों की देखरेख
5. राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन
6. इस मंत्रालय को आबंटित विषयों से सम्बन्धित पुण्यार्थ और धार्मिक न्यास
7. इस मंत्रालय को आबंटित विषयों पर स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन तथा विकास
8. निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन :
 - (क) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1986 तक यथा-संशोधित)
 - (ख) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60)
 - (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1986 तक यथा-संशोधित)
 - (घ) सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3), इन अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों के सम्बन्ध में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर।
9. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोटल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदान और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) का कार्यान्वयन।
10. को-ऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एण्ड रिलीफ एवरीवेयर (केयर) की गतिविधियों और कार्यक्रमों का समन्वयन।
11. लिंग संवेदी आंकड़ा-आधार के विकास सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास से सम्बन्धित आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रबोधन, परियोजना निरूपण, सांख्यिकी और प्रशिक्षण।
12. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ)।
13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी)।
14. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)।
15. खाद्य एवं पोषण बोर्ड।
16. (i) सहायक तथा सुरक्षात्मक खाद्यों का विकास तथा लोकप्रियकरण।
(ii) पोषण विस्तार।
17. महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक समानता।
18. राष्ट्रीय महिला आयोग।

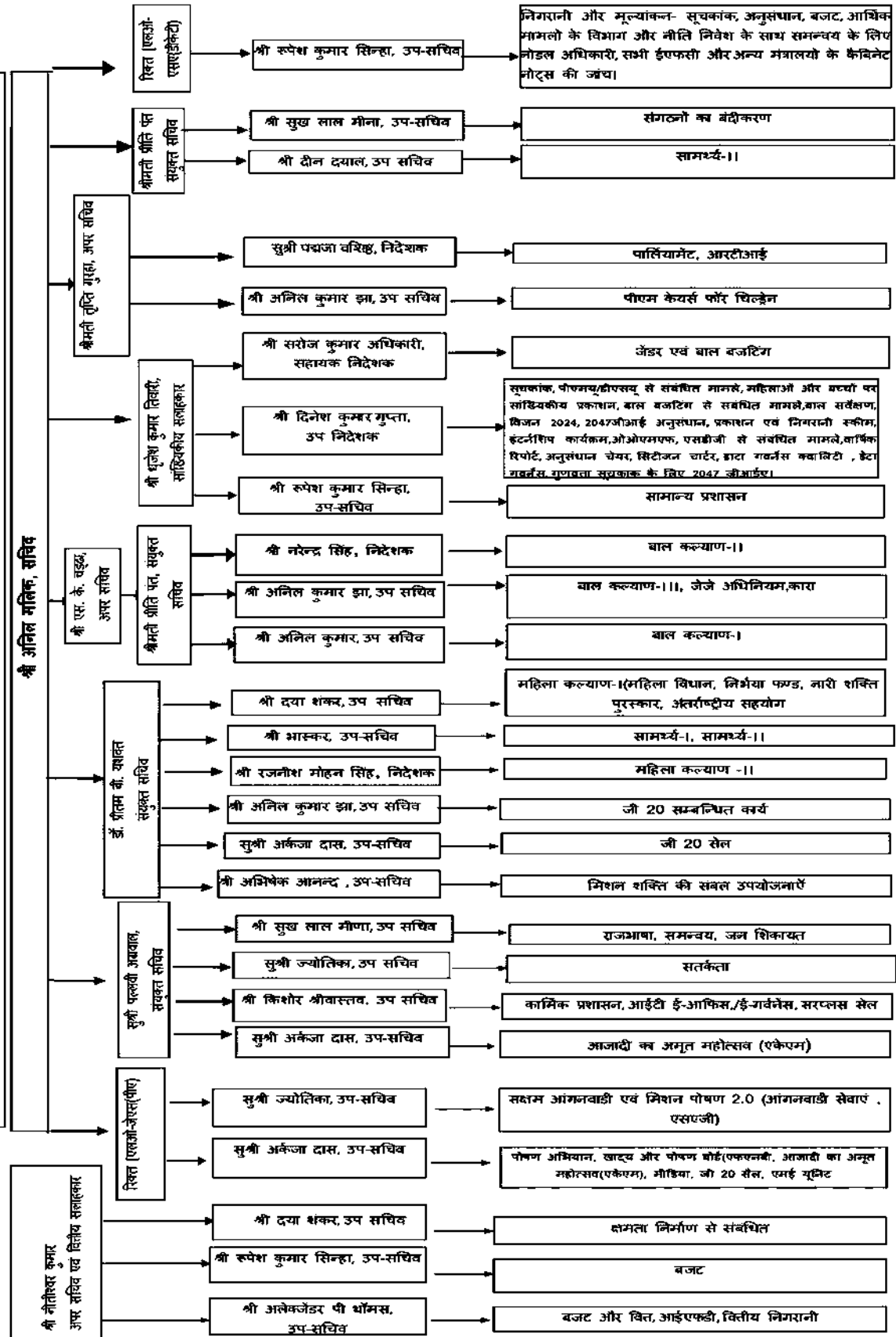
19. किशोर अपराधिता और आवारागर्दी ।
20. किशोर अपराधियों की परिवीक्षा ।
21. दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण तथा चाइल्ड हैल्पलाइन (चाइल्डलाइन) ।
22. बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) ।
23. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) ।
24. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का 19) ।
25. अनाथों सहित जरूरतमंद बच्चों की देखरेख और विकास हेतु संस्थागत तथा गैर-संस्थागत सेवाएं और अनाथालय ।

महिना और बाल विकास मंत्रालय की संगठन संरचना

श्रीमती स्मृति इरानी, मंत्री

डॉ. मंजपरा महेंद्रभाई, राज्यमंत्री

श्री अनिल मलिक, सचिव



शक्ति सदन योजना : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्रियाशील शक्ति सदनों का विवरण
(31.03.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील शक्ति सदनों की संख्या	कुल क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	26	830
2.	अंडमान और निकोबार	1	10
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	30
4.	असम	34	1700
5.	चंडीगढ़	1	25
6.	छत्तीसगढ़	4	135
7.	दिल्ली	2	60
8.	गोवा	3	15
9.	गुजरात	6	150
10.	हिमाचल प्रदेश	1	30
11.	जम्मू एवं कश्मीर	2	60
12.	झारखंड	7	250
13.	कर्नाटक	63	525
14.	केरल	10	335
15.	मध्य प्रदेश	14	700
16.	महाराष्ट्र	33	700
17.	मणिपुर	45	2250
18.	मेघालय	2	100
19.	मिजोरम	12	360
20.	नागालैंड	3	110
21.	ओडिशा	68	2380
22.	पंजाब	2	70
23.	पुडुचेरी	1	15

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील शक्ति सदनों की संख्या	कुल क्षमता
24.	राजस्थान	8	400
25.	सिक्किम	1	50
26.	तमिलनाडु	33	1650
27.	तेलंगाना	20	1000
28.	त्रिपुरा	03	90
29.	उत्तराखंड	02	75
30.	उत्तर प्रदेश	03	671
31.	पश्चिम बंगाल	34	1440
	कुल	445	16216

कार्यशील सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रवास) का राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (31.03.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील सखी निवास की संख्या	क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	12	1080
2.	अरुणाचल प्रदेश	05	72
3.	असम	08	249
4.	बिहार	00	00
5.	चंडीगढ़	06	382
6.	छत्तीसगढ़	06	402
7.	दिल्ली	17	2546
8.	गोवा	00	00
9.	गुजरात	14	1164
10.	हरियाणा	07	588
11.	हिमाचल प्रदेश	06	152
12.	जम्मू एवं कश्मीर	01	50
13.	झारखंड	02	180
14.	कर्नाटक	62	5816
15.	केरल	133	13337
16.	मध्य प्रदेश	02	150
17.	महाराष्ट्र	77	6796
18.	मणिपुर	15	225
19.	मेघालय	03	230
20.	मिजोरम	03	201

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील सखी निवास की संख्या	क्षमता
21.	नागालैंड	12	927
22.	ओडिशा	12	732
23.	पुडुचेरी	04	247
24.	पंजाब	00	00
25.	राजस्थान	15	800
26.	सिक्किम	01	74
27.	तमिलनाडु	20	1199
28.	तेलंगाना	09	810
29.	त्रिपुरा	01	50
30.	उत्तराखंड	02	400
31.	उत्तर प्रदेश	08	475
32.	पश्चिम बंगाल	00	00
	कुल	463	39334

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ में)	जारी की गई राशि (करोड़ में)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	57.99	57.99
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
4.	असम	155.05	155.05
5.	बिहार	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	4.08	4.08
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली और	0.91	0.91
9.	दमन और दीव	27.15	27.15
10.	दिल्ली	0.00	0.00
11.	गोवा	75.64	75.64
12.	गुजरात	0.00	0.00
13.	हरियाणा	10.56	10.56
14.	हिमाचल प्रदेश	33.60	33.60
15.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00
16.	झारखंड	113.96	113.96
17.	कर्नाटक	61.06	61.06
18.	केरल	0.69	0.69
19.	लद्दाख	0.23	0.23
20.	लक्षद्वीप	105.51	105.51
21.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00
22.	महाराष्ट्र	7.93	7.93
23.	मणिपुर	0.00	0.00
24.	मेघालय	1.40	1.40
25.	मिजोरम	2.42	2.42

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ में)	जारी की गई राशि (करोड़ में)
26.	नागालैंड	0.00	0.00
27.	ओडिशा	0.00	0.00
28.	पुद्दुचेरी	32.05	32.05
29.	पंजाब	123.23	123.23
30.	राजस्थान	1.28	1.28
31.	सिक्किम	0.00	0.00
32.	तमिलनाडु	0.00	0.00
33.	त्रिपुरा	11.31	11.31
34.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
35.	उत्तराखंड	30.35	30.35
36.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00
	कुल	856.4	856.4

दिनांक 01-09-2023 से 31-03-2024 के दौरान पीएमएमवीवाई
के अंतर्गत किए गए क्षमता निर्माण अभ्यास का विवरण

क्र.सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक/प्रशिक्षण की तिथि	राज्य	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
1	वर्चुअल	5 सितंबर, 2023	उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
2	वर्चुअल	12 सितंबर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
3	वर्चुअल	14 सितंबर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
4	वर्चुअल	26 सितंबर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
5	वर्चुअल	28 सितंबर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
6	वास्तविक	6 अक्टूबर 2023 – 7 अक्टूबर 2023	केरल/कर्नाटक/झारखंड/असम/राजस्थान/उत्तर प्रदेश	पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस पर प्रशिक्षण सत्र
7	वर्चुअल	9 अक्टूबर 2023	राजस्थान/पश्चिम बंगाल	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए बैठक
8	वर्चुअल	10 अक्टूबर 2023	हरियाणा/मध्यप्रदेश/केरल	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए बैठक

क्र.सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक/प्रशिक्षण की तिथि	राज्य	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
9	वर्चुअल	11 अक्तूबर, 2023	गुजरात/पंजाब/महाराष्ट्र/झारखंड	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक— पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
10	वर्चुअल	12 अक्तूबर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक— पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
11	वर्चुअल	12 अक्तूबर, 2023	गुजरात/बिहार	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक— पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
12	वर्चुअल	13 अक्तूबर, 2023	हिमाचल प्रदेश/पश्चिम बंगाल	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक— पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
13	वर्चुअल	14 अक्तूबर, 2023	कर्नाटक	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक— पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
14	वास्तविक	6 अक्तूबर, 2023 – 7 अक्तूबर, 2023	त्रिपुरा/पंजाब/हरियाणा/चंडीगढ़	पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस पर प्रशिक्षण सत्र
15	वास्तविक	19 अक्तूबर, 2023	पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस पर राष्ट्रीय तकनीकी अभिविन्यास कार्यशाला	पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस पर कार्यशाला
16	वर्चुअल	20 अक्तूबर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक— पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना

क्र.सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक/प्रशिक्षण की तिथि	राज्य	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
17	वर्चुअल	21 अक्तूबर, 2023	गुजरात/मध्यप्रदेश/आंध्र प्रदेश	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक— पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
18	वर्चुअल	20 अक्तूबर, 2023 — 21 अक्तूबर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विनएप सुविधाओं का उपयोग करके पीएमएमएस में भुगतान करने पर सत्र
19	वर्चुअल	23 अक्तूबर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमएस पर भुगतान सुनिश्चित करने पर चर्चा
20	वर्चुअल	26 अक्तूबर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमएस पर भुगतान सुनिश्चित करने पर चर्चा
21	वास्तविक	27 अक्तूबर, 2023	पीएमएमवीवाई पर राष्ट्रीय कार्यहम – मातृत्व को सलाम: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	पीएमएमवीवाई 2.0 का शुभारंभ और पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस पर कार्यशाला
22	वर्चुअल	2 नवम्बर, 2023	केरल/अंडमान एवं निकोबार	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक— पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
23	वर्चुअल	10 नवम्बर, 2023	पश्चिम बंगाल	एनआईसी और सीडीपीओ के साथ बैठक— पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करना
24	वर्चुअल	20 नवम्बर, 2023	महाराष्ट्र/चंडीगढ़/सिक्किम/आंध्र प्रदेश/बिहार/दिल्ली/उत्तर प्रदेश	सीडीपीओ के साथ बैठक—पंजीकरण बढ़ाने के लिए
25	वर्चुअल	20 नवम्बर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मास्टर डेटा मैक्रूपग और चुनौतियों पर चर्चा

क्र.सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक/प्रशिक्षण की तिथि	राज्य	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
26	वर्चुअल		बिहार/आंध्र प्रदेश/उत्तर प्रदेश/दिल्ली/गोवा/सिक्किम	सीडीपीओ के साथ बैठक—पंजीकरण बढ़ाने के लिए
27	वर्चुअल	21 नवम्बर, 2023	असम	सीडीपीओ के साथ बैठक—पंजीकरण बढ़ाने के लिए
28	वर्चुअल	22 नवम्बर, 2023	उत्तर प्रदेश	मैक्रूपग और एसएनओ लॉगिन में चुनौतियों पर चर्चा
29	वास्तविक	28 नवम्बर, 2023	गुजरात/मध्यप्रदेश/आंध्र प्रदेश/त्रिपुरा/पंजाब/हरियाणा/चंडीगढ़/महाराष्ट्र/कर्नाटक/केरल/उत्तर प्रदेश/असम/हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड/बिहार	पंजीकरण अभियान के लिए राज्यों का दौरा
30	वास्तविक	30 नवम्बर, 2023	गुजरात/मध्यप्रदेश/आंध्र प्रदेश/त्रिपुरा/पंजाब/हरियाणा/चंडीगढ़/महाराष्ट्र/कर्नाटक/केरल/उत्तर प्रदेश/असम/हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड/बिहार	पंजीकरण अभियान के लिए राज्यों का दौरा
31	वर्चुअल	5 दिसम्बर, 2023	बिहार	सीडीपीओ के साथ चर्चा — पंजीकरण अभियान पर अपडेट
32	वर्चुअल	5 दिसम्बर, 2023	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछला आंकड़ा प्रस्तुत करने पर अद्यतन
33	वर्चुअल	7 दिसम्बर, 2023	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह/पंजाब	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ — बैठक

क्र.सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक/प्रशिक्षण की तिथि	राज्य	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
34	वर्चुअल	8 दिसम्बर, 2023	हरियाणा	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – बैठक
35	वर्चुअल	12 दिसम्बर, 2023	अरुणाचल प्रदेश	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – बैठक
36	वर्चुअल	13 दिसम्बर, 2023	उत्तराखंड/मेघालय	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – बैठक
37	वर्चुअल	14 दिसम्बर, 2023	उत्तराखंड	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – बैठक
38	वर्चुअल	18 दिसम्बर, 2023	बिहार	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – बैठक
39	वर्चुअल	19 दिसम्बर, 2023	उत्तराखंड	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – बैठक
40	वर्चुअल	20 दिसम्बर, 2023	झारखंड	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – बैठक

क्र.सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक/प्रशिक्षण की तिथि	राज्य	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
41	वर्चुअल	22 दिसम्बर, 2023	हिमाचल प्रदेश	पीएमएमवीवाई पोर्टल में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एनआईसी और सीडीपीओ के साथ – बैठक
42	वास्तविक	23 दिसम्बर, 2023	उत्तराखंड	पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस पर प्रशिक्षण सत्र
43	वर्चुअल	2–5 जनवरी, 2024	हरियाणा/उत्तरप्रदेश/बिहार/झारखंड/महाराष्ट्र	पंजीकरण एवं भुगतान को लेकर पीएमयू टीम से लेकर जिला स्तर पर सीडीपीओ तक की व्यापक बैठक
44	वास्तविक	16–17 जनवरी, 2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निपसिड में पीएमयू और एनआईसी टीम के साथ निपसिड और आईपीपीबी अधिकारियों के साथ बैठक
45	वर्चुअल	15 जनवरी, 2024	त्रिपुरा	त्रिपुरा में दोपहर 3 बजे मास्टर डाटा मैट्रिपग से संबंधित बैठक
46	वर्चुअल	19 जनवरी, 2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य टीम और सीडीपीओ के साथ तकनीकी प्रशिक्षण
47	वर्चुअल	25 जनवरी, 2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भुगतान की स्थिति के संबंध में राज्यों (एमडब्ल्यूसीडी-एनआईसी) के साथ चर्चा
48	वर्चुअल	7 फरवरी, 2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमयू और निदेशक की राज्यों के साथ बैठक
49	वर्चुअल	16 फरवरी, 2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई में राज्यों के साथ भुगतान की मंजूरी पर चर्चा
50	वर्चुअल	16 फरवरी, 2024	हरियाणा	हरियाणा के सीडीपीओ के साथ बैठक
51	वर्चुअल	19 फरवरी, 2024	गोवा	गोवा में भुगतान संबंधी मुद्दे पर सीडीपीओ के साथ बैठक

क्र.सं.	प्रशिक्षण का माध्यम	बैठक/प्रशिक्षण की तिथि	राज्य	बैठक/प्रशिक्षण उद्देश्य
52	वर्चुअल	19 फरवरी, 2024	जम्मू और कश्मीर	जम्मू व कश्मीर में तकनीकी मुद्दे पर बैठक
53	वर्चुअल	20 फरवरी, 2024	पुद्दुचेरी	भुगतान सृजन के मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक
54	वर्चुअल	20 फरवरी, 2024	राजस्थान	विभिन्न तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए सीडीपीओ स्तर तक बैठक
55	वर्चुअल	23 फरवरी, 2024	राजस्थान	मैत्रूपग के संबंध में एनआईसी के साथ राजस्थान की बैठक
56	वर्चुअल	23 फरवरी, 2024	गुजरात	आईपीपीबी शिविरों के अद्यतनीकरण और चल रहे कार्यों के संबंध में आईपीपीबी की गुजरात के साथ बैठक
57	वर्चुअल	29 फरवरी, 2024 और 3 मार्च, 2024	केरल	सीडीपीओ के साथ बैठक
58	वर्चुअल	5 मार्च, 2024	असम	सीडीपीओ के साथ बैठक
59	वास्तविक	9 मार्च, 2024	उत्तर प्रदेश	झाँसी में क्षमता निर्माण कार्यशाला
60	वर्चुअल	15 मार्च, 2024	बिहार/चंडीगढ़/उत्तराखंड	सीडीपीओ के साथ बैठक
61	वर्चुअल	18 मार्च, 2024	झारखंड	पूर्वी झारखंड सीडीपीओ को योजना के बारे में बताया
62	वर्चुअल	18 मार्च, 2024	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई योजना-वीसी
63	वास्तविक	19 मार्च, 2024	बिहार	क्षमता निर्माण कार्यशाला
64	वर्चुअल	20 मार्च, 2024	बिहार	क्षमता निर्माण कार्यशाला
65	वर्चुअल	22 मार्च, 2024	राज्यों—एनआईसी (छत्तीसगढ़/झारखंड/हरियाणा/पुद्दुचेरी/गोवा और अरुणाचल प्रदेश) के साथ चर्चा	भुगतान के मामले में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की पीएमयू और एनआईसी टीम के साथ बैठक

स्वीकृत/क्रियाशील परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्यवार संख्या
(एपीआईपी 2023–2024 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या			आंगनवाड़ी परियोजनाओं की संख्या	
		एपीआईपी 2023–24 के अनुसार स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	एपीआईपी 2023–24 के अनुसार क्रियाशील	एपीआईपी 2023–24 के अनुसार गैर-क्रियाशील	वास्तव में स्वी तद् संचालित आंगनवाड़ी परियोजनाओं की संख्या	असम द्वारा छोड़ने और त्रिपुरा को आवंटन के बाद स्वीकृत/संचालित आंगनवाड़ी परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	55607	55607	0	257	257
2	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	0	149	149
3	असम	62153	62093	60	98	98
4	बिहार	115009	114965	44	231	230
5	छत्तीसगढ़	52474	51857	617	544	544
6	गोवा	1262	1262	0	220	220
7	गुजरात	53029	53029	0	11	11
8	हरियाणा	25962	25962	0	336	336
9	हिमाचल प्रदेश	18925	18925	0	148	148
10	झारखंड	38432	38432	0	78	78
11	कर्नाटक	65911	65911	0	224	224
12	केरल	33115	33115	0	204	204
13	मध्य प्रदेश	97135	97135	0	258	258
14	महाराष्ट्र	110486	110446	40	453	453
15	मणिपुर	11510	11510	0	553	553
16	मेघालय	5896	5896	0	43	43
17	मिजोरम	2244	2244	0	41	41
18	नागालैंड	3980	3980	0	27	27
19	ओडिशा	74154	74154	0	60	60
20	पंजाब	27314	27307	7	338	338

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या			आंगनवाड़ी परियोजनाओं की संख्या	
		एपीआईपी 2023-24 के अनुसार स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	एपीआईपी 2023-24 के अनुसार क्रियाशील	एपीआईपी 2023-24 के अनुसार गैर-क्रियाशील	वास्तव में स्वी तः संचालित आंगनवाड़ी परियोजनाओं की संख्या	असम द्वारा छोड़ने और त्रिपुरा को आवंटन के बाद स्वीकृत/संचालित आंगनवाड़ी परियोजनाओं की संख्या
21	राजस्थान	62010	61873	137	155	155
22	सिक्किम	1308	1308	0	304	304
23	तमिलनाडु	54439	54439	0	13	13
24	तेलंगाना	35700	35700	0	434	434
25	त्रिपुरा	10145	10145	0	56	57
26	उत्तर प्रदेश	190145	189021	1124	897	897
27	उत्तराखंड	20067	20067	0	105	105
28	पश्चिम बंगाल	119481	119481	0	576	576
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	720	720	0	5	5
30	चंडीगढ़	450	450	0	3	3
31	दादरा और एन हवेली तथा दमन और दीव	409	405	4	95	95
32	दिल्ली	10897	10897	0	4	4
33	जम्मू और कश्मीर	28426	28426	0	128	128
34	लद्दाख	1173	1141	32	13	13
35	लक्षद्वीप	59	59	0	9	9
36	पुद्दुची	855	855	0	5	5
	कुल	1397107	1395042	2065	7075	7075

पूरक पोषण के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी 31.03.2024 तक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत गर्भवती महिला	आधार सत्यापित गर्भवती महिला	पंजीकृत स्तनपान कराने वाली माता	आधार सत्यापित स्तनपान कराने वाली माता	पंजीकृत 0-6 महीने के बच्चे	आधार सत्यापित 0-6 महीने के बच्चे	पंजीकृत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	आधार सत्यापित 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे	आधार सत्यापित 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे
1	दिल्ली	58065	57355	60892	60119	59227	58393	349831	345942	175615
2	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	3960	3720	3030	2828	2790	2334	14909	14103	9529
3	गोवा	3751	3693	4732	4666	4334	4223	35012	34559	18602
4	गुजरात	221092	213421	191944	186318	172256	160929	1502239	1464563	1627256
5	झारखंड	177539	162643	123731	113399	103253	95041	1350318	1254863	1501244
6	चंडीगढ़ - संघ राज्य क्षेत्र	3189	3160	3220	3194	3211	3133	16487	16382	20423
7	पुच्छेरी	3438	3355	3327	3244	2702	2586	24310	23414	3951
8	असम	96347	85885	84952	76650	91686	80248	1180409	1120207	1631205
9	उत्तराखंड	51060	48982	47604	45783	34504	32309	384171	370839	249410
10	मेघालय	6440	5763	7971	7160	7782	6871	150426	143587	228753
11	सिक्किम	1324	1184	1508	1316	1458	1208	12355	11347	16979
12	तमिलनाडु	300337	294581	226961	222620	204493	199073	1744546	1714626	1575758
13	हरियाणा	111921	104538	106073	98922	64124	57811	708516	619650	950524
14	पश्चिम बंगाल	536788	520705	433344	421419	403910	390924	3271842	3208799	4045672
15	केरल	128885	121701	104993	100461	89247	82221	804796	760925	1099743
16	जम्मू एवं कश्मीर	41839	40771	37711	36837	25876	25048	322175	315362	379224
17	हिमाचल प्रदेश	36391	35750	36483	35834	34533	32960	221488	218047	238069
18	मणिपुर	8419	7856	8453	7878	8530	7927	94381	89445	160224
19	त्रिपुरा	16276	14695	13073	11934	11533	10279	126592	115630	168677

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत गर्भवती महिला	आधार सत्यापित गर्भवती महिला	पंजीकृत स्तनपान कराने वाली माता	आधार सत्यापित स्तनपान कराने वाली माता	पंजीकृत 0-6 महीने के बच्चे	आधार सत्यापित 0-6 महीने के बच्चे	पंजीकृत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	आधार सत्यापित 3 वर्ष तक के बच्चे	आधार सत्यापित 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे
20	ल. ख.	939	904	813	779	631	592	7519	7298	8691
21	ओडिशा	283576	279979	224519	221497	194701	192754	1516121	1510576	1864557
22	लक्षद्वीप	409	398	379	371	374	368	3005	2929	1067
23	कर्नाटक	239232	228328	157855	150531	121434	115711	1669230	1617294	1685744
24	आंध्र प्रदेश	251278	228635	192822	172632	158051	141330	1324181	1198791	1120560
25	अरुणाचल प्रदेश	1865	1523	2609	2023	2538	2054	32703	23919	31430
26	मिजोरम	5626	5322	3631	3440	3745	3460	44558	42023	57703
27	महाराष्ट्र	324046	298533	292128	271408	235782	210013	2735413	2607615	3321840
28	पंजाब	85757	82434	92924	89191	86440	82215	649223	624297	627901
29	तेलंगाना	157575	145395	99319	92062	83673	74789	979403	924130	853625
30	अडमान और निकोबार द्वीप समूह	713	687	659	640	605	585	6897	6476	4338
31	उत्तर प्रदेश	1552960	1522789	1149186	1128196	940783	920164	9645670	9517798	8971034
32	राजस्थान	304090	283175	233670	219357	153139	141639	1958741	1803939	1792326
33	मध्य प्रदेश	433866	415400	347734	333542	296238	283158	2827477	2681149	3603588
34	बिहार	406972	387699	323692	310299	225964	216316	3504063	3391493	5560315
35	छत्तीसगढ़	151721	141423	121445	114486	103554	95219	1044067	968797	1178676
36	नागालैंड	1651	1356	2810	2348	2757	2438	40103	26582	66298
	कुल	6009337	5753738	4746197	4553384	3935858	3736323	40303177	38797396	449333336
										43891687

वर्ष 2023-24 के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी निधि (31.03.2024 तक)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	एसएनपी	बीमा	एसएजी	पोषण	ईएफ, पीओएलडू मर्ती और प्रशिक्षण	जनमन	मनरेगा	सक्षम	पेयजल	शौचालय	कुल
1	आंध्र प्रदेश	32933.86	32740.49	230.89	0	0	2622.96	2040	0	0	0	0	70568.20
2	बिहार	78384.98	89722.77	530.93	0	10643	6059.22	588	0	0	0	0	185928.90
3	छत्तीसगढ़	21426.96	28542.77	208.87	2922.99	4196	0	648	0	0	0	0	57945.59
4	गोवा	751.39	565.904	6	0	0	71.4	0	0	0	0	0	1394.69
5	गुजरात	24154.1	76725.52	267.1	0	7890	2839.62	804	0	0	0	0	112680.34
6	हरियाणा	11440.13	4946.63	101.33	54.74	4040	1374	0	186	0	0	435.53	22578.36
7	हिमाचल प्रदेश	18598.33	6268.62	149.4	313.54	3297	1482.21	0	0	0	0	0	30109.10
8	जम्मू और कश्मीर	36801.72	6750	175.24	411.6	6616	2288.79	0	0	45	0	0	53088.35
9	झारखंड	17227.11	35622.39	181.46	2751.78	7367	1948.68	1332	0	0	0	0	66430.42
10	कर्नाटक	40994.39	43493.32	330.99	0	6131	0	240	0	106.8	0	0	91296.50
11	केरल	13050.47	16194.75	174.45	132.6	0	0	84	0	1026	0	2.16	30664.43
12	मध्य प्रदेश	54442.08	45473.12	370.89	0	4845	4576.02	2604	0	0	0	0	112311.11

क्र. सं.	राज्य	आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	एसएनपी	बीमा	एसएजी	पोषण	ईएफ, पीओएलएड मर्ती और प्रशिक्षण	जनमन	मनरेगा	सक्षम	पेयजल	शौचालय	कुल
13	महाराष्ट्र	51072.35	90941.6	451.65	1664.75	15744	5809.5	0	0	353.4	1782.24	2132.28	169951.77
14	ओडिशा	33936.17	45230.33	350.21	3085.58	7752	3924.72	696	0	0	652.53	1252.36	96879.90
15	पंजाब	14232.54	14047.08	107.18	369.58	0	1470.66	0	187.2	0	0	372.89	30787.13
16	राजस्थान	38135.32	61461.09	260.11	0	5921	3299.46	120	0	0	0	0	109196.98
17	तमिलनाडु	23711.97	48977.5	231.53	368.52	5139	2614.14	312	1431.6	3354	665.75	1272.89	88078.90
18	तेलंगाना	23894.64	23772.62	164.98	0	0	1934.7	1020	0	0	0	0	50786.94
19	उत्तर प्रदेश	88619.82	148807.03	833.38	0	8997	8904.54	0	0	10707	0	0	266868.77
20	उत्तराखंड	18863.65	3819.12	104.46	0	4383	1581.84	72	0	0	0	0	28824.07
21	पश्चिम बंगाल	45559.91	71418.33	569.75	0	0	6208.2	0	0	0	0	0	123756.19
22	दिल्ली	5136.1	8733.12	57.06	0.00	1662.00	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16181.26
23	पुदुचेरी	143.38	262.42	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	447.72
24	अंडमान और निकोबार	788.31	267.68	5.16	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1129.15
25	चंडीगढ़	661.05	1047.68	3.96	0.00	218.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1979.69
26	डीएनएच और डीडी	383.01	773.89	3.34	0.00		36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1196.64
27	लद्दाख	1260.72	426.14	8.75	0.00	157.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1962.41

क्र. सं.	राज्य	आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	एसएनपी	बीमा	एसएजी	पोषण	ईएफ, पीओएलडि मर्ती और प्रशिक्षण	जनमन	मनरेगा	सक्षम	पेयजल	शौचालय	कुल
28	लक्षद्वीप	93.31	179.39	0.31	0.00		15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.11
29	अरुणाचल प्रदेश	12049.4	3287.75	26.47	304.72	0.00	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16206.09
30	असम	108345.44	67470.29	443.19	17139.42	11412.00	4852.08	0.00	0.00	733.50	3419.18	9516.20	223331.30
31	मणिपुर	9040.29	8693.03	87.71	0.00	0.00	962.82	156.00	900.00	0.00	288.09	0.00	20127.94
32	मेघालय	7432.75	12356.16	40.04	3359.61	1942.00	499.05	0.00	871.20	7.20	217.26	243.32	26968.59
33	मिजोरम	3716.63	2483.67	17.66	108.64	1512.00	219.06	0.00	918.00	889.20	96.24	65.77	10026.87
34	नागालैंड	9709.02	9732.94	29.22	3571.29	1651.00	374.76	0.00	266.40	44.10	204.26	707.94	26290.93
35	सिक्किम	2376.62	0	10.49	0.00	835.00	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3348.65
36	त्रिपुरा	10841.45	10108.68	80.23	0.00	0.00	825.39	1056.00	468.00	220.50	280.44	541.72	24422.41
	कुल	860209.37	1021343.82	6617.31	36559.36	122350.00	68279.39	11772.00	5228.40	17525.70	7605.99	16543.06	2174034.40

एसएजी के अंतर्गत राज्यवार लाभार्थी 31.03.2024 तक

क्र. सं.	राज्य	पंजीकृत/सक्रिय एजी
1	आंध्र प्रदेश	18671
2	अरुणाचल प्रदेश	15344
3	असम	143902
4	बिहार	216013
5	छत्तीसगढ़	119990
6	गुजरात	68016
7	हरियाणा	15900
8	हिमाचल प्रदेश	16704
9	झारखंड	290792
10	कर्नाटक	1275
11	केरल	18628
12	मध्य प्रदेश	154782
13	महाराष्ट्र	114257
14	मणिपुर	45188
15	मेघालय	52502
16	मिजोरम	21708
17	नागालैंड	25926
18	ओडिशा	276793
19	पंजाब	29344
20	राजस्थान	43110
21	सिक्किम	8471
22	तमिलनाडु	44271
23	तेलंगाना	30883
24	त्रिपुरा	34792
25	उत्तर प्रदेश	229489
26	उत्तराखंड	71691
27	जम्मू एवं कश्मीर	19168
	कुल	2127610

2023–24 के दौरान एसएजी के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवंटन (मीट्रिक टन में)	
		गेहूँ	फोर्टिफाइड चावल
1	आंध्र प्रदेश	0	283.81
2	अरुणाचल प्रदेश	0	141.83
3	असम	0	2987.05
4	बिहार	0	2340
5	छत्तीसगढ़	1104.34	0
6	गुजरात	622.82	0
7	हरियाणा	81.38	72
8	हिमाचल प्रदेश	133.99	49.5
9	जम्मू एवं कश्मीर	0	442.1
10	झारखंड	0	438
11	कर्नाटक	14.91	14.91
12	केरल	401.88	0
13	मध्य प्रदेश	1244.75	681
14	महाराष्ट्र	2231.83	0
15	मणिपुर	0	935.15
16	मेघालय	441.03	364.69
17	मिजोरम	0	477.2
18	नगालैंड	0	688.16
19	ओडिशा	5581.09	0
20	पंजाब	306.64	310.83
21	राजस्थान	526.71	291.79
22	सिक्किम	0	0
23	तमिलनाडु	730.49	0
24	तेलंगाना	0	424.57
25	त्रिपुरा	0	565.92
26	उत्तर प्रदेश	3332.89	2162.09
27	उत्तराखंड	743.88	795.19
	कुल	17498.63	14465.79

वर्ष 2023-24 के लिए डब्ल्यूबीएनपी के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवंटन (मीट्रिक टन में)	
		गेहूँ	फोर्टिफाइड चावल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	167.95725
2	आंध्र प्रदेश	16409.94	29652.21
3	अरुणाचल प्रदेश	0	516.039
4	असम	24734.191	44687.86
5	बिहार	0	210558.64
6	चंडीगढ़	195.39	212.75
7	छत्तीसगढ़	30126.657	9118.688
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	268.352	364.597
9	दिल्ली	9405.303	9405.303
10	गोवा	11	760.414
11	गुजरात	66334.89	13980.758
12	हरियाणा	23128.274	8040.809
13	हिमाचल प्रदेश	8089.437	3594
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	17377.17
15	झारखंड	18633.33	18804.51
16	कर्नाटक	56724.16	58189.99
17	केरल	7577	6858
18	लद्दाख	33.75	135.23
19	लक्षद्वीप	67.68125	101.98125
20	मध्य प्रदेश	116159.41	48161.97
21	महाराष्ट्र	129254.71	42336
22	मणिपुर	0	8752.385

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवंटन (मीट्रिक टन में)	
		गेहूँ	फोर्टिफाइड चावल
23	मेघालय	8322.195	5595.993
24	मिजोरम	750.2727	1334.0438
25	नागालैंड	0	3814.274
26	ओडिशा	51740.33	43828.61
27	पुदुचेरी	0	468.2823
28	पंजाब	22172.013	7527.094
29	राजस्थान	81862.91	18561.232
30	सिक्किम	242.99564	0
31	तमिलनाडु	41749	36058.42
32	तेलंगाना	18887.389	26130.924
33	त्रिपुरा	0	8501.506
34	उत्तर प्रदेश	306099.59	277332.54
35	उत्तराखंड	9665.13	10909.54
36	पश्चिम बंगाल	0	165189.47
	कुल	1048645.30	1137029.19

वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए मिशन वात्सल्य के अंतर्गत
जारी निधि (31.03.2024 तक (रुपये लाख में))

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	3677.98	2500.76
2	अरुणाचल प्रदेश	2936.49	2435.38
3	असम	3734.67	5966.27
4	बिहार	3454.25	6518.02
5	छत्तीसगढ़	765.05	4465.94
6	गोवा	5.77	0.00
7	गुजरात	2329.53	4710.23
8	हरियाणा	2938.82	1616.98
9	हिमाचल प्रदेश	3091.73	2115.30
10	जम्मू एवं कश्मीर	2822.85	4364.48
11	झारखंड	743.48	3765.91
12	कर्नाटक	5856.93	9093.83
13	केरल	1284.89	2227.19
14	मध्य प्रदेश	4690.78	6084.94
15	महाराष्ट्र	7132.66	9537.68
16	मणिपुर	4826.75	2923.85
17	मेघालय	333.07	3127.99
18	मिजोरम	1503.31	5309.45
19	नागालैंड	2630.86	2928.28
20	ओडिशा	3755.49	6028.17
21	पंजाब	1069.08	1543.98
22	राजस्थान	6600.22	4283.88

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2022-23	2023-24
23	सिक्किम	1047.25	579.74
24	तमिलनाडु	5102.93	12869.99
25	तेलंगाना	2824.95	3998.02
26	त्रिपुरा	159.54	3209.03
27	उत्तर प्रदेश	6604.67	10356.62
28	उत्तराखंड	365.91	3263.37
29	पश्चिम बंगाल	2663.81	5742.44
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	374.79	268.01
31	चंडीगढ़	523.78	582.85
32	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	389.90	319.34
33	दिल्ली	1506.95	388.77
34	लक्षद्वीप	0.00	35.66
35	लद्दाख	142.44	438.89
36	पुद्दुचेरी	584.46	566.87
37	अन्य व्यय	15843.76	4912.01
	कल व्यय	104319.80	139080.12

31.03.2024 तक मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थन प्राप्त सीसीआई की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए घर	लाभार्थी (लड़के/लड़कियों)
1	आंध्र प्रदेश	5	16
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	6	184
4	बिहार	19	164
5	छत्तीसगढ़	12	79
6	दिल्ली	0	0
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	1	50
9	हरियाणा	2	60
10	हिमाचल प्रदेश	2	78
11	जम्मू और कश्मीर	5	36
12	झारखंड	5	178
13	कर्नाटक	1	5
14	केरल	4	177
15	मध्यप्रदेश	0	0
16	महाराष्ट्र	9	82
17	मणिपुर	2	14
18	मेघालय	16	274
19	मिजोरम	3	46
20	नागालैंड	0	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए घर	लाभार्थी (लड़के/लड़कियों)
21	ओडिशा	6	109
22	पुद्दुचेरी	16	346
23	पंजाब	2	69
24	राजस्थान	10	394
25	सिक्किम	2	50
26	तमिलनाडु	20	374
27	तेलंगाना	8	188
28	त्रिपुरा	40	1341
29	उत्तर प्रदेश	0	0
30	उत्तराखंड	0	0
31	पश्चिम बंगाल	0	0
32	अंडमान और निकोबार	0	0
33	चंडीगढ़	0	0
34	दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीव	0	0
35	लद्दाख	0	0
36	लक्षद्वीप	3	50
	कुल	199	4364

*बच्चों की संख्या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा सी.सी.आई. में नए प्रवेश के आधार पर भिन्न हो सकती है।

शिकायतों का राज्यवार वितरण

क्र. सं.	राज्य	जनवरी 2023 से मार्च 2023	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक	कुल
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	1	2
2.	आंध्र प्रदेश	55	191	246
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	8	9
4.	असम	26	87	113
5.	बिहार	307	1271	1578
6.	चंडीगढ़	9	44	53
7.	छत्तीसगढ़	46	183	229
8.	दादरा और नगर हवेली	0	2	2
9.	दमन और दीव	0	2	2
10.	दिल्ली	568	2387	2955
11.	गोवा	3	17	20
12.	गुजरात	50	243	293
13.	हरियाणा	228	1142	1370
14.	हिमाचल प्रदेश	18	86	104
15.	जम्मू और कश्मीर	38	140	178
16.	झारखंड	89	414	503
17.	कर्नाटक	130	552	682
18.	केरल	33	137	170
19.	लद्दाख	0	1	1
20.	लक्षद्वीप	0	0	0
21.	मध्य प्रदेश	275	1148	1423
22.	महाराष्ट्र	318	1445	1763

क्र. सं.	राज्य	जनवरी 2023 से मार्च 2023	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक	कुल
23.	मणिपुर	2	7	9
24.	मेघालय	1	1	2
25.	मिजोरम	0	1	1
26.	नागालैंड	1	0	1
27.	ओडिशा	36	143	179
28.	पुद्दुचेरी	4	18	22
29.	पंजाब	87	415	502
30.	राजस्थान	221	981	1202
31.	सिक्किम	1	2	3
32.	तमिलनाडु	152	619	771
33.	तेलंगाना	58	194	252
34.	त्रिपुरा	3	18	21
35.	उत्तर प्रदेश	3375	15762	19137
36.	उत्तराखंड	81	383	464
37.	पश्चिम बंगाल	131	605	736
	कुल	6348	28650	34998

शिकायतों का प्रकृतिवार वितरण

क्र. सं.	श्रेणी	जनवरी, 2023 से मार्च 2023	अप्रैल, 2023 से मार्च 2024	कुल
1.	एसिड अटैक		11	14
2.	द्विविवाह/बहुविवाह	43	192	235
3.	महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध	150	657	807
4.	महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित करना	24	93	117
5.	दहेज हत्या	61	304	365
6.	महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता	10	37	47
7.	शिक्षा और काम के समान अधिकार सहित लिंग भेदभाव	12	11	23
8.	विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न	932	4815	5747
9.	किन्नरों का उत्पीड़न	0	3	3
10.	महिलाओं का अश्लील निरूपण	1	9	10
11.	महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना/छेड़छाड़	522	2217	2739
12.	महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता	310	1616	1926
13.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण	1329	6487	7816
14.	बलात्कार/बलात्कार का प्रयास	338	1521	1859
15.	विवाह के मामले में विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार/सम्मान से संबंधित अपराध	108	397	505

क्र. सं.	श्रेणी	जनवरी, 2023 से मार्च 2023	अप्रैल, 2023 से मार्च 2024	कुल
16.	गरिमा के साथ जीने का अधिकार	2067	8271	10338
17.	लिंग चयनात्मक गर्भपात/कन्या भ्रूण हत्या/गर्भवती महिलाओं के गर्भाशय की जांच	3	8	11
18.	यौन दुराचार	45	269	314
19.	यौन उत्पीड़न	210	852	1062
20.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न	59	259	318
21.	पीछा करना/ताक-झांक	110	559	669
22.	महिला अधिकारों विरुद्ध सती प्रथा, देवदासी प्रथा, डायन शिकार जैसे अपमानजनक पारंपरिक प्रथाएं	3	10	13
23.	महिलाओं का दुर्व्यापार/वेश्यावृत्ति	8	49	57
24.	तलाक की स्थिति में बच्चों के संरक्षण का महिलाओं को अधिकार	0	3	3
	कुल	6348	28650	34998

एनईपी 2020 कार्य योजना के कार्यान्वयन के मूल में बाल अधिकारों को रखने के लिए
ऑनलाइन संवेदीकरण बैठकें आयोजित की गई बैठकों का विवरण

क्र. सं.	विषय	राज्य	दिनांक
1.	एनईपी-2020 कार्य योजना के कार्यान्वयन के मूल में बाल अधिकारों को रखने के लिए ऑनलाइन संवेदीकरण पर ऑनलाइन कार्यशाला	हिमाचल प्रदेश	02.01.2023
2.		आंध्र प्रदेश	03.01.2023
3.		अरुणाचल प्रदेश	03.01.2023
4.		असम	04.01.2023
5.		केरल	05.01.2023
6.		मणिपुर	05.01.2023
7.		मिजोरम	06.01.2023
8.		नागालैंड	06.01.2023
9.		गोवा	07.01.2023
10.		कर्नाटक	07.01.2023

क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाओं का विवरण

क्र. सं.	कार्यकलाप का नाम	कार्यक्रम-स्थल	दिनांक	अन्य राज्य
1.	स्कूल शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से ग्राम विकास योजना और स्कूल विकास योजनाओं (एसडीपी)/ जटिल/क्लस्टर विकास योजनाओं (एससीडीपी) के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिका।	हैदराबाद, तेलंगाना ,	13.03.2023	कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
2.		रांची, झारखंड	20.03.2023	बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा

स्कूलों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को रोकने और स्कूल न जाने वाले बच्चों को पुन नियोजित करने के लिए समीक्षा और परामर्श

क्र. सं.	विषय	राज्य	दिनांक
1.	स्कूलों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को रोकने और स्कूल न जाने वाले बच्चों को पुन नियोजित करने के लिए समीक्षा और परामर्श	पंजाब	27.12.2023
2.		तमिलनाडु	05.01.2024
3.		कर्नाटक	09.01.2024
4.		झारखंड	13.01.2024
5.		त्रिपुरा	18.01.2024
6.		असम	19.01.2024

**“वत्सलभारत” देश के सात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बाल संरक्षण,
बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी**

क्र. सं.	जिन राज्यों में संगोष्ठी आयोजित की गई	आमंत्रित अन्य संस्थान/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक
1.	नई दिल्ली	हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड पंजाब चंडीगढ़ जम्मू और कश्मीर लद्दाख	02.07.2023
2.	भोपाल, मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़ राजस्थान	09.07.2023
3.	मुंबई, महाराष्ट्र	गुजरात दमन और दीव गोवा पुणे	22.07.2023
4.	रांची, झारखंड	ओडिशा पश्चिम बंगाल बिहार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.07.2023
5.	गुवाहाटी, असम	अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा सिक्किम नागालैंड	06.08.2023
6.	चेन्नई, तमिलनाडू	पुदुचेरी तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल	12.08.2023
7.	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	सभी अलाभकारी संगठन	08.08.2023

2023–24 समीक्षा बैठक का विवरण

क्र. सं.	समीक्षा बैठक की तिथि	राज्य
1	16.06.2023	लद्दाख
2	14.08.2023	त्रिपुरा
3	25.09.2023	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
4	26.09.2023	झारखंड
5	27.10.2023	महाराष्ट्र
6	31.10.2023	ओडिशा
7	15.12.2023	उत्तर प्रदेश
8	20.12.2023	पश्चिम बंगाल
9	26.12.2023	चंडीगढ़
10	26.12.2023	हरियाणा
11	27.12.2023	पंजाब

जनवरी, 2023 से मार्च, 2024 तक एनसीपीसीआर द्वारा आयोजित बेंचों/शिविरों

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	जिला	जिला स्तर पर अथवा ब्लॉक स्तर पर	बेंच की तारीख	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	कर्नाटक	उडुपी	जिला स्तर पर	06.01.2023	190
2.	मध्य प्रदेश	बड़वानी	जिला स्तर पर	31.01.2023	173
3.	कर्नाटक	कारवार	जिला स्तर पर	06.02.2023	385
4.		रायचूर	जिला स्तर पर	13.02.2023	599
5.	मध्यप्रदेश	रायसेन	जिला स्तर पर	06.02.2023	526
6.	दिल्ली	उत्तर	जिला स्तर पर	19.03.2023	210
7.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	जिला स्तर पर	13.05.2023	260
8.	पश्चिम बंगाल	मालदा	जिला स्तर पर	12.05.2023	136
9.	मध्यप्रदेश	अनुपपुर	ब्लॉक स्तर पर	26.05.2023	361
10.	मध्यप्रदेश	शाहडोल	ब्लॉक स्तर पर	26.05.2023	615
11.	मध्यप्रदेश	डिंडोरी	बजाग में ब्लॉक स्तर पर	27.05.2023	302
12.	मध्यप्रदेश	मंडला	जिला स्तर पर	28.05.2023	491
13.	मध्यप्रदेश	दमोह	ब्लॉक स्तर पर	29.05.2023	99
14.	मध्यप्रदेश	कटनी	कटनी में जिला स्तर पर	30.05.2023	185
15.	मध्यप्रदेश	धार	ब्लॉक स्तर पर	05.06.2023	250
16.	मध्यप्रदेश	आलीराजपुर	ब्लॉक स्तर पर	07.06.2023	413
17.	मध्यप्रदेश	शूपुर	शियोपुर में जिला स्तर पर	08.06.2023	292
18.	मध्यप्रदेश	खरगोन	झिरनिया में ब्लॉक स्तर पर	10.06.2023	720

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	जिला	जिला स्तर पर अथवा ब्लॉक स्तर पर	बैंच की तारीख	प्राप्त शिकायतों की संख्या
19.	मध्यप्रदेश	खंडवा	ब्लॉक स्तर पर	12.06.2023	483
20.	छत्तीसगढ़	कबीरधाम	ब्लॉक स्तर पर	15.06.2023	294
21.	लद्दाख	लेह	ब्लॉक स्तर पर	16.06.2023	213
22.	छत्तीसगढ़	महासमुंद	ब्लॉक स्तर पर	17.06.2023	366
23.	छत्तीसगढ़	गौरेला- पंडेरा मरवाही	ब्लॉक स्तर पर	19.06.2023	960
24.	छत्तीसगढ़	मोहला – मानपुर – एक चौकी	ब्लॉक स्तर पर	19.06.2023	603
25.	छत्तीसगढ़	कोरबा	ब्लॉक स्तर पर	20.06.2023	61
26.	छत्तीसगढ़	सरगुजा	ब्लॉक स्तर पर	21.06.2023	129
27.	छत्तीसगढ़	कांकेर	ब्लॉक स्तर पर	21.06.2023	782
28.	छत्तीसगढ़	कोरिया (मुख्यालय – बैकुंठपुर)	ब्लॉक स्तर पर	22.06.2023	586
29.	छत्तीसगढ़	कोरिया (मुख्यालय – बैकुंठपुर)	ब्लॉक स्तर पर	23.06.2023	486
30.	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	ब्लॉक स्तर पर	23.06.2023	270
31.	मध्यप्रदेश	भिंड	ब्लॉक स्तर पर	23.06.2023	749
32.	मध्यप्रदेश	मुरैना	ब्लॉक स्तर पर	23.06.2023	796
33.	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	ब्लॉक स्तर पर	24.06.2023	432
34.	मध्यप्रदेश	शिवपुरी	ब्लॉक स्तर पर	24.06.2023	816
35.	मध्यप्रदेश	छतरपुर	ब्लॉक स्तर पर	26.06.2023	142
36.	मध्यप्रदेश	पन्ना	ब्लॉक स्तर पर	27.06.2023	408
37.	राजस्थान	अलवर	ब्लॉक स्तर पर	03.07.2023	133

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	जिला	जिला स्तर पर अथवा ब्लॉक स्तर पर	बैंच की तारीख	प्राप्त शिकायतों की संख्या
38.	राजस्थान	भरतपुर	ब्लॉक स्तर पर	04.07.2023	166
39.	छत्तीसगढ़	बस्तर	ब्लॉक स्तर पर	04.07.2023	462
40.	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	ब्लॉक स्तर पर	04.07.2023	783
41.	छत्तीसगढ़	सुकमा	ब्लॉक स्तर पर	05.07.2023	548
42.	छत्तीसगढ़	बीजापुर	ब्लॉक स्तर पर	05.07.2023	424
43.	राजस्थान	दौसा	ब्लॉक स्तर पर	05.07.2023	163
44.	राजस्थान	टोंक	ब्लॉक स्तर पर	06.07.2023	107
45.	ओडिशा	कोरापुट	लक्ष्मीपुर में जिला स्तर पर	07.07.2023	59
46.	ओडिशा	मल्कानगिरी	जिला स्तर पर	07.07.2023	398
47.	राजस्थान	पाली	ब्लॉक स्तर पर	12.07.2023	219
48.	राजस्थान	जालौर	ब्लॉक स्तर पर	13.07.2023	207
49.	राजस्थान	सिरोही	ब्लॉक स्तर पर	14.07.2023	462
50.	राजस्थान	बीकानेर	ब्लॉक स्तर पर	08.08.2023	445
51.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	ब्लॉक स्तर पर	08.08.2023	417
52.	राजस्थान	प्रतापगढ़	ब्लॉक स्तर पर	09.08.2023	87
53.	राजस्थान	नागौर	ब्लॉक स्तर पर	10.08.2023	640
54.	त्रिपुरा	उत्तर ऑपरेशन	ब्लॉक स्तर पर	13.08.2023	753
55.	राजस्थान	करौली	ब्लॉक स्तर पर	21.08.2023	580
56.	राजस्थान	धौलपुर	ब्लॉक स्तर पर	22.08.2023	363
57.	राजस्थान	बांसवाड़ा	ब्लॉक स्तर पर	23.08.2023	648

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	जिला	जिला स्तर पर अथवा ब्लॉक स्तर पर	बैंच की तारीख	प्राप्त शिकायतों की संख्या
58.	राजस्थान	जोधपुर	ब्लॉक स्तर पर	23.08.2023	618
59.	राजस्थान	डूंगरपुर	ब्लॉक स्तर पर	24.08.2023	650
60.	राजस्थान	जैसलमेर	ब्लॉक स्तर पर	24.08.2023	159
61.	राजस्थान	बूंदी	ब्लॉक स्तर पर	24.08.2023	303
62.	राजस्थान	उदयपुर	ब्लॉक स्तर पर	24.08.2023	308
63.	राजस्थान	बाड़मेर	ब्लॉक स्तर पर	25.08.2023	510
64.	राजस्थान	राजसमंद	ब्लॉक स्तर पर	25.08.2023	771
65.	राजस्थान	झालावाड़	ब्लॉक स्तर पर	26.08.2023	163
66.	राजस्थान	बारां	ब्लॉक स्तर पर	28.08.2023	213
67.	मध्यप्रदेश	राजगढ़	ब्लॉक स्तर पर	29.08.2023	416
68.	राजस्थान	हनुमानगढ़	ब्लॉक स्तर पर	05.09.2023	390
69.	मध्यप्रदेश	सिवनी	जिला स्तर पर	10.09.2023	381
70.	मध्यप्रदेश	विदिशा	ब्लॉक स्तर पर	11.09.2023	3208
71.	राजस्थान	एस. माधोपुर (गंगापुर सिटी)	ब्लॉक स्तर पर	30.09.2023	364
72.	मध्यप्रदेश	निवाड़ी	ब्लॉक स्तर पर	03.10.2023	163
73.	मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	ब्लॉक स्तर पर	04.10.2023	708
74.	मध्यप्रदेश	रतलाम	ब्लॉक स्तर पर	04.10.2023	420
75.	मध्यप्रदेश	उमरिया	ब्लॉक स्तर पर	06.10.2023	513
76.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	ब्लॉक स्तर पर	06.10.2023	646
77.	तमिलनाडु	तिरुचरपल्ली	ब्लॉक स्तर पर	09.10.2023	301

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	जिला	जिला स्तर पर अथवा ब्लॉक स्तर पर	बैंच की तारीख	प्राप्त शिकायतों की संख्या
78.	तमिलनाडु	थिरुवन्नमलाई	ब्लॉक स्तर पर	10.10.2023	337
79.	तमिलनाडु	वेल्लोर	ब्लॉक स्तर पर	11.10.2023	160
80.	तमिलनाडु	पेरम्बलुर	ब्लॉक स्तर पर	11.10.2023	325
81.	तमिलनाडु	अरियालूर	ब्लॉक स्तर पर	12.10.2023	297
82.	तमिलनाडु	कल्लाकुरिची	ब्लॉक स्तर पर	12.10.2023	337
83.	तमिलनाडु	करूर	ब्लॉक स्तर पर	12.10.2023	888
84.	तमिलनाडु	रानीपेट	ब्लॉक स्तर पर	12.10.2023	488
85.	तमिलनाडु	विल्लुपुरम	ब्लॉक स्तर पर	13.10.2023	510
86.	तमिलनाडु	शिवगंगा	ब्लॉक स्तर पर	14.10.2023	218
87.	तमिलनाडु	नीलगिरी	ब्लॉक स्तर पर	28.11.2023	200
88.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	जिला स्तर पर	04.12.2023	124
89.	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा	जिला स्तर पर	06.12.2023	141
90.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	जिला स्तर पर	08.12.2023	88
91.	उत्तर प्रदेश	जालौन	जिला स्तर पर	19.12.2023	108
92.	उत्तर प्रदेश	महोबा	ब्लॉक स्तर पर	20.12.2023	93
93.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	ब्लॉक स्तर पर	20.12.2023	294
94.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	जिला स्तर पर	20.12.2023	59
95.	उत्तर प्रदेश	बाँदा	जिला स्तर पर	21.12.2023	171
96.	उत्तर प्रदेश	कौशांबी	जिला स्तर पर	21.12.2023	177
97.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	ब्लॉक स्तर पर	21.12.2023	520

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	जिला	जिला स्तर पर अथवा ब्लॉक स्तर पर	बैंच की तारीख	प्राप्त शिकायतों की संख्या
98.	उत्तर प्रदेश	संभल	जिला स्तर पर	22.12.2023	1979
99.	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	जिला स्तर पर	22.12.2023	194
100.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदिनीपुर	जिला स्तर पर	22.12.2023	269
101.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनांजपुर	ब्लॉक स्तर पर	29.12.2023	146
102.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनांजपुर	जिला स्तर पर	30.12.2023	275
103.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	ब्लॉक स्तर पर	09.01.2024	35
104.	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	जिला स्तर पर	23.01.2024	324
105.	उत्तर प्रदेश	बरेली	जिला स्तर पर	24.01.2024	134
106.	मध्यप्रदेश	रायसेन	जिला स्तर पर	30.01.2024	654
107.	मध्यप्रदेश	रायसेन	ब्लॉक स्तर पर	30.01.2024	246
108.	मध्यप्रदेश	रायसेन	ब्लॉक स्तर पर	31.01.2024	366
109.	मध्यप्रदेश	रायसेन	ब्लॉक स्तर पर	31.01.2024	272

बाल अधिकारों के उल्लंघन/वंचित करने की शिकायतें और
आयोग द्वारा स्व संज्ञान से की गई कार्रवाई

क्र. सं.	शीर्ष	01-01-2023 तक लंबित (नीचे दिए गए आंकड़े तकनीकी कर्मचारियों द्वारा उनकी पिछली रिपोर्ट में दिए गए हैं)	जनवरी 2023 – जनवरी 2024 के दौरान प्राप्त नई जानकारी	कुल लंबित	जनवरी 2023 – जनवरी 2024 के दौरान बंद	31.01. 2024 तक लंबित
1	शिक्षा	2635	2301	4936	423	4513
2	बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण या बाल विकास	2589	9972	12561	1484	11077
3(i)	जे.जे. या उपेक्षित या वंचित बच्चों या दिव्यांग बच्चों की देखरेख	2772	12207	14979	573	14406
3 (ii)	सोशल ऑडिट/कानूनी प्रकोष्ठ	4067	124	4191	11	4180
4	बाल श्रम या बच्चों के संकट का उन्मूलन	2233	916	3149	852	2297
5	बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र	31	92	123	12	111
6	पॉक्सो और बच्चों से संबंधित अन्य कानून	3064	1844	4908	51	4857
7	पूर्वोत्तर राज्य (पाफक्सो मामलों के अलावा)	60	0	60	0	60
	कुल	17451	27456	44907	3406	41501

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राज्य सरकारों और इन-हाउस प्रशिक्षणों के सहयोग से प्रशिक्षण

क्र. सं.	विवरण	राज्य/आयोजक	मोड	दिनांक
1.	सीडब्ल्यूसी (लेह औऔर लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) के नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	03/01/2023-04/01/2023
2.	मिशन वात्सल्य के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों पर परामर्श बैठक।	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	01/02/2023-02/02/2023
3.	सीडब्ल्यूसी के नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 3 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण	भुवनेश्वर, ओडिशा	ऑफ़लाइन	06/02/2023
4.	सीडब्ल्यूसी के नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों के लिए दो बैचों में परिचयात्मक प्रशिक्षण; [पहला बैच 30 जनवरी – 11 फरवरी, 2023]	निपसिड, गुवाहाटी	ऑफ़लाइन	06/02/2023
5.	किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021, मॉडल नियम, 2022 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर संभाग स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, फरीदाबाद	ऑफ़लाइन	20/02/2023
6.	किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021, मॉडल नियम, 2022 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर संभाग स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, गुड़गांव	ऑफ़लाइन	21/02/2023
7.	नए दत्तक ग्रहण विनियमों पर राज्य अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम	मध्य प्रदेश	ऑफ़लाइन	16/03/2023 एवं 17/03/2023
8.	दो बैचों में सीडब्ल्यूसी के नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण; [दूसरा बैच 13 मार्च–25 मार्च, 2023]	निपसिड गुवाहाटी	ऑनलाइन	20/03/2023
9.	गोद लेने के नियम, 2022 पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण—त्रिपुरा	त्रिपुरा एसएआरए	ऑनलाइन	29/03/2023

क्र. सं.	विवरण	राज्य/आयोजक	मोड	दिनांक
10.	गोद लेने के नियम 2022 पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑफ़लाइन)	निपसिड, मुख्यालय	ऑफ़लाइन	18/04/2023
11.	बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए परामर्श बैठक (16–17 मई, 2023)	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	16/05/2023
12.	नए दत्तक ग्रहण दिशा-निर्देशों पर एक दिवसीय राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम	एसएआरए ओडिशा	ऑफ़लाइन	03/06/2023
13.	जम्मू और कश्मीर की बाल कल्याण समितियों के नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण (12–24 जून, 2023)	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	19/06/2023
14.	राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा 10–11 जून, 2023 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	राष्ट्रीय सेवा भारती, इंदौर	ऑफ़लाइन	11/06/2023
15.	सीसीआई पदाधिकारियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना और जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (17–21 जुलाई, 2023)	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	18/07/2023
16.	सीसीआई के पदाधिकारियों के लिए बाल देखभाल संस्थानों के प्रबंधन पर अभिविन्यास प्रशिक्षण (17–21 जुलाई, 2023)	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	19/07/2023
17.	विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य मुद्दों पर अभिविन्यास प्रशिक्षण, 24–25 जुलाई 2023, निपसिड, नई दिल्ली, विषय: कैरिंग्स पोर्टल	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	25/07/2023
18.	सीडब्ल्यूसी के नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण “11–23 सितंबर, 2023 तक आयोजित किया जाएगा विषय: गैर-संस्थागत देखभाल: दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण देखभाल, प्रायोजन और पश्चात देखभाल आदि	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	15/09/2023

क्र. सं.	विवरण	राज्य/आयोजक	मोड	दिनांक
19.	सीडब्ल्यूसी के नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण "11-23 सितंबर, 2023 तक आयोजित किया जाएगा विषय: एसएए-सीसीआई लिंकेज	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	16/09/2023
20.	सीडब्ल्यूसी के नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण "11-23 सितंबर, 2023 तक आयोजित किया गया जेजे अधिनियम, 2021 के तहत देश में और देश के भीतर दत्तक ग्रहण के लिए कैरिंग्स और प्रक्रियाएं	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	18/09/2023
21.	जम्मू और कश्मीर के हितधारकों के लिए 'बाल संरक्षण प्रणाली/तंत्र को सुदृढ़ बनाने' पर दो दिवसीय कार्यशाला	एमडब्ल्यूसीडी	ऑफ़लाइन	14/09/2023 to 15/09/2023
22.	27-28 सितंबर, 2023 से "सरल, मिशन वात्सल्य और कैरिंग्स पोर्टल" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए)	ऑफ़लाइन	27/09/2023
23.	बहु हितधारकों के लिए जेजे अधिनियम और इसके संशोधन अधिनियम और इसके नियमों के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (04-06 अक्टूबर, 2023) विषय: ग्रहण विनियम, 2022 और एसएए-सीसीआई लिंकेज और कैरिंग्स पोर्टल	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	06/10/2023
24.	उत्तराखंड राज्य के बाल कल्याण समितियों के नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण विषय: गैर-संस्थागत देखभाल: दत्तक ग्रहण, पालक देखभाल प्रायोजन और पश्चात देखभाल	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	12/10/2023
25.	सीसीआई पदाधिकारियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना और जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिथि व्याख्यान	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	17/10/2023

क्र. सं.	विवरण	राज्य/आयोजक	मोड	दिनांक
26.	जेजे अधिनियम के तहत गैर संस्थागत देखभाल पर किशोर न्याय बोर्ड के नवनियुक्त सदस्यों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण	निपसिड मुख्यालय	ऑनलाइन	24/11/2023
27.	बाल देखभाल संस्थानों के प्रबंधन पर सीसीआई के अधीक्षकों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण	निपसिड मुख्यालय	ऑनलाइन	20/12/2023
28.	जेजे अधिनियम के तहत मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन पर सीसीआई पदाधिकारियों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण (दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 और एसएए-सीसीआई लिकेज एसओपी)	निपसिड मुख्यालय	ऑनलाइन	29/12/2023
29.	एनआईपीसीसीडी, नई दिल्ली में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण (03-05 जनवरी, 2024)।	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	05/01/2024
30.	झारखंड राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए दत्तक ग्रहण के विभिन्न विषयों पर तीन दिवसीय ऑनलाइन व टकल प्रशिक्षण कार्यक्रम (08-10 जनवरी, 2024) निपसिड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कैरिंग्स पोर्टल पर	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	08/01/2024
31.	16 से 18 जनवरी, 2024 तक निपसिड, नई दिल्ली में अपने परिसर में विधिक सह परिवीक्षा अधिकारियों के लिए जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन पर परिचयात्मक प्रशिक्षण। (30 प्रतिभागी)	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	18.01.2024
32.	बिहार राज्य के साथ संशोधन/संशोधित दत्तक ग्रहण विनियमन 2022	निपसिड मुख्यालय	ऑफ़लाइन	27.02.2024
33.	कैरिंग्स, अंतर-देशीय अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण और एसएए-सीसीआई लिकेज	निपसिड मुख्यालय	ऑनलाइन	27.02.2024
34.	एसएए में बच्चों को बेहतर देखभाल और सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना।	निपसिड, लखनऊ	ऑनलाइन	06/03/2024
35.	कैरिंग्स पोर्टल	निपसिड, दिल्ली	ऑफ़लाइन	22/03/2024

आभासी अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	दिनांक
1.	जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख	11/04/2023
2.	केरल	20/04/2023
3.	ओडिशा	21/04/2023
4.	मध्य प्रदेश	12/05/2023
5.	झारखण्ड	19/05/2023
6.	उत्तर प्रदेश	26/05/2023
7.	मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और सिक्किम	09/06/2023
8.	बिहार	16/06/2023
9.	उत्तराखंड	23/06/2023
10.	राजस्थान	30/06/2023
11.	महाराष्ट्र और गोवा	14/07/2023
12.	पश्चिम बंगाल	21/07/2023
13.	तेलंगाना	28/07/2023
14.	छत्तीसगढ़	11/08/2023
15.	त्रिपुरा, असम, मणिपुर और नागालैंड	18/08/2023
16.	कर्नाटक	25/08/2023
17.	तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	08/09/2023
18.	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़	15/09/2023
19.	आंध्र प्रदेश	22/09/2023
20.	गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	29/09/2023

क्र. सं.	राज्य	दिनांक
21.	जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख	06/10/2023
22.	ओडिशा	20/10/2023
23.	दिल्ली	27/10/2023
24.	मध्य प्रदेश	01/12/2023
25.	झारखंड	08/12/2023
26.	उत्तर प्रदेश	15/12/2023
27.	मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	22/12/2023
28.	बिहार	29/12/2023
29.	उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश	05/01/2024
30.	राजस्थान	12/01/2024
31.	महाराष्ट्र और गोवा	19/01/2024
32.	तेलंगाना	02/02/2024
33.	छत्तीसगढ़	09/02/2024
35.	मेघालय, त्रिपुरा और असम	16/02/2024
36.	कर्नाटक	23/02/2024
37.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	08/03/2024
38.	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15/03/2024
39.	पश्चिम बंगाल	21/03/2024

मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के लिए क्षेत्रवार आभासी प्रशिक्षण

क्र. सं.	विवरण	दिनांक
1.	उत्तरी क्षेत्र चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान	06/04/2023
2.	पूर्वी क्षेत्र बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	10/04/2023
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	10/04/2023
4.	पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	17/04/2023
5.	दक्षिण क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार	20/04/2023

संबंधी, सौतेले माता—पिता और पालन—पोषण दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं पर
एसएआरए और डीसीपीयू कार्यकर्ताओं के लिए क्षेत्रवार आभासी प्रशिक्षण।

क्र. सं.	क्षेत्र	दिनांक
1.	उत्तरी क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान	22/08/2023
2.	पूर्वी क्षेत्र बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	22/08/2023
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	24/08/2023
4.	पश्चिमी क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	24/08/2023
5.	मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	28/08/2023
6.	दक्षिणी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28/08/2023

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बच्चों की पहचान, पालन—पोषण देखभाल, पालन—पोषण दत्तक ग्रहण, सीडब्ल्यूसी का कैरिंग्स से संबंध पर एसएआरए, डीसीपीयू, एसएए और सीडब्ल्यूसी पदाधिकारियों के लिए क्षेत्रवार आभासी प्रशिक्षण।

क्र. सं.	क्षेत्र	दिनांक और समय
1.	उत्तरी क्षेत्र - चंडीगढ़ - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - जम्मू और कश्मीर - पंजाब - राजस्थान	19/12/2023 मंगलवार
2.	पूर्वी क्षेत्र - बिहार - झारखंड - ओडिशा - सिक्किम - पश्चिम बंगाल	19/12/2023 मंगलवार
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र - अरुणाचल प्रदेश - असम - मणिपुर - मेघालय - मिजोरम - नागालैंड - त्रिपुरा	20/12/2023 बुधवार

क्र. सं.	क्षेत्र	दिनांक और समय
4.	पश्चिमी क्षेत्र - दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव - गोवा - गुजरात - महाराष्ट्र	20/12/2023 बुधवार
5.	मध्य क्षेत्र - छत्तीसगढ़ - मध्य प्रदेश - उत्तर प्रदेश - उत्तराखंड	21/12/2023 गुरुवार
6.	उत्तरी क्षेत्र - चंडीगढ़ - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - जम्मू और कश्मीर - पंजाब - राजस्थान	21/12/2023 गुरुवार



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

Ministry of Women and Child Development Government of India

